राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तीसवां दिवस [संख्या: 17

शुक्रवार,

26 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

प्रश्न संख्या 359

डा. राजकुमार शर्मा

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 360

श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में पोषाहार वितरण

361. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण करने का क्या प्रावधान है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर जिले में एवं विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरित हो रहा है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के गुंता शाहपुर ब्लाक में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र आते हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में पोषाहार का वितरण नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक पोषाहार वितरण प्रारम्भ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के प्रावधानों की पालना में गठित पूरक पोषाहार नियमावली - 2017 के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित की जाने वाली पोषाहार सामग्री का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में 3462 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें से 3442 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा 2328 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरित किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र बानसूर में परियोजना बानसूर के 282 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना थानागाजी के 55 आंगनबाड़ी केन्द्र सम्मिलित हैं, जिनमें से परियोजना बानसूर के 240 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं परियोजना थानागाजी के 52 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरित किया जा रहा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर के गुंता शाहपुर सैक्टर में 28 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इसकी सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बानसूर की परियोजना थानागाजी के 52 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं परियोजना बानसूर के 240 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इच्छुक एवं पात्र लाभार्थियों को पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। परियोजना थानागाजी के शेष रहे 03 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं परियोजना बानसूर के 42 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूह से अनुबंध नहीं होने के कारण पोषाहार का वितरण बाधित हुआ है। इन केन्द्रों के लिए शीघ्र ही स्वयं सहायता समूहों से अनुबंध कर पूरक पोषाहार का वितरण किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-एक में जवाब दिया है कि इतने पर पोषाहार सामग्री वितरित हो रही है, तो यह क्या समूहों के द्वारा हो रही है या फिर आंगनबाड़ी कर्मचारियों के द्वारा है? कुल कितने समूह बानसूर में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, और जो समूह या आंगनबाड़ी केन्द्रों की तरफ से पोषाहार नहीं बंट रहा है, तो उनको कब तक निरस्त करके नये गठित किये जाएंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर के अन्दर 282 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें

(श्रीमती ममता भूपेश)

से 240 पर पोषाहार का वितरण संचालित है। वह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो नहीं बंट रहे, जो समूह काम नहीं कर रहे हैं तो उनको निरस्त करके कब तक नये बनाएंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, पहले सुनें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): और गुंता शाहपुर, जैसे इसमें आपने बताया कि 28 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। इन केन्द्रों पर कई वर्षों से, पिछली सरकार के काल से पोषाहार नहीं बंट रहा है। क्या कारण हैं, और जो कर्मचारी इस तरीके की सजगता नहीं बरत रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर है और मैं मान रही हूं कि पिछली सरकार के समय से ही गुंता शाहपुर के अन्दर ये नहीं बंट रहा है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि एस.एच.जी. के नहीं बनने से यह पोषाहार का कार्य अवरुद्ध हुआ, और जिन कर्मचारियों की वजह से यह कार्य अवरुद्ध हुआ उनके खिलाफ विभाग ने कार्यवाही की है। उनको निलम्बित भी किया है क्योंकि एक महिला पर्यवेक्षक जो उस जगह कार्यरत थी, उसका पूर्व सरकार ने भी और हमने भी कई बार तबादला करने का प्रयास किया लेकिन वह कोर्ट स्टे के माध्यम से वहीं पर वापस लग जाती थी तो अब उनको हमने ए.पी.ओ. करके निलम्बित किया है, क्योंकि उनकी वजह से, पिछले डेढ़-दो साल से वह कार्यरत थी और पिछले साल भर से लगातार वहां पर पोषाहार का कार्य अवरुद्ध है, तो हमने विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कदम उठाये हैं।

साथ ही हमारी डिप्टी डाइरेक्टर, जिनका कार्य था कि वहां पर निरीक्षण करतीं, अगर महिला पर्यवेक्षक कार्य नहीं कर रही है, एस.एच.जी. कार्य नहीं कर रही है तो वह भी वहां पर जाने में अपनी असमर्थता दिखा रही थीं। उनके कार्य में भी जब विभाग को अनियमितता नजर आई तो पिछले कुछ दिनों पहले अलवर की डिप्टी डाइरेक्टर को भी इसी संदर्भ में ए.पी.ओ. किया गया है और हम शीघ्र गुंता शाहपुर समेत बानसूर के पूरे विधान सभा क्षेत्र में एस.एच.जी. के माध्यम से पोषाहार के कार्य का ढंग से संचालन शुरू

(श्रीमती ममता भूपेश)

करवाएंगे। जो भी कर्मचारी-अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ जिस तरह से पूर्व में कार्यवाही की गयी, उसी प्रकार से आगे भी कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी क्षेत्र में छींड एरिया है, वहां कई गांव ऐसे हैं, जनसंख्या भी ज्यादा है, तो वहां पर नये आंगनबाड़ी केन्द्र कब तक खोलेंगे और जो पिछले ट्रेनिंग के लिए नियुक्त की गयी थी, वे दो-तीन साल से पैंडिंग हैं, कब तक उनकी ट्रेनिंग करवा देंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार अभी नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। जब भी भविष्य में भारत सरकार हमें अनुमति देगी, 60:40 के रेशो से राज्य सरकार भी तत्परता के साथ नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रयास करेगी।

माननीय सदस्य, जहां भी आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाना चाहती हैं, वह सूची मुझे प्रेषित कर दें तो हम प्रयास करेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के नोर्म्स के हिसाब से हम जल्दी खोल दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में ऋण माफी कैम्प

362. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना, 2019 के अन्तर्गत कितने किसानों का कितना-कितना कर्ज माफ किया गया? जिलेवार, तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ऋण माफी के कैम्प लगाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में कौन-कौनसी तिथि को कैम्प आयोजित किये गये? कैम्पों में कितने प्रार्थना-पत्र ऋण माफी के प्राप्त हुए और कितने प्रार्थना-पत्रों को निस्तारित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के कौन-कौनसे काश्तकारों का कितनी-कितनी राशि का ऋण माफ किया गया? ग्राम पंचायतवार लाभान्वित काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(4) क्या उक्त काश्तकारों द्वारा सहकारी बैंकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी बैंकों/निजी बैंको से लिये गये कृषि ऋण भी माफ किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों का कितनी-कितनी राशि का ऋण माफ किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) ऋण माफी पोर्टल पर उपलब्ध सूचनानुसार केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण माफी का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 (1) पर व विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट -1 (2) पर संलग्न है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा की गयी ऋण माफी का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 (1) व तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-2 (2) पर उपलब्ध है।

(2) ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित करने के प्रयोजन से ग्राम सेवा सहकारी समितिवार आयोजित कैम्पों का वांछित विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) ऋण माफी पोर्टल पर उपलब्ध सूचनानुसार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण माफी का समितिवार-कृषकवार विवरण परिशिष्ट-4 (1) पर उपलब्ध है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण माफी की ग्राम पंचायतवार - कृषकवार सूचना परिशिष्ट-4 (2) पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार ने सितम्बर, 2017 तक के ऋण माफ किये थे और सहकारी समितिवार कैम्प लगाये गये थे लेकिन इस बार दो-तीन सहकारी समितियों को मिला करके कैम्प लगाये गये हैं। इससे पूर्व काफी काश्तकारों को आनलाइन आवेदन की सूचना भी नहीं दी गयी। इससे काफी काश्तकार वंचित रह गये। क्या वापस ऋण माफी के सहकारी समितिवार कैम्प लगाएंगे? सहकारी बैंक और निजी बैंकों से भी जो ऋण लिये, क्या उनको भी दो लाख तक के ऋण माफ की कोई योजना है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17.02.2019 तक ऋण माफी हेतु 1999200 आवेदन आये थे, जिसमें

(श्री अंजना उदयलाल)

से 1970133 आधार आधारित प्रमाणित हो चुके हैं, जिसमें से 1940596 के ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी हो चुके हैं, जिसमें 7179 करोड़ के अल्पकालीन ऋण माफ किये हुए हैं तो अब कैम्प लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सबके पास सर्टिफिकेट पहुंच गये हैं और दे दिये गये हैं। जहां तक दो लाख रुपये ऋण माफी का मामला है तो वह शिड्यूल्ड बैंक में पैंडिंग है, उनके लिये लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रयासरत हैं। जब भी बैंकों से बातचीत बैठ जाएगी, उस समय दो लाख रुपये तक के ऋण भी माफ कर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन काश्तकारों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र नहीं मिले उनको सहकारी समिति सुपरवाइजर टाल रहे हैं। जिनको सितम्बर, 2017 में ऋण माफी का लाभ मिला था, उनमें से कुछ काश्तकारों को दुबारा ऋण दे करके माफ कर दिया गया। जिन अधिकारियों ने सांठ-गांठ की, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अगर इस प्रकार की कोई अनियमिता हुई है तो आप सूची उपलब्ध करवा दें, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र उनके पास भिजवा दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने परिशिष्ट'1' में जो सूची दी है, 20,99,249 किसानों का Estimated Loan Waiver Amount आपने लिखा है 7179 करोड़ रुपये तो यह एस्टीमेटेड क्या है? इसमें मेरा पहला सवाल यह है कि वास्तविक आपने कितना लोन माफ किया है और इसमें से कितने लोन का आपने अपलेखन किसान के खाते में कर दिया, उसकी संख्या कितनी है? आपने खुद ने हमको जो कागज दिया है उसमें टोटल एप्लीकेशन आपने 20,99,249 बताई और अब आपने उत्तर देते हुए 19 लाख 40 हजार बता दी तो यह इतना अंतर क्यों है? यह Estimated Loan Waiver Amount आपने क्यों लिखा है? वास्तविक रूप से आपने कितना ऋण माफ कर दिया? माफ करने का मतलब है खाते में अपलेखन हो गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 7179 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण माफ कर दिया गया है, उनके खातों में समायोजित कर दिया गया है। जो डिफरेंस आ रहा है, वह अपात्र लोगों का, जिनके डबल-डबल थे, कोई कारण से वह छूटे हैं, बाकी सबको ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र मिल चुके हैं और पूरा अपलेखन कर दिया गया है। वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बार-बार उसी विषय पर आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि अगर आपने यह लिखा तो यह शब्द ऊपर से हटा दो, Estimated Loan Waiver Amount, अगर आप इस शब्द को हटा देते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि आपका पैसा जो है, आपने 7179 करोड़ रुपया किसान के खाते में डालकर उसको नो-ड्यूज मिल गया। आपने इसके ऊपर जो शब्द लिखा है- Estimated Loan Waiver Amount, यह शंका पैदा करता है कि वास्तव में किसान के खाते में ट्रांसफर हो गया और वह नो-ड्यूज उसको मिल गया क्या? अभी तक भी आप बार-बार, यह अगर नहीं लिखते इस पर तो हमें प्रश्न पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह प्रश्न पूछने का सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि एस्टीमेटेड का मतलब यह है अभी तक भी आप क्लीयर नहीं हो कि राजस्थान के कितने किसानों को उनके खाते में पैसे डाल दिये?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): मैं आपको संख्या उपलब्ध करवा रहा हूं कि 19,70,133 के आधार आधारित प्रमाणन हो चुके हैं और उनके खाते में डाल दिये गये हैं। अगर त्रुटिवश कोई और भी आता है तो उसमें सुधार कर रहे हैं इसलिए एस्टीमेटेड लिख दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता और पूरा विपक्ष बार-बार यह कह रहा है कि हमें बार-बार वही उत्तर मिल रहा है तो जो उत्तर होगा वही तो मिलेगा, दूसरा उत्तर लाऊंगा कहां से? जो सत्य बात है वही तो बात सामने आएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार पूछा जाता है तो मैं यह कहता हूं कि आपने लैपटाप तो इनको

(श्री अंजना उदयलाल)

उपलब्ध करवा दिये हैं, मैं पैन-ड्राइव दे देता हूं, यह आराम से बैठकर रोज देखें। एक भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा और गलती पकड़ी जाए तो हमें सूचित करें, उनके खाते में दे दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अपलिखित कितने लोगों का कर दिया?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। माननीय राजेन्द्रजी। I do not allow. राजेन्द्रजी, नहीं, बिलकुल गलत है। आप प्लीज बैठें। नीचे बैठें। नीचे बैठें। I will name you, नीचे बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, I will name him. यह बिलकुल गलत परम्परा है। मैं अलाउ नहीं करूंगा। अगला प्रश्न, श्री लाखन सिंह। मैंने दो प्रश्न अलाउ कर दिये। आपके कहने से मैंने एक की जगह दो अलाउ किये। नहीं, गलत परम्परा नहीं। श्री लाखन सिंह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। श्री लाखन सिंह। बिलकुल नहीं, आप भले ही वाक-आउट करिए। श्री लाखन सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

करौली में श्रमिकों के लिए संचालित लाभकारी योजनाएं

363. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये जाते हैं? इसके क्या नियम हैं? श्रमिक कार्ड से श्रमिकों को किन-किन लाभकारी योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लाभकारी योजना में विधान सभा क्षेत्र करौली में श्रमिकों

(श्री लाखन सिंह)

को क्या-क्या लाभ कब-कब दिये गये हैं? श्रमिकों द्वारा लाभकारी योजनाओं में कितने आवेदन प्राप्त हुए? उनमें से कितनों का निस्तारण हो गया तथा कितने शेष हैं? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सभी श्रमिक कार्ड धारी को समय पर लाभकारी योजनाओं का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप उत्तर पढ़ें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 एवं राजस्थान नियम 44 में श्रमिकों के पंजीयन का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं से पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाता है। (परिशिष्ट-2)

(2) विधान सभा क्षेत्र करौली में मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत कुल 25,286 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल प्राप्त आवेदनों में से 284 आवेदन निरस्त, 9,977 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर आक्षेपपूर्ति हेतु लम्बित एवं 4,509 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं। अब तक 7,959 निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। उपरोक्तानुसार विवरण परिशिष्ट -3 पर संलग्न है।

(3) लंबित आवेदनों का निस्तारण नियमित रूप से वरीयता के आधार पर 'पहले आओ, पहले पाओ' (फीफो) पद्धति से किया जा रहा है। इसके लिए नियमित समीक्षा सक्षम स्तर से करने के साथ-साथ मुख्यालय पर अलग से कंट्रोल रूम की स्थापना कर 1.94 लाख आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने यह कहा कि 25286 आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें से 284 निरस्त किये हैं और 9977 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर

(श्री लाखन सिंह)

आक्षेपपूर्ति हेतु लंबित हैं एवं 4509 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। क्या यह पैंडिंग पिछली सरकार के टाइम से चली आ रही हैं? मंत्रीजी, इन पैंडिंग्स को कब तक पूरा कर देंगे?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह पैंडेंसी पिछले एक वर्ष की नहीं है, यह पैंडेंसी पिछले तीन वर्ष से लगातार चली आ रही है। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19, उनके तुरंत निस्तारण करने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें अब तक 1 लाख 94 हजार आवेदनों का हमने निस्तारण किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि, एप्लीकेशन लगातार बढ़ती जा रही है तो पैंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए एक नए कंट्रोल रूम की हम और स्थापना कर रहे हैं जिससे कि जो पुरानी पैंडेंसी है, वह जल्दी निस्तारित की जाएगी और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो पिछले तीन वर्षों की पैंडेंसी है, वह अब ज्यादा नहीं रहेगी, जल्दी ही हम इनका निस्तारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। हां।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि यह कब तक हो जाएगा? साल भर में या छह महीने में, कब तक हो जाएगा?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि, यह निरंतर प्रक्रिया है, आज हम पुराना निस्तारण करेंगे तो अभी एक मिनट बाद ही दूसरी एप्लीकेशन आ जाएगी तो हमने FIFO पद्धति से, पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर हम इसका निस्तारण कर रहे हैं और जो पुरानी पैंडेंसी है, वह आप मानकर चलिए कि बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ महीनों में ही उनका निस्तारण होगा। लेकिन इनका निस्तारण होगा उतनी ही एप्लीकेशन और आ जाएगी तो कभी भी यह जीरो की स्थिति तो आने वाली नहीं है। बाकी जो पुरानी पैंडेंसी है, वह बहुत ही जल्दी खतम की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

बेरोजगारों को देय बेरोजगारी भत्ता

364. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कन्हैया लाल)

क्या सरकार प्रदेश के बेरोजगारों को मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी, क्या कर रहे हैं?

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): जी हां। राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के तहत प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की है। उक्त घोषणानुसार मुख्य मंत्री युवा संबल योजना में 1 फरवरी, 2019 से महिला तथा विशेष योग्यजन स्नातक पंजीकृत बेरोजगार आशार्थी को 3500/- रुपये प्रति माह एवं पुरुष आशार्थी को 3000/- रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। रोजगार विभाग में आशार्थी पंजीकरण की तिथि से मुख्य मंत्री युवा संबल योजना की पात्रता की शर्तों के अनुसार स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, राजस्थान का मूल निवासी हो, पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो, अधिकतम आयु सीमा सामान्य, ओ.बी.सी. वर्ग हेतु 30 वर्ष, अनु. जाति/ जनजाति/विशेष योग्यजन एवं महिला हेतु 35 वर्ष हो, ऐसा आवेदक वांछित समस्त प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र ई-साइन करके अपलोड करते हुए आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त आनलाइन आवेदनों में से विभाग द्वारा वैरिफिकेशन की प्रक्रिया के पश्चात योजना की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाले ऐसे पात्र आवेदकों को ही योजना में निहित लाभान्वितों की सीमा (एक लाख साठ हजार) तक नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है। इस योजना के तहत 22 जुलाई, 2019 तक 41738 नवीन आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा इन्हें अगस्त, 2019 से नियमित बेरोजगारी भत्ते का भुगतान प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

विभाग द्वारा पूर्व प्रचलित अक्षत योजना के तहत स्वीकृत/पात्र 40118 आशार्थियों को माह दिसम्बर, 2018 से जुलाई, 2019 के मध्य 83.32 करोड़ रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, आपने बताया कि पूर्व प्रचलित अक्षत योजना के तहत स्वीकृत/पात्र 40118 आशार्थियों को 83 करोड़

(श्री कन्हैया लाल)

रुपये दे दिये गये हैं जबकि आपने घोषणा की थी मुख्य मंत्री युवा संबल योजना, इसके तहत कितने लोगों को आपने, क्योंकि घोषणा में यह कहा था कि हमारी सरकार बनते ही बेरोजगारों को हम 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब तक कितने लोगों को दे दिया और कितने लोगों की आपके पास पैंडेंसी है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमेशा मैंने आपको बताया कि 40118 तो पूर्व के जो चले आ रहे थे, उनको दे रहे हैं, और 41738 नए आवेदकों में से तय कर चुके हैं, उन्हें अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। यह लम्प-सम 82 हजार के आस-पास होते हैं, इनको तो मिलना शुरू हो जाएगा। विपक्ष के हमारे साथी अक्सर सवाल उठाते हैं कि पंजीकृत बेरोजगारों में से इतने ही क्यों? वह मैं क्लीयर करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार पंजीकृत तो 90 साल का व्यक्ति भी हो सकता है, पांचवीं पास भी हो सकता है, आठवीं पास भी हो सकता है और करोड़पति का बेटा भी बेरोजगार हो सकता है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उन लोगों के द्वारा आवेदन किया जाएगा, आवेदन के कुछ नियम हैं कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। उसकी 30 साल आयु होनी चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। मैंने आपको वह कैटेगरी बता दी है। उसके अंदर के जो अभ्यर्थी हैं, उनको हम लोग इसके अंदर स्वीकृत करते हैं। इसकी प्रायोरिटी होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने अधिकतम एक लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की सीमा तय की थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बेरोजगार युवाओं की तकलीफ को देखते हुए उस सीमा को बढ़ाकर एक लाख 60 हजार युवाओं तक इस बेरोजगारी भत्ते को एक समय में देने का निर्णय किया है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को यह भी बता देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्न के संबंध में।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): प्रश्न का तो बता दिया।

श्री अध्यक्ष: जो पूछें, उसी का बताएं। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आप बोलेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। बोलकर आई कैच करोगे क्या? बैठे-बैठे नहीं।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी। लगभग 10 लाख से ज्यादा बी.ए. ग्रेजुएट युवा इन्तजार में हैं कि हमें देंगे, नहीं देंगे। आपने राइडर लगा दिया कि इसमें यह नियम होना चाहिए, इसकी आयु इतनी होनी चाहिए तो वह जो बेरोजगार आस लगाकर बैठे हैं, उनको आप देंगे? नहीं देंगे? यह बताएं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि आप बारम्बार 10 लाख, 10 लाख कहते हैं, मैं उसी पर आ रहा था, मुझे पता था पूरक प्रश्न यह आने वाला है। लम्प-सम आपके समय में 7 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे, एक लाख की सीमा थी। एक लाख की सीमा होते हुए पांच साल में आपकी सरकार मात्र 40 हजार लोगों को दे सकी। राइडर आपके समय में भी थे, कोई नया राइडर लागू नहीं हुआ है। यह एक मिथ है कि कोई नया राइडर लागू हुआ है। केवल जो पुराने राइडर थे, उसका सैल्फ अटैस्टेड एक डाकूमेंट मांगा गया है ताकि जो बेरोजगारी भत्ते के लायक हैं, उन्हीं को ही दिया जाए, कोई बार-बार उसको ना ले लें, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया है 82 हजार लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं और एक लाख 60 हजार तक बहुत जल्दी पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे पांच साल में मिलाकर 122 करोड़ रुपये बेरोजगारों को देने का काम किया। हम लोग 83 करोड़ दे चुके हैं। इस साल के अन्त तक 230 करोड़ रुपये से ऊपर दे देंगे, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के 122 करोड़ के लम्प-सम 200 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता हम पहले साल में देने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री जगसी राम। .(व्यवधान) एक मिनट, जगसी राम जी, आप बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, यह संख्या तो लगभग राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में है, वह 13 लाख के लगभग है। उनमें से एलिजिबिलिटी आपने यह कैसे निकाली कि यह 1 लाख 60 हजार नौजवान ही इसमें आएंगे? उसका आधार क्या लिया? बिना उनके डाकूमेंट वैरिफिकेशन किये, बिना कुछ किये,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आखिर यह आंकड़ा आपने कहां से निकाला कि केवल सरकार को 1 लाख 60 हजार लोगों को ही देना है? जो आपकी घोषणा थी वह तो सभी जो एलिजिबल हैं, तो यह जो 13 लाख एलिजिबल हैं पढ़े-लिखे, इनमें से केवल एक लाख 60 हजार ही क्यों एलिजिबल हैं?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कहां से यह एक लाख 60 हजार का आंकड़ा आया, वह मैं बता देना चाहता हूं। पहले तो पूर्ववर्ती सरकार में एक लाख की सीमा तय थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सीमा को बढ़ाकर एक लाख 60 हजार किया, लेकिन यह सीमा एक समय में जो प्राप्त कर रहे हैं, उनकी है। यह नहीं है कि इससे ऊपर जो आएगा, उसको मिलेगा नहीं। जब यह 1 लाख 60 हजार को मिलकर निकल जाएंगे तो पैंडेंसी में जो फार्म रहेंगे, एक लाख 60 हजार के ऊपर चाहे चार लाख आएं, चाहे पांच लाख आएं, उनको एक लाख 60 हजार के बाद में मिलेगा। एक समय में यह सीमा एक लाख 60 हजार रहेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जो एप्लाई करेंगे, और जिनको मिलना चाहिए, उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन एक लाख 60 हजार के बाद में उनका नम्बर आएगा। जो पात्र है, उसका किसी का भी रिजैक्ट नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) माननीय सदस्य, लीडर के बाद भी प्रश्न पूछेंगे? नोट अलाउड।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु संचालित कैब पर नियंत्रण

365. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किन-किन कम्पनियों की किस श्रेणी की कितनी-कितनी कैब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु संचालित हैं? कम्पनीवार किराया वसूली का मानदण्ड व जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार का कैब संचालक कम्पनियों पर किसी प्रकार का कोई प्रभावी नियंत्रण नही होने के कारण उक्त कैब संचालकों द्वारा यात्रियों से मनमर्जी किराया वसूला जा रहा है? यदि हां, तो सरकार आम जनता को इससे राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर एवं उदयपुर के लिए अनि टैक्नोलोजीज प्रा.लि. (ओला) तथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के लिए उबर इण्डिया टैक्नोलोजी प्रा.लि. (उबर) की सेवाएं संचालित हैं। कम्पनीवार किराया तालिका व जिलेवार संख्या सूची का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में संचालित कैब पर सरकार किस प्रकार नियंत्रण कर रही है? कम्पनियों और ड्राइवरों में नियंत्रण की क्या व्यवस्था है? यदि अभी तक सरकार का नियंत्रण नहीं है तो नियंत्रण किस प्रकार किये जाने की योजना है? रोडमैप बताएं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ओला और उबर को लेकर समय-समय पर अधिकारियों को शिकायतें मिलती रहती हैं। सरकार इस बात से चिन्तित है। इसी के बाद ओला, उबर के तमाम संचालकों को बुलाकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां पर सरकार की तरफ से डायरेक्शन दिये गये हैं कि वह खुद अपना एक कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे। उस कंट्रोल में जो भी शिकायतें आएंगी, उस पर सारा नियंत्रण तो ओला-उबर का रहेगा, लेकिन ओला-उबर कम्पनी वालों की यह जिम्मेदारी है कि वह टाइम टू टाइम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आर.टी.ओ. डिपार्टमेंट में जो शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों को वह जाकर वहां बताएंगे कि इतनी शिकायतें हमको प्राप्त हुई हैं।

बीच में ओला-उबर के लोगों ने बड़ी गड़बड़ यह की थी कि इंश्योरेंस के नाम पर दो रुपये ज्यादा वसूल कर रहे थे। जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को यह पता चला, उसके बाद उन सबको बुलाकर बहुत सख्ती से कह दिया गया और वह दो रुपये रुकवा दिये गये कि इंश्योरेंस के नाम पर आप दो रुपये नहीं ले सकते। बार-बार, कई बार शिकायतें आती हैं। ओला-उबर बहुत बड़ी तादाद में पूरे राजस्थान में चल रही हैं कि साहब, यह ज्यादा रेट ले रहे हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम वहां स्थापित हो गया है। अभी हमने एक अधिसूचना जारी की है कि अनुपालना सुनिश्चित करने की सूचना उपलब्ध नहीं करने, संचालित यानों

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

द्वारा परमिट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने की सूचना प्रेषित नहीं करने तथा प्रदेश में नई शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं लेने पर उबर इंडिया टैक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस प्रदान किये गये हैं। इसके अलावा यात्री सुरक्षा में, यात्रियों की सुरक्षा के लिए अलग-अलग नियमों से उनको बुलाकर नोटिस देकर कह दिया गया है कि आपको यह सब काम यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों की सिक्योरिटी और यात्रियों से जो पैसा लेने का मामला है, उसमें ओला-उबर पर हमने इतना नियंत्रण किया है कि वह मनमानी राशि वसूल नहीं कर पाए।

इसके अलावा अनुज्ञप्तिधारी किराये पर अपनी नीति प्रकाशित करेगा, जो भी ओला-उबर के लोग हैं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम किराया दर प्लेटफार्म एप्लीकेशन के साथ यानों और ड्राइवरों के रजिस्ट्रीकरण, यानों के स्वामियों और ड्राइवरों के साथ किराया साझा करने, यात्रियों की सुरक्षा, शिकायत दूर करने के लिए तंत्र इत्यादि के संदर्भ में होगी। इन नीतियों का पूरी बारीकी और पारदर्शिता से अनुसरण करना चाहिए। ये सारे नोटिस हमने दिये हुए हैं। पारदर्शिता के लिए और सख्ती से ओला-उबर को कहा गया है। आन डिमांड परिवहन प्रौद्योगिकी के प्लेटफार्म को की गयी यात्रा की दूरी और समय, यात्री सवार द्वारा की गयी यात्रा के लिए किये जाने वाले प्रतिफल सवार को सूचित करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना होगा। यात्रा की समाप्ति पर यात्रा के प्रारम्भ और गन्तव्य और कुल संदत्त रकम यदि कोई हो, उसका विवरण उस व्यक्ति या संस्था का नाम, जिसकी ओर से रसीद जारी की गयी है, का दस्तावेजीकरण करते हुए यात्री के ई-मेल पते या मोबाइल फोन या मोबाइल एप्लीकेशन पर हार्ड प्रति में इलेक्ट्रोनिक रसीद प्रेषित करेगा। सवार को या तो वेब द्वारा, मोबाइल एप पर या ग्राहक सेवा दूरभाष नंबर और ई-मेल पते के माध्यम से उनकी शिकायतें या यात्रा के दौरान सामने आयी कठिनाइयों को पेश करने के लिए सुकर बनाना पड़ेगा। ओला-उबर को नियंत्रण में लेने के लिये ओला-उबर तो अपना कंट्रोल रूम स्थापित करेगा, उनको ताकीद किया गया है सख्ती से, कि आप सारी सूचनाएं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां समय-समय पर देंगे।

फिर भी, ओला-उबर के मामले में पूरे स्टेट में यदि कहीं भी, कोई भी शिकायत माननीय सदस्यों को लगे तो सदन के सदस्यों से मैं कहूंगा कि यह जनता से जुड़ी हुई सर्विस है आपको लगता है तो आप मुझे भी बता दें,

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी बता दें। इस मामले में सरकार बहुत सख्त है। ओला-उबर में जो प्राइवेट टैक्सियों में सर्विस कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा, सुरक्षा के साथ-साथ सरकार ने जो मानदण्ड निर्धारित किये हैं, उसी किराये पर चलाना, उसके लिए हम सतर्क हैं और उसके ऊपर यदि कोई करेगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री अभी जो प्रश्न दो का जवाब दिया है, विभाग को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कई बार ऐसा होता है कि भले ही ओला गाड़ी खड़ी है लेकिन जब इनका इंजन चालू रहता है तो उसका खड़ी गाड़ी का भी एक रुपया 20 पैसे वसूल कर रही है। दूसरा, आपने बताया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है, यह कैब हाई-वे को बिना छुए भी यात्रियों से टोल वसूल कर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो यह सूचना दी गयी कि शिकायत प्राप्त नहीं हुई है उसका कारण यह है कि डिपार्टमेंट में आर.टी.ओ. और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां शिकायत इसलिए प्राप्त नहीं होती है कि लोगों को यह लगता है कि यह शिकायत हम कहां करें और ओला का जो ऐप है उसी पर अपनी शिकायत करते रहते हैं। आगे के लिए हमने आर.टी.ओ. और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, यदि वहां पर कोई डायरेक्ट शिकायत भी आएगी तो मैं अध्यक्ष जी के जरिये सदन को आश्वस्त करता हूं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां आर.टी.ओ. डिपार्टमेंट में, परिवहन विभाग में कहीं भी यदि कोई शिकायत करेगा हमारे डिपार्टमेंट में, हम आपको प्रोमिस करते हैं ओला, उबर के ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आपके भी कहीं नजर में आये तो ऐसी कोई मंशा नहीं है कि ओला, उबर का बचाव करना है, हमारा ओला, उबर से कोई लेना-देना नहीं है, किसी से कोई लेना-देना नहीं है, हंड्रेड परसेंट सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। राजस्थान का जो भी यात्री ओला, उबर में सफर करता है उससे उतना ही किराया वसूल किया जाएगा जो सरकार की नीतियों में शामिल है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 08 जुलाई, 2019)

कपासन में तकनीकी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना

30. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आई.टी.आई. खोलने के नियम व मानदंड तय किये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में सरकारी व निजी आई.टी.आई. संचालित है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कितनी-कितनी सीटें किस-किस ट्रेड में स्वीकृत हैं? शिक्षण कार्य के लिए कितने इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं तथा इनके कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों पर इंस्ट्रक्टर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उपखण्ड भोपालसागर में सरकारी आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार आई.टी.आई. कपासन व राशमी में कम्प्यूटर कोपा ट्रेड खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता(श्री अशोक): (1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु मानदण्ड महानिदेशक (प्रशिक्षण) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित है। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन में दो सरकारी व चार निजी आई.टी.आई. संचालित हैं। कपासन विधान सभा क्षेत्र में संचालित आई.टी.आई. में स्वीकृत ट्रेड एवं सीटों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

राजकीय औप्रसं कपासन में कुल स्वीकृत छह व्यवसाय के विरुद्ध एक अनुदेशक कार्यरत एवं पांच पद रिक्त हैं तथा कनिष्ठ अनुदेशकों के रिक्त पदों पर संस्था प्रधान द्वारा आवश्यकतानुसार गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

राजकीय औप्रसं राशमी में कुल आठ व्यवसाय स्वीकृत हैं जिनके आठ ही पद रिक्त हैं। राजकीय औप्रसं राशमी कैम्प कपासन में सत्र 2018-19 से प्रारम्भ हुआ है जिसमें सत्र 2018-19 से मात्र एक व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संस्था प्रधान द्‌वारा आवश्यकतानुसार गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

संस्थानवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-तीन पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभाग में इंस्ट्रक्टर के 402 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्‌वारा विज्ञापन संख्या 08/2018 जारी किया जा चुका है। इस विज्ञापन के तहत 248 पदों पर मार्च, 2019 में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है एवं शेष 154 पदों हेतु माह जुलाई, 2019 में परीक्षा लिया जाना प्रस्तावित था जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की विज्ञप्ति दिनांक 25.06.2019 के द्‌वारा स्थगित किया गया है।

(4) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-2015 (संशोधित) के बिंदु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आई.टी.आई. उपलब्ध नहीं हो, उसकी पालना में राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी आई.टी.आई. स्वीकृत हो चुकी हैं।

पंचायत समिति भोपालसागर में एक निजी आई.टी.आई. संचालित है फिर भी यदि गुणावगुणों के आधार पर, क्षेत्रीय संसाधनों की उपलब्धता होने व जन प्रतिनिधियों की मांग एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवा दिये जाते हैं तो पंचायत समिति भोपालसागर में राजकीय औद्‌योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) राजकीय आई.टी.आई. कपासन में कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) ट्रेड भारत सरकार की योजना 'अपग्रेडेशन आफ 1396 राजकीय आई.टी.आई. थ्रू पीपीपी' योजना के अन्तर्गत आरम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजकीय आई.टी.आई. राशमी में कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) ट्रेड स्वीकृत है। भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे दो प्रश्न ही हैं। क्या कारण है कि आई.टी.आई. कपासन में छह व्यवसाय स्वीकृत हैं लेकिन एक पद भरा हुआ है? राशमी आई.टी.आई. में आठ व्यवसाय के पद हैं, आठ व्यवसाय प्रारम्भ हैं और एक भी पद नहीं है। यह पद कब तक भर दिये जाएंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में 4838 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 3475 पद खाली हैं। अब यह खाली क्यों हैं, पिछले पांच साल में या पिछले कुछ सालों में क्यों खाली रहे, इस सवाल का जवाब तो शायद मैं आपको पूरा नहीं दे सकूंगा लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, वह मैं आपको बता देता हूं। 402 नई भर्तियों का काम चल रहा है, 248 का एग्जाम हो चुका है और डेढ़ सौ के आस पास का एग्जाम अभी होना बाकी है।

साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे डिपार्टमेंट में 1500 नई भर्तियों की स्वीकृति निकाली है उसमें से 1233 आई.टी.आई. के अन्दर ही निकाली है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है जल्दी से जल्दी इन पदों को भरा जाएगा। साथ ही मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आठ पद और पांच पद, 13 पद रिक्त हैं लेकिन वहां पर संविदा के ऊपर लगाकर काम कराया जा रहा है, केवल सरकारी पद रिक्त हैं, लेकिन संविदा पर वहां पर गैस्ट फैकल्टी काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न। राजकीय आई.टी.आई. कपासन में कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) ट्रेड कब तक खोल दिया जाएगा? राशमी आई.टी.आई. का भवन जो अभी अपूर्ण है, कब तक पूर्ण हो जाएगा और वहां पर आठ व्यवसाय प्रारम्भ होने के बाद भी मात्र एक चालू है, बाकी सात कब तक चालू कर दिये जाएंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): कोपा के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले सत्र में, अगला सत्र बारह महीने बाद होगा, उसमें इसको शुरू कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

वायु प्रदूषण रोकने की कार्ययोजना

366. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुभाष पूनिया)

(1) क्या प्रदेश में वाहन के धुएं, निर्माण गतिविधियों, औद्योगीकरण आदि से बढ़ते वायु प्रदूषण की निरन्तर जांच हेतु Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station संचालित है? यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौनसे जिले में कितनी-कितनी लागत के स्टेशन स्थापित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश के सभी जिला स्तर पर ऐसे स्टेशनों की स्थापना कर दी गयी है? यदि नहीं, तो कौन-कौनसे जिला स्तर पर ऐसे स्टेशन स्थापित होना शेष हैं? उक्त स्टेशनों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितनी राशि व्यय की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्थापित मानिटरिंग स्टेशन द्वारा 1 अप्रैल, 2018 से मई, 2019 तक कौन-कौनसे जिले की कौन-कौनसी पंचायत समिति में निर्धारित मापदण्ड से अधिक वायु प्रदूषण के मामले चिन्हित किये हैं? इन चिन्हित मामलों में क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जयपुर में तीन तथा जोधपुर, अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, अजमेर, कोटा एवं पाली में एक-एक Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र) कार्यरत है। विवरण परिशिष्ट - 'अ' पर संलग्न है।

राज्य में Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station की स्थापना के लिए जारी किये गये क्रय आदेशों के आधार पर लागत का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। आज दिनांक तक सात जिला मुख्यालयों यथा जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर, कोटा एवं पाली में ही Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station स्थापित हैं। शेष 26 जिला मुख्यालयों यथा बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनूं, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर एवं टोंक में Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station स्थापित होना शेष है, जिन पर वर्ष 2018-19 में कोई राशि व्यय नहीं की गयी है।

(राज्य मंत्री, वन)

(3) वर्तमान में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा किसी भी पंचायत समिति में Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station की स्थापना नहीं की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, वायु प्रदूषण के लिए जो यंत्र लगाये हैं उन यंत्रों की मानक रिपोर्ट मिल रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? जिस तरह से शहर, गांवों का प्रदूषण बढ़ रहा है एवं प्रकृति का चक्कर बिगड़ रहा है, उसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, राज्य मण्डल के 30 नये सतत वायु गुणवत्ता जांच केन्द्रों एवं 15 मानव संचालित वायु गुणवत्ता केन्द्रों की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव रखा है, इसको स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इन्हें स्थापित करने हेतु एनटीपीसी नोएडा एवं आरआईएल, जयपुर से प्रस्ताव मंगाये जा रहे हैं। इन्हें स्थापित करने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, 2018-19 के बजट में जिला मुख्यालयों पर स्टेशनों के निर्माण का जो 60 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, उसके बावजूद भी स्थापित नहीं हुए। उसका क्या कारण रहा?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): बजट अभी पास हुआ है। अगले सत्र में करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

जावर माइंस (उदयपुर) में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार

367. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत जावर माइंस को वेदान्ता ग्रुप द्वारा संचालित किया जा रहा है? क्या यह भी सही है

(श्री फूल सिंह मीणा)

कि माइंस में स्थानीय बेरोजगार युवकों को नौकरी नहीं रखकर बाहरी व्यक्तियों को रखा जा रहा है?

(2) उक्त माइंस में कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के क्या नियम हैं? वर्ष 2014 से 2019 तक कितने कर्मचारी बाहर से व कितने स्थानीय भर्ती किये गये एवं स्थानीय व्यक्ति की भर्ती नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त माइंस में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) वेदान्ता लिमिटेड की सहायक कंपनी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा जावर माइन्स संचालित की जा रही है। हिन्दुस्तान जिंक लि. जावर माइन्स में स्थानीय व्यक्तियों को भी रोजगार दिया गया है।

(2) माइंस में कार्मिकों के नियोजन में खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27(1)(पी)/खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन्स ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 12(1)(एल) के अन्तर्गत आदिवासी तथा खनन से विस्थापित को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जावर माइंस में वर्ष 2014 से 2019 के दौरान कंपनी एवं ठेकेदार के कुल 6689 कार्मिकों को नियुक्त किया गया जिसमें विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण (तहसील गिर्वा एवं सराड़ा) क्षेत्र के 3184 एवं 3505 बाहरी हैं, विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। सामान्यता किसी भी पद के विरुद्ध भर्ती किसी भी नियोजक पद पर वांछित योग्यता/दक्षता रखने वाले व्यक्तियों में से चयन कर की जाती है एवं आदिवासी तथा खनन से प्रभावित को प्राथमिकता का प्रावधान ऊपर इंगित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे प्रधान खनिजों के हैं जिनका विनियमन भारत सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों के अन्तर्गत होता है। इन नियमों में खानों में कार्मिकों के नियोजन का प्रावधान प्रश्न के भाग संख्या 2 के जवाब में उल्लेखित किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने

(श्री फूल सिंह मीणा)

जो जवाब दिया है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। जब माइंस बंद हो गयी थी और भयंकर आंदोलन हुआ था, तब वहां के सरपंचों और जन प्रतिनिधियों को बुलाकर यह समझौता हुआ था कि 60 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इनके आंकड़े बिलकुल गलत हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रश्न। प्रश्न क्या है?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): यही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय लोग 3184 हैं और बाहर के 3505 हैं जो कि स्थानीय से 421 व्यक्ति ज्यादा लगा रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आंकड़े भी सही नहीं हैं। मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि मय एड्रैस, कहां किस पंचायत के, वहां की लोकल पंचायतें हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न भारत सरकार से है। अलाउ कर दिया है। इतना ही जवाब सरकार दे पाएगी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से यह पूछ रहा हूं कि कौनसे कर्मचारी, किस पंचायत के हैं, यह एड्रैस-शुदा मुझे देने की आपकी मंशा है तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को मूल प्रश्न के साथ परिशिष्ट-1 दिया है, उसमें पूरी सारिणी उल्लेख की है। उसमें स्पष्ट है कि राज्य के बाहर के कर्मचारी कुल 2180 हैं। बाहरी, आपकी विधान सभा से बाहर के, हैं तो वह उदयपुर जिले के, उनकी संख्या 909 है। बाहरी, जिला उदयपुर विधान सभा क्षेत्र के उदयपुर ग्रामीण (तहसील गिर्वा एवं सराड़ा) को छोड़कर जो दूसरे हैं, उनकी संख्या 416 है। स्थानीय, यानी कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण (तहसील गिर्वा एवं सराड़ा) इनकी संख्या 3184 है। अगर हम इन सबका टोटल करते हैं तो राजस्थान के कर्मचारियों की संख्या 4509 आती है, जो कि कुल कर्मचारियों का 68 परसेंट है। जो आपको सूची चाहिए डिटेल में, वह मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। मैं बाई नेम सूची खननकर्ता से मंगवाकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से यही चाहता हूं कि आपने मेरी उदयपुर ग्रामीण विधान सभा के 416 की सूची दी है जबकि मैं आपको बताऊं कि वहां की पंचायतों में आज भी बेरोजगारी है। उनकी जमीनें खतम हो गयीं जिसमें ऊसर लगा हुआ है।

(श्री फूल सिंह मीणा)

माइंस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह मेरे प्रश्न का बिलकुल गलत जवाब दिया है। इसमें मवेशी भी मरे हुए थे। इसका फोटो भी मेरे पास है। मेरे पास सारा रिकार्ड है। मगर मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो वहां की प्रभावित लोकल पंचायतें हैं, वहां के कर्मचारी ज्यादा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए माननीय सदस्य। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पूर्व सदस्य भैंरुलाल जी जब तक इंटक के अध्यक्ष थे, तब तक इस कंपनी में इसकी पैरीफेरी की जो पंचायतें थीं, जिनकी जमीनें गयी हैं या डीप में जाने के कारण से उनका वाटर लेवल खतम हो गया, उन लोगों को प्रायोरिटी देते थे। यह जो संख्या आप बता रहे हैं इसमें से केवल इतना ही देखना है कि जो इसकी पैरीफेरी की 10 किलामीटर में पंचायतें हैं, उनके कितने लोग लगे हुए हैं। यहां पूरी तहसील जो आप बता रहे हो सराड़ा और गिर्वा का, वह एरिया बहुत दूर है। उन लोगों को पहली प्राथमिकता देने की आपकी मानसिकता है तो अभी नहीं, आगे जो भी पद रिक्त हों, उसमें उन लोगों को प्राथमिकता देने की मंशा है क्या जो उस माइंस के चारों ओर 10 किलोमीटर में बसे हुए लोग हैं?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से यह खनन पट्टा प्रधान खनिज का है। इसमें भारत सरकार के नियम लागू होते हैं। वह जो प्रावधान है भारत सरकार का खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27 (1) (पी) व रियायत नियमों के नियम 12 (1) (एल), दोनों ही नियमों में एक ही उल्लेख है कि आदिवासी व खनन विस्थापितों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने का इसमें प्रावधान है। जो वहां पर कार्यरत कर्मचारी हैं, विस्थापित का तो शून्य है, उसका कारण यह है कि यह खान 1950 में अलाट हुई थी। उस समय जो विस्थापित हुए, उनके परिजनों को उस समय रोजगार दिया गया। वह समय काफी लंबा हो गया। आदिवासी की अगर हम बात करें तो अभी यहां जो कुल 6689 कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें से 4493 आदिवासी हैं। भारत सरकार का प्रधान खनिज में जो रोजगार का नियम है, वह कंपनी के द्वारा फोलो किया जा रहा है। फिर भी जो आपने बात रखी है, उसकी मैं और जानकारी करके आपकी सेवा में प्रेषित कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वाजिब अली।

अल्पसंख्यकों को अन्य वर्गों के समान छात्रवृत्ति देने की कार्ययोजना

368. श्री वाजिब अली (नगर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य एस.टी., एस.सी. व ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति में समानता नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अल्पसंख्यकों को भी उक्त के समान छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय हेतु केन्द्र प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है। दोनों योजनाएं मांग आधारित नहीं हैं, लक्ष्य आधारित हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा चयनित आवेदकों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाती है।

(2) पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना केन्द्र सरकार प्रवर्तित है इसलिए इन योजनाओं को मांग आधारित करने के लिए केन्द्र सरकार को कई बार अनुरोध किया गया है।

श्री वाजिब अली (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को कबकब और कितनी बार अनुरोध किया गया है? इस प्रकरण में केन्द्र सरकार का क्या जवाब आया है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी हमने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। उससे पहले पूर्व सरकार द्वारा भी 2017 में पत्र लिखा गया। 16.04.2018 के अंदर भी पत्र लिखा गया था। 16.10.2018 को पूर्व मंत्री जी द्वारा भी लिखा गया था। अभी जनवरी में वापस लिखा गया है। पूरे प्रदेश के अंदर मांग आई थी और काफी सदस्यों ने भी कहा था तो हमने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि आप सभी जरूरतमंदों को छात्रवृत्ति दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री वाजिब अली (नगर): मंत्री महोदय, क्या जवाब मिला हमें केन्द्र सरकार से इन पत्रों के बाद?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): हमने उनसे अनुरोध किया है, पर हमें वहां से जवाब नहीं आया है। मैं प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्रीजी भी अल्पसंख्यकों के लिए चिंतित हैं, दूसरे जितने भी विभाग हैं, उन सब में जितने भी जरूरतमंद होते हैं, उन सबको दी जाती है। इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए भी यदि केन्द्र सरकार, आप लोगों के सहयोग से जितने भी जरूरतमंद गरीब छात्र हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का क्रमोन्नयन

369. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पशु चिकित्सा केन्द्रों में पशु चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस केन्द्र पर पशु चिकित्सक के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत कुछ वर्षों से बजट में पशु चिकित्सालय, उप केन्द्र तो खोले जा चुके हैं किन्तु पुराने उप केन्द्र, पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। प्रदेश की चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त चिकित्सकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी हां। वर्तमान में विभाग में राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 में विद्यमान नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियमों में संशोधन पश्चात् पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार क्रमोन्नत किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कौनसे नियम संशोधित कर रहे हैं? इन संशोधनों में और कितना समय लगेगा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 1963 के अंतर्गत हाल ही में पिछली सरकार द्वारा भर्तियों की जो प्रकिया थी उस पर 39 पशुधन सहायकों का कोर्ट में प्रकरण लम्बित था, उसमें फैसला आया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कल उनको नियुक्ति दे दी गयी है। उसमें से आपके यहां भी एक नियुक्ति दी गयी है, 39 पद थे। इसी प्रकार चिकित्सक के 900 पद हैं, वह भी न्यायालय में प्रक्रियाधीन हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी ही उसमें फैसला आने वाला है, हो सकता है अगले महीने तक 900 चिकित्सकों की भर्ती हम करें और उनको भरने की कोशिश करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आपने मेरे यहां पशुधन सहायक लगाया है, मेरा प्रश्न पशु चिकित्सकों के संदर्भ में है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): मैंने बताया है न आपको कि पशु चिकित्सकों के 900 पदों की भर्ती का मामला कोर्ट में प्रक्रियाधीन है, वह लम्बित है और उसमें विभाग से समय-समय पर नियमों में संशोधित प्रारूप को कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 22.12.2017 को सहमति प्रदान की गयी एवं वित्त विभाग द्वारा दिनांक 01.02.2018 को प्राप्त सहमति उपरांत भर्ती नियमों में संशोधन का प्रारूप सहमति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 06.02.2018 को भेजा गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के आक्षेप बाबत प्रशासनिक विभाग के संशोधित प्रारूप पर कार्मिक विभाग और वित्त

(श्री लालचन्द कटारिया)

विभाग द्वारा दिनांक 06.06.2018 को सहमति प्रदान किये जाने पर दिनांक 07.06.2018 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को आक्षेप की पूर्ति करते हुए संशोधित प्रारूप भिजवाया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने बहुत होशियारी की है। कुल 1906 पद हैं उसमें से आपने सबका, खाली और भरे लिख दिया लेकिन ग्रैंड टोटल नहीं लगाया। वास्तव में कुल पद कितने स्वीकृत हैं, कितने आज की तारीख में काम कर रहे हैं और कितने आपके रिक्त हैं? विशेषकर उदयपुर जिले को आप देखेंगे तो 80 प्रतिशत पद आपके खाली पड़े हैं। आप टोटल इसका क्यों नहीं लगाते हो? टोटल बता दो आप, स्वीकृत आप बता रहे हैं वह 1906 पद बता रहे हो, इन 1906 पद में से आज की तारीख में रिक्त कितने हैं और उदयपुर जिले में कितने रिक्त हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि हमारी पशु चिकित्सा अधिकारियों के 900, पशुधन सहायकों के 2077 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि उदयपुर का मामला है, उसको मैं अभी आपके पास जितने भी लम्बित हैं, कितने भरने हैं, कितने खाली हैं उसकी सूची भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इनका प्रश्न यह है कि कुल कितने पद स्वीकृत हैं, उसमें से कितने खाली हैं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सम्पूर्ण राजस्थान में?

श्री अध्यक्ष: सम्पूर्ण राजस्थान में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने लिखा है, लेकिन टोटल नहीं लगाया।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग में पशु चिकित्सा कर्मियों की स्थिति इस प्रकार है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, स्वीकृत पद 1123, भरे हुए पद हैं 935, रिक्त पद हैं 188; पशु चिकित्सा अधिकारी 1937, भरे हुए 932, रिक्त पद हैं 1005; पशु चिकित्सा सहायक 1644, भरे हुए पद हैं 1034, रिक्त पद हैं 610; पशुधन सहायक 8019, भरे हुए पद 5851, रिक्त पद 2168.

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रूपा राम।

नागौर में संचालित महिला बाल विकास केन्द्रों में व्याप्त अनियमितताएं

370. श्री रूपा राम (मकराना): क्या महिला एवं बाल विकास, राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) नागौर जिले में कितने महिला एवं बाल विकास केन्द्र संचालित हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में महिला व बाल विकास केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं में पिछले तीन वर्षों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आबंटित धन राशि, खर्च हुई राशि एवं लाभार्थियों की केन्द्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष 2018 में नागौर में मकराना व नागौर, मूण्डवा, कुचामन में बडी संख्या में अनियमितताएं हुई थीं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) नागौर जिले में कुल 2873 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। स्थानवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विभाग द्वारा मुख्यत: 7 योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) नागौर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा संचालित योजनाओं में पिछले 3 वर्षों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आबंटित धनराशि एवं खर्च हुई राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) गत वर्ष 2018 में नागौर जिले की परियोजना डेगाना, परबतसर, मकराना शहरी, मकराना ग्रामीण कुचामन सिटी व रियां बड़ी के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गयी थी, जिसके आधार पर तत्कालीन उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर; बाल विकास परियोजना अधिकारी, डेगाना; बाल विकास परियोजना अधिकारी, कुचामन सिटी; बाल विकास परियोजना

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)
अधिकारी कार्यालय परबतसर के लिपिक; बाल विकास परियोजना अधिकारी, कार्यालय डेगाना के कम्प्यूटर आपरेटर एवं तीन अन्य प्राइवेट व्यक्तियों तथा अन्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 213/2018 दिनांक 29.07.2018 पंजीकृत की गयी। उक्त प्रकरण में तत्कालीन उप निदेशक, नागौर, तत्कालीन सीडीपीओ एवं जो भी कर्मचारी अधिकारी थे, उनको निलम्बित किया जा चुका है।

इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जांच लम्बित है। इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इस पोषाहार घोटाले के बाद में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जो मुदकमे दर्ज किये, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ा, निलम्बित कर दिया। जांच के दौरान क्या कोई उनसे वसूली हुई? हुई तो कितनी हुई नहीं तो क्यों नहीं?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारी, कर्मचारियों को उस समय प्रथम रिपोर्ट में दोषी पाया गया उनको निलम्बित किया गया, उनके खिलाफ विभाग ने कार्यवाही की है और इसकी जांच एसीबी के द्वारा की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अपनी जांच पूरी कर जिन भी कर्मचारी/अधिकारियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगा, वसूली का या जो भी इस प्रकार से होगा, विभाग पूरी तरह से बिना कोताही बरते उस वसूली को पूरी करेगा।

श्री रूपा राम (मकराना): इस घोटाले के दौरान नागौर जिले में कहां-कहां पोषाहार बंद है, कब तक चालू कर दिया जाएगा?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के अंदर लगभग सभी परियोजनाओं में पोषाहार सुचारु रूप से चल रहा है। मकराना के अंदर कुछ समस्या आई है, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगी कि जब नागौर के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने यह जांच की तो तमाम एसएचजी के अंदर भय व्याप्त हो

(श्रीमती ममता भूपेश)

गया। वहां एसएचजी नहीं बनने की वजह से कुछ स्थानों पर पोषाहार वितरण में समस्या आ रही है। यह एसएचजी नहीं बनने से पोषाहार वितरण में समस्या नागौर जिले में तो आ ही रही है, माननीय सदस्य, प्रदेश के कई हिस्सों में भी आ रही है। हम भी पूरी तरह से प्रयासरत हैं, हमारे अधिकारी, कर्मचारी इस बात के लिए प्रयासरत हैं हम जल्दी ही एसएचजी बनाकर बच्चों को पूरक पोषाहार का वितरण करें।

माननीय सदस्य, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगी कि खास तौर से मकराना के अंदर यह समस्या ज्यादा आ रही है, आप भी वहां के जन प्रतिनिधि हैं, आपकी और हमारी साझा जिम्मेदारी बनती है कि हम राजस्थान के और आपकी विधान सभा क्षेत्र के बच्चों को पूरक पोषाहार ढंग से वितरण कर पाएं। एसएचजी के अंदर, लोगों में जो भय है उसको हमें निकालना होगा क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशन में गुड गवर्नेंस दी जाएगी। आने वाले समय में पूरा भरोसा लोगों को दिलाया जाएगा कि आप एसएचजी बनाइए ताकि हम पूरक पोषाहार का काम कर सकें। इसमें निष्पक्षता से काम किया जाएगा, तो हम सभी लोग प्रयासरत हैं कि एसएचजी बने और यह पूरक पोषाहार का कार्य करवाया जा सके।

मकराना के अंदर लगभग 80-90 सैंटरों पर पूरक पोषाहार पिछले साल भर से वितरित नहीं हो रहा है जो चिंता का विषय है। मैं पुन: आपके माध्यम से आग्रह करूंगी माननीय सदस्य से, हमारा विभाग भी, एलएस सीडीपीओ, सब प्रयासरत हैं कि वहां जल्दी ही एसएचजी बने। आप भी हमारी इस कार्य में मदद करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

शोकाभिव्यक्ति।

(12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

प्रताप सिंह, श्री, पूर्व सदस्य, के निधन पर

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री प्रताप सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व सदस्य श्री प्रताप सिंह का जन्म 6 नवम्बर, 1931 को अजमेर के रलावता ग्राम में हुआ। आपने मेयो कालेज, अजमेर से शिक्षा प्राप्त की। श्री प्रताप सिंह पांचवीं राजस्थान विधान सभा में किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति एवं जन लेखा समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सिंह ग्राम रलावता के सरपंच रहे। आप वर्ष 1964 से 1972 तक किशनगढ़ पंचायत समिति के प्रधान भी रहे। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये समर्पित रहे श्री सिंह अजमेर दुग्ध डेयरी के वाइस प्रेसीडेंट तथा एडवर्ड मैमोरियल के निदेशक रहे। आप स्वतंत्र पार्टी से भी सम्बद्ध रहे। श्री प्रताप सिंह का दिनांक 23 जुलाई, 2019 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

अनुपस्थिति अनुमति

गजेन्द्र सिंह शक्तावत, श्री, सदस्य को 22 जुलाई, 2019 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत, सदस्य, विधान सभा ने अपनी माताजी की अस्वस्थता के कारण दिनांक 22 जुलाई, 2019 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(श्री अध्यक्ष)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन में नियमानुसार मुद्दे उठाये जाएं

माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था से पहले निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव, पर्ची के जो नियम हैं, उनका हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। अगले सत्र में आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि कृपया पर्चियों के सम्बन्ध में, स्थगन के सम्बन्ध में जो प्रावधान हैं, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें। प्रश्नों के सम्बन्ध में भी जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, हमारे खुद के सचिवालय में उन्हें ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे प्रश्न भी जिस तरह के नियम हैं, उनकी पालना उनके अन्तर्गत नहीं हो रही है। प्रश्न प्रभावशाली तभी होंगे जब हम प्रश्नों के नियमों का पालन करें।

मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि जब हम अगले सत्र में प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव और पर्ची के सम्बन्ध में जो इश्यु उठाएं, वे नियमों के अन्तर्गत उठाएं ताकि हम प्रभावशाली ढंग से उन नियमों का पालन कर सदन में चर्चा कर सकें। इसी सन्दर्भ में आज या इस सदन के सत्रांत तक कुछ प्रश्न ऐसे आ सकते हैं जो शायद हमें लगता है कि वे नियमानुसार नहीं आ रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन हम कोशिश करें कि हम नियमों का पालन ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकें। आज मुखबन्द भी है, इसलिये मुझे अनप्लैजेंट काम करना पड़ेगा, चाहे पर्ची हो, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, उन्हें समय-सीमा में हम करें तो सार्थक रूप से आज की चर्चा कर पाएंगे और मुखबन्द भी समय पर कर सकेंगे। यह मेरा आप सबसे निवेदन है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में फैल रही मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा व बारां जिले की कतिपय घुमन्तू जातियों को भूखण्ड आबंटित नहीं होने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर में सैकड़ों छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से देय छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से प्रदेश के पेंशनर्स को गम्भीर बीमारियों की दवाइयां उपभोक्ता संघ की दुकानों पर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुड़ा बालोतान का भवन गिरने की अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से नीमराना जिला अलवर में डाइकिन कम्पनी में आम हड़ताल के कारण हटाये गये मजदूरों को वापस लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में अधिकारियों की मिलीभगत से सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा क्षमता से अधिक सीमेंट का परिवहन करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से साम्भर जिला जयपुर में 431 बीघा सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल, किशनगढ़ में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर यू.आई.टी. पैरीफेरी एरिया में बसे लोगों को पट्टा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ विभाग के ही कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में

(श्री अध्यक्ष)

सैकड़ों कालोनियों में बारिश का पानी घरों में घुसने व करंट आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से जहाजपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ऊंचा के घरों में बारिश का पानी भर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को पिछले 6 से 20 माह तक का बकाया वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से पृथ्वीराज नगर से सटे नेशनल हाईवे पर दो से तीन फीट तक पानी भरा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के पुलिस थाना जसरासर में मृतक श्याम सुन्दर हत्याकाण्ड प्रकरण में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं तेरह अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के कतिपय जिलों में डी.एम.एफ.टी. के तहत स्वीकृत कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बावजूद भी कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(19) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से प्रदेश में गोडावण संरक्षित क्षेत्र सोरसन जिला बारां में खनन पट्टे जारी नहीं करने के सम्बन्ध में।

(20) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से आबू रोड के सरकारी कालेज परिसर में नियम विरुद्ध भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत लूनियावास के सरपंच द्वारा वैध निर्माणों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(22) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में

(श्री अध्यक्ष)

नगर परिषद् व नगर विकास न्यास में स्टाफ की कमी व अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(23) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर शहर में परकोटा की दीवार के पास सरकारी विभागों द्वारा नियम विरुद्ध निर्माण करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, श्री संयम लोढ़ा, श्री निर्मल कुमावत, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या एवं श्री गिरधारीलाल को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बारिश के पानी की उचित निकासी न होने से होने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश में बोर्डर होमगार्ड की ड्यूटी में अवैध मंथली वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री कन्हैयालाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के चिकित्सा केन्द्रों में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली के देबारी स्थित औद्योगिक इकाइयों से क्षेत्र का भूजल प्रदूषित होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ओम प्रकाश हुडला, सदस्य की ओर से महुवा कस्बे में बाणगंगा नदी की तरफ सी.सी. रोड एवं नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से रा.बा.उ.मा. विद्यालय लाखेरी जिला बून्दी में कला संकाय को विज्ञान संकाय में परिवर्तित करने से छात्रों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में बदहाल चिकित्सा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कतिपय बसों का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से राज्य में संचालित तकनीकी शिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से मातृकुण्डिया बांध के फीडर से पानी के सीपेज के कारण किसानों के खेत खराब होने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में आवागमन की सुविधाओं का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उपरोक्त सारे प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 26 जुलाई, 2019 को शून्य काल में बोलने हेतु 25 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	**नाम मान. विधायक**	**विषय**
1.	श्री शंकर सिंह रावत	अजमेर जिले में बाहर के लोगों के आने से स्थानीय निवासियों की शांति भंग होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2.	श्री चेतन सिंह चौधरी	जिला नागौर के पुलिस थाना गोटन में दर्ज मुकदमा संख्या 58/17 में निष्पक्ष जांच कराने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

क्र. सं.	नाम मान. विधायक	विषय
3.	श्री रोहित बोहरा	एम.एस.एम.ई. काउन्सिल डिवीजनल हैडक्वार्टर पर खोले जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री अमृत लाल मीणा	विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में बड़ावली, मल्लाड़ा, ईथली ग्राम पंचायतों को बागथला बिजली फीडर से जोड़ने के सम्बन्ध में।

बधाई एवं आभार

रघु शर्मा, श्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के जन्म दिवस पर बधाई

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी का आज जन्म दिवस है। मुझे उनके मित्र राजेन्द्र जी राठौड़, प्रताप सिंह जी और जितने भी साथी हैं, उन सबने कहा है कि आप सदन में हम सबकी तरफ से उनके जन्म दिवस पर उनको मुबारकबाद दें। मैं उनके लम्बे जीवन की कामना करता हूं कि वे राजस्थान में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।

स्थगन प्रस्ताव पर, श्री भरत सिंह कुन्दनपुर। आप बैठें।

माननीय राजेन्द्र राठौड़ पहली बार लड्डू मंगाकर सबको बांटेंगे। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था शिरोधार्य। किसी राजनीतिक दल की सदस्यता के बारे में विधान सभा की कार्यवाही स्थगित कर उस पर विचार हो, यह कभी नहीं हुआ।

आज तक सत्तारूढ़ दल के किसी माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया नहीं। कौल एण्ड शकधर यह कहता है, अध्यक्षीय व्यवस्था कहती है कि अगर सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य स्थगन प्रस्ताव देता है तो वह सरकार की निन्दा प्रस्ताव के समान माना जाता है।

मेरा आपसे आग्रह है कि राजनीतिक दलों पर, अगर उनकी सदस्यता पर हम इस प्रकार चर्चा करने लग जाएंगे, अध्यक्ष महोदय, आप जैसा डैमोक्रेट बैठा हो, मैं समझता हूं कि यह नई परम्परा क्यों डालें। मैं आपके माध्यम से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रार्थना करूंगा माननीय संयम जी से, अगर इनको एतराज है तो हमारे नेता से आकर मिल लें और इस पर चर्चा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं भी माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा नहीं की जाए। मैंने जो व्यवस्था दी उसमें परिवर्तन करते हुए मैं इसको चर्चा में नहीं लूंगा। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

गोडावण संरक्षित क्षेत्र सोरसन (बारां) में खनन पट्टे

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड जिसे हम गोडावण के रूप में जानते हैं वह हमारा स्टेट बर्ड है और पूरी दुनिया में इसकी संख्या 100 से कम है। भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, देहरादून ने एक एम्बिशियस प्रोग्राम हाथ में लिया है कि गोडावण के संरक्षण के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग का कार्यक्रम हम आरम्भ करेंगे और उसको आरम्भ भी किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया जीरो आवर की महत्ता समझें। प्लीज।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): जैसलमेर में अण्डे कलेक्शन करके जैसा कि वन मंत्री जी ने सदन में सूचना दी कि कुछ चूजे वहां निकले भी हैं, उनको बड़ा कर बारां जिले में सोरसन क्षेत्र है जहां गोडावण पाये जाते थे, वहां पर इनको रेज करने की योजना है। इस क्षेत्र, जिसमें गोडावण पक्षी को रखा जाएगा, अभी वहां कार्य पूर्ण रूप से आरम्भ भी नहीं हुआ उसके पहले ही उस क्षेत्र के अन्दर खनिज कार्य के लिए पट्टे आवेदन करने के लिए कलेक्टर के यहां दरख्वास्तें लगाई जा रही हैं। मैं वन मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस पक्षी को अगर बचाना है और सोरसन में आपको इनको ब्रीड करके, ब्रीडिंग सेंटर कायम करना है तो किसी भी प्रकार के फोरेस्ट एरिया में लीज वगैरह और फोरेस्ट एरिया के आस-पास भी उस पूरे क्षेत्र में खनिज कार्य की इजाजत नहीं दें, यही ध्यान दिलाने हेतु मैंने यह स्थगन प्रस्ताव लगाया है।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

लूनियावास (फुलेरा) सरपंच की वैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सांभर पंचायत समिति की लूनियावास पंचायत में दिनांक 14 जुलाई, 2019 को जो वहां के सरपंच हैं उनके द्वारा मनमर्जी करते हुए लगभग 8 से 10 जो वैध निर्माण हैं, कोई निजी खातेदारी में है, कोई पंचायत की पट्टेशुदा जमीन है या जिस पर कोर्ट स्टे है, इतवार के दिन राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए सरपंच द्वारा मनमर्जी की गयी। उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सड़क पीडब्ल्यूडी की है, कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, कोई नक्शे में अंकेक्षण नहीं है, उसके बावजूद....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सब कहें तो जीरो आवर को समाप्त करें। यदि सबकी रूचि नहीं हो तो इसको समाप्त करें। प्लीज।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, 2017 में ग्राम पंचायत द्वारा करीब 60 लोगों का अवैध निर्माण का नोटिस निकाला गया, उसके बाद में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सिर्फ ये 8 लोग जो पट्टेशुदा हैं, इनके ऊपर राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाकर 14 जुलाई को यह अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही की गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चार में तो पंचायत का पट्टा है, दो में कोर्ट स्टे है। यह मैं आन रिकार्ड डाकूमेंट बता रहा हूं और दो जमीनें निजी खातेदारी में हैं। अध्यक्ष महोदय, यह पटवारी की रिपोर्ट है, इसमें ग्राम पंचायत सचिव के साइन हैं, तहसीलदार के साइन हैं कि यह जमीन आबादी में नहीं आती, सरपंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। उसके बावजूद उन्होंने यह कार्यवाही की। मुझे जैसे ही इस बात की सूचना लगी, मैंने कलेक्टर को फोन किया, एसडीएम को फोन किया, तहसीलदार को किया, सबने कहा कि यह पंचायत का मामला है, हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। प्रशासन को भी गुमराह करके एक आदमी राजनीतिक द्वेष निकाल रहा है, यह कहां का न्याय है? अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, उपरोक्त सरपंच ने दस बीघा गोचर भूमि में एनओसी देकर खुद ने कब्जा कर रखा है, एक बावड़ी बना ली व अन्य काम कर लिये तो मेरा निवेदन है कि भविष्य में ऐसी कार्यवाही नहीं हो इसके लिए सरकार अधिकारियों को निर्देश दे और इसके ऊपर पूरी जांच कमेटी बैठाकर कार्यवाही करे। दुर्भाग्य से आज हमारे मंत्री जी नहीं हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ नगर परिषद् व नगर विकास न्यास में अव्यवस्था

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चुनाव के बाद चित्तौड़गढ़ नगर परिषद् में राजनीतिक द्वेषतावश एक भी काम नहीं हो पा रहा है जिसकी तरफ आप ध्यान आकर्षित करके थोड़ा दिखवाएं। वहां पर जो भी तकनीकी कर्मचारी थे उन सबके ट्रांसफर हो गये हैं, 8 जे.ईएन. में से एक जे.ईएन. है, एक भी ए.ईएन. नहीं है, एक भी एलडीसी, यूडीसी नहीं है, जिससे वहां सभी काम बाधित हैं। वहां खुले मवेशी, सांड, आवारा कुत्तों से काफी दिक्कत पैदा हो रही है, सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा गयी है, शहर में अतिक्रमण हो रहे हैं। सत्ताधारी जन-प्रतिनिधियों के दबाव में राजनीतिक द्वेषतावश कार्यों को प्रभावित किया जा रहा है। पाइप लाइन, सीवरेज और पानी की पाइप लाइन के कारण अमृत योजना के तहत पूरे रोड तहस-नहस हैं तथा नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को द्वेषतापूर्वक हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वैस्ट है कि पूरी शहर की व्यवस्थाएं तहस-नहस हैं, काफी कुछ काम हो नहीं पा रहा है, कर्मचारी भी लगवाएं और राजनीतिक द्वेषतावश नहीं देखें क्योंकि वहां चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हैं, द्वेषतावश कार्यवाही हो रही है, इसलिए उसको दिखवाकर उसमें कार्यवाही कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल। माननीय सदस्य, जीरो आवर में नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने व्यवस्था दी थी न।

श्री अध्यक्ष: जीरो आवर में नहीं, मैंने व्यवस्था दे दी, मेरी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते। बैठें आप। व्यवस्था मैंने दे दी, मान्यवर। अध्यक्ष की व्यवस्था पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। श्री गिरधारीलाल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने मुझे अलाउ किया था।

श्री अध्यक्ष: मैंने मना कर दिया, बाद में मैंने विद्ड्रा कर ली अपनी परमिशन। श्री गिरधारीलाल। माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा। श्री गिरधारीलाल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, आपको अलाउ नहीं है। प्लीज, बैठें। माननीय सदस्य, बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। माननीय सदस्य, मुझे नाम लेना पड़ेगा। रिकार्ड नहीं होगा। बैठें, प्लीज। श्री गिरधारीलाल।

बीकानेर में परकोटे की दीवार पर अवैध निर्माण

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के अन्दर ऐतिहासिक महत्व का परकोटा और पांच गेट बने हुए हैं जो देखरेख के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पुरातत्व विभाग के अनुसार कोट गेट, जस्सूसर गेट, नत्थूसर गेट, शीतला गेट और गोगा गेट संरक्षित स्मारकों की सूची में आते हैं, परन्तु बीकानेर का ऐतिहासिक परकोटा संरक्षित स्मारकों की सूची में नहीं है। नगर निगम और नगर विकास न्यास की ओर से चारदीवारी से सटी हुई जमीनें बेची जा रही हैं। निर्माण कार्यों की अनुमति दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकानों व दुकानों में ऐतिहासिक चारदीवारी समाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक चारदीवारी को बचाने की जिम्मेदारी न तो नगर निगम ले रहा है और न ही पुरातत्व विभाग ले रहा है, न ही जिला प्रशासन ले रहा है।

अध्यक्ष महोदय, परकोटे से 20 फीट छोड़कर निर्माण कार्य करने का नियम है, जबकि दीवार से सटाकर वहां निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा कराये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकारी विभाग द्वारा इसकी पालना नहीं करने की वजह से परकोटा अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर का यह ऐतिहासिक परकोटा है। अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि नगर निगम के जिन अधिकारियों ने 20 फीट के नियम और कायदों को ताक पर रखा है, क्या उन अधिकारियों पर सरकार कार्यवाही करेगी? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कृपया यह जवाब चाहिए।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर, शंकर सिंह रावत। दोनों आपस में बात करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अजमेर जिले में बाहर के लोगों के आने से शांति भंग

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के

(श्री शंकर सिंह रावत)

माध्यम से बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि अजमेर जिले में ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के आस-पास में ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं। उनकी शांति भंग करने के लिए बाहर के ऐसे लोग आए हुए हैं। बाहर के लोग यहां के लोगों को बरगलाकर, नाना प्रकार का प्रलोभन देकर वहां पर अवैध अतिक्रमण बनवा रहे हैं। अवैध अतिक्रमणों के नाम से बाकायदा रात-दिन झगड़े होते हैं। अभी पिपलाज गांव के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, बाहर के लोगों ने आकर गांव के व्यक्ति तेजा पुत्र शौकीन, हासन, धन्ना, इन लोगों के साथ मिलकर जमीन को अपने नाम पर लेकर अवैध अतिक्रमण बना दिया और जिसको मस्जिद का रूप दे रहे हैं। फिर उन्होंने उनको कहा, जब गांव के अंदर विवाद हुआ तो पुलिस आई। उसने मौका देखा, तहसीलदार है, एसडीएम वगैरह सब आए और मौका देखने के बाद तहसीलदार ने मौका पर्चा रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा है, इसमें प्रथम दृष्टया इस निर्माण को अवैध मस्जिद बनाना पाया गया।

ये रिपोर्ट देने के बाद में फिर एसडीएम ने रिपोर्ट दी है, मौका पर्चा की रिपोर्ट आई है। सबने इसमें यह स्वीकार किया कि यह अवैध निर्माण बनाया गया है। ऐसे अवैध निर्माणों के नाम से गांवों के अंदर शांति भंग करने की व्यवस्था होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि अवैध अतिक्रमण, जब प्रशासन स्वीकार कर चुका है तो हमें उसे ध्वस्त करने का आदेश दे देना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कलेक्टर के पास भी हम गये थे, उन्होंने भी कहा साहब, हम दिखवा रहे हैं। बिलकुल सही है, जो वहां का सीआई है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात हो गयी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): एक मिनट...

श्री अध्यक्ष: आज मुखबंद करना है, प्लीज बैठें। चेतन सिंह।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सर, एक बार प्लीज मंत्री महोदय से आप जवाब दिलवा दीजिए, वहां शांति भंग हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: नो, प्लीज आप बैठें, माननीय सदस्य बैठें। कोई रिकार्ड नहीं होगा। चेतन सिंह।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, नीचे बैठें आप। आज मुखबंद करना है। आप बैठें, सीनियर आदमी हैं आप।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर मैम्बर हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। मुखबंद करना है आज।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: आज के बाद आपको रोकना पड़ेगा, बोलने के लिए।

गोटन पुलिस थाना (नागौर) में दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, कक्षा 5 से हम लोग यह पढ़ रहे हैं कि भारत एक आजाद देश है। हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं और उस आजादी का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। मैं आपका ध्यान 29.03.2017 में नागौर जिले के गोटन थाने की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। वहां पर एक एफआईआर दर्ज हुई एफआईआर नम्बर 58/17 अज्ञात लोगों के खिलाफ और उसकी जांच के लिए एक आईओ नियुक्त किया गया, आईओ का नाम था +++ वह +++ रामलाल इंदावड़ निवासी के घर पर जाता है और उससे बोलता है कि इस एफआईआर में आपके लड़कों का और आपका नाम लिख दिया जाएगा, आप पांच लाख रुपये और माइनिंग की कुछ जमीन हमारे नाम करा दो।

अध्यक्ष जी, जब वे मना करते हैं तो 01.04.2017 को +++ रामलाल के लड़के महेन्द्र, अशोक, मुकेश और एक मंगाराम जो महेन्द्र का ससुर है, उसको गुजरात से उठाकर लाते हैं और हवालात में डाल देते हैं। तीन दिन तक इल्लीगल कस्टडी में उनको रखते हैं, मारपीट करते हैं और 03.05.2017 को उनको हिरासत में लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं करके सिर्फ आपको यह बताना चाहूंगा, महेन्द्र पुलिस के पास जाता है, सतर्कता विभाग में महानिदेशक के पास और अपनी शिकायत दर्ज कराता है। जो सतर्कता की जांच है, उसके निष्कर्ष मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। अपराध संख्या 58/17 थाना गोटन के अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी +++ उप निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना गोटन द्वारा परिवादी महेन्द्र जाट, अशोक बाता व मुकेश जाट को दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 03.04.2017 तक अवैध रूप से हिरासत में

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

रखना प्रमाणित पाया गया और आगे लिखा है कि गिरफ्तारी दिखाने के लिए रोजनामचे में फर्जी रवानगी व आमद दर्शाई गयी, जिसके लिए थानाधिकारी गोटन +++ हमराही जाब्ता दोषी हैं।

अध्यक्ष जी, आज दिन तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। पुलिस के उच्चाधिकारी को जानकारी थी कि उनको अवैध कस्टडी में रखा गया है, उसके बाद भी उसी अवैध हिरासत में रखने वाले एक पुलिस अधिकारी को तो प्रमोशन दिया गया। मैं आपको निवेदन करूं, मैं चाहूं तो सदन के पटल पर या आपके माध्यम से मंत्री जी को दिखा सकता हूं, +++ जिसकी रिकार्डिंग मेरे पास है। जो बोलता है, हम लोग इस तरह की इल्लीगल कस्टडी में रखना, मारपीट करना, टोर्चर करना, हमारा रोजाना का काम है, इसमें कोई नई बात नहीं है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से यह व्यवस्था दें कि +++ और उसके तीनों साथियों को निलंबित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय रोहित बौहरा।

एमएसएमई कौंसिल की डिवीजनल हैडक्वार्टर पर स्थापना

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद। अध्यक्षजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया पर्ची से, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपका ध्यान एमएसएमई एक्ट, 2006 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान में 2006 में एमएसएमई एक्ट लागू हुआ, उसके बाद एमएसएमई एक्ट ने एक काउंसिल बनाई। हमारे 138ए में नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जो हमारे चैक बाउंस हो जाते थे, उसके निस्तारण के लिए एमएसएमई एक्ट ने एक काउंसिल बनाई। पिछले पांच साल से बनी हुई है काउंसिल, राजस्थान में 1002 केसेज रजिस्टर हुए चैक बाउंसिंग के, उसमें से निस्तारण सिर्फ 45 केसेज के हुए, चैक बाउंसेस के 253 करोड़ रुपये के चैक बाउंस पड़े हुए हैं। उसमें से निस्तारण हुआ है, सिर्फ साढ़े तीन करोड़ रुपये का। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये एमएसएमई काउंसिल सिर्फ जयपुर में बनी हुई है, लोगों को जहां पर भी रजिस्टर कराना होता है, जयपुर तक आना पड़ता है। मेरी आपसे विनती है कि आप उद्योग मंत्रीजी से कहें कि

(श्री रोहित बौहरा)

एमएसएमई काउंसिल हर डिवीजनल हैडक्वार्टर पर बनाई जाए जिससे कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी चैक बाउंसिंग के केसेज हैं, उस पर राहत मिल जाए, नहीं तो यह टाइनी और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बिलकुल खतम हो जाएंगी। मैं चाहूंगा कि हर डिवीजनल हैड क्वार्टर पर एक एमएसएमई काउंसिल बनाई जाए, जिससे लोगों के जल्दी से जल्दी चैक बाउंसिंग की समस्या का निस्तारण हो सके।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य। अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में बड़ावली, मल्लाड़ा, ईथली ग्राम पंचायतों को बागथला बिजली फीडर से जोड़ना

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में पर्ची के माध्यम से चर्चा के लिए आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011-12 में उदयपुर जिले में सराड़ा ब्लाक में बागथला गांव में नया 33 केवी का जीएसएस बनाया गया है और जिस पर सुरकनखेड़ा, मल्लाड़ा, नावडा, बड़ावली व ईथली ग्राम पंचायत के ग्रामों को इस फीडर से जोड़ने का कार्य स्वीकृत हुआ था। लेकिन बड़ावली फीडर का कार्य आज तक शुरू नहीं किया गया है। उक्त गांव को इस फीडर से कब तक जोड़ा जाएगा? इन गांवों को जोड़ने के लिए उस क्षेत्र की जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही 2011-12 में देवपुरा फीडर, बलुआ फीडर का कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ, अधूरा पड़ा हुआ है। पूर्व में स्थापित विद्युत पोल की दूरी इतनी अधिक होने से बिजली के तार जमीन पर लटके हुए हैं जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में पूरा पहाड़ी इलाका है तारों के ऊपर पेड़ आ रखे हैं, पोल टेढ़े हैं, तार जमीन पर झूले हुए हैं और जिसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। पोदड़ा जीएसएस के लिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जयसमन्द में चार पंचायतें हैं अदवास, जावद, नईजर और सेमाल उन गांवों को भी पोदड़ा फीडर से जोड़ा जाए। धन्यवाद। जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: 131, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी आ जाएंगे। अच्छा पहले आप रुक जाएं राजेन्द्र जी, तब तक दूसरा शुरू कर देते हैं। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लाखों-लाख परिवारों को बचाने के इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आपने...

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अच्छा, वह भी मंत्री जी नहीं हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जवाब दिलवा दें। यह बहुत जरूरी है एमएसएमई काउन्सिल पर।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज बैठें। गलत चीज नहीं। आप बैठें। माननीय राठौड़ साहब, शुरू कर दें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में पहली बार इतिहास में बिना मंत्री जी के मैं गृह मंत्री जी का पाक विस्थापितों को कैम्प लगाकर समयबद्ध रूप से...

श्री अध्यक्ष: हां, आपके कहते ही आ गए वे। वे आपका इंतजार कर रहे थे, आप बोलो तब आएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या अदा है आपकी। बड़े नाजुक-नाजुक कदम रख रहे हैं। क्या अदा है आपकी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, 131.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपके पास कार्य सूची पहुंच गयी तो आपको यह पता है कि इसके बाद हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, उम्र का भी ध्यान रखें थोड़ा-सा। कभी-कभी प्रोब्लम हो जाती है।

माननीय राठौड़ साहब, 131.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 131 नहीं पूछूंगा। उम्र के बारे में आप मेरे मित्र के बारे में नहीं कहेंगे। आप देख लो, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: दिखने में और फिजीकल प्रोब्लम अलग-अलग इश्यु है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पाक विस्थापितों को नागरिकता

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं पाक विस्थापितों का कैम्प लगाकर समयबद्ध रूप से नागरिकता दिए जाने के संबंध में जागरूक चैतन्यशील गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह एडजेक्टिव क्यों लगाया आपने? माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाबत जो बात कही है मैं उसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दिलाना एक सतत प्रक्रिया है। कंटीनुअस प्रोसेस है यह और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा एजेंसियों को खास तौर पर आई.बी. की और सी.आई.डी. (विशेष शाखा) की रिपोर्ट्स को परीक्षण करने के बाद ही यह तय किया जाता है कि नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने जिन चार सिटीज का हवाला दिया है उसमें सबसे पहले बाड़मेर है। बाड़मेर में कुल मिलाकर 32 आदमियों को नागरिकता दी जा चुकी है। इसके कैम्प जो लगे हैं वे मार्च, 2019 में लगे, जून, 2019 में भी लगे। मार्च, 2019 में जो कैम्प लगा, उसमें 12 आदमियों को नागरिकता दी गयी और जून, 2019 में जो कैम्प लगा उसमें 20 आदमियों को यह नागरिकता दी गयी। कमी पूर्ति करके जो प्रस्ताव आते हैं, प्रस्ताव भेजे जाते हैं कलेक्टर के द्वारा। कलेक्टर के द्वारा जो भेजे जाते हैं प्रस्ताव उनमें कुछ कमी पूर्ति रहती है तो वापस कलेक्टर को वह कमी पूर्ति करने के लिए भेजा जाता है और उसके पश्चात ही नागरिकता पर फैसला होता है।

ठीक इसी तरीके से जैसलमेर ले लें। जैसलमेर में भी 20 जून, 2019 को कैम्प लगा। 6 आदमियों को भारतीय नागरिकता दे दी गयी और सिर्फ पांच आवेदन विचाराधीन रहे हैं। जोधपुर ले लें। नहीं, जोधपुर के पहले जालौर ले लेते हैं।

जालौर ले लें। जालौर में मार्च, 2019 में कैम्प लगा जिसमें 6 आदमियों को नागरिकता दे दी गयी और जून, 2019 में जो कैम्प लगा उसमें पांच आदमियों को भारतीय नागरिकता दे दी गयी।

जोधपुर आता है, जोधपुर में ज्यादा संख्या है। मैं आपको निवेदन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

करना चाहता हूं कि जोधपुर में कुल आवेदन प्राप्त हुए 2656 और जिन लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है वे हैं 1112, लेकिन अभी भी जो शेष आवेदन हैं उनकी संख्या 1110 है। वह 1110 कैसे है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। 342 की आई.बी. से सिक्योरिटी क्लीयरेंस आना बाकी है। सिक्योरिटी क्लीयरेंस अभी तक नहीं आई उनकी बकाया है ये, और 434 आवेदनों में विभिन्न खामियां होने के कारण इनको निरस्त कर दिया गया है।

ठीक इसी तरीके से 327 जोधपुर जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रक्रियाधीन हैं, चल रही है और 441 में सिक्योरिटी की क्लीयरेंस रिपोर्ट नहीं मिली। जिसका कारण यह रहा कि जैसे मजदूर है, मजदूर ने अपना पता दिया कि मैं फलां जगह रह रहा हूं और फलां जगह काम कर रहा हूं लेकिन इसी बीच में जब सिक्योरिटी वाले पहुंचते हैं तो वह दूसरी जगह जाकर मजदूरी करने लग जाता है या गलत पता भी हो जाता है तो इन कारणों से ये 441 उलझे हुए हैं। कुल मिला करके मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस बारे में सरकार बहुत गंभीर है। जितने भी कैम्प लगाये गये हैं 2019 के, वे मैंने आपको निवेदन कर दिए हैं। ये कैम्प हैं, जो लगे हुए हैं।

अब इसके अलावा भी अगर आप कोई सूचना चाहते हैं तो वह भी मैं बता देता हूं। राज्य सरकार को कुल आवेदन प्राप्त हुए मोटे तौर पर तीन जिले ऐसे हैं जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर, वहां तो सीधे कलेक्टर को भारत सरकार ने अधिकार दे रखे हैं नागरिकता देने के लिए। बाकी जितने भी जिले हैं उनके जिला कलेक्टर आवेदन तो लेते हैं, लेकिन आवेदन राज्य सरकार के पास भेज देते हैं। फिर राज्य सरकार उसमें अगर कोई कमी देखती है तो राज्य सरकार वापस कलेक्टर के पास भेजती है। ये तीन जिले ऐसे हैं जिनको कलेक्टर ही डील करता है, कलेक्टर ही नागरिकता देता है। जालौर है, उसमें कुल मिलाकर के 84 आवेदन हैं, उनमें से 11 को नागरिकता प्रदान कर दी गयी। अब आप कहो तो सारे ही जिलों का पढ़ दूं? जाने दूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उन हमवतनों की बात कर रहा हूं जो कभी अखंड भारत का हिस्सा थे परंतु आज उनका नाम पाक विस्थापित हो गया। मंत्री महोदय, मुझे मालूम है जब मैं यह प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष जी के सम्मुख लेकर आया था तो अध्यक्ष जी ने मुझे एक सवाल किया था कि आपने इतनी बड़ी संख्या लिख दी। वास्तव में इतनी बड़ी संख्या है नहीं जो पाक विस्थापित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज राजस्थान में हैं और जिनको नागरिकता नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, डीबी के अन्दर सुओमोटो एक रिट पिटीशन चल रही है 10075, उसके अन्दर राज्य सरकार ने अभी जो एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि 13 हजार ऐसे लोग हैं जिनके पास एलटीवी है, लोंग टर्म वीजा है, जो पात्रता के लिए सारी अर्हताएं रखते हैं, जिनको पात्रता नहीं मिली। इसलिए मैं आपसे उस दिन निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, और मैं लंबा समय नहीं लूंगा आपका मूड देखते हुए। मंत्री महोदय, आपने बाड़मेर में बीस नागरिकता प्रदान करने की बात कही, जैसलमेर में 6 और जोधपुर में 1112, यह आपके उत्तर में है। जोधपुर में 1112 सिर्फ 11 दिन के अन्दर मिली है। 1.1.2019 से लेकर 11.1.2019 तक। यह इसलिए मिली कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के काल खंड में राजनाथ सिंह जी को आना था, नागरिकता देनी थी। मतलब कैम्प लगा मिशन मोड के अन्दर जब उन्होंने जोधपुर के अन्दर यह तय किया कि हमें एक बार इनको नागरिकता देनी है तब इतने लोग छंट गये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता। आपको मालूम है कि यह जो नागरिकता मिलती है इंडियन सिटीजन एक्ट बना हुआ है 1955 का उसकी धारा-5 के अन्दर जब उसकी अर्हताएं हो जाती हैं। भारतीय मूल का आदमी जब कोई यहां आ जाता है और सात साल हो गये तो उसको मिलती है। अब आपके पास 8 हजार से ज्यादा एप्लीकेंट जोधपुर के अन्दर हैं। आपका जो एफआरओ बना हुआ है, मेरा आरोप है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का काम वहां हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज आप देख रहे हैं ये लोग लगातार आ रहे हैं। 1965 में आये, 1971 में तो अध्यक्ष महोदय, पचास किलोमीटर अंदर भारतीय आर्मी चली गयी थी। उसमें जितने लोग थे पचास किलोमीटर में वह बाड़मेर के साथ लगा हुआ था, आपको ध्यान होगा अध्यक्ष महोदय, वे सारे के सारे इधर आ गये। फिर पाकिस्तान के साथ जब भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ट्रीटी हुई उसमें तय हुआ था कि सारे पाक विस्थापित जो आए हैं, ये अगर जाना चाहेंगे तो पाकिस्तान में चले जाएंगे। उस समय उन्होंने मना किया। उस समय सरकार ने कहा कि आप जाओ। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। राजमाता सिंधिया वहां गिरफ्तार हुई आडवाणी जी गिरफ्तार हुए, भैरोंसिंह जी गिरफ्तार हुए और वे लोग रुके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है, 1951 में रिफ्यूजी का एक यूनाइटेड नेशन कंवेंशन हुआ था..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधी बात पर आता हूं, आपसे मेरी एक मांग है जो पाक विस्थापित हैं, जो 7 साल की अर्हताएं पूरी करते हैं, आप कैम्प लगाकर एफआरओ के पास जो आवेदन पड़े हैं, नंबर एक, जो कलेक्टर के पास आवेदन पड़े हैं, नंबर दो, उनका आप निश्चित तौर पर कैम्प लगाएं और इनके शैल्टर होम हैं, आज भी यह लोग पांच शैल्टर होम में रह रहे हैं। यह पहले जहां रहे हैं वहां जेडीए ने उनको हटाने के लिए नोटिस दे दिया, उस पर आप विचार करें। आज सबसे ज्यादा वहां हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इनका है। 2000 के हैंडीक्राफ्ट में 40 परसेंट यह पाक विस्थापित कारीगर काम कर रहे हैं। इनका अलग क्लस्टर क्यों नहीं बना लें। आज नरेगा में यह नहीं जा सकते, राशनकार्ड इनका नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, बहुत दयनीय स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: पर 131 की लिमिट है माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर मैं यह चाहता हूं मंत्री जी, आपके घोषणा पत्र में भी है, आप कैम्प लगाकर इनकी समस्याओं का समाधान करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने बताया कि राजनाथ सिंह जी का दौरा था इस वजह से राज्य सरकार ने कर लिया। राज्य सरकार किसी के दबाव में आने वाली नहीं है, इस बात को छोड़िए आप। कैम्प अगर नहीं भी लगाते तो क्या हो जाता? यह राज्य सरकार की मंशा थी और मंशा इस तरीके की थी, जैसा आपने बताया 7 साल से आवेदन लंबित हैं, तो 7 साल पहले तो सरकार आपकी थी, हमसे क्या मांगते हो आप? अब सवाल रह गया, आपने यह कहा कि जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाओ। निश्चित तौर पर हम कैम्प लगाएंगे और कैम्प लगाकर जल्दी से जल्दी नागरिकता के बाबत फैसला करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। 131-अशोक लाहोटी।

कोचिंग संस्थाओं के लिए कोचिंग रैगुलेटरी अथोरिटी का निर्माण

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष जी, लाखों परिवारों के इस ध्यानाकर्षण पर आपने मुझे यहां विषय रखने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 131 के अंतर्गत प्रदेश में चल रहे कोचिंग सेंटरों को रैगुलेट करने व अथोरिटी बनाने के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूरे प्रदेश में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनकी वर्तमान में जो स्थिति है, उसकी ओर ध्यानाकर्षण किया है। निश्चित रूप से एक जमाना हुआ करता था जब व्यक्ति सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता करता था। आज जो जमाना आ गया उसमें हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे नहीं है, चाहे पैसे वाला है, केवल अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित है और इसको लेकर एक समय आया जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरूआत हुई। शुरूआत होने के बाद इसके लाभ भी पूरे प्रदेश के लोगों को मिलने लगे। किसान का बेटा, गरीब का बेटा कभी डाक्टर, इंजीनियर, आरएएस, आईएएस बनने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब कोचिंग इंस्टीट्यूट आए और अपना पेट काटकर किसान, मजदूर ने अपने बेटे को कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से अध्ययन करवाया तो आज हमारे लाखों बच्चे जो गरीब परिवारों से थे, वे डाक्टर और इंजीनियर बनने लगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का दायरा जिस प्रकार से बढ़ गया और जिस प्रकार की चीज हमारे प्रदेश के बच्चों के लिये होनी चाहिये थी, उसमें कमी आने लग गयी। समय-समय पर सवाल भी उठते रहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी नियमों की पालना नहीं करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे जैसे बच्चों को प्रवेश दे देते हैं। फीस में भी मनमानी करते हैं। जो इनको सुविधाएं देनी चाहिये उसके बारे में भी पूरा ध्यान नहीं रखते हैं और बार-बार सरकार के सामने यह सवाल आते रहते हैं। पहले आपके समय में भी आये, आज की तारीख में भी आ रहे हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार ने एक निर्णय लिया, एक परिपत्र जारी किया, एक गाइड लाइन जारी की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 20.4.2016 को पूर्व सरकार ने गाइड लाइन जारी की थी, उसमें जो गाइड लाइन होनी चाहिये थी ग्रुप कैरियर काउंसलिंग के लिए, तनाव पर माता-पिता को सूचना देने के लिए, प्राप्तांकों के आधार पर उनके बेस निर्धारण करने के लिए, जो विज्ञापन कर रहे हैं उसमें कौनसी फैकल्टी होगी, यह प्रचार कर देते थे और वह फैकल्टी वहां पर नहीं पढ़ाती थी। ध्यान शिविर लगाने के लिये भी निर्देश दिये गये। इनडोर, आउटडोर खेल के लिए भी निर्देश दिये गये। पौष्टिक आहार की जांच हो, ईजी एग्जिट हो, एक बार फीस लेने के एक महीने बाद में भी उस बच्चे के समझ में नहीं आया, पानी ठीक नहीं लगा या पढ़ाई समझ में नहीं आई तो जब वह जाता उसके पूरे पैसे काट लिये जाते, उसको पैसे वापस नहीं मिल रहे थे। यह सारी चीजें होने के बाद समय-समय पर निर्देश जारी किये गये। 18.4.2017 को डीईओटी के द्वारा भी गजट नोटिफिकेशन हुआ कि साइबर कैफे वगैरह पर किस प्रकार से रैगुलेटरी होनी चाहिये।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी 26.3.2018 को एक फैसला दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक डीबी के माध्यम से 2016 में एक फैसला दिया, उसके आधार पर सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस, मुम्बई से एक अध्ययन भी करवाया। अध्ययन के आधार पर पूरे प्रदेश में जिलों में एक समिति बनाने का फैसला लिया। कोटा में भी समिति बनी। कोर्ट के आदेश की पालना में राज्य सरकार ने भी एक समिति बनाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि इन सब मार्गदर्शन, गाइड लाइन, नियमों के बावजूद भी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो चीज आज होनी चाहिये, वह नहीं हो रही है। इनके प्रति जनता का आक्रोश फैल रहा है। बच्चे तनाव में रहते हैं और बच्चों के तनाव में रहने के कारण से आत्महत्याएं जैसी सूचनाएं भी हम सबको मिलती हैं। इनको रोकने के लिए सरकार को आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 12 अप्रैल को माननीय न्यायालय ने एक कमेटी का और सुझाव दिया कि जो सरकार ने पहले कमेटी बनाई है, इसके साथ-साथ इस इस कैटेगरी के लोग और होने चाहिये, जिसमें शिक्षाविद् भी हो, physiologists भी हो, child rights activist भी हो, एनसीपीसीआर का प्रतिनिधि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भी हो, एक कोचिंग सेंटर का व्यक्ति भी हो, child psychology association, रैपुटेड एनजीओ भी हो और Executives भी हो। उसके आधार पर राज्य सरकार ने 12 जुलाई को 25 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। हम इसके ऊपर कानून बनाने की ओर चलना चाहते हैं। पिछले पांच साल में इसके ऊपर केवल दिशा-निर्देश जारी हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: टाइम, टाइम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दिशा-निर्देश जारी हुए। लेकिन हमारी सरकार इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की दिशा में आगे अपना काम करना चाहती है, कर रही है। हमारी मंशा बड़ी स्पष्ट है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमारे बच्चे इस प्रकार के तनाव में नहीं रहें कि उनको आत्महत्या के लिये मजबूर होना पड़े, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सारी बात समझी भी हैं और कही भी हैं। मैं केवल पांच बिन्दुओं पर और तीन रैफरेंस पर पांच या तीन मिनट में अपनी बात कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट आदेश में चीफ जस्टिस ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित ने कहा है कि इस तमाशे की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिस टाटा मैमोरियल की स्टडी की बात मंत्री जी ने कही, उस स्टडी में साफ लिखा है कि इमोशनल प्रेशर और बेहद दबाव भरी कोचिंग प्रैक्टिस है। इसके अलावा रहने, खाने से जुड़ी दिक्कतों के दबाव के चलते डिप्रेशन और ड्रग एडिक्शंस शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, 19 आत्महत्याएं हुई हैं, मैं केवल एक रैफरेंस आपको दे रहा हूं। 19 आत्महत्याएं हुई हैं, मैंने पढ़ी हैं और मैं आपको सच बता रहा हूं कोई व्यक्ति पढ़ ले तो वह पढ़ते-पढ़ते रोने लग जाए। एक बच्ची ने जो लिखा, उसमें से केवल एक लाइन मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार अगर चाहती है कोई न मरे तो जल्द से जल्द इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दें। यह कोचिंग संस्थान बच्चों को खोखला कर रही है। पढ़ने का इतना दबाव और फीस के दबाव के तले बच्चे दब रहे हैं। यह कोटा की छात्रा है कृति।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में पांच बिंदु लाना चाहता हूं और कहना चाहूंगा। पहला, कोचिंग संस्थान एक से डेढ़ लाख रुपये फीस ले

(श्री अशोक लाहोटी)

रही है। अध्यक्ष जी, हर बच्चे को तीन-तीन बार पढ़ना पड़ता है। मैं निवेदन करता हूं कि इसे 20-25 हजार रुपये करें।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि स्कूल फर्जी अटेंडेंस दे रही है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अध्यादेश लाने में समय लगेगा, आप कोचिंग सेंटर्स की लिस्ट ले लें। वह बच्चा कहां पढ़ रहा है, वह फर्जी अटेंडेंस में पढ़ रहा है। एक तरफ स्कूल की फीस लग रही है, एक तरफ कोचिंग सेंटर्स की फीस लग रही है।

तीसरा बिंदु, अध्यक्ष जी, एक क्लास में भेड़-बकरियों की तरह 80-90 बच्चों को भरा हुआ है। मैंने एक कोचिंग सेंटर वाले को बुलाकर पूछा तो उसने कहा कि हमारे पास 45 हजार बच्चे हैं। एक लाख, सवा लाख, डेढ़ लाख फीस लेते हैं। मंत्री जी, मेरा दावा है, आप फोन करके 50 प्रतिशत कम करवा दो, तो मैं आपको मान जाऊं। इस तरह ही सूरत की आगजनी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, इतना लंबा नहीं। 131 को आप समझें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): दो मिनट बस। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्लास 6, 7, 8, और 9 में, how can we decide that my child should be a doctor or an engineer? क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में डाला जा रहा है और भेड़-बकरियों की तरह पढ़ाया जा रहा है। यह क्लास 11 एवं 12 के बाद हो। पांचवां, सरकार का प्रभावी नियंत्रण हो। सरकार की एनओसी के बाद ही ये कोचिंग सेंटर्स खुलें, तभी राजस्थान की लाखों जनता को बचा सकते हैं। अध्यक्ष जी, आपने महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को दो ही बातें निवेदन करना चाहूंगा। एक, यह कहना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद ही कर दो, मैं समझता हूं कि यह तो सम्भव नहीं है। हमारे किसान का बेटा, गरीब का बेटा कभी आईआईएम में जाता ही नहीं था, कभी इंजीनियर बनता ही नहीं था, डाक्टर बनता ही नहीं था। मेहनत कर रहे हैं। यह बात तो मैं नहीं मानता। फीस के मामले में, वे 9वीं क्लास में ही कोचिंगों में एडमिशन ले लेते हैं। यह मेरे विभाग का मामला है। 9वीं क्लास से वे ले लेते हैं और फर्जी अटेंडेंस करते हैं। इसके बारे में हम लोग जांच करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

फीस ज्यादा लेते हैं और नियमों की पालना नहीं करते हैं, इसी का कानून बनाने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय भी इसके लिये चिंतित है। निश्चित रूप से आपकी भावनाओं के पंख लगेंगे। सरकार कार्यवाही करेगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से न चलें, कानून से चलें, राज्य सरकार के नियमों से चलें और किसी भी बच्चे को उसके माध्यम से आत्महत्या करने के लिये मजबूर नहीं होना पड़े, इस बात की व्यवस्था करेंगे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जन-घोषणा पत्र में भी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री शान्ती धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.12(18) वित्त/कर/2012-41 दिनांक 24.07.2019, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(94)वित्त/कर/07-55 दिनांक 31.08.2009 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रतिवेदन भी रखिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र (वर्ष 2017-18) उपक्रमों पर 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन

(1) भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन; एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान का प्रतिवेदन (2015-20) तथा उस पर की गयी कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन

(2) पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान का प्रतिवेदन (2015-2020 के लिये) तथा उस पर की गयी कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री बुलाकी दास कल्ला।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46 - सिंचाई की प्रस्तुति

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,50,75,07,000/- (अड़तीस अरब पचास करोड़ पिचहतर लाख सात हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 46 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: दूसरी मांग भी।

मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण की प्रस्तुति

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,18,02,97000/- रुपए (एक अरब अठारह करोड़ दो लाख सत्तानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 38 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: चार बजे मुखबंद है, इसलिए माननीय सदस्य बोलने का ध्यान रखें। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मांग संख्या 46-सिंचाई एवं 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्ष 2002 में देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में बाढ़ एवं अकाल की समस्या का हल निकालने हेतु देश की बड़ी नदियां, गंगा सहित 60 ऐसी प्रमुख नदियों को जोड़कर, कहीं बाढ़ न आए, कहीं पानी वेस्ट हो रहा है और कहीं पर अकाल पड़ रहा है, उस दृष्टि से जोड़ने की एक योजना बनायी। उसके पीछे यह मकसद था कि कृषि योग्य लाखों हैक्टेयर भूमि जो हम लोगों की वीरान होती है और केवल मानसून के ऊपर ही डिपेंड रहती है, वह मानसून के ऊपर ही डिपेंड न हो, उसे सिंचाई के लिए जल नदियों से मिल सके, इसलिए उन्होंने यह योजना बनायी थी।

उस योजना के पीछे यह कारण भी था कि सिंचाई के साथ-साथ उस पर बिजली की परियोजना भी चल सके। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने पूरे देश भर में भ्रमण किया। डीपीआर बनने लगी। डीपीआर बन ही रही थी कि लोक सभा का चुनाव आ गया। दुर्भाग्य यह रहा कि 2004 में जब लोक सभा का चुनाव आया, उस चुनाव के पश्चात् यूपीए की सरकार बन गयी और जब यूपीए की सरकार बनी तो 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही। इन दस सालों के अंदर नदियों को जोड़ने की योजना माननीय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बनायी थी, उस पूरी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मैं कह सकती हूं कि अब देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं। जब 2014 में मोदी जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले नमामी गंगे का कार्य प्रारम्भ किया। यही नहीं, जब दूसरे कार्यकाल में वे फिर प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने अपने पहले बजट में ही नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर एक मिशन किया। उस मिशन की घोषणा ही नहीं की, उसके अंदर 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। इस प्रथम बजट में 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखकर उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय दिया। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जल की महत्ता को देखा, पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंदर उसकी स्कीम बनायी और उस काम को एक मिशन के रूप में लाये। इसलिए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन लाये और उन्होंने इस मिशन में एक संकल्प लिया। वह संकल्प है कि वर्ष 2024 तक हर घर जल पहुंचेगा। इसका एक प्रण लिया। शायद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कार्यकाल आते हैं,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सरकारें आती हैं, लेकिन कोई किसी मिशन के साथ काम करे, किसी टार्गेट के साथ काम करे कि इतने वर्ष में यह काम पूरा होगा। अगर आजादी के बाद यह शुरू हुआ होता तो 75 साल पूरे हो रहे हैं अब तक हमारी सारी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जातीं, लेकिन सरकारें आती हैं, घोषणाएं करती हैं। हम लोग सरकार में आ जाएंगे तो यह काम करेंगे, उसके बाद में कहीं पर भी काम नहीं होने पर जवाबदेही नहीं होती। आज मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार उन्होंने हर कार्य को एक मिशन के रूप में लिया और मिशन के साथ में समय अवधि में उस कार्य को समाप्त करना है, इस प्रकार से एक टार्गेट के साथ काम कर रहे हैं। यही टार्गेट उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय को भी दिया है, 2024 तक हर घर में जल पहुंचाने का। मैं इस भाषण के बीच में हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु जी को उनके जन्म दिन की शुभकामनाएं देती हूं।

(12.58 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके 36वें जन्म दिवस पर आपको सारे सदन की तरफ से बधाई देता हूं।

श्री सभापति: विराजिए। अपने स्थान पर जाइये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं तो सिर्फ जन्म दिन की बधाई दे रही हूं, जो भी ईयर हो।

माननीय सभापति जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। जिसका क्षेत्रफल 342.67 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 272.11 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य है, जो कि देश के कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 14 प्रतिशत ही है। देश में उपलब्ध कुल सतही जल अगर देखें तो राजस्थान में मात्र 1.16 परसेंट ही सतही जल है। राज्य सरकार की उदासीनता देखिये कि एक तरफ तो केन्द्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय बना रही है, वे कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बजट में 10 हजार करोड़ रुपये रखे हैं।

(13.00 बजे)

लेकिन हमारी इस वर्तमान सरकार की पानी, जल संसाधन के ऊपर कितनी उदासीनता है, इसको मैं इन्हीं के द्वारा जो आय-व्ययक Budget at a Glance 2019-20, उससे पहले मैं 2018-19 का रखना चाहूंगी क्योंकि जब

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हमारी सरकार थी और उस समय 2018-19 का irrigation and flood control के ऊपर जो proposed outlay था, वह 3126.54 जो कि 2.90 परसेन्ट था। आज जो इन्होंने अपना बजट रखा 2019-20 का उसमें irrigation and flood control के ऊपर इन्होंने आउट ले किया, वह मात्र 2939.45 जो 2.52 परसेन्ट है। यानी 2.90 परसेन्ट से घटाकर 2.52 परसेन्ट पर यह 2019-20 में आ रहे हैं। पानी को क्या महत्व दे रहे हैं? यह बजट में हाईलाइट किया है आपने, जो department wise head development हैं, heads of the development sector, उसका जो proposed outlay है, उसको आपने पिछले साल से इस साल कम कर दिया। यह सामने आपका ही Budget at a Glance के अंदर है। इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। इसको बढ़ाने का आप क्या करेंगे? इसके बारे में जरा सोचिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। हमारे भारत को हमेशा कृषि प्रधान देश के रूप में कहा जाता है। इस कृषि प्रधान देश के अंदर देश की जो बढ़ती आबादी है जिसके कारण अनाज की मांग बढ़ती जा रही है तो हमें कुछ ऐसे माडर्नाइजेशन करने होंगे, कुछ ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेंगी, जहां पर हम किसानों को अवेयर करें। पानी कितना कम से कम खर्च हो, कम पानी के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर सकें, इसके बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए, ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं बनीं, लेकिन देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक योजना बनायी। अभी हाल ही में 1 जुलाई, उनके पिछले कार्यकाल में, उस योजना का नाम है 'कृषि संचय योजना'। इस योजना के अंदर उन्होंने लक्ष्य लिया कि हर खेत में हमें पानी पहुंचाना है। 1 जुलाई, 2015 को यह योजना लांच हुई।

माननीय सभापति जी, मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इस योजना में पांच साल में इन्होंने पचास हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान रखा। इसी के साथ 2018-19 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने इस योजना के ऊपर, क्योंकि मैचिंग ग्रांट लेना है स्टेट को, सेन्ट्रल का 75 परसेन्ट इस योजना में और स्टेट को 25 परसेन्ट मैचिंग ग्रांट देनी है। स्टेट जितनी ज्यादा से ज्यादा मैचिंग ग्रांट देगा, उसी हिसाब से ज्यादा से ज्यादा केन्द्र से हमें पैसा मिलेगा। 25 प्रतिशत स्टेट का है और 75 परसेन्ट सेन्ट्रल दे रहा है। हमने पिछले बजट 2018-19 में इस प्रधान मंत्री

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कृषि संचय योजना के तहत 61 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था लेकिन अभी इस बजट के अंदर जो 2019-20 का बजट पेश किया, इन्होंने मात्र 25 करोड़ रुपये इस योजना के अंदर रखा। आप देखिए कि किसानों को जागरूक करना है, किसान ज्यादा से ज्यादा पानी का अच्छा उपयोग कर सकें, उसके लिए प्रधान मंत्री कृषि संचय योजना है, उस योजना के प्रति भी इनकी उदासीनता दिख रही है कि स्टेट का जो फंड है वह इसमें देना नहीं चाहते। नहीं देंगे, तो सेन्ट्रल का भी उतना ही कम आएगा और कृषि के क्षेत्र में जो हमारे काश्तकार काम कर रहे हैं, उन्हें उसका फायदा नहीं मिल पाएगा।

मैं बड़े संतोष के साथ यह कह सकती हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2013 से 2018, इस बीच हम लोगों ने सिंचाई परियोजना के लिए 8234 करोड़ रुपये व्यय किए और साथ ही 61325 हैक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचाई से लाभान्वित किया। जबकि आज इनके बजट को देखते हैं, उसकी मैं तुलना कुछ बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ करूं, जहां एक तरफ हम लोग अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने की बात करते हैं और ये उस क्षेत्र को बढ़ाने की बजाय उसको मेन्टेन भी नहीं कर पा रहे हैं। इन योजनाओं के आपके सामने आंकड़े रखना चाहती हूं। योजना है, परवन सिंचाई परियोजना। परवन सिंचाई योजना कोटा, बारां और झालावाड़ के लिए बनी थी। 2013 के अंदर जाते-जाते कांग्रेस सरकार ने इस योजना की घोषणा की। इन्हें लगा कि हम योजना की घोषणा तो करें जिससे लाभ मिल जाएगा, क्षेत्र के अंदर हमें वोट मिल जाएगा और योजना की घोषणा कर दी। न केवल घोषणा की बल्कि उस योजना का शिलान्यास भी करवाया। शिलान्यास करवाते समय क्या स्थिति थी उस योजना की। न तो उसमें कोई मुआवजा दिया गया था किसानों को कि आपकी जमीन जाएगी तो यह मुआवजा दे रहे हैं, न उस योजना का किसी भी तरीके का कोई डीपीआर बना था। मात्र कह दिया कि 2400 करोड़ की यह योजना होगी और कितने हैक्टेयर इसके अंदर कमांड एरिया होगा, कह दिया कि 1 लाख 31 हजार हैक्टेयर कमांड एरिया इसके अंदर रखा जाएगा। इसकी कोई तैयारी नहीं थी, टेंडर हुए नहीं थे। कोई मुआवजा दिया नहीं था और घोषणा कर दी। केवल घोषणा ही नहीं की, शिलान्यास कराया तो किससे? इनके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से, वहां पर बुलाकर, आनन-फानन में परवन योजना का शिलान्यास करा दिया।

सभापति महोदय, सरकार इनकी चली गयी 2013 में। भारतीय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जनता पार्टी की सरकार आ गयी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने इस प्रकार से नहीं किया जो यह करते हैं क्योंकि जो योजना हम चलाते हैं, उस योजना को यह ठंडे बस्ते में डालते हैं। अगर नदियों को जोड़ने की योजना बनी तो कांग्रेस ने आते ही उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया लेकिन इन्होंने जिस योजना का नाम लिया, घोषणा की, शिलान्यास कराया, हमने उसे ठंडे बस्ते में नहीं डाला। हमने उस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए प्रोपर-वे में उसका डीपीआर बनाया। जब डीपीआर बनाया उसका तो वह डीपीआर बना 7355.23 करोड़, इतना बड़ा डीपीआर बना। जिस डीपीआर के तहत कमांड एरिया आ रहा था 2.01 लाख हैक्टेयर, यह उसका कमांड एरिया आ रहा था, जो इन्होंने आनन-फानन में 1 लाख कहा था, वह 1 लाख नहीं 2 लाख हैक्टेयर जमीन उसके अंदर आ रही थी। उन किसानों को मुआवजा दिया। करीब 1300 करोड़ रुपये का मुआवजा उन किसानों को दिया गया। उसका टेंडर किया गया, उसका वर्क आर्डर किया गया और उस काम को प्रारम्भ किया। प्रारंभ करने के साथ ही वर्ष 2017-18 में एक हजार करोड़ रुपए उस योजना के तहत खर्च किये। वर्ष 2018-19 में 1100 करोड़ रुपये उस योजना के अंदर दिए गए। माननीय सभापति महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है यह कहते हुए इस योजना में जो इतनी अच्छी योजना है, परवन योजना जहां दो लाख हैक्टेयर हमारा सिंचाई क्षेत्र बढ़ने वाला है, उस योजना को इन्होंने अभी इस बजट में मात्र साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किये। इससे दिखता है कि इनकी इर्रिगेशन के अंदर कितनी उदासीनता है। यह सामने दिखाई दे रहा है।

यही नहीं लघु सिंचाई परियोजना अगर देखें, लघु सिंचाई परियोजना-जहां पर छोटे-छोटे डैम बनते हैं, क्योंकि आज बड़े-बड़े डैम बनने जैसी तो गुंजाइश ही नहीं रही। हम छोटे डैम्स बनाएं, उन छोटे डैम्स को बनाकर वहां पानी इकट्ठा हो, और वहीं से पेयजल की योजना भी बनाएं और वहीं से सिंचाई की योजना भी बनाएं। इस प्रकार की एक सोच रहती है। दो हजार हैक्टेयर से कम जहां पर सिंचाई है, उसको हम लोग ‘minor irrigation schemes’ कहते हैं। उस ‘minor irrigation schemes’ के अंदर भी इन्होंने बजट को कम कर दिया। 2018-19 में जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने उसके ऊपर 326.10 करोड़ रुपये रखे थे। 15 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई करेंगे, इसकी योजना हम लोगों ने स्वीकृत की थी और काम किया था, लेकिन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इन्होंने क्या किया। अभी इस बजट में 326 से 321 पर आ गये और 15 हजार हैक्टेयर भूमि जो हम लोगों को नई सिंचित करनी थी, इन लोगों ने 12 हजार 800 हैक्टेयर भूमि को ही सिंचित करना, इन्होंने तय किया है।

यही नहीं, मीडियम इर्रिगेशन वर्क्स, जिसको कहते हैं मध्यम सिंचाई के कार्य, दो हजार हैक्टेयर से ऊपर और दस हजार हैक्टेयर तक की जमीन को सिंचित करते हैं, उसमें भी इन्होंने बजट कम किया। 2018-19 में 280.39 करोड़ था अब इन्होंने 246.5 करोड़ रखा। External added projects, जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को हम लोग externally funded करते हैं, चाहे वह जायका से हो, चाहे वह न्यू डवलपमेंट बैंक से हो। माननीय सभापति जी, जायका के अंदर जो हम लोग लोन लेते हैं, उसमें 85 परसेन्ट जायका लोन देता है, 15 प्रतिशत राज्य सरकार को शेयर देना होता है। न्यू डवलपमेंट बैंक से लोन लेते है 70 परसेंट, 30 परसेंट पैसा राज्य सरकार को देना है लेकिन उसमें भी इन्होंने बहुत भारी कमी की है। 'external added schemes' होती है, वह नई स्कीम होती है लेकिन, माननीय सभापति महोदय जी, उसमें भी इनकी उदासीनता दिख रही है। इस बजट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो 2018-19 में हमने 542.30 करोड़ रखे थे, अब इन्होंने बजट पेश किया तो उसमें मात्र 487.49 करोड़ ही रखे। यानी 'external added funds' में भी यह अपना शेयर नहीं दे पा रहे।

कमांड एरिया डवलपमेंट, सभापति जी, कमांड एरिया डवलपमेंट फण्ड है, जिस फण्ड के तहत हमें केन्द्र से भी पैसा मिलता है और इस फण्ड के अंदर हम लोग अपनी पुरानी नहरें बनी हुई उनकी मरम्मत का कार्य करते हैं या जो कच्ची नहरें हैं उनको पक्की करने का काम करते हैं लेकिन उसके ऊपर भी इनकी उदासीनता है। एक पैसा भी बजट में कमांड एरिया डवलपमेंट फण्ड में नहीं रखा। जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने कमांड एरिया डवलपमेंट फण्ड में 246.92 करोड़ रखा है। यह सारी कच्ची नहरों को पक्की करने का काम उसमें कर रहे थे। आज इन्होंने एक पैसे का भी इसमें फण्ड नहीं रखा।

मुख्य मंत्री जी की घोषणा, मैं उनका बजट भाषण पढ़ रही थी। उस बजट भाषण के अंदर पैरा संख्या 59 पर कहा कि मैं 517 करोड़ के 55 कार्य करूंगा और वह 55 कार्य उन्होंने कहा कि 21 ज़िलों में करेंगे। 21 ज़िलों में कार्य करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन जो पुरानी नहरें हैं जिनको रिपेयर करना था, उन पुरानी नहरों को रिपेयर करने के लिए इन्होंने इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं, पूरे सदन के बीच यह बात कहना चाहती हूं कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ एक घोषणा 3.5.2018 को हुई, उस घोषणा में यह कहा जाता है कि सैंक्शन किए जाते हैं, राजसमंद के राइट कैनाल, लैफ्ट कैनाल, नंदसमंद कैनाल के रिपेयर वर्क्स, इन कैनाल्स की रिपेयरिंग की जाएगी। माननीय सभापति जी, नहरों को बने हुए लगभग 50 साल से भी ज्यादा हो गये। इन नहरों के ऊपर आज तक एक कट्टा सीमेंट भी नहीं लगा। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 28 करोड़ रुपये उसके ऊपर सैंक्शन किये और वह पांचवें महीने में सैंक्शन किये थे। सैंक्शन करने के बाद उसके टेंडर हो गये, टेंडर होने के बाद वर्क आर्डर हो गये, वर्क आर्डर हुआ और आचार संहित लग गयी, इसलिए कार्य शुरू नहीं हो पाए। जब कार्य शुरू नहीं हो पाये तो जैसे ही इनकी सरकार बनी, सरकार बनते ही 29.12.2018 को एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में आता है कि जितनी भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस हैं, वह कैंसिल कर दी जाएं।

माननीय सभापति महोदय जी, यह बात कर रहे हैं कि हम इर्रिगेशन के अंदर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। जो स्वीकृत हैं पांचवें महीने में, 2018 को स्वीकृत हुए उसको कैंसिल करने का काम करते हैं। दिसम्बर, 2018 में सरकार आते ही शुरू हो गया कि यह बीजेपी, यह कांग्रेस। बीजेपी ने स्वीकृत किया है, कांग्रेस की सरकार आ गयी, तुरंत इसको कैंसिल कर दो। पीने का पानी तो सबको चाहिए। जब हम पीने के पानी की योजना बनाते हैं तो कभी यह नहीं सोचते। प्रधान मंत्री जी ने जब कहा कि हर घर जल पहुंचेगा तो प्रधान मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके घर पहुंचेगा और कांग्रेस के यहां नहीं पहुंचेगा। ऐसा आप क्यों सोचते हैं?

हमारे देश के प्रधान मंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे, उन्होंने सड़क बनाने की योजना बनाई, तो कभी कहा कि कौनसे गांव में सड़क बनेगी, कौनसे में नहीं? योजना के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, हर गांव में सड़क पहुंचेगी लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती हैं तो इस प्रकार से यह लोग कार्य करते हैं। यह द्वेषता का काम करते हैं कि जो योजना या जो स्वीकृति, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहां पर निकली है उसे तुरंत कैंसिल कर दी जाए और उसे कैंसिल कर दी। मुझे बहुत दुख के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

साथ कहना पड़ रहा है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन ऐसी द्वेषता रखोगे तो कभी राजस्थान का भला नहीं होगा। राजस्थान का भला तब हो सकता है जब चेयर पर बैठे हो तो राजस्थान के हर व्यक्ति का कैसे हम काम कर सकें उसके बारे में सोचो, न कि कांग्रेस और बीजेपी करने का सोचो।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक और योजना के ऊपर ध्यान दिलाना चाहती हूं जो केन्द्र सरकार की योजना है, ड्रिप योजना। इस ड्रिप योजना को अगर फुल फोर्म कहूं तो 'Dam Rehabilitation and Improvement Project' इस Dam Rehabilitation and Improvement Project' जहां पुराने डैम हैं, उन डैम को रिपेयर करने की योजना है। इतनी अच्छी योजना है, जिस योजना के अंदर 70 प्रतिशत लोन हमको वर्ल्ड बैंक फण्डेड कर रहा है, 30 परसेंट स्टेट से फण्डिग करना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस ड्रिप योजना का लाभ सरकार किसी तरह से नहीं ले रही है। एक भी पैसा इस ड्रिप योजना के लिए, बजट में कहीं प्रोविजन नहीं रखा।

माननीय सभापति जी, एक और योजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको हम लोग ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से कहते हैं। एक बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना जो पूर्व मुख्य मंत्री जी ने, उस योजना को जब डीपीआर बनने के लिए दिया तो उसका एक प्रजेंटेशन हम सब लोगों के सामने किया। जिस योजना के अंदर 26 बांधों की जलापूर्ति होती हो, जिस योजना से 80 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए, सिंचाई की सुविधा स्थापित होगी, दो लाख हैक्टेयर नई भूमि हमारी सिंचित होगी। जिस योजना के अंदर हमारे 13 ज़िले आते हों, उनकी पानी की समस्या होगी, सिंचाई की समस्या दूर होगी, ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसको ईआरसीपी योजना, जिसकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है। उसकी लागत 37247 करोड़ है। हम लोग बजट देते जाएं, केन्द्र से भी इसमें पैसा मिलने वाला है। केन्द्र के अंदर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति भी हो गयी है। इस योजना के अंदर हमें भी अपना शेयर देना होगा, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बजट के अंदर, इस योजना के ऊपर शेयर रखा है, कहते हुए शर्म आती है, मात्र 25 करोड़ रुपये। मात्र 25 करोड़ रुपये रखा है। अब आप सोचो जहां 13 ज़िलों को पानी मिलना है उसके बारे में भी, मात्र 25 करोड़? ब्राह्मणी नदी और बनास नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। आप स्थान पर जाइये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यहां हम लोग रोज चर्चा करते हैं। बीसलपुर का कैचमेंट एरिया, बीसलपुर में और पानी कैसे लाया जाए, उसका कैचमेंट एरिया कैसे बढ़ाया जाए, उसके अंदर किस तरीके से किया जाए तो एक योजना बनी कि ब्राह्मणी और बनास को अगर जोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पानी बीसलपुर के अंदर आ सकेगा। 2018-19 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये रखे जाते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है। इस योजना में एक पैसा नहीं रखा। ब्राह्मणी और बनास नदी को जोड़ने की योजना के लिए बजट के अंदर एक पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा। (व्यवधान)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी बनाये जाते हैं। उन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कई दिनों से, हमेशा यह मांग आती है कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। हमारे बंधु जो जैसलमेर से आते हैं, बाड़मेर से आते हैं, जोधपुर, नागौर से आते हैं, वह लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है। आज वाटर हार्वेस्टिंग की पूरे राजस्थान में जरूरत है। केवल वे ही ज़िले नहीं रह गये जहां पानी की कमी है, पानी की कमी तो सब तरफ हो गयी है। वाटर हार्वेस्टिंग को हमें सब तरफ करना चाहिए। सभापति महोदय, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो 42.33 करोड़ रुपये प्रावधान रखा जाता है लेकिन अब क्या हो रहा है इस बजट के अंदर? आप बजट की बुक उठाकर देख लीजिए, एक पैसा भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का नहीं रखा। अब आप कहो कि क्या हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पानी से सिंचित करेंगे।

अभी इन्होंने एक योजना की घोषणा की राजीव गांधी जल संचय योजना, जो मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना थी उसका नाम परिवर्तन किया। आप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक पैसा नहीं रख रहे हो। फोर वाटर कांसेप्ट का तो कहीं नाम ही नहीं लिया। फोर वाटर कांसेप्ट परियोजना, जिसको हम लोगों ने सम्पूर्ण राज्य में लागू किया। सतही जल, मृदा जल, भू जल के समुचित उपयोग हेतु यह योजना बनाई गयी थी उसके अंदर पांच सालों में हमने 857.57 करोड़ रुपये खर्च किये, लेकिन आज 2019-20 में इसका नाम तक नहीं लिया गया।

श्री सभापति: आप पांच मिनट में कन्क्लूड करेंगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसमें कहीं नाम नहीं लिया कि यह योजना क्या है? फोर वाटर कंसेप्ट क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कोई लेना-देना नहीं।

माननीय सभापतिजी, मंत्रीजी को यह भी कहना चाहूंगी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना हेतु 2018-19 में न्यू डवलपमेंट बैंक से 506 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था। उसको हमने खर्च भी किया। लेकिन आज उस 506 करोड़ को, रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्दर क्या किया आपने? 207 करोड़ पर उसका बजट ले आये, जो 506 था हमारे समय में, वह 207 पर आ गया। अब आप मंत्री तो बने हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चुनौती भी आपके सामने है लेकिन, माननीय सभापतिजी, मंत्रीजी को कहूंगी कि योजना पर बजट पूरा रखें। योजनाओं को पैरेलाइज्ड मत करो। योजना को लकवा मार रहा है, आपकी सारी सरकार के अन्दर। ऐसा मत करो। योजनाएं फुल-फ्लेज्ड में चल रही हैं तो उनको बराबर से चलते रहने दो, तो ही उसका लाभ आने वाले सालों में इस राजस्थान को मिलेगा।

अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाओगे, फोर वाटर कंसेप्ट में नहीं जाओगे, दौड़ते हुए पानी को रोको, रोके हुए पानी को जमीन में जाने दो। इस योजना के अन्दर अगर आप काम नहीं करोगे तो यह योजना खाली दो साल चले और उसके बाद स्टोप हो जाएगी, तो न तो हमारे ट्यूबवैल रिचार्ज हो सकते हैं, न हैण्ड-पम्प रिचार्ज हो सकते हैं, न पानी की सुविधा जनता को मिल सकती है।

माननीय सभापतिजी, कुछ इम्पोर्टेण्ट स्कीम्स, जो हमारे मेवाड़ सम्भाग में चल रही हैं, उनके बारे में आपके माध्यम से यहां पर रखना चाहूंगी। उसका भी क्या हाल इन्होंने किया। एक तरफ कहते हैं हम जनजाति क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। कल ही जनजाति क्षेत्र की चर्चा थी, उस जनजाति के अन्दर हम ये करना चाहते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन यहां पर क्या स्थिति है।

हमारी योजना थी, माही बांध से पीपलखूंट और उस पीपलखूंट की योजना को 704.92 करोड़, 2018-19 में हमने इस योजना को स्वीकृत कर दिया। उस योजना का टेंडर होना, उस योजना के अन्दर वर्क आर्डर होना, इसके बारे में एक पैसा इन्होंने नहीं रखा, योजना ठंडे बस्ते में।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

दूसरी योजना माही बांध के भराव क्षेत्र से अपर-हाई लेवल कैनाल का निर्माण करना। उसके लिए 1600 करोड़ की राशि हमारी सरकार ने 20.07.2018 को स्वीकृत कर ली। यह जो प्रस्तावित नहर है, क्योंकि आप जानते हैं माननीय सभापतिजी, हमारे राजस्थान में दो ही नदी हैं, चम्बल या माही, जो बारह महीने ही बहती हैं। अब माही का पानी होते हुए भी, वहां के आस पास के गांव सिंचित नहीं हो सकें, वहां के लोगों को पीने के पानी के लिये तरसना पड़े, यह स्थिति हो रही है तो राज्य सरकार ने, बी.जे.पी. की गवर्नमेंट ने 1600 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। वे स्वीकृत किये हुए जिसके अन्दर इस नहर से हम बांसवाड़ा, बागीदौरा, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ व गांगड़ तलाई के कुल 210 गांव और 26968 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई उसके माध्यम से करने वाले थे, लेकिन इस बजट के अन्दर जनजाति क्षेत्र की इस योजना के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

श्री सभापति: आप दो मिनट में समाप्त करेंगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मुझे 30 मिनट बोलने का समय मिला है, अभी हुआ नहीं है।

श्री सभापति: 30 मिनट पूरा दे रहा हूं आपको।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, राजसमन्द जिले की पेयजल समस्या के निदान के लिए एक योजना बनाई गयी थी। साबरमती बेसिन के गांव नथियाकर तहसील गोगुन्दा पर देवास-तीन का निर्माण करना, अम्बावा गांव तहसील गोगुन्दा पर देवास-चार का निर्माण करना। यह 1000 एम.सी.एफटी. पानी यहां से राजसमन्द झील में आना था। राजसमन्द जिला, जो बिलकुल डार्क जोन डिस्ट्रिक्ट हो गया, जहां पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है, जहां कुएं सूख गये हैं, हैण्ड-पम्प सूख गये हैं। किसी तरीके का सतही जल वहां पर नहीं है और पीने के पानी की बहुत ज्यादा प्रोब्लम है। उस जिले को भी इन्होंने, जिस जिले की हमारी योजना बनी थी देवास योजना, जिस देवास का थर्ड और फोर्थ बांध बनाकर आना था, उसके लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं, जबकि डी.पी.आर. बनी हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि राजसमन्द जिले की इस योजना को स्वीकृत कराएं ताकि पीने के पानी की यह जो भयावह स्थिति है, इससे निजात मिल सके।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उदयपुर जिले की, माननीय सभापतिजी, मावली, वल्लभनगर और हमारे राजसमन्द का रेलमगरा क्षेत्र, चित्तौड़ का पूरा जिला, कपासन, ये सारे क्षेत्र ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को इसलिये कहना चाहूंगी कि यहां पर जो बांध बने हुए हैं, उन बांधों के अन्दर से कितना पानी कौन लेगा, यह एक एम.ओ.यू. हुआ। हिन्दुस्तान जिंक के साथ में यह एम.ओ.यू. किया गया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, मात्र दो मिनट।

उसमें उदय सागर से जिंक, देवारी को पानी पहुंचाना है। अब उदय सागर से जिंक, देवारी कितना पानी लेगा तो 180 एम.सी.एफटी. पानी का एग्रीमेंट हुआ। अब वे कितना ले रहे हैं, वहां पर कोई मेजरिंग के डिवाइस नहीं लगे हुए हैं, मर्जी आओ जितना पानी उठाओ। वहां पर वे पानी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वल्लभनगर, पूरा मावली, जावर माइन्स के इस एरिया में हमारा एक टीडी बांध है जिसकी कैपेसिटी 300 एम.सी.एफटी. है। इस टीडी बांध को हिन्दुस्तान जिंक ने बनाया, बनाकर उस बांध का पूरा पानी हिन्दुस्तान जिंक ले रहा है। पीने के पानी के लिए किसी तरीके का नहीं, और किस रेट पर ले रहा है। आपको आश्चर्य होगा, माननीय सभापतिजी, एक रुपया प्रति एम.सी.एफटी. पर वह 300 एम.सी.एफटी. पानी वहां से उठा रहा है। हम लोगों ने 2017 में इसको रिव्यू किया और रिव्यू करके उस एक रुपये को दो हजार रुपये प्रति एम.सी.एफटी. किया।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री जगदीश चन्द्र।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, मैंने दो मिनट आपसे मांगे थे।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज समाप्त करें। समाप्त करें, ऐसे नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह विषय खतम हो जाए। बहुत इम्पोर्टेण्ट विषय है।

श्री सभापति: सारे इम्पोर्टेण्ट हैं। प्लीज, प्लीज। सहयोग करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं सहयोग कर रही हूं, आप दो मिनट, केवल दो मिनट।

श्री सभापति: आज मुखबन्द के बाद ...(व्यवधान) नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिये आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आज हिन्दुस्तान जिंक का यहां सदन में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। श्री जगदीश चन्द्र। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: कन्क्लूड नहीं, लगातार आपसे आग्रह कर रहा हूं। हर बार आप दो मिनट मांगती हैं। मैं अब आपको अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कन्क्लूड कर लेने दीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, दो लाइन में कन्क्लूड करूंगी। सिर्फ दो लाइन में।

माननीय सभापतिजी, जो हमारी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पालिसी बनी हुई है, उसमें एक प्रावधान है कि सबसे पहले पीने के पानी को दिया जाए, उसके बाद किसी इंडस्ट्री को पानी दिया जाए। लेकिन यहां यह हो रहा है कि चाहे वह घोसुण्डा बांध हो, चाहे मातृकुंडिया बांध हो, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कन्क्लूड करें आप। माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): चाहे टीडी बांध हो, चाहे उदयसागर का बांध हो। हम इण्डस्ट्री को पानी दे रहे हैं। लेकिन पीने के पानी का प्रावधान...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री जगदीश चन्द्र।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, सहयोग करें। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, सहयोग करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मुझे

(श्री जगदीश चन्द्र)

मांग संख्या 46 और 38 पर अपनी पार्टी का पक्ष करने का जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

राजस्थान में कुल कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा अगर सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है, वह 33 प्रतिशत होती है, वह सबसे ज्यादा गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में होती है। मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि आजादी के बाद में, जब देश आजाद हुआ, जितनी बड़ी-बड़ी जो जल के माध्यम की योजनाएं सिंचाई के लिए हैं, वह कांग्रेस सरकार के तत्कालीन नेताओं ने कीं। 1966 में भाखड़ा नांगल डैम, जो तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, उन्होंने शुरुआत की। यह मानकर चले कि आने वाले समय में इस देश के अन्दर खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए सिंचाई सबसे बड़ी आवश्यकता है और जिस देश के अन्दर 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हों और गांव में रहने वाले लोग हों तो सिंचाई की महत्ता को समझते हुए सबसे पहले भाखड़ा नांगल डैम की शुरुआत की। उसके बाद भाखड़ा नांगल डैम के साथ-साथ जब पंडित जवाहर लाल नेहरू वहां पहली दफा गये तो पंडितजी ने उस नांगल डैम को देखकर एक बड़ी अजीब बात कही, बड़ी शानदार उन्होंने बात कही। उन्होंने भाखड़ा नांगल डैम को विराट वस्तु की संज्ञा दी। आज उस भाखड़ा नांगल डैम की वजह से ही हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक सिंचाई का पानी, पीने का पानी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं।

दूसरी योजना, इसके साथ-साथ इन्दिरा गांधी कैनाल की योजना, देश के तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने शुरुआत की। श्री राधाकृष्णन, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका लोकार्पण किया।

तीसरी योजना, जो हमारे विपक्ष के उप नेता हैं, इनका गृह क्षेत्र है, सिद्धमुख परियोजना, जो हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधीजी ने 05 अक्टूबर, 1989 को इस योजना को शुरू किया था भादरा के भीराणी गांव से, जिसको श्रीमती सोनिया गांधी ने पूरा किया।

राजस्थान में करीब-करीब 24 योजनाएं हैं, जिसमें बड़ी योजनाएं भी हैं, छोटी योजनाएं हैं। करीब 04 बड़ी योजनाएं हैं, 12 वृहत योजनाएं हैं और 08 अन्य योजनाएं हैं। आप राजस्थान का इतिहास उठाकर अगर देखें तो जब-जब भी कांग्रेस की सरकार रही है राजस्थान में सिंचाई कांग्रेस की सरकार की

(श्री जगदीश चन्द्र)

प्राथमिकता रही है जिसकी वजह से आज राजस्थान हरा-भरा नजर आ रहा है। अभी हमारी राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या कांग्रेस सरकार के बजट के बारे में चर्चा कर रही थीं कि सिंचाई के लिए बजट में क्या दिया? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने नदियों को जोड़ने की बात की और जब आपके तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी थे तो उन्होंने चर्चा की, वह नहीं जोड़ पाए। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक की आपकी सरकार थी। आपके प्रधान मंत्री आज भी हैं और पहले भी प्रधान मंत्री वह रहे हैं। आपके घोषणा पत्र में भी यह बात थी। आपके घोषणा-पत्र में यह बात थी कि हम नदियों को जोड़ेंगे। लेकिन पांच साल का समय हो गया, पांच साल का समय सिर्फ आपने बातों में निकाल दिया, आप इस पर काम नहीं कर पाए, आप दुबारा से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं जो आपने पटना की किसान रैली में 2014 में की थी। आपने पटना की किसान रैली में यह भी कहा था कि हम किसान की आमदनी को दुगुना करेंगे, वह दुगुना करने का वादा भी आपका पूरा नहीं हो पाया और नदियों को जोड़ने का वादा भी पूरा नहीं हो पाया। जिस तरीके से आपने एक-एक परियोजनाओं के बारे में चर्चा की है राजस्थान की, तो जरा आप गौर से देखें कि कौनसी सरकार ने क्या-क्या काम किये हैं, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि कल ही राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने बजट में जो घोषणा की थी और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए और आंतरिक बजट में भी उन्होंने गंग कैनाल की, इंदिरा गांधी कैनाल की और भाखड़ा कैनाल की जो री-लाइनिंग के लिए योजना काफी दिनों से पैंडिंग थी उसकी शुरुआत कल पंजाब के मुख्य मंत्री से मिलकर की है।

मैं सदन के माध्यम से उनको बधाई देना चाह रहा हूं कि हमारे ओजस्वी मुख्य मंत्रीजी ने उसकी शुरुआत की है। जो वादे, जो घोषणा हमने की थी, चाहे गंदे पानी की बात हो, चाहे नशे की बात हो, चाहे किसानों की सिंचाई की योजनाओं की बात हो, वह सारी की सारी योजनाओं पर कल पंजाब के मुख्य मंत्री से, हरियाणा के मुख्य मंत्री से, हिमाचल के मुख्य मंत्री से

(श्री जगदीश चन्द्र)

बैठकर इसके बारे में चर्चा हुई है, जिसके सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि कल मुख्य मंत्रीजी ने जो चर्चा की है जिस पर हमारी इंदिरा गांधी नहर की जो कैपेसिटी है, 18500 क्यूसेक्स उसके पानी की कैपेसिटी है। आजकल ग्यारह सौ, साढ़े ग्यारह सौ क्यूसेक्स पानी उसमें चल रहा है, वह पूरा पानी नहीं ले पा रही है, जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गयी है। इसके साथ-साथ जिस नहर के माध्यम से पानी आ रहा है, सरहिंद फीडर के माध्यम से, फिरोजपुर फीडर के माध्यम से, उस सारी की सारी री-लाइनिंग का जो बजट का बंदोबस्त किया है, वह बंदोबस्त करने के बाद में आपको याद होगा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2011 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अशोक गहलोत साहब ने इसकी री-लाइनिंग की चर्चा की और पंजाब में अकाली दल की सरकार थी। केन्द्र सरकार से, राज्य सरकार से और तीनों सरकारों से मिलकर इसकी डी.पी.आर. बननी थी, करीब-करीब 952.10 करोड़ रुपये की उसकी डी.पी.आर. तैयार हो गयी थी लेकिन पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, बी.जे.पी. के सहयोग की सरकार थी, वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। केन्द्र सरकार की टैक्नीकल कमेटी ने यह रिपोर्ट भी दे दी थी और इसके लिए हमने पैसा भी सैंक्शन कर दिया था। राजस्थान के हिस्से का पैसा भी चला गया था लेकिन यह काम नहीं हो पाया। यह जान बूझकर नहीं किया गया। इनकी मंशा ठीक नहीं थी। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो वादा, जो घोषणा हमने की थी, वह घोषणा इंसानियत के नाते, किसान के नाते पूरी करनी चाहिए थी, जो बी.जे.पी. की सरकार पूरी नहीं कर पाई थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरहिंद फीडर के माध्यम से राजस्थान की भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, पानी को उपलब्ध कराया जाना निर्धारित था। री-लाइनिंग का कार्य भी इंदिरा गांधी फीडर की री-लाइनिंग के साथ-साथ कराया जाना तय किया गया था, जिसके लिए 671 पाइंट, 478 करोड़ का संशोधित प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के अंदर जल संसाधन मंत्रालय को 3.2.2016 को भेजा गया था। 2016 में आपकी सरकार थी। हमारी सरकार थी तो आपने पैसा सैंक्शन नहीं किया। आपने जान बूझकर पैसा सैंक्शन नहीं किया। अगर पैसा सैंक्शन किया जाता तो राजस्थान सरकार

(श्री जगदीश चन्द्र)

को क्रेडिट जाता। गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान को उसका फायदा होता, आप यह वादा पूरा नहीं कर पाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अप्रैल, 2019 में क्लोजर कार्य करवाये जाने के लिए पंजाब सरकार को बार-बार आग्रह किया गया। पंजाब सरकार द्वारा टेंडर भी आमंत्रित किये गये लेकिन निविदाएं स्वीकृत नहीं हो पाईं। इंदिरा गांधी फीडर, सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग का कार्य साथ-साथ कराया जाना तय था। सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में 10.05.2019 को री-लाइनिंग के कार्यों के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी। पंजाब सरकार को इस बैठक में अवगत कराया गया कि 2019 में सरहिंद फीडर की लगभग 20 किलोमीटर की री-लाइनिंग का कार्य कराया जाएगा तथा अगले वर्ष मार्च से जून, 2020 में क्लोजर लेकर दोनों नहरों का 30-30 किलोमीटर की लंबाई में री-लाइनिंग का कार्य कराया जाएगा।

पंजाब सरकार द्वारा सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग जुलाई, 2019 में कराने के लिए बुर्जी 3 आर.डी. की लंबाई में कार्य कराये जाने के टेंडर आमंत्रित किये गये थे, जो स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। पंजाब सरकार द्वारा जुलाई, 2019 में प्रारम्भ किया जाना बताया गया था। अब पंजाब सरकार ने, कल की जो मुख्य मंत्रीजी की बैठक हुई है पंजाब सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है। पंजाब सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले 2020 और 2022 तक इंदिरा गांधी कैनाल की री-लाइनिंग, सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग और फिरोजपुर फीडर की री-लाइनिंग का जो कार्य है, वह हम पूरा करेंगे। इसके साथ-साथ 18500 क्यूसेक्स पानी जो मानसून के दौरान पाकिस्तान में जाता है उसको भी रोकने की व्यवस्था राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने की है, इसके लिए मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाह रहा हूं।

लंबे समय से मांग थी कि यह नहरें काफी पुरानी हो चुकी हैं और जब-जब भी कांग्रेस की सरकार थी, मैं सदन में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं। 2004 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, डाक्टर मनमोहन सिंहजी देश के प्रधान मंत्री बने थे और अशोक गहलोत साहब पहली बार 1998 में मुख्य मंत्री बने थे, जब वह गंगानगर के दौरे पर

(श्री जगदीश चन्द्र)

गये थे, तो 1927 के बाद में अगर नहर के मैंटीनेंस के लिए पैसे दिये 446 करोड़ रुपये तो अशोक गहलोत की सरकार ने दिये थे, जिसकी वजह से नहर का काम हम पूरा कर पाए थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब-जब कांग्रेस की सरकार रही है, हमने किसानों की चिंता की है और किसानों से जो वादे किये हैं, वह हमने पूरे किये हैं। पिछले समय 2013 से लेकर 2018 के बीच आपकी सरकार थी तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जिस दिन पानी के लिए आंदोलन नहीं हुआ हो। कभी गंग-कैनाल का आंदोलन था, कभी भाखड़ा का आंदोलन था अगर आप रिकार्ड उठाकर देखें तो तत्कालीन मुख्य मंत्री इस बात की साक्षी हैं कि एक दिन भी गंगानगर के लोगों का नहीं गया था कि किसान धरने और हड़ताल पानी के लिए नहीं कर रहे हों। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने बजट में जो प्रावधान किया है, निश्चित तौर पर हम लोग उस काम को पूरा करेंगे।

इसके साथ-साथ ही मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से हमें पानी का खामियाजा उठाना पड़ता है। जब कभी पानी की कटौती होती है, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है तो उसके कारण से हमारा नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस संदर्भ में केन्द्र सरकार से बात करें ताकि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में हमारा प्रतिनिधित्व हो।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि नहरों की मरम्मत और नहरों की मैंटीनेंस के लिए जब इंदिरा गांधी कैनाल को, गंग कैनाल को रिपेयर करने की जब बात आई तो हमने एक योजना की शुरुआत की थी। किसान नहर अध्यक्ष बनाये गये थे, उन अध्यक्षों का यह काम था कि नहर की मैंटीनेंस करें ताकि किसान की भागीदारी हो। लेकिन वह योजना, उस योजना के माध्यम से पिछले पांच वर्षों से जगह-जगह लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। नहरी पटवारी हमने खतम कर दिये। मेरा सदन में आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि नहर अध्यक्षों की प्रणाली को खतम करें ताकि रैगुलेशन आपका

(श्री जगदीश चन्द्र)

ठीक हो सके और किसानों में जिस तरह से गांवों में आक्रोश है, उस आक्रोश को हम कम कर पाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पिछली जो सरकार थी, पिछले पांच सालों में सी.ए.डी. के जो खाले बनने थे, जो वाटर-कोर्स बनने थे, वह सरकार ने सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र में एक भी वाटर-कोर्स नहीं बनाया। जब तत्कालीन नहर के मंत्री हमारे जिले से बने थे तो हमें इस बात की खुशी थी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को फायदा होगा। वह नहर की सिंचाई प्रणाली से संबंधित है, वह जानते हैं, लेकिन उसका उलटा हुआ। उलटा यह हुआ कि हमारा बैलेंस जो पानी था, उसको बंद कर दिया गया और सी.ए.डी. के जो खाले थे, वह खाले, एक भी खाला नहीं बन पाया, सिवाय अपने विधान सभा क्षेत्र के तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सी.ए.डी. के खालों के लिए दुबारा से बंदोबस्त करके शुरूआत की जाए।

इसके साथ-साथ मैं आपसे एक निवेदन और करना चाह रहा हूं कि हमारा जो 1966 का समझौता था, जस्टिस इराडी कमीशन जो बना था, जिसमें राजस्थान का पानी का जो हिस्सा था वह 8.6 एम.ए.एफटी. था, जिसमें से 7.59 एम.ए.एफटी. का उपयोग इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप केन्द्र सरकार से बात करके राजस्थान का जो शेयर है, राजस्थान का जो हिस्सा बनता है, वह तो कम से कम हमें पूरा मिले। आज डी.पी.आर. के लिए भी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया। नहरों की मरम्मत हो जाए और जो हमारे हिस्से का पानी बनता है, वह मिले ताकि खेतों की सिंचाई किसान कर सकें।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के बारे में जिस तरीके की चर्चा हो रही है, यह चर्चा बहुत सार्थक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सार्थकता का कोई न कोई परिणाम निकलेगा और आने वाले दिनों में कम से कम राजस्थान के अंदर तो इस सिंचाई के मामले में हम स्वावलंबी बन पाएंगे।

सभापति महोदय, आपसे एक निवेदन मुझे और करना है कि जब पिछली बीजेपी की सरकार थी, हमारे विपक्ष के माननीय उप-नेता बैठे हैं, जब गंगानगर में किसान पानी के लिए आन्दोलन कर रहे थे, गंगासिंह चौक पर

(श्री जगदीश चन्द्र)

महीने का एक दिन ऐसा नहीं था, जिस दिन हमारे किसान ने कोई आन्दोलन नहीं किया हो। लेकिन, बड़ी-बड़ी बात करने वाले किसी नेता ने पांच वर्षों तक किसानों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। जिसकी वजह यह हुई कि गंगानगर का किसान कमजोर पड़ गया और कमजोर पड़ने के बाद वह कर्जे में डूब गया। बार-बार कर्जे माफी की जो लोग बात करने वाले थे, इन्होंने तो वह माफ किया नहीं, हमने वह किया था। आज किसान को अगर आपको दुबारा से ताकत देनी है, उसको मजबूती देनी है तो सिंचाई की व्यवस्था के माध्यम से दें ताकि किसान की आमदनी ठीक हो और किसान अर्थव्यवस्था को ठीक कर सके।

गंगानगर और हनुमानगढ़, दोनों जिले राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनका आर्थिक ढांचा खेती के आधार पर निर्भर करता है, खेती के जरिए उनकी रोजी-रोटी चलती है। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो घोषणाएं किसानों के लिए की हैं, पहली बार सरहिन्द फीडर के लिए, फिरोजपुर फीडर के लिए इतने पैसे की व्यवस्था की है, उसके लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं।

मैं आपके माध्यम से पुन: एक बार हमारे सदन को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जो घोषणा की थी, बजट सैशन के दौरान पंजाब के मुख्य मंत्री से बात करके हमारी समस्या का समाधान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार गौड़।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 सिंचाई व 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के विषय पर बोलने की अनुमति दी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र के विकास के लिए 4 हजार 675 करोड़ रुपये स्वीकृत किये, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं।

जहां तक राजस्थान फीडर एवं सरहिन्द फीडर के लिए, आई.एन.जी.पी. के जीर्णोद्धार हेतु एम.ओ.यू. करके लगभग 1976 करोड़ रुपये की जो योजना बनायी, एम.ओ.यू. किया, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। 13 जिलों में हनुमानगढ़ एवं

(श्री राजकुमार गौड़)

गंगानगर जिलों को शामिल किया, 262 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। यह पैसा भी जब जिलों में लगेगा तो निश्चित रूप से खुशहाली आएगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम सिंचाई पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे भाजपा के साथियों ने भी बात की, कांग्रेस के मेरे मित्रों ने भी बात की। आज राजस्थान को पूरी सिंचाई की आवश्यकता है। अगर पूरी सिंचाई सुविधा राजस्थान को मिलती है तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों का भी हम पेट भर सकते हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार आयी है अभी मेरे साथी सिद्धमुख परियोजना की बात कर रहे थे कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने उसका शिलान्यास किया था, आज वह इलाका हरा-भरा हो रहा है। इसी तरह की अनेक योजनाएं बनाने की जरूरत है।

अभी अटलजी को याद किया गया। नदियों को जोड़ने की बात की गयी। प्रसन्नता का विषय था सब लोगों के लिए और पूरा देश चाहता था कि अगर यह नदियां आपस में मिल जाएंगी तो निश्चित रूप से जो मरु क्षेत्र हैं, वहां पानी आएगा और इससे देश मजबूत होगा। पर वह केवल योजना चली, जिस लेवल पर पहुंचना चाहिए था, वह पहुंच नहीं पायी। हम सब लोगों को मिलकर चाहे हम स्टेट के हैं, चाहे हम केन्द्र में हैं, सब लोगों को मिलकर ऐसी योजनाओं के लिए समय-समय पर बात करनी चाहिए और सरकारों को सहयोग करना चाहिए।

नदियों को साफ करने की भी बात आयी। गंगा नदी को साफ करने की बात आयी। नदी तो साफ नहीं हुई, मेरी बहनजी ने, जिन्होंने कहा था कि मैं नदी साफ करने जाऊंगी, वह दुबारा मंत्री नहीं बनीं। गंगा साफ नहीं हुई, गंगा वैसी की वैसी है।

सभापति महोदय, हमारे जिले में तीन प्रमुख योजनाएं हैं। आई.जी.एन.पी., भाखड़ा और गंग कैनाल, जिनके माध्यम से हम लोगों को पानी मिलता है। अभी पूर्व वक्ता ने जिक्र किया, गंगानगर जिले की बहुत समय से मांग थी कि पंजाब से जो पानी आता है आई.जी.एन.पी., भाखड़ा व गंग कैनाल के माध्यम से, वह पूरा पानी हम लोगों को नहीं मिल पाता। फिरोजपुर फीडर से इंदिरा गांधी कैनाल के लिए 11 हजार 992 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, जिसकी जगह 10 हजार क्यूसेक पानी मिल रहा है। माननीय

(श्री राजकुमार गौड़)

मुख्य मंत्रीजी ने कल पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से इस विषय में बात की है, अगर यह काम हो जाता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को फायदा मिलेगा। इसी तरह से इंदिरा गांधी कैनाल में जो पानी की क्षमता है, जो पानी हमें मिलना चाहिए, वह 18 हजार क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, आज हमें 15 हजार क्यूसेक पानी मिल रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल उसके बारे में भी बात की है। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, गंग कैनाल, महाराजा गंगासिंहजी ने आजादी से पूर्व 1927 में बनाया था। 1927 में बनने के बाद में, सभापति महोदय, 2000 आते-आते वह नहर जर्जर हो गयी और वहां के लोग कहने लग गये, लगता है अगर यह नहर ठीक नहीं की गयी, गंग कैनाल की रिपेयर नहीं की गयी तो यह पूरा इलाका उजड़ जाएगा। न तो व्यापारी रहेगा, न किसान रहेगा, न मजदूर रहेगा। हमारे गंगानगर जिले के लोगों की बात हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोक जी गहलोत ने सुनी और 446 करोड़ रुपया उस समय स्वीकृत किया। तब जाकर उस नहर की लाइनिंग कमप्लीट हुई और आज उससे लोगों को पानी मिल रहा है।

सभापति महोदय, पंजाब से हम लोगों को पूरा पानी फिर भी नहीं मिल पाता। पंजाब में हमारी नहरों से पानी चोरी होता है। फिरोजपुर फीडर की रिपेयरिंग की आवश्यकता है। हम लोगों ने मुख्य मंत्रीजी से बार-बार मांग की है। इस बार पंजाब सरकार ने कल मुख्य मंत्रीजी को भरोसा दिलाया है कि फिरोजपुर फीडर के लिए डी.पी.आर. बनाया जाएगा। डी.पी.आर. बनाने के बाद में राजस्थान सरकार अपने हिस्से का पैसा देगी और पंजाब अपने हिस्से का पैसा देगी। हमें लगता है फिरोजपुर फीडर ठीक हो जाएगा तो गंग कैनाल से जहां हमें 2000 से 2200 क्यूसेक पानी मिल रहा है, वह पानी हमें 3000 क्यूसेक मिलने लग जाएगा।

सभापति महोदय, इन नहरों के माध्यम से जो जहर आ रहा है, जिसकी मैंने पूर्व में सदन में भी एक-दो बार चर्चा की है, वह जहर आना किस तरह से बंद हो, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल बात की है और पंजाब सरकार ने विश्वास दिलाया है कि तीन टी.पी. लगाकर आने वाले दिसम्बर तक हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। अगर निश्चित रूप से कंट्रोल हो

(श्री राजकुमार गौड़)

जाता है तो मैं सोचता हूं यह बहुत बड़ी बात होगी और हमारा वह इलाका बच जाएगा।

मैं, मुख्य मंत्रीजी को इन तमाम बातों के लिये धन्यवाद देते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि पंजाब से 1967 में जो बीकानेर कैनाल बंद हो गयी थी, पाकिस्तान के बोर्डर के साथ लगती हुई 13 किलोमीटर, वह नहर 1967 के बाद से कभी साफ नहीं हुई, कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वही कारण था कि नहर में पानी नहीं आने की वजह, मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा पानी पाकिस्तान में जाता था। जो पानी हिन्दुस्तान में काम आना चाहिए, जो पंजाब को मिलना चाहिए, जो राजस्थान को मिलना चाहिए, जो गंगानगर को मिलना चाहिए, वह पानी पाकिस्तान में जा रहा था। हमने आपसे निवेदन किया, मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया। 26 जून को पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार से निवेदन किया कि अगर आप 98 लाख रुपये देंगे तो हम इस नहर को ठीक करवा देंगे। आप लोगों ने सुनी, मुख्य मंत्रीजी ने मांग मानी, 26 जून के लैटर के बाद 03 जुलाई को 98 लाख रुपये मुख्य मंत्रीजी ने पंजाब सरकार को भेज दिये। आज मुझे प्रसन्नता है कि उस नहर की सफाई हो जाएगी तो जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, वह बन्द हो जाएगा और हमारे राजस्थान का किसान खुशहाल होगा।

मेरे साथी किसानों की बात कर रहे थे, योजनाएं बना रहे थे, पर मुझे जहां तक ध्यान है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के बारे में सोचा नहीं। हमारे जिले के किसानों ने जब-जब पानी मांगा, उनको गोली मिली। 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, घड़साना में आन्दोलन हुआ था, किसान वहां पर पानी मांग रहे थे। खाजूवाला का किसान गोली से मरा, सात लोग घड़साना में गोली से भाजपा की सरकार के शासन में मरे, कुल आठ लोग उस टाइम मरे, मेरे साथियों को ध्यान होगा। जब-जब पानी मांगा, तब-तब आपने लाठी चलायी या आपने गोली चलायी। आपने न तो गंग कैनाल के लिए सोचा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य..(व्यवधान)

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): टिकट कट गयी, कोई बात नहीं, जनता ने मुझे जिताकर भेज दिया, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। जनता ने मुझे जिताकर भेजा है, आप टिकट की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने विषय पर बोलिए।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): टिकट की बात नहीं कीजिए आप। जनता ने जिताकर भेजा है, जैसे आप सदस्य हैं, वैसे मैं इस सदन का सदस्य हूं। मान्यवर राठौड़ साहब, जब आपकी सरकार आयी, गत सरकार जब आपकी बनी तो उस समय क्या हुआ 2013 से 2018 के बीच में? बताइए किसान का कौनसा काम किया? आप भी हनुमानगढ़ जिले से ही हैं। 2013 से 2018 के बीच में हमेशा किसान पानी के लिये लड़ाई लड़ता रहा और पूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी जब गंगानगर जिले में पधारीं, जब वह रायसिंहनगर से रवाना हुईं, फतेहपुर में किसान इकट्ठे हुए, 150 से 200 किसान फतेहपुर में इकट्ठे हुए कि मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे हम लोगों को पानी दिया जाए, हमारी समस्या का हल किया जाए। परन्तु जैसे ही मुख्य मंत्रीजी रवाना हुईं रायसिंहनगर से, वायरलैस से पूछा गया सड़क की पोजिशन क्या है? बताया गया कि 150-200 किसान फतेहपुर के पास में बैठे हैं। मुख्य मंत्रीजी आ रही हैं और लोग बैठे हैं, ऐसा कैसे सम्भव है? मुझे तो एक हैरानगी और हुई जो समाचार पत्र में आप भी पढ़ते थे, हम भी पढते थे कि मुख्य मंत्रीजी जिस सड़क से जाएंगी, उस सड़क पर काला कपड़ा पहना हुआ कोई आदमी मिलेगा नहीं। अगर काली कमीज पहनी होगी तो उसकी कमीज उतार दी जाएगी। और मैं कहना नहीं चाहता, मेरी बहनें बैठी हैं, सर, कई जगह तो ऐसा हुआ कि पेंट काली पहनी हुई है तो उसकी पेंट भी उतार दी। वह मुख्य मंत्री जी जब रायसिंहनगर से चलकर आ रही हैं पदमपुर के लिए, पदमपुर में किसान बैठे थे, पुलिस ने उन लोगों पर लाठीचार्ज किया। आज भी कई लोगों की लातें टूटी हुई हैं, 307 के मुकदमे बने हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों पर, मजदूरों पर 307 के मुकदमे बने हुए हैं। सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तानाशाही सरकारों ने हमारे किसानों और मजदूरों पर जो मुकदमे बनाये हैं, मंत्री महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे किसानों और मजदूरों पर जो मुकदमे दर्ज किये गये हैं, उन मुकदमों को सरकार वापस ले। मैं इससे भी आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि किसी की सरकार रही हो, जब-जब कार्यकर्ता ने आन्दोलन किये हैं, कार्यकर्ता ने आन्दोलन आप लोगों के लिए किये हैं, कार्यकर्ता ने आन्दोलन सरकारों के लिए किये हैं, पार्टियों के लिए किये हैं, चाहे बी.जे.पी. के कार्यकर्ता पर केस बना हो और चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता पर केस बना हो, वे केस सरकार को

(श्री राजकुमार गौड़)

वापस लेने चाहिए। यह दमन की नीति बंद होनी चाहिए और दमन की नीति जो भा.ज.पा. सरकार ने चलायी, ऐसी दमन की नीति चलनी नहीं चाहिए।

महोदय, अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा हमारे विपक्ष के नेता कटारिया साहब ने भी निवेदन किया था कि जो हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जिस पानी की बात हो रही थी 0.80 एम.ए.एफ., उस पानी के लिए भी मुख्य मंत्री जी ने बात की है। मैं मेरे बी.जे.पी. के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि केन्द्र में आपकी सरकार है, हम सब लोग मिलकर कोशिश करें, ये पानी हमें मिले। जब राजस्थान को यह पानी मिलेगा तो यह न तो बी.जे.पी. का पानी होगा, न कांग्रेस का पानी होगा, यह आम किसान के लिए पानी होगा और उससे हमारे राजस्थान में खुशहाली आएगी। आज लोग देख रहे हैं राजस्थान की तरफ कि राजस्थान कैसे समृद्ध है, राजस्थान में कैसी शांति है, इन सब बातों को अगर हम बनाये रखना चाहते हैं तो हम लोगों को इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, सिंचाई की बात है इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मंत्री महोदय, मैंने बजट भाषण पर भी चर्चा की थी कि गत सरकार ने बिना वित्तीय स्वीकृति निकाले हुए गंगानगर में करीब 5300 डिग्गियों का निर्माण करवा दिया था, उनमें से करीब 3100 डिग्गियों का अभी भुगतान नहीं हुआ है 98 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है। मैं आपसे, सदन के माध्यम से, सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा आप यह विश्वास दिलाइये कि इन किसानों का जो 98 करोड़ रुपया बकाया है वह बकाया राशि किसानों को जल्दी मिले जिससे किसानों की दिक्कत दूर हो। अगर आप यह भुगतान नहीं करेंगे तो आगे नई डिग्गियां भी नहीं बन पाएंगी।

फव्वारा पद्धति को बढ़ाने की जरूरत है। बूंद-बूंद सिंचाई को बढ़ाने की जरूरत है। सौर ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है। इस पर 2013 से 2018 तक कांग्रेस सरकार ने जो अनुदान दिया था वह अनुदान गत वर्ष में कम हो गया, गत सरकार ने कम कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के लिए यह विशेष अनुदान केवल सिंचाई के लिए दिया जाता है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं तो उससे हम लोगों को बहुत फायदा होगा।

मंत्री महोदय, सभापति महोदय के माध्यम से आपसे एक बार पुन: निवेदन करूंगा कि गंदे पानी की जो मुख्य मंत्री जी बंद करने की बात करके

(श्री राजकुमार गौड़)

आये हैं, इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दें। हमारे अधिकारी रैगुलर देखते रहें, हमारे अधिकारी रैगुलर इस पर काम करें। जब हम रैगुलर इस पर काम करेंगे तो हमें पूरा पानी मिलेगा, लाइनिंग ठीक होगी, पूरा पानी आएगा और हमारा किसान खुशहाल होगा।

मैं आपको एक और कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया है उससे भी किसान को बहुत नुकसान है। इसको रोकने के लिए, जैसा बजट में आपने कहा है कि हम पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर एक जगह नंदी शाला खोलेंगे। इन नंदी शाला को जल्दी खोला जाए और कम से कम इसका किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए, चाहे आप सरपंच के जिम्मे सौंपें, चाहे बी.डी.ओ. के जिम्मे सौंपें। अगर जल्दी से जल्दी नंदी शालाएं नहीं बनीं तो किसान के लिए ही नहीं, पूरी पब्लिक के लिए अकाल का काम कर रही है, न जाने कितने लोगों की मौत हो गयी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लोग बेमौत मर रहे हैं, कहीं मोटर साइकिल से एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पैदल जाते हुए का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पशु ने सींग मार दिया। इस पर तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। अगर इस पर हम कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से काफी भला हो पायेगा।

गौ-भक्त तो सभी हैं, जितने बैठे हैं गऊ को सभी मानते हैं, उस गौ-माता को भी हम बचा पाएं, सभी मिलजुल कर राजस्थान के लिए काम कर पाएं। जितनी भी योजनाएं हैं, हमने भी करोड़ों रुपये की, अरबों रुपये की बातें कर दीं, हमारे साथी भी करते हैं, इधर के साथी भी करते हैं, यह सब रुपया लगे और योजनाएं बनें तो वे योजनाएं कमप्लीट हों।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी-बड़ी बातें भा.ज.पा. सरकार करती है। केन्द्र में इनका राज है, एक सरकार का कार्यकाल चला गया और दूसरा शुरू हो गया। मैंने अभी तक केवल उद्घाटन करते हुए तो देखा है, क्योंकि वे काम पिछली कांग्रेस सरकार ने किये हुए थे, मैंने अभी तक प्रधान मंत्री जी को शिलान्यास करते हुए नहीं देखा कोई बड़ी योजना बनाकर। जिस तरह से हम अभी भाखड़ा डैम की बात कर रहे थे, मेरे बी.जे.पी. के साथी बता नहीं पाए, डैम की बात तो करते हो कि डैम बनने चाहिए, बात तो करते हो कि यह बनने चाहिए, पानी रोकना चाहिए, भाखड़ा की तो बात हम करते हैं, दूसरे डैमों की बात हम करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): आप बता नहीं पाये कि आजादी के बाद आपने एक भी डैम बनाया हो, आपने पानी की एक बहुत बड़ी कोई योजना बनाई हो। आप कोई कह नहीं पाये। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, यह तो बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे यहां सरफेस वाटर सिर्फ एक परसेंट है और हमारे दो पूर्व वक्ताओं ने अभी जितना भी कुछ कहा है, अधिकांश इंडस वाटर सिस्टम के बारे में कहा है। चाहे इंदिरा गांधी कैनाल हो, चाहे भाखड़ा कैनाल हो, उन्हीं सिस्टम के बारे में कहा है।

इंडस वाटर कोई नई डिस्प्यूट नहीं है, यह 1833 में पहली बार सामने आई और 1833 में पहली बार एक इंडियन चार्टर एक्ट बना। मंत्री महोदय, तब से लेकर निरन्तर अब तक अध्ययन मैंने इसलिए किया क्योंकि गंग कैनाल का निर्माण हुआ और हुसैनीवाला में पहली बार नदी पर बैराज बना। उसमें बहावलपुर, बीकानेर और तत्कालीन सिंध जो बोम्बे के नीचे थी, उनका समझौता हुआ और गारंटर उसमें तत्कालीन अंग्रेजों की सरकार थी। इसलिए इस विषय को मांग संख्या 46 में सम्मिलित करते हुए अपनी बात आरम्भ करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आभार तो प्रकट करूंगा कि पहली बार कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने, हमारे अशोक जी ने पंजाब के मुख्य मंत्री जी से बात की। राजस्थान फीडर और फिरोजपुर हैडवर्क्स को बढ़ाने का, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सिद्धांतत: सहमति के समाचार सुनने को मिले, लेकिन यह बात यहीं पर रुक नहीं जाएगी। मंत्री महोदय, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, 1919 के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के बाद में ये स्टेट सब्जैक्ट नहीं रह गया, प्रोविंशल सब्जैक्ट नहीं रह गया, वाटर रिसोर्सेज स्टेट सब्जैक्ट हो गया। भारत आजाद होने के बाद और स्टेट सब्जैक्ट होने के बाद में जब तक यह कन्करंट लिस्ट में नहीं जाएगा, नदियों को जोड़ने का काम जल्दी से हल नहीं हो सकता। चाहे कावेरी नदी का विवाद हो, चाहे मध्य प्रदेश और राजस्थान का चम्बल का विवाद हो, चाहे नर्बदा नदी के जल का विवाद हो, चाहे यमुना नदी का जल का विवाद हो, हर विवाद का हल करने के लिए नेशनल लेवल पर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

कोई कमीशन बैठाना पड़ेगा। आखिरी कमीशन बैठा था 1941 में, उसके बाद में कोई भी कमीशन बैठा नहीं है। इन समस्याओं का समाधान तो करना होगा।

1937 से पहले एक कमेटी बैठी एंडरसन कमेटी। उस एंडरसन कमेटी ने मोटे-मोटे तौर पर सिंध और बहावलपुर के जो एतराज थे, सभापति महोदय, उसके बारे में निर्णय दिया और उसके आधार पर गंग कैनाल में पानी मिलना आरम्भ हुआ। उसके आधार पर सुकूर बांध जो बनने वाला है उसके ऊपर इन्क्रीज करने का, पानी बढ़ाने का निर्णय हुआ। उसमें आठ मुख्य अभियंता बैठे थे और एंडरसन उनका हैड बैठा था। सभापति महोदय, छह नदियों के पानी के बंटवारे की बात कहना चाह रहा हूं। जो इंडस रिवर ट्रीटी हुई है उससे ज्यादा भारत को नुकसान न तिब्बत को चीन को हथियाने के बाद में हुआ और न कोई दूसरी बात से हुआ। अपर राइपेरियन कंट्री हैं हम।

(14.00 बजे)

रावी नदी चंबा जिले से आरम्भ होती है। व्यास रोहतांग पास से आरम्भ होती है। सतलुज माउंट कैलाश से, तिब्बत से होती हुई आती है। झेलम पीर पंजाल रेंज से आरम्भ होकर आती है। चिनाब लाहौल स्पीति, हिमाचल से होकर आती है और इंडस रिवर में सारी मिलकर यह ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। 210 एम ए एफ पानी इन ट्रिब्यूटरीज का और इंडस का है। आप अचम्भा करेंगे, 210 MAF में से भारत ने अपना हिस्सा केवल 33 MAF स्वीकार किया जो 18 परसेंट है। उस 18 परसेंट को लेकर पिछले 60 साल से लगातार बहस होती आ रही है लेकिन उस 18 परसेंट को भी हम पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज भी पानी पाकिस्तान जा रहा है।

Western rivers चिनाब, झेलम और इंडस पाकिस्तान को दे दी। Eastern rivers में भारत का आधिपत्य माना। यमुना नदी में भी हम उसको जोड़ सकते थे लेकिन उसको जोड़ नहीं पाए। Western rivers में हमारे को 7 लाख 10 हजार एकड़ सिंचाई करने की अनुमति मिली। अभी तक तो हम उसको भी नहीं कर पाए। नदियों को जोड़ने का काम जब होगा, तब निश्चित रूप से सरप्लस फ्लो हम कर पाएंगे। Hydro electric projects 4-5 चल रहे हैं। उनमें भी दुनिया भर का एतराज पाकिस्तान का हुआ लेकिन जो international arbitration है, उसके अंदर भारत के पक्ष में हुआ। यह सारी genesis कहां है? इसकी जड़ कहां है? मंत्री जी, अगर इसकी जड़ में जाएंगे तो

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रैडक्लिफ ने जो लाइन ड्रा की है इंटरनेशनल बार्डर की, partition of punjab, ईस्ट और वैस्ट पंजाब का, उसमें सारा नैटवर्क जितना भी था, वह british provinces जो था वैस्ट पंजाब, उसी के अंदर था। अगर सतलुज का पानी भारत इस्तेमाल करता है तो उनको हमें राशि देनी पड़ी। कितना इनह्यूमन तरीके से डिवीजन हुआ है। Hydrological system सारा फेल हुआ। पापूलेशन का डिवीजन हुआ। उस डिवीजन में हमने सिर्फ 18 परसेंट पानी पर सहमति करके अपने हाथ हमेशा के लिए बांध लिए।

1947 में स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट एक हुआ था कि अभी जितना पानी मिल रहा है, वह पानी दे दीजिए। ईस्ट पंजाब सरकार ने पानी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को बंद कर दिया। उसके बाद में फिर से एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार राशि के आधार पर पानी देना आरम्भ किया। इंडस वैली सिस्टम में 28 मिलियन एकड़ इर्रिगेटेड सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान में और 5.9 मिलियन एकड़ भारत में, भारत की आबादी उस समय जो इंडस के एरिये की आबादी थी, 1941 के census में 21 मिलियन थी। पाकिस्तान की उससे भी कम थी।

सभापति महोदय, David Lilienthal टेनिस वैली के चेयरमैन थे, वह भारत में हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री जी के इन्विटेशन पर पर्सनल गैस्ट होकर रहे। उसके बाद वह पाकिस्तान भी गये और उन्होंने मध्यस्थता की। भारत को तो जो मिलना था, वह दुर्भाग्य से बहुत कम मिला। लेकिन वर्ल्ड बैंक के दबाव में आकर, चेंज इंटरनेशनल सिनेरियो था, 1950 में चीन ने तिब्बत पर आधिपत्य किया। उनको आल्टरनेटिव सोर्सेज चाहिए था सीआईए के बेसिस का। पहली बार लियाकत अली खां 23 दिन तक स्टेट गैस्ट रहकर, वाशिंगटन में राष्ट्रपति से मिलते रहे। उस मिलने का लाभ पाकिस्तान को यह हुआ कि अमेरिका, इंग्लैंड और वर्ल्ड बैंक, सबने दबाव देकर वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करना था, उसका तो उनको लोन दिया और भारत को मात्र 18 परसेंट पानी पर सहमत होना पड़ा। पेशावर में सीआईए बेसिस बने, वर्ल्ड बैंक के उस समय के चेयरमैन E. R. Black भारत में आए और दामोदर वैली प्रोजेक्ट में लोन दिया। वह तो लोन था। कोई ग्रांट नहीं थी। सिर्फ वैस्टर्न रिवर्स में 7 लाख 10 हजार एकड़ पानी लगने का स्टोरेज कैपेसिटी 1.5 MAF से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज बीसलपुर बांध से भी छोटा बांध बनेगा तो स्टोरेज कहां पर हो पाएगा।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी राजस्थान को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। वर्तमान में जो सदस्य बैठे हैं, उनको ध्यान होगा कि इराडी ट्रिब्यूनल के आधार पर 8.6 MAF पानी राजस्थान का शेयर बना था। उसमें से 0.6 MAF पानी आज भी पंजाब यूज कर रहा है। वह यूज करे, उस पर तो फिर भी आपत्ति नहीं है। लेकिन वह हमारा पानी, 52.52 प्रतिशत पानी हमारे हिस्से में था, उसकी जगह 49 परसेंट पानी हमारे को मिल रहा है। 49 परसेंट से कितने हजारों एकड़ जमीन और सिंचित नहीं हो पा रही है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुख्य मंत्री जी को उस संबंध में भी बात करनी चाहिए।

Indus valley treaty का preamble क्या है? गुड फ्रैंडली नेबरली बिहेवियर आफ पाकिस्तान, आज तक हुआ है क्या? 1947 में हमला हुआ कबाइलियों का। 1948 में हमने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करके दिया। 1965 में हमला हुआ। 1971 में हमला हुआ। हमने कभी भी hydrological system को डिस्टर्ब करके, पाकिस्तान को उसका मिसयूज नहीं किया। लेकिन अब पीने के पानी की समस्या हो रही है। पूरे नोर्थ इंडिया में, राजस्थान में आज जयपुर की हालत क्या है? अगर बीसलपुर बांध में पानी नहीं आया तो 3 दिन में पानी एक बार मिलेगा। सोइल वाटर है नहीं। जयपुर खाली होने की नौबत आ जाएगी। मैंने मेरी विधायक मद की जितनी भी राशि थी, वह सारी उसी पर, ट्यूबवैल में देता हूं लेकिन ट्यूबवैल में पानी होगा, तब मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सिंधु नदी जल ट्रीटी को 2003 में और जून, 2013 में जम्मू एंड कश्मीर विधान सभा ने भी निरस्त करने का आग्रह किया था। यह सदन एक प्रस्ताव पारित करे कि सिंधु नदी जल ट्रीटी में नोर्थ इंडिया को, राजस्थान को पीने का पानी मिले। उसकी व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए। नदियों को जोड़ने के लिए concurrent list में डालने के लिए सहमति करनी चाहिए। यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने कितनी बार वायलेशन किया, इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक मुख्य वायलेशन था, सर क्रीक, यह जितना भी सिंधु जल समुद्र में जाता है, वह कराची के पास क्रीक में होकर रण आफ कच्छ में जाता है। सर क्रीक का एपिसोड हुआ था और भारत, पाक की लड़ाई होने की नौबत आ गयी थी। वह इसीलिए हुआ

(श्री नरपत सिंह राजवी)

था कि हमने वहां पर एतराज किया कि आप लैफ्ट को बाई पास करके ड्रेन बना रहे हो, उसकी सूचना भारत को नहीं थी।

सभापति महोदय, परफैक्ट मानिटरिंग नहीं हो पा रही। एतराज भी नहीं उठाए जा रहे। नदियों को जोड़ने का हो जाएगा तो सरप्लस फ्लो है, वह तो कम से कम पीने का पानी यहां पर बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2019-20 की मांग संख्या 46-सिंचाई और मांग संख्या 38-लघु सिंचाई और भू संरक्षण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई की दृष्टि से आजादी से पहले भी भारत का स्थान विश्व में अच्छा था। उस वक्त भी काफी बड़े-बड़े डैम यहां बने हुए थे। जैसे ही देश आजाद हुआ, कांग्रेस का राज आया। अभी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित है, बड़े-बड़े डैम, चाहे मेजर हों, मीडियम हों या माइनर हों, या बड़ी-बड़ी कैनाल जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, यह नेहरू जी का, इंदिरा जी का सपना था। कांग्रेस में हम लोग राज में अधिक रहे तो हमें ज्यादा नुक्ताचीनी करनी आती नहीं है, क्योंकि विपक्ष में रहे ही नहीं, सीखे ही नहीं तो हम लोग उसमें ज्यादा ट्रेंड नहीं हैं लेकिन overall तुलनात्मक वर्णन किया जाए तो सिंचाई के लिए जो भी in-frastructure develop हुए हैं, उनमें 70 से 75 प्रतिशत तक कांग्रेस के राज में हुए हैं, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में हो या भारतवर्ष में हो।

माननीय सभापति महोदय, खेती के लिए सबसे मूल आवश्यकता है पानी की। राजस्थान में खेती योग्य जमीन 257 लाख hectare है, अभी अपन खेती कर पा रहे हैं 111 लाख hectare, जिसके अंदर सतही जल से 42.34 लाख और भूजल से 68.74 hectare है। भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय है, आज राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह अपने भारतवर्ष का 10.45 प्रतिशत है, जबकि सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16 प्रतिशत है। भूजल की उपलब्धता 1.72 प्रतिशत है। वर्ष 1960 के बाद में जब से tubewell tech-nology आई तो अधिकतर tubewell खोदने लगे, किसानों ने भी tubewell खोदे, PHED ने भी tubewell खोदे और भी industrial purpose से खोदे,

(श्री रूपाराम)

तो स्थिति यह बनी है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भूजल का आकलन 295 blocks के रूप में किया गया है। उसमें आज की तारीख में मात्र 45 blocks सेफ हैं, सेमी critical 28 हैं, critical 34 हैं और saline 3 हैं, अति दोहित जो आगे जाकर खतम हो जाएगा भूमिगत पानी, उनकी संख्या 183 है। अपन चाहे बातें कितनी ही करें, नदियों को जोड़ लें, यह जोड़ लें, किसी के घर में दस आदमियों को खिलाने का आटा हो और घर में सौ जने आ जाएं तो वित्तीय संसाधन हैं? आज कहीं भी भारत में या किसी भी स्टेट में पैसा जो आता है, revenue collection है, वह पैसा कभी लैप्स नहीं होता, सब खर्च होता है। इस विभाग में नहीं हुआ तो उस विभाग में हो गया तो उसके लिए इतनी राशि कहां है? मेरा यह कहना है कि सबसे पहले जो infrastructure अपने पास है उसको ढंग से संधारित करें। उसके अंदर जैसे बांध हैं, राजस्थान में 835 बांध हैं, मेजर 22 हैं, मीडियम 84 हैं और माइनर 729 हैं। लगभग 3236 बांध ऐसे हैं जिनकी सिंचाई की क्षमता 300 हैक्टेयर से कम है। वह ग्राम पंचायत को सिंचाई विभाग ने हैंड ओवर कर रखे हैं। अगर अपने पास जो बर्तन हैं पानी रखने के, इनका पानी बिलकुल लीक नहीं हो और इनका catchment area वगैरह clear हो, कोई बाधा नहीं हो, जितना पानी बरसे, पानी जो बरसता है वह दिनों-दिन कम हो रहा है, जिस प्रकार से वृक्षों वगैरह की कटाई हुई है। राजस्थान में 531 एमएम का वर्षा का एवरेज है, वैस्टर्न राजस्थान में 150 एमएम का और जैसलमेर में 100 एमएम भी नहीं होती। यह भी दिनोंदिन कम होता जा रहा है। भूमिगत पानी तो अपन ने निकाल लिया, उसको जीरो पर रखना है, जैसे राजवी साहब आज फर्मा रहे थे, मैं जलदाय विभाग में रहा हुआ हूं। जिसको जानकारी होती है उसको डर ज्यादा लगता है। मेरे को ही रात को नींद नहीं आती। बीसलपुर में जब पानी नहीं था, कम था और जवाई में नहीं था तो मैंने खुद ने जवाई से पानी की व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देश पर एक नौकर होने के नाते की है तो आज नींद नहीं आती कि ऐसा कैसे होगा।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में अपने को भूमिगत पानी को भूलते हुए एकदम रिजर्व में रखना चाहिए और सिंचाई के लिए कुदरत राज़ी होती है उस पानी को लेने के लिए, अपने को योजनाएं सुदृढ़ करनी चाहिए चाहे राज कोई भी हो। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जितनी घोषणाएं

(श्री रूपाराम)

की हैं, चीरा-फाड़ी तो कैसे ही करो, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि बाल की खाल, बाल की खाल निकालनी है तो कैसे भी करते रहो, खपते रहो। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि इसके अंदर अधिकतम पैसा जो existing dams हैं उनके सुदृढ़ीकरण, मजबूत करने पर खर्च करें। अपने पास जो चीज है उसको तो सही कर लो। जितनी भी नहरें हैं, आज इंदिरा गांधी नहर से पानी चलता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी पंजाब पधारे थे, मैं भी पीएचईडी में रहा हूं तो हम भी उस distribution committee वगैरह में आते-जाते रहते थे। सिर्फ हम लोग रोते ही रहते थे, मिलता कुछ नहीं था। अबकी बार जो घोषणाएं हुई हैं, जैसे उनका सुदृढ़ीकरण होगा कैनाल का, इससे जो पानी बढ़ेगा, आज नहर आने के बाद सीपेजेज से जैसलमेर में पानी पहुंचता है, पहले तो हिस्से का पहुंचता नहीं है। उसके बाद में जो खाळे टूट गये, उनमें मिट्टी भर जाती है, तो आने के बाद में इवेपोरेशन, सीपेज आदि में 50 प्रतिशत पानी चला जाता है। अपने पास जो संसाधन हैं उनको सुदृढ़ करके बरसात का पूरा का पूरा आए, इवेपोरेशन कम हो, उसकी भी नई टैक्निक आई है तो उससे इवेपोरेशन कम हो, सीपेजेज रोके जाएं और उसका सदुपयोग करें। यह करना चाहिए और इन सब चीजों का प्रावधान 2019-20 के बजट में है। पूरे के पूरे सिस्टम को एक वर्ष में ठीक नहीं किया जा सकता। शुरूआत तो हुई है, कर्मचारियों की तो कमी थी, पहले कौनसे पांच साल भरे थे? इसी विभाग में 2000 कर्मचारी लेंगे वह सिंचाई की व्यवस्था देखते हुए उसकी तरफ भी बढ़े हैं। इतने वर्षों से टिब्बी बर्बाद हो चुका है, माननीय सदस्य, गौड़ साहब विराज रहे थे अभी। उसके अंदर पानी ही पानी रहता है। लोगों ने आत्महत्याएं कर लीं, लोग अपना व्यवसाय बदलने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी बजट में प्रावधान है। यह बहुत ही अच्छा और वास्तविक सोल्यूशन है।

जैसा माननीय सदस्य राजवी साहब भी फर्मा रहे थे, पाकिस्तान में पानी जाने से रुकेगा और नहर की कैपेसिटी बढ़ेगी। जब अपने पास पानी की आवक ज्यादा होती है, ओवरफ्लो हो जाता है या कहीं और छोड़ना पड़ता है, तो वह छोड़ना नहीं पड़ेगा, पानी आ जाएगा। यह सब प्रावधान इस बजट में है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि इन विभागों में जितना भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी रोकने का, गांव की एक नाड़ी, तालाब, खड़ीन, बेरियां, बावड़ियां, माइनर डैम से मेजर डैम तक उन सबको ठीक करने के लिए अपने

(श्री रूपाराम)

को क्या चाहिए। उससे जो भी सिंचाई की प्रणाली, नहरें वगैरह बनी हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या-क्या चाहिए। उससे कितने-कितने हैक्टेयर कितने-कितने किसान बेनिफिशरीज हैं, उस रेशो में चाहे इधर बैठो चाहे उधर बैठो, अपने को प्लानिंग करनी चाहिए कि अपने को पैसा इसी पर लगाना है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे एरिये में यह कर दो, जब पानी ही कम है तो सबसे पहले उस सिस्टम को मजबूत करके फिर पानी की सेविंग हो, उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले उसी सुदृढ़ीकरण का काम अपने को करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल, सिंचाई के अलावा लघु सिंचाई, भू-संरक्षण पर चर्चा है। जैसलमेर में एक ऊजला गांव है, एक टांका वहां बना हुआ है, उस टांके के पास चारणों की कोटड़ियां थीं, उसमें पोल बनी हुई है टांके के अंदर। उस टांके में बरसात का जितना कैचमेंट है, उसमें जितना पानी भरता था, बारह गांवों के मवेशी और मनुष्य एक साल तक, अगली वर्षा तक उससे पानी पीते थे तो जब वह लोग कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते? आज कई ऐसी ढाणियां हैं, अपन टैंकर से पानी ले जाते हैं, शाहगढ़ हरनाऊ एरिया है, मैं वहां खुद रहा हुआ हूं नौकरी में, वहां पर टांके बनाए थे, water structure, harvesting structure का नाम बाद में आया था, 1985 में। लोग मेरे पर भी हंसते थे, टांके बनाकर घर में जितने आदमी हैं, एक आदमी पांच लीटर पानी पीएगा, बाकी खारे पानी से कपड़े धो लेगा, 365 दिन में 30-35 दिन बरसात हो गयी, टांके बनाए, गांव के मुखिया को चाबी दे दी, हफ्ते में एक बार खुलता और पानी के लिए बुलाकर ले जाते। वह दिन आने हैं तो मेरा इस मौके पर निवेदन है कि जहां जो चीज फिट हो, किसी जगह टांके ही फिट होंगे। आज शाहगढ़ हरनाऊ में अगर पेयजल सप्लाई से जोड़ें तो 300 किलोमीटर लाइन डालनी पड़ेगी एक ढाणी के लिए। 2 ग्राम पंचायतें जिनका एरिया है लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर, जो अपने राजस्थान के 7 जिलों के बराबर हैं, तो जैसा जहां भी वर्षा से जल आ रहा है उसको अपन रोकें। चाहे बावड़ी को ठीक करके रोकें, जो बेरियां पुरानी थीं, उस वक्त पूर्वजों ने चिन्हित किया, लोगों की बसावट भी ऐसी होती थी कि इस जगह जाकर पानी धरती में कम गहराई में मिलेगा, उस जगह बेरियां खोदी गयीं। आज वे बूरीज गयी हैं, ऊपर डूब्बे आ गये हैं, तो उनका मुंह साफ करके, उनका मुंह ऊपर उठाकर चड़स या जो भी पुराना सिस्टम था, करना चाहिए अपने को।

(श्री रूपाराम)

उससे कई गांव पानी पी सकते हैं। जैसे ही अकाल पड़ता है, सीधे टैंकर से शुरू कर लेते हैं। ब्यावर में भी मैं रहा हुआ हूं सीधा अकाल पड़ते ही टैंकर शुरू, नीमास में कुछ कुओं में augmentation कराया, कहीं आड़े बोरिंग कराए, 1994 की बात है तो वहां पानी की स्थिति इम्प्रूव हो गयी, ब्यावर में पानी का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया। आज की तारीख में स्थिति नहीं है कि भूमिगत पानी का दोहन करें, जो बरसात होती है राजस्थान में, उस पूरी बरसात का जहां कैचमेंट एरिया उपलब्ध है तो अपनी खेती जितने हैक्टेयर में आज हो रही है, उसका रकबा बढ़ सकता है और पीने के पानी की समस्याएं खतम हो सकती हैं। कोई भी डैम ऐसा नहीं है। पहले पुराने टाइम के अंदर लोग जाते थे कैचमेंट में से, चाहे महाराजा साहब भी हों, उन्हें लगा कि ऐसे कैचमेंट में गोबर पड़ा है, वे घोड़े से नीचे उतरते और घुड़सवार को कहते कि इसके गोबर को बाहर डालो। आज सब खड्डे वहां खोदते हैं, माइन्स वहां हो रही हैं, तो कैसे होगा? अगर एकदम आदर्श सतही जल का सदुपयोग करना है तो हमें मिलकर हर गांव वाले की, अच्छा सबसे ज्यादा गलती मोटा आदमी करता है।

उसकी नकल सब करते हैं। अमिताभ बच्चन अगर एक पैंट फाड़ दे तो लोग कहेंगे कि यह तो फैशन है, भले ही उसकी किसी लकड़ी से फटी हो। हमें खुद को आदर्श बनना पड़ेगा। हम खुद जो मोटे अफसर, मोटे नेता हैं, वे ही कैचमेंट पर कब्जा करते हैं। अगर एक प्रण ले लें कि हमारे पास जितना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें बरसात का पानी रोका जाएगा, उसे साफ-सुथरा रखेंगे, कैचमेंट पर कब्जा नहीं करेंगे और जो उसमें, आज जितने भी दो सौ विधायक हैं। दो-सवा दो लाख एमपी को मिलता है, काल की स्थिति कभी भी आ जाती है। यह तो कुदरत है, अगले हफ्ते बरसात होगी तो सबको नींद आएगी।

अभी तो जिन्हें बीपी नहीं है, उन्हें भी बीपी हो रहा है कि कैसे होगा, काल पड़ गया तो कैसे होगा, मवेशी का क्या होगा? मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीस लाख मवेशी हैं, चार लाख गौवंश हैं, सोलह लाख भेड़-बकरियां हैं। क्या होगा उनका? जो कुदरत ने दिया है, उसे करने के लिए, उसके लिये शुरुआत करने के लिए इससे उत्तम बजट नहीं हो सकता। कमी किसी की कैसे निकालें? एक साधु-संत था, उसे कोई रोटी जिमाकर लड्डू दे रहे थे। कोई हवा डाल रहा था, कोई पिंडलियां दबा रहा था, वह फिर भी ठसक रहे थे, तो उनसे

(श्री रूपाराम)

पूछा कि बाप जी आप ठसक क्यों रहे हैं तो उन्होंने कहा कि गैल्यो है कि थारो बाप चबावे कोनी, वह चबा रहा था न लड्डू, कहा कि छोटे हैं, छोटे हैं तो दो-चार खा लो। हमें नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। मैं ताजा-ताजा नेता बना हूं, इसलिये मुझे नुक्ताचीनी आती नहीं है।

मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब जानकार हैं। मन में सब सोल्यूशन जानते हैं, लेकिन सोल्यूशन पर जाते नहीं हैं। हम सब मिलकर, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के पास सब आंकड़े हैं, कम खर्च में जो पहले प्रणाली ठीक हो, डैम ठीक हों, बेरियां ठीक हों, उस पर जाएं। हर बजट में स्कोप है, लेकिन हमारे यहां बीएडीपी का स्कोप है तो हम उसमें बजट लें, माइन्स की रायल्टी में लें, एमएलए फंड है, एमपी फंड है और भी कई चीजें हैं, तो वह जाकर करना चाहिए। फिर यूज आफ वाटर है। अगर सिंचाई के लिए है तो हमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि फव्वारे से ही खेती करेगा, ड्रिप से ही खेती करेगा। अभी किसान कमजोर हैं, उन्हें सब्सिडी दे दें, देखें पानी कितना बचता है। कोस्ट कम्पेरिजन होना चाहिए। वह हमें लागू करना चाहिए। फसल का पैटर्न है। अब पानी तो है ही नहीं और वह चावल बो दें, कहीं एक्सेस वाटर है तो बोएं। कई और खेती भी हैं। फलदार खेती है जिसमें बो सकता है, तो वह पैटर्न भी हमें चेंज करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 46 और 38 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मुख्य मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे राजस्थान के हिस्से को लेकर अपने जवाब से पूर्व पंजाब जाकर आये हैं। यह एक सुखद अहसास है। पानी कब मिलेगा, कितना मिलेगा? 8.6 एमएएफ पानी राजस्थान के हिस्से का है, 0.6 एमएएफ अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन प्रयास सकारात्मक है।

थोड़ा-सा उलाहना यह देना चाहूंगा जब मैंने उनकी प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी तो हमारी परियोजना जो कि छोटी जरूर है अमर सिंह ब्रांच, सिद्धमुख नोहर फीडर, लेकिन इन दिनों में 800 क्यूसैक्स की कैपेसिटी होने के बावजूद सबसे

(श्री बलवान पूनियां)

कम पानी जो हमें मिला, 500 क्यूसैक्स से ज्यादा नहीं मिला। 300 क्यूसैक्स हरियाणा और पंजाब चाट गये। ऐसी परिस्थिति में हमारा जिक्र उस विज्ञप्ति में नहीं था। बाकी बात तो उनसे मिलने के बाद तय होगी। हालांकि अफसरान बैठे हैं, शायद उन्होंने हमारे इलाके की भी चर्चा की होगी। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा नरपत सिंह जी को कि आप शायद कई बार से जीतते आ रहे हैं। इतना ज्ञान है पानी का, आप पहले सिंचाई मंत्री नहीं बने, आपके उस अनुभव का फायदा राजस्थान की जनता उठा नहीं पायी, लेकिन आपने जो ज्ञानवर्द्धन हमारा किया है पानी को लेकर, क्योंकि हम सिंचाई के पानी के सवाल को लेकर छह महीने जेल में रहे हैं, आंदोलनों में रहे हैं, लाठियां खायी हैं, शिकवा-शिकायत नहीं है इस बात से कि किसने मारा, किसने पीटा, किसने जेल में डाल दिया, हम इलाके को बचाने के लिये लड़ रहे हैं।

इलाके में झंझट क्या है, रगड़ा क्या है, 1982 में हमारे यहां रावी-ब्यास नदियों से पानी के बंटवारे के अनुबंध के अनुसार 8.6 एमएएफ पानी में से 0.87 एमएएफ पानी भाखड़ा-नांगल बांध से सिद्धमुख नोहर परियोजना के लिए और यह 0.30 एमएएफ पानी साउथ घग्घर कैनाल झंडावाली वितरिका का इंदिरा गांधी नहर प्रणाली पर डाइवर्ट कर शेष 0.17 एमएएफ पानी रावी-ब्यास हिस्से से नांगल से अलग प्रभावित होगा और वाया हरियाणा हमें मिलेगा। यह 0.87 एमएएफ पानी सिद्धमुख नहर के लिए नोर्थ फीडर के लिए तय किया था।

5 अक्टूबर, 1989 में राजीव गांधी जी ने भिरानी में उद्‌घाटन किया, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हमें उस परियोजना का फायदा नहीं मिला। हमारा बहुत बड़ा इलाका सरसब्ज हुआ है लेकिन आज भी हमारी नहरों में पूरा पानी नहीं आ रहा है। हमारा रैगुलेशन सही नहीं है। हमारे टेल्स में पानी नहीं पहुंच रहा है। आज भी हमारी उस परियोजना में गलत दखलंदाजी की वजह से 14 गांव बारानी रह गये भादरा के और 14 गांव रह गये नोहर तहसील के जो सिद्धमुख नोहर परियोजना में आ सकते थे। यह बेवजह राजनीतिक दखलंदाजी समझें या इंजीनियरों की मूल डीपीआर पर छेड़छाड़ होती है, इससे हमारे इलाके के जो गांव बारानी रह गये, आज उन गांवों में, मेरे भादरा तहसील के गांवों में तो साठ किलोमीटर पदयात्रा के जरिये उन्हें

(श्री बलवान पूनियां)

जगाकर सरकारों से हमने मांग की है कि बारानी क्षेत्र को नहरी घोषित किया जाए। भादरा और नोहर के 28 गांव हैं।

आज भी मांग चलती है एटा सिंगरासर का किसान कहता है हमें पानी दीजिए, सूई ब्रांच का किसान हमें कहता है हमें पानी दीजिए। सूई ब्रांच को तो बीस-तीस साल तक कमांड घोषित कर दिया गया था। वहां के बच्चों के रिश्ते ही इस बात से हो गये थे कि आपके यहां नहर आएगी और उसके बाद उन्हें कह दिया गया कि आपकी नहर यहां रुक जाएगी, अब नहर इस जैतसीसर से आगे नहीं जाएगी, अब आपको आगे पानी नहीं मिलेगा। ये सारी अव्यवस्थाएं इसलिये पैदा हुईं कि हम हमारे हिस्से का पानी आज तक लेने में नाकाम रहे हैं।

हमारे सिस्टम को मैं समझना चाहूंगा, सन् 2000 में जब जल उपभोक्ता संगम के चुनाव होने शुरू हुए तो लोगों ने सोचा कि चुनाव होंगे और सिस्टम अब हमारे हाथ में आएगा, लेकिन बीस साल में सिस्टम हमारे हाथ से निकला है। सिस्टम में ज्योंही अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर कम हुए, सिस्टम हमारे हाथ से गया। अब हमारे हाथ में सिस्टम है नहीं। मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से यह मांग दोहराना चाहता हूं, हम गलतियों को सुधार सकते हैं। जितना बजट हमने ठेकेदारों को दिया है मानिटरिंग का, वाचिंग का, जितना पैसा हमने खर्च किया है, आप उस पैसे का आकलन करवाइए। अगर आधे कर्मचारी भी रखकर चलाते, आज भी हम भुक्तभोगी हैं, आज भी नहर चलाते तो तीन अधिकारी हैं, पूरी नहर वे ही चलाते हैं। ठेकेदार अपनी जेब गर्म करके चला जाता है, उसका कोई मतलब नहीं बचा है। इसलिये मेरी मांग है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, उसकी छोटी-सी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। मेरे पास एक आंकड़ा है, एक नक्शा है, एक व्यवस्था है जो हमने देखी कि आरडी 447 सरहिंद फीडर टेल है, आरडी 496 पर इंदिरा गांधी नहर का लिंक बना है, जिसे भाखड़ा की सादुल एवं करणी ब्रांच के लिए पानी दिया जाता है। बराबर में सरहिंद फीडर भी आ रही है। मैं मेहरी के बैराज जाकर देखकर आया हूं और इस नहर से पंजाब हमें मात्र 100 क्यूसैक्स पानी देता है, जबकि इसमें राजस्थान का हिस्सा 1610 क्यूसैक्स है।

वर्तमान में आरडी 491 और आरडी 496 के बीच हैड रैगुलेटर बना

(श्री बलवान पूनियां)

दिया गया है, जिससे पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जाए लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 3000-4000 क्यूसैक्स पानी पाकिस्तान जा रहा था। आज और गत दिनों में जब मेरे भादरा, नोहर की नहरें पानी के लिए तरस रही थीं, मेरी नोहर सिद्धमुख नहर पानी के लिये तरस रही थी, लेकिन 10000 क्यूसैक्स पानी पाकिस्तान जा रहा था, इससे बड़ी हमारे लिए दर्द की बात नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, वर्तमान में आरडी 491 और 496 के बीच हैड रैगुलेटर बनाने के बाद पाकिस्तान पानी जाने से रोकने का जो सिस्टम था, उस सिस्टम को हम सही ढंग से फीड नहीं कर पाये। टेल सरहिंद फीडर पर पोन्ड मेंटेन किया जाता है, 9.6 का पोन्ड मेंटेन होता है। लगभग 200 क्यूसैक्स पानी वापस हरियाणा जाता है। हरियाणा की दो नहरें जोतावाली और तेजाखेड़ा निकलती हैं, वे राजस्थान के ही पानी से चलती हैं। 300 क्यूसैक्स पानी राजस्थान का हरियाणा ले जाता है। जगह हरियाणा की है, नियंत्रण पंजाब के पास है, पानी राजस्थान का खाया जाता है। राजस्थान पानी ले नहीं पाता है। भाखड़ा मुख्य नहर पर जो हैड रेगुलेटर बनाने की मांग पिछले दिनों से की जा रही है कि पानी वापस हरियाणा में नहीं जाए। हमारे अमरसिंह ब्रांच की सिंचाई सघनता जो 2.4 क्यूसेक प्रति हैक्टेयर है, यही सिंचाई सघनता सार्दुल और करणी ब्रांच की है, खारा सिस्टम की है लेकिन वहां नहरें एक सप्ताह चालू, एक सप्ताह बन्द रहती हैं। हमारे यहां ऐसा सिस्टम नहीं है। हरियाणा हमें पूरा पानी नहीं देता, उसकी वजह हम झेलते हैं कि हमें पानी 21 दिन, 35 दिन और सिद्धमुख नहर में तो पानी 42-42 दिन बाद नोहर फीडर में मिलता है। इसलिए हमारी मांग है जिस तरीके से सार्दुल और करणी ब्रांच में, भाखड़ा की उन नहरों में एक सप्ताह पानी आये, एक सप्ताह पानी जाए, वैसे ही हमें मिलना चाहिए। सभापति महोदय, भाखड़ा नांगल डैम में जो राजस्थान का हिस्सा है, जैसे 2.4 क्यूसेक, 2.4 प्रतिशत पानी का हिस्सा अमरसिंह ब्रांच और जसाणा ब्रांच का है वह हिस्सा हमें नहीं मिलता। हमें 0.47 एमएएफ हिस्सा सिद्धमुख नहर का नहीं मिलता। हम गड्ड-मड्ड कर रहे हैं पानी के हिस्से को। हम किसानों को बरगला रहे हैं, हम उनको पानी पूरा नहीं दे रहे हैं। हिस्सा हमें डैम से मिलता नहीं, हिस्सा हमें पंजाब और हरियाणा से नहीं मिलता और हम गड्ड-मड्ड करते हैं हमारी भीतर जिससे

(श्री बलवान पूनियां)

हमारी नहरों में यह अव्यवस्था पैदा होती है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिद्धमुख नहर, नोहर फीडर को और अमरसिंह ब्रांच को होता है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि 27.2.1974 को राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार एक मोतीराम कमेटी को क्रियान्विति करने का निर्देश दिया गया था। 12.4.1978 को भैरोंसिंह जी की सरकार के मंत्रिमण्डल ने मोतीराम कमेटी की सिफारिश की क्रियान्विति को रोक दिया था। मोतीराम कमेटी की सिफारिश क्या बात कहती थी - भादरा-नोहर के लिए मोतीराम कमेटी की सिफारिश, हरियाणा को तीन नहरें दी गयीं, खारा सिस्टम को आईजीएनपी से जोड़ा गया, स्पेस भी भाखड़ा मुख्य नहर में हुआ परन्तु सिद्धमुख परियोजना के निर्माण के पश्चात् पानी की समस्या और जटिल हो गयी। श्रीमान् जी, भाखड़ा मुख्य नहर में जो पूर्व में राजस्थान की सार्दुल और करणी ब्रांच पानी देती थी, वर्तमान में खाली है। मेरा सुझाव है, नियमानुसार जो मोतीराम कमेटी का सुझाव था वह बता रहा हूं। आईजीएनपी नहर के नीचे से आशाखेड़ा गांव के पास 530 आरडी निकलती है इसलिए हरियाणा को राजस्थान नहर से पानी देकर भाखड़ा मुख्य नहर में स्पेस खाली कर नोहर-भादरा की पूर्ति की जाए।

नम्बर दो, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नोहर को मस्तावाली हैड से अलग से चैनल बनाकर पानी दिया जाए। आज रैनी सीजन होने के बावजूद नोहर का हिस्सा जिस दिन 332 क्यूसेक था, सभापति महोदय, सिर्फ 32 क्यूसेक पानी मिल रहा है। वह किसान क्या करे? इसलिए इसमें दूसरी सिफारिश में यह कहा कि आईजीएनपी के पुनर्निर्माण से पानी की जो बचत हो उससे नोहर-भादरा समेत राजगढ़, तारानगर और इस इलाके की उपजाऊ भूमि को पानी दिया जाए ताकि फसल पैदा हो और सिंचाई के लक्ष्य को हम हासिल कर पायें।

नम्बर तीन, आईजीएनपी यह भी कहती है कि आईजीएनपी के मस्तावाली हैड के पास से लगते नोहर फीडर के क्षेत्र को आईजीएनपी से जोड़ा जाए। मोतीराम कमेटी का गठन 1970 को फरवरी के दूसरे सप्ताह में किया गया। इसमें तीन-चार चीजें महत्वपूर्ण रूप से जो सिफारिश की, मोतीराम इस सिस्टम के एक्स-चीफ थे, उन्होंने कहा कि शेयर और सप्लाई की जांच करो, सिंचाई सघनता की जांच करो, आंतरिक वितरण की बात करो, टेल पर पानी आपूर्ति कैसे हो और 24.6.1970 को कमेटी की रिपोर्ट में यह बात कही गयी।

(श्री बलवान पूनियां)

मैं मेरी बात को कन्क्लूड करना चाहूंगा कि भाखड़ा गंगनहर में सिंचाई सघनता बढ़ाने के लिए रावी-ब्यास का राजस्थान के नहर क्षेत्र को पानी देने एवं नहरों को राजस्थान से जोड़ने, राजस्थान के साथ लगती सीमा हरियाणा को राजस्थान नहर का देने, खारा एवं साउथ घग्घर नहर जो वाया हरियाणा से आकर टिब्बी क्षेत्र में प्रवेश कर सिंचाई करती है, राजस्थान नहर से जोड़ा जाकर भाखड़ा मुख्य नहर में स्पेस खाली कर नोहर-भादरा की अमरसिंह और जसाणा वितरिका को पानी दीजिए।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, ये सिफारिशें अगर लागू कर दी जातीं तो आज इतना बजट, कितना बजट खर्च हुआ है? करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये सिद्धमुख नहर, नोहर फीडर के लिए खर्च हुए। सभापति महोदय, आज भी हम खाला निर्माण की मांग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गत भाजपा सरकार जो पहले वसुन्धरा जी की थी, उसमें बजट तो हमारे इलाके को दिया, पर जो खाले बने वे घटिया बने और वे टूट गये तथा चकबन्दी, वेबकॉस कम्पनी को फर्जी में भुगतान कर दिया और जब पानी मांगते थे तब लठ्ठ भी मारते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गत भाजपा सरकार के बाद पिछली कांग्रेस सरकार के चार साल तक तो सीएडी वहां रही, काम किया लेकिन उसके बाद ज्योंही चुनाव नजदीक आ गया, सीएडी ठप पड़ गयी। गत भाजपा सरकार ने हमारे एक खाले का निर्माण अभी तक नहीं किया। जैसे हमारे साथी जगदीश जी कह रहे थे कि सीएडी ने करणपुर, सूरतगढ़ शिफ्ट किया और फिर पता नहीं सीएडी को कहां ले गये, टिड्डियों के पास छोड़ आए। अब हम मांग करते हैं कि सीएडी वापस हमारे इलाके में ली जाए।

मैं एक-दो छोटी-छोटी बात और करूंगा। बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, सभापति महोदय, बजट को खर्च करने की मन्शा पर मैं कतई शक नहीं करता। उन्होंने बेसिक रूप से नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए खर्च करने की बात कही है। लेकिन मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले गत बजट से सिंचाई में 533 करोड़ कम अनुमानित किये जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि हमारे क्षेत्र में खाला निर्माण की घोषणा नहीं की। छोटा-सा बजट लगना है नोहर-भादरा में, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें 35 करोड़ रुपये दे दे, खाले बना देंगे, खूब उत्पादन करेंगे और

(श्री बलवान पूनियां)

बुखारी भर देंगे तथा पूरे राजस्थान में जोरदार अन्न पैदा करने की हम बात करेंगे।

मैं एक छोटा-सा ध्यान इंगित करके मेरी बात कन्क्लूड करूंगा। 2005 में घग्घर फ्लड में जो पानी आता है और घग्घर नदी आती है, ओट्टू हैड पर हरियाणा ने पानी रोक लिया। सभापति महोदय, जो हरियाणा के गांव बारानी थे, जहां छिपकलियां घूमती थीं वहां आज नरमा, कपास और धान पैदा हो रहा है 2005 से लेकर आज तक सिर्फ 14 साल में। हमारी सरकार सोयी रही। हमारे घग्घर में पानी तब आता है जब हरियाणा की सारी नहरों में पानी चल पड़े और उनका ओट्टू हैड पूरा भर जाता है, फिर पानी हमारे यहां आता है। हमारे हनुमानगढ़ का वाटर लेवल डाउन चला गया, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पीलीबंगा का धान का वह बैल्ट खराब हो रहा है और पानी हमारे से छीन लिया गया है लेकिन फिर भी जागे तभी सवेरा, आज भी पानी जब घग्घर में ज्यादा आ जाता है तो पाकिस्तान जाता है। सूरतगढ़ के पास एक इतना बड़ा डेहर है, डाकीड़ा के नाम से डेहर का नाम है, उसमें अगर पानी संधारण करें तो एक फसली जमीन, सावणी फसल होती है आजकल, सावणी के लिए एक फसली हम एटा सिंगरासर के पूरे क्षेत्र को उस पानी से पानी दे सकते हैं। इसलिए सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि यह बजट जो कम किया गया है उसको पूरा करेंगे और हमारे बारानी क्षेत्र को नहरी घोषित करें। आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज कारगिल विजय दिवस है, मैं उन शहीदों को नमन करता हूं। साथ ही पुलवामा के उन शहीदों को भी नमन करता हूं। वे शहीद तो हो गये लेकिन क्योंकि चर्चा सिंचाई की है, शहीद लेकर नहीं गये, बहुत कुछ देकर गये हैं। अनेक कूटनीतिक जीत में एक जीत यह भी है कि बरसों-बरस तक जो हिन्दुस्तान का पानी पाकिस्तान में जाता था, पाकिस्तान उसका आनन्द लेता था और हिन्दुस्तान के लोग तरसते थे। कश्मीर में कुंज में जो बांध बनेगा, पाकिस्तान को जाने वाले उस पानी को रोकने में मदद मिलेगी और उसमें एक बड़ा हिस्सा राजस्थान को भी मिलेगा इसलिए मैं पुलवामा के उन शहीदों को प्रणाम करता हूं।

(श्री सतीश पूनियां)

आदरणीय सभापति महोदय, बारिश का कई दिन से इंतजार था और बहुत अरसे बाद जयपुर और आस्पास कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। देरी जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को उस कहावत से निजात भी मिल गयी कि जब कांग्रेस आती है तो काल आता है, बारिश नहीं आती, इसके लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को बधाई देता हूं। साथ ही साथ राजस्थान, क्योंकि किसान कहीं का हो, अनेक समस्याओं से जूझता है, समस्याओं की छाती पर पैर रखकर जो संघर्ष करता है, हिन्दुस्तान में उस शख्सियत का नाम किसान है। मानसून की खेती करने वाले किसानों की अपनी समस्याएं हैं लेकिन जो सिंचित क्षेत्र में खेती करते हैं उनकी समस्याओं का भी कोई ओर-छोर नहीं है। सरकारें आती हैं, घोषणाएं भी करती हैं, अमल भी करती हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान में छप्पनिया अकाल की चर्चा होती है। 1899 में एक भयंकर अकाल पड़ा। बीकानेर सम्भाग के 90 प्रतिशत मवेशी मर गये, लोग पलायन कर गये। श्रुतियों में जिन भागीरथ को सुनते थे, उनके बाद कोई भागीरथ हुए तो महाराजा गंगासिंह जी हुए जिनके अथक प्रयासों से 1927 में गंग नहर का निर्माण हुआ और एक बड़ा काम बीकानेर सम्भाग में हुआ। अभी मेरे से पहले काफी मित्र बोल रहे थे, चर्चा भी हो रही थी इस बात की जो इतिहास में लिखी गयी और जो दिखती है कागज पर, जमीन पर कि भाखड़ा के जरिये इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी और एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, राजस्थान के काफी किसानों को उसका फायदा मिला, मैं उससे इत्तफाक रखता हूं लेकिन कांग्रेस के कई मित्रों ने सवाल उठाया, चिंता जाहिर की, किसानों की और सिंचाई की। मैं पूछना चाहता हूं कि उन भगीरथ के बाद जिनको श्रुतियों में सुना गंगासिंहजी हुए, लेकिन कांग्रेस के मित्रों को इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार भी करना चाहिए कि हिन्दुस्तान में, इस देश में नीयत से ऐसे भगीरथ हुए, जिनको दुर्भाग्य से दुबारा अवसर नहीं मिला, वरना तो हिन्दुस्तान की सड़कों पर यह कहते हुए सुना जाता था कि यदि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार की वापसी होती तो शायद हिन्दुस्तान की नदियां जुड़ जातीं और हिन्दुस्तान का किसान खुशहाल हो जाता।

सभापति महोदय, 1919 में मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्य इंजीनियर आर्थर कार्टन ने दक्षिणी एशियाई ओपनिवेशिक देशों को जोड़ने के लिए,

(श्री सतीश पूनियां)

क्योंकि अकाल पड़ता था, पानी की कमी थी और इस पर उन्होंने विचार किया कि नदियों को जोड़ा जाए। 31 अक्टूबर, 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका के जरिए यह निर्देश दिया कि देश की नदियों को जोड़ा जाए। सरकारें ये ही थीं, उससे पहले भी आती थीं, पर सिंचाई के पानी का संज्ञान और देश में एक तरफ बाढ़, नदियां ऐसी थीं जिनको उन प्रदेशों का शोक कहा जाता था और दूसरी ओर भीषण अकाल, छप्पनिया अकाल जैसी स्थिति, ऐसा संतुलन कि व्यर्थ बहने वाला पानी चैनल करके उस छोर तक पहुंचाया जाए कोशिशें भी हुईं। लेकिन मैं समझता हूं कि नीयत से जो भगीरथ थे हिन्दुस्तान की धरती पर उनका नाम तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, 2003 में सुरेश प्रभुजी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई और 56 लाख करोड़ की लागत से हिन्दुस्तान की नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी। गंगा सहित 60 नदियां थीं, जिसमें दक्षिणी हिस्से की नदियां थीं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां थीं और 37 ऐसी अन्तरराज्यीय नदियां थीं, जिनका लाभ निश्चित रूप से राजस्थान को मिलता।

सभापति महोदय, गंगासिंह जी के बाद गंगनहर की बात, भाखड़ा के जरिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी। कांग्रेस ने बनाई जरूर, लेकिन इस बात के लिए भी ऐतिहासिक तथ्य दिखते हैं कि जो दुर्दशा उस समय के किसानों की हुई, उस नहर की सार संभाल नहीं हुई, मरम्मत नहीं हुई और उस समय भी कितने ही किसान आंदोलन हुए। मैं समझता हूं यहां बहस का विषय नहीं है, लेकिन भैरोंसिंह शेखावत साहब की सरकार जब आई, तो आबियाना से लेकर माफ करने तक और खालों की मरम्मत का पहली बार काम उनके शासन में शुरू हुआ।

दूसरी परियोजना चम्बल घाटी हाड़ौती में हुई, चम्बल परियोजना 80 के दशक में, फिर माही और उसके बाद मैं समझता हूं कि राजस्थान को जो सौगात मिली मुख्य मंत्रीजी ने अभी बजट भाषण में घोषणा की कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे की सिफारिश करते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि गंगासिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद तीसरे भगीरथ यदि कोई हैं तो श्रीमती वसुन्धरा

(श्री सतीश पूनियां)

राजे जी की सरकार ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, जो साढ़े 37 हजार करोड़ की परियोजना थी, जिसमें 13 जिले जुड़ेंगे, ये इत्तफाक नहीं रखेंगे, पेट में दर्द होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने सिफारिश के जरिए हिन्दुस्तान की सरकार को की थी, इस बजट में मुख्य मंत्रीजी भी यही कहते, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की मैं सिफारिश करता हूं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): बैठ जाइए भाई, क्यों पेट में दर्द हो रहा है। सच्चाई सुनो, इस बात का जवाब दे दो कि वाजपेयी जी की रिवर लिंकिंग की 2004 की योजना, 10 वर्षों तक आपकी सरकार रही, कोई जवाब है क्या? हिन्दुस्तान में उस योजना को लागू क्यों नहीं किया गया मनमोहन सिंह जी की सरकार में? इसका जवाब हिन्दुस्तान की जनता चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, अभी बजट का प्रावधान देखा 4675 करोड़ रुपये का प्रावधान सिंचाई के लिए हुआ है। इसमें कर्मचारियों की तनख्वाह निकाल दें तो केवल तीन हजार करोड़ रुपये हैं, पिछले 2018-19 के बजट में। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार 3200 करोड़ का प्रावधान पहले ही कर चुकी है, 2 हजार छोटे बड़े बांधों को ड्रिप इर्रिगेशन के जरिए केन्द्र को मंजूरी के लिए। अभी इस बजट में फिर कहा मुख्य मंत्रीजी ने, लेकिन इसको भी पूर्ववर्ती मुख्य मंत्रीजी ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, स्वीकृति के लिए केन्द्र में भेज दिया है।

जिस परवन और धौलपुर लिफ्ट की बात करते थे, वह परवन परियोजना सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन में फंसी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे निकालकर विकास के पथ पर लेकर गयी। धौलपुर की लिफ्ट परियोजना ऐसी है, जो पहली हिन्दुस्तान की कम्प्यूटरीकृत योजना है, जिसका लाभ धौलपुर और उस क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का जो बड़ा भू भाग है, दो तिहाई लोग खेती पर निर्भर और 53 प्रतिशत हिस्से पर खेती होती है। इसमें भी दो तिहाई हिस्सा वर्षा पर आधारित है और शेष में जो बड़ी, छोटी और मध्यम परियोजनाएं हैं, उनसे प्रबंधन होता है। नलकूप से 72 प्रतिशत, नहरों से 24.44 प्रतिशत, तालाबों से 1.2 प्रतिशत और अन्य परियोजनाओं से 2.2

(श्री सतीश पूनियां)

प्रतिशत। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घोषणाएं अपनी जगह हैं, लेकिन उनको अमल में लाना और एक मजबूत इच्छा शक्ति इस सरकार के बजट में, इस सरकार की नीयत में कम दिखती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे संबंधित ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मैं पुरज़ोर तरीके से कहूंगा कि पूर्वी कैनाल परियोजना को यह सरकार निश्चित रूप से लागू करे ताकि जयपुर समेत 13 जिलों को इसका लाभ मिले। मेरे कई मित्र रामगढ़ बांध में पानी लाने की बात करते हैं, कालख में पानी लाने की बात करते हैं। इस क्षेत्र की दर्जनों विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली बांडी नदी में पानी लाने की बात करते हैं। यदि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को सम्बल मिलता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसान की दशा और दिशा बदलने की हम बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्राहमणी को बीसलपुर से जोड़ना, इससे पहले भी इसकी चर्चा होती थी, लेकिन बजट में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ईसरदा बांध को, यदि गतिरोध दूर करेंगे तो दौसा और बस्सी को लाभ मिलेगा। ये हमारे मित्र कह रहे थे कि कुछ सरकार ने किया नहीं, लेकिन मैं इनको खुशखबरी देना चाहता हूं अखबारों में छप गयी, इसकी जानकारी आपको है, लेकिन आप हकीकत स्वीकार नहीं करना चाह रहे। 1994 से एक मामला लम्बित था, जिसमें 8 प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने एमओयू किया और उसमें जो रेणूकाजी पर बहुउद्देशीय बांध बनेगा, उसमें राजस्थान को भी बड़ा हिस्सा मिलेगा, 6 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा और राजस्थान को मात्र 24 करोड़ रुपये देने होंगे। अभी गडकरी जी की अध्यक्षता में जब एमओयू हुआ, पिछली सरकार में तो सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से सहमति दे दी, इसका 90 प्रतिशत खर्चा केन्द्र की सरकार वहन करेगी।

माननीय सभापति महोदय, केवल सिंचाई का पानी नहीं, उससे जुड़ी हुई कई ऐसी चीजें हैं, जिनका नुकसान किसानों को, उस क्षेत्र के लोगों को होता है। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने, इससे पहले भी, आज भी इस बात का उल्लेख किया कि नदियों और नहरों का प्रदूषण बड़ी चुनौती है। इससे बड़े पैमाने पर निपटना आवश्यक है। रूपारामजी, जैसलमेर से

(श्री सतीश पूनियां)

आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि अतिक्रमण बड़ी समस्या है, कैचमेंट एरिया पर बड़ा अतिक्रमण, अवरोध पैदा करता है।

रामगढ़ के बारे में बहुत बार इस बात का उल्लेख हुआ, हाई कोर्ट की कमेटी बनी लेकिन 158 ऐसे आफिसर्स जिन्होंने उस बहाव क्षेत्र में जमीनों का आबंटन किया, अभी तक सरकार के पास जवाब नहीं है कि उन पर क्या कार्यवाही हुई।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, सिंचाई की व्यवस्था में पानी है, लेकिन प्रबंधन नहीं है। पानी है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा खास तौर पर, क्योंकि मैं जयपुर जिले से आता हूं और इसलिए इस पूर्वी कैनाल परियोजना का लाभ जयपुर जिले को मिले। किसानों का एक आंदोलन अभी चला रहे हैं, यमुना को बांड़ी नदी से जोड़ने का, यमुना का ओवर फ्लो, यदि बांडी नदी से जुड़ता है तो कम से कम हमारे रामगढ़ और कालख बांध, ये दोनों साफ तौर पर जुड़ते हैं और लाखों की आबादी को इसका लाभ मिलता है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती गंगा देवी। एक मिनट माननीय।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से एक बात उठाना चाहती हूं।

श्री सभापति: एक मिनट आप रुकना। हां, फरमाएं।

सूचना

बस्सी में तालाब टूटने से जन हानि

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, बस्सी के नजदीक ओवरफ्लो होकर एक तालाब टूट गया और पास ही में ओवरब्रिज का काम भी चल रहा है 5-5 फीट पानी भर चुका। पास की नदी में दो जनों के डूबने की भी शिकायत आई है और बस्सी से जयपुर मार्ग भी बिलकुल अवरुद्ध हो गया है। सम्माननीय, प्रशासन को आपकी ओर से अवगत करवा दिया जाए।

श्री सभापति: विराजिये। श्रीमती गंगा देवी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्रीमती गंगा देवी (बगरू): सभापति महोदय, आपको धन्यवाद मेरे को बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप बोलना शुरू कर रही हो।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू): मैं बगरू से आती हूं बगरू के बारे में बात करना चाहती हूं। सभी अभी बात कर रहे थे बांध खोदने की, तलाई खोदने की, अपने-अपने यहां बनवाने के लिए। पिछली सरकार में मेरे बगरू विधान सभा क्षेत्र में खाली कागजों में खुदे थे। साहब, कागजों के अलावा कोई काम नहीं हुआ, कागज काले हुए थे। एक बांध नहीं बना, एक नदी नहीं, एक तालाब नहीं और अभी पूर्व मंत्री बोल रहे थे कि भेदभाव नहीं किया। मैं बताना चाहती हूं कि एक गरीब मौहल्ले में चार साल से पीने का पानी गया है। नल बंद कर रखे थे चार साल से। मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि बगरू में तीस पंचायतों में और एक नगरपालिका में बीसलपुर का पानी नहीं है। बगरू जयपुर राजधानी में है अत: उनको बीसलपुर का पानी देने की कृपा करें। मेरे क्षेत्र में आधा जगतपुरा और खो-नागोरियान क्षेत्र आता है, उसमें बीसलपुर का पानी पिछली सरकार में लाये थे, अब सरकार आई है तब चालू हुआ है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं। पांच साल बंद रखा था, मुस्लिम मौहल्ला था वह इसलिए पांच साल बंद रखा था। उसमें पांच साल में एक रुपये का काम भी नहीं किया पिछली सरकार ने। बहुत बढ़बढ़कर बोल रहे थे न अभी तो, मैं तो यह कहना चाहती हूं कि मेरी तीस पंचायतों में और एक नगरपालिका में बीसलपुर का पानी आये और बीसलपुर के पाइप बगरू के बीच में होकर जा रहे हैं। पास में ही दूदू में जा रहे हैं, चाकसू में जा रहे हैं तो बगरू से ही ऐसी क्या गलती हो गयी जो बीसलपुर का पानी नहीं दिया। बगरू में भी बीसलपुर का पानी पहुंचना चाहिए। बगरू के रीको क्षेत्र में बहुत लोग आते हैं, वहां मजदूरी करते हैं। बीस रुपये का एक कैम्पर लाते हैं मजदूर आदमी और उसको पीते हैं। अब मजदूर आदमी बीस रुपये का पानी लायेगा तो बचेगा क्या उनके पास? सेज में पानी जा रहा है, मैं कह रही हूं, पिछली बार भी कहा था कि सेज से तीन किलोमीटर ही दूरी है अगर पाइप जोड़कर टंकियों में भी चालू कर दो तो बगरू की जनता को

(श्रीमती गंगा देवी)

पानी मिल जाए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूं कि बगरू की जनता को पानी मिले। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामकेश।

श्री रामकेश (गंगापुर): सभापति महोदय, मांग संख्या-46 और 38 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो उत्पन्न और बनाया नहीं जा सकता। जल के अभाव में जीवन की कल्पना करना भी सम्भव नहीं है। राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। यह भी सही है कि देश में सतही जल का केवल मात्र 1.16 प्रतिशत जल राजस्थान में उपलब्ध है और दोहन योग्य भूजल भी मात्र 1.72 प्रतिशत है। वर्षा की दृष्टि से राजस्थान में बिलकुल न्यूनतम वर्षा हमेशा यहां होती रही है। राजस्थान प्रदेश भयंकर जल संकट की ओर अग्रसर है।

माननीय सभापति जी, पिछले पचास वर्षों में राजस्थान में 43 बार भयंकर अकाल पड़ा है। पूर्वी राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा अकाल से प्रभावित होकर पलायन को मजबूर हुए। हर बार जब भी अकाल पड़ता है सबसे ज्यादा मार अगर कहीं पड़ती है तो वह पूर्वी राजस्थान के किसानों के ऊपर पड़ती है। हमारे प्रदेश के नेताओं ने, प्रदेश की पूर्व सरकारों ने इस जल संकट को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान में लेकर आये। वर्ष 1957-58 से लगातार इन्दिरा गांधी कैनाल पर काम चल रहा है और 649 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान कैनाल से पश्चिमी राजस्थान के लोग लाभान्वित हुए हैं। परियोजना से 6 जिलों में सिंचाई और दस जिलों में पेयजल उपलब्ध हो रहा है। अब तक लगभग 6,900 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार इंदिरा गांधी कैनाल पर खर्च कर चुकी है।

माननीय सभापति जी, सन् 1957-58 से लेकर अब तक जो 6,900 करोड़ रुपया, आज की अगर इसमें गणना की जाए तो मैं यह मानता हूं कि कम से कम 1 लाख करोड़ राजस्थान की सरकार पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल पर खर्च कर चुकी है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि पश्चिमी राजस्थान का किसान जो पानी से महरूम था वह रेगिस्तान तो हरा-भरा हो गया, लेकिन पूर्वी राजस्थान के लोग, पूर्वी राजस्थान के किसान इस

(श्री रामकेश)

मामले में बहुत दुर्भाग्यशाली रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में चम्बल बिलकुल नजदीक होकर बह रही है। पूर्वी राजस्थान के किसानों के बार-बार प्रयास करने के बाद भी उनको सिंचाई की सुविधा नहीं मिली। पेयजल के लिए पानी नहीं मिला। लाखों किसान पेयजल से महरूम हैं और बहुत वर्षों से हमने सुना, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का एक प्रोजेक्ट रामेश्वर घाट पर बनने का प्रस्ताव यहां सरकार की तरफ से स्वीकृत हुआ और वह परियोजना केन्द्र तक गयी। वर्षों तक उसके चर्चे चलते रहे, परियोजना पर बात होती रही, बजट पर बात होती रही, लेकिन एक-न-एक अड़ंगा लगाते-लगाते स्थिति यह आई कि इंदिरा गांधी लिफ्ट योजना केवल बातों में रहकर और उससे भी पूर्वी राजस्थान का किसान महरूम हो गया।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, टाइगर के नाम पर सवाईमाधोपुर के किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। सवाईमाधोपुर में एक मात्र उद्योग सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री था, उसको भी टाइगर के नाम पर बंद कर दिया है। सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में पूरा का पूरा अरावली क्षेत्र है, वहां फोरेस्ट के नाम पर न कोई उद्योग लग पाता है, फोरेस्ट में अगर कोई डैम बनाने की बात आती है तो वन विभाग वाले उसमें कोई न कोई अडंगा लाकर किसानों का गला घोंट रहे हैं। वन विभाग में अगर कोई पानी के लिए तालाब की भी परमीशन लेना चाहे तो वह भी नहीं मिल रही।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में बात समाप्त करेंगे।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान में पानी का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस दिन भी जब मैं पांचना की बात कर रहा था तो बहुत टोका-टोकी हुई। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान में राजस्थान नहर परियोजना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी डीपीआर बनकर स्वीकृत हो चुकी है। मेरी सरकार से मांग है कि यह 13 जिले निश्चित रूप से इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं लेकिन मैंने उस डीपीआर को भी देखा, सभापति महोदय, जिस तरीके से इंदिरा लिफ्ट योजना को खतम किया, उसी तरीके से इस पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना में भी कमांड एरिये का अगर कोई प्रोविजन किया है तो वह धौलपुर में जाकर किया है। इसलिए मेरी मांग

(श्री रामकेश)

है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में जो कमांड एरिया का प्रोविजन है, उसको हमारे सवाईमाधोपुर और करौली जिले में खोला जाए। जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं, जहां सबसे ज्यादा पानी की डिमांड है, वहां पर कमांड खोला जाना चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री रामकेश (गंगापुर): और इसी से जो हमारे रास्ते में बड़े-बड़े तालाब हैं उनको भरने की व्यवस्था हो। लोगों को पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले। चंबल में एनीकटों पर और चैक डैम पर जो दो दो मीटर का बेरियर लगा रखा है, उसको भी हटाया जाना बहुत जरूरी है। जब तक चैक डैम और एनीकट पर दो मीटर का बेरियर नहीं हटेगा निश्चित रूप से तब तक हमारे वहां पर लोगों को सुविधा नहीं मिल पायेगी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा पांचना बांध बंद पड़ा है, उसमें भी लिफ्ट योजना लगाकर पानी डाला जाए। जब पांचना बांध में चंबल का पानी आएगा तो निश्चित रूप से हमारा कमांड एरिया बढ़ेगा, किसानों को लाभ होगा और आस-पास के हमारे सभी क्षेत्रों को पानी मिलेगा। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 46 ...

श्री सभापति: 10 मिनट में आपको अपनी बात समाप्त करनी है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): चलो ठीक है। यह परम्परा अगर बंद हो जाए और दो-दो मिनट बचे तो भी बहुत समय बचेगा। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो पूर्ववर्ती सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल की 60-65 वर्ष से किसी ने सुध नहीं ली, केन्द्र सरकार से बात करके जिस इंदिरा गांधी नहर की 18 हजार क्यूसेक की क्षमता थी, वह कम होते-होते जर्जर अवस्था में नहर हो गयी और आज के दिन वह 10-11 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी लेने में सक्षम नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्ववर्ती सरकार को कि इंदिरा गांधी नहर को ही नहीं, सूरतगढ़ ब्रांच, अनूपगढ़ ब्रांच, सैकड़ों नहर और छोटे माइनर को पक्का करने का काम किया है। इतना ही नहीं पक्के खालों का भी निर्माण हुआ है। मेरे से पूर्व सादुलशहर से आने

(श्री रामप्रताप कासनियां)

वाले माननीय सदस्य कह रहे थे खाले नहीं बने। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पक्के खाले पूर्ववर्ती सरकार ने ही बनाये। इतना ही नहीं, मैं इस समय भैरोंसिंह जी शेखावत को याद किये बिना नहीं रह सकता, उन्होंने किसानों की पक्के खालों की किश्त माफ की थी और कांग्रेस के समय मोगे बंद कर दिये, बारियां काट दीं और काश्तकारों की हालत बहुत ही दयनीय कर दीं, यह हकीकत है। सभापति महोदय, काश्तकारों की बारियां काट दी, मोगे बंद कर दिये और आज इनको किसानों की चिंता हो रही है। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं आलोचना पर जाऊंगा तो मेरा सारा टाइम जाता रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा।

श्री सभापति: आप तो सीधे-सीधे अपने गांव पर आ जाओ।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): समझ गया, समझ गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने पंजाब से नदी के माध्यम से गंदा जहरीला पानी फैक्ट्रियों का, सीवरेज का, यह पानी कम से कम दो-ढाई हजार क्यूसेक है, मैं नालों का नाम नहीं लूंगा, अलग-अलग नालों से, अलग-अलग जगह से सतलज नदी में यह जो जहरीला पानी आ रहा है, इसके संबंध में वार्ता करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक पंजाब सरकार अपने इस पानी को स्वयं की भूमि में कहीं लगाये, कैसे ही करे, अगर नदी में गिरेगा तो कैमिकल पानी से अलग हो नहीं सकता। चाहे आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा लो, चाहे कितना ही शुद्ध कर लो, पानी से कैमिकल अलग हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा इंजीनियर है तो सरकार बता दे। जो यह जीवनदायिनी नहर थी, आज वह हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और बाड़मेर के लिए मरणदायिनी साबित हो रही है। सभापति महोदय, आये दिन कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, बहुत ही विडंबना है। अगर समय रहते हुए सरकार ने इस पानी को रोकने की कोशिश नहीं की, तो मैं आज आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस बात को लेकर इतना भयंकर आंदोलन होगा जिसको संभालना कठिन हो जाएगा। सभापति महोदय, नहरों की देखरेख, आज से 30-40 वर्ष पहले नहर की पटरियों पर कार, जीप, मोटर साइकिल, साइकिलें चलती थीं, आज क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा यह उत्तर सुनने को मिलता है कि स्टाफ कम है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

बेलदार नहीं है, मेट नहीं है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि बेलदार और मेट की आवश्यकता नहीं है। आपके पास इतने आधुनिक यंत्र आ गये, जिससे आप नहर की पट्टियों को सुधार सकते हो। जैसे ट्रैक्टर के पीछे डोली वाला क्रावा, कम्प्यूटर क्रावा, जेसीबी, इतने आधुनिक यंत्र हैं, जिससे नहरों की मरम्मत की जाती है। एक किलोमीटर नहीं, पहले तो एक-एक किलोमीटर में बेलदार थे। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि 25 किलोमीटर में एक बेलदार पर्याप्त है, वह किसलिये? नहर के अंदर, पट्टी में कोई पेड़ अंकुरित हो तो उसको तुरंत काट दे, उसका इतना ही काम है। सभापति महोदय, अगर इसकी तरफ सरकार ने ध्यान दे लिया तो यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठेकेदारों को टेंडर देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ड्राइवर बढ़िया रखो, उनको चाहे तनख्वाह ज्यादा देनी पड़े। यह काम कोई मुश्किल नहीं है। सभापति महोदय, जैसे अब वर्षा है, पानी का एक गड्ढा हो गया तो सिंचाई विभाग के इंजीनियर लाखों, करोड़ों रुपये का टेंडर निकालेंगे, मिट्टी भरी, फिर बारिश आई, मिट्टी कट गयी, हवा चली, मिट्टी उड़ गयी। इसका तो कोई ठिकाना नहीं है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नहर के किनारे वन विभाग की सिंचाई की जो जमीन है, उस पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। पंजाब के अंदर भी हमारी बेशकीमती जमीन, जिसका हमने पंजाब को मुआवजा दिया है और वहां हमारी कालोनियों पर कब्जा है, रैस्ट हाउसों पर कब्जा है। करोड़ों रुपये की भूमि है और पंजाब सरकार हमें आंखें दिखा रही है। हमने मुआवजा दिया है। इतना ही नहीं, इस राजस्थान कैनाल के दोनों साइड, आप गजट निकालकर देख लो, कहीं आपकी दो किलोमीटर की पट्टी है, कहीं एक किलोमीटर की है, कहीं 200 फीट है। सभापति महोदय, इससे काश्तकार भयंकर परेशान है क्योंकि जो गजट है, उसका अंकन जमाबंदी में नहीं किया गया है। पटवारियों ने इंद्राज नहीं किया, इस कारण से जमाबंदी के अंदर रकबा राज की रिपोर्ट देखकर वह रकबा काश्तकारों को आबंटन करवा दिया। यह बीमारी जैसलमेर तक है। जमीन एक है, मालिक दो हैं। सिंचाई विभाग मालिक है, काश्तकार भी मालिक है। हजारों नहीं, यह लाखों बीघा जमीन है। बहुत बड़ी है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस नहर के किनारे जो जमीन है, वह बहुत कीमती जमीन है। उस पर अगर आप

(श्री रामप्रताप कासनियां)

काश्तकार को पेड़ों का आधा हिस्सा दे दें तो बहुत अच्छे पेड़ हो सकते हैं, जो इनकम देने वाले पेड़ हैं। जैसे किन्नू फ्रूट है, अमरूद है, टाली है, कैर है, पीपल है, आपको जो भी लगाना है, अगर आधा हिस्सा काश्तकारों को देंगे तो उसकी भूमि जितनी दूर में आती है, उसके बराबर उसको संभला दें, आपको रखवाली करने की आवश्यकता ही नहीं है। करोड़ों रुपये पानी की तरह बर्बाद हो रहे हैं, पौधे लगाने के नाम पर। नहर के किनारे बहुत अच्छे पौधे लग सकते हैं। पर्याप्त पानी है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, नदी से नदी जोड़ने वाली बात चली, यह बहुत ही उपयोगी योजना है। मैं वाजपेयी जी को याद किये बिना नहीं रह सकता। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि यह हिन्दुस्तान के लिये वरदान साबित हो सकती है, अगर नदी से नदी जुड़ गयी।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, हमने लोगों को इतना पंगु बना दिया कि हम पशुओं और मवेशियों को भी वाटर वर्क्स का पानी पिला रहे हैं। पूर्व में हमारे हर गांव में तालाब बने हुए थे। हर गांव में तालाब है, सब पर कब्जे कर लिये।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अगर समय रहते हुए सरकार इस तरफ ध्यान दे तो यह भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। कम से कम जितने मवेशी हैं, पशु हैं, उनको तो पानी जोहड़ के अंदर पिलाया जाए।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अठे ही रोड़ो पड़ जावे। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियां।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। आज मांग संख्या 46-सिंचाई और 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: आपको पहला वक्ता क्यों नहीं बनाते माननीय उप नेता महोदय?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): यह मेरे बस की बात है क्या?

श्री सभापति: आप जाकर कहो। आपके पुराने मित्र हैं, कब से पुराने मित्र हैं। भैरोंसिंह जी और आप साथ ही थे।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं नहीं कह सकता हूं। देखो, चिट तो लगी हुई रह गयी, एक भी नहीं पढ़ी।

श्री सभापति: ये आपकी योग्यता को नहीं समझते, मैं तो समझ रहा हूं।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं किसान परिवार से आती हूं और 2013 का इलेक्शन हारने के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे उस क्षेत्र में रहना चाहिए और वहां की पीड़ा को समझना चाहिए। पांच वर्ष के उस संघर्ष के दौरान अब 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद बहुत उम्मीदों के साथ इस सदन में प्रवेश किया, जैसे सभी सदस्यों ने किया है।

मेरी उन उम्मीदों के साथ उन किसानों की उम्मीदें, युवाओं की उम्मीदें, महिलाओं की उम्मीदें, हर वर्ग की उम्मीद जुड़ी हुई थी, जब मैंने इस सदन में प्रवेश किया। मैं हमारे सम्माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी करती हूं। जिन उम्मीदों के साथ हमने प्रवेश किया, जब वे उम्मीदें पूरी होने लगें तो और ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है और आशाएं बन जाती हैं। मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण सुन रही थी। चुनाव के दौरान किसानों की कर्जा माफी की बात कही गयी और सरकार आते ही कर्जा माफी की गयी। सरकार ने इन पांच वर्षों में बिजली की दरों को नहीं बढ़ाने का वादा भी किया। यह किसानों के लिये हितकारी है। ठीक इसी तरीके से जब मैंने उम्मीदों की बात की तो मेरे क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की बात थी या फिर मैं खेल जगत से आती हूं तो खेल स्टेडियम की बात थी, वे बातें भी हमारी पूरी हुईं। इसके साथ-साथ सिद्धमुख उप तहसील जो कि कांग्रेस की सरकार में उप तहसील बनी थी और आज उसे तहसील बनाया गया है तो कांग्रेस की सरकार में बनाया गया है।

मैं यहां पर कुम्भाराम लिफ्ट की भी बात करना चाहूंगी जो तारानगर के वंचित गांव को जोड़ने की बात भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही। सदन में, बजट में, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जब मुख्य मंत्री जी ने इस बात को जोड़ा तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों की उम्मीदें और ज्यादा मजबूत बंधी। सम्माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वे आम जनता के हित

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

के कार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सिद्धमुख कैनाल, जो कि उनके प्रथम कार्यकाल के दौरान सम्माननीय प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1989 में भिराणी हैड पर किया था। सम्माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रथम कार्यकाल था। यह सिद्धमुख नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है।

सभापति महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि लगभग तीस वर्ष हो चुके हैं और आज तक टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। यह किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है और वहां के क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत बड़ा दर्द भी है। मैं यहां पर आपको अवगत कराना चाहूंगी कि बारिश के मौसम में अच्छी बारिश हो तो वहां पर उन्नत किस्म के चने की खेती होती थी, मूंग की खेती होती थी और दो बारिश हो जाए तो बहुत ही उन्नत किस्म के गेहूं की भी खेती होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार बारिश की कमी के कारण भूमिगत पानी है नहीं, अगर है तो खारा पानी है। अब किसानों की आस है तो वह सिद्धमुख नोहर परियोजना है। पिछले दिनों नोहर में रैगुलेशन की बैठक हुई थी जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था। उस दौरान जब मेरी बातचीत हुई अधिकारियों से तो जो सिद्धमुख वितरिका बनी हुई है सिद्धमुख क्षेत्र के लिए राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बीच में जो पानी आने के लिए बनी है, उसकी क्षमता है 112 क्यूसैक और रैगुलेशन के समय तय पानी जो हमें मिलना था वह 82 क्यूसैक था। नोहर रैगुलेशन की जब मीटिंग थी, उस दौरान मीटिंग में मैंने पूछा कि हमें कितना पानी मिलेगा। पानी की कमी की वजह से अधिकारियों ने बताया कि 72 क्यूसैक पानी आपको अभी मिलना चाहिए, हमें मिल रहा है अधिकारियों की तरफ से, बड़े अफसोस की बात है कि वह 72 क्यूसैक पानी जा कहां रहा है, जब सिद्धमुख एरिया में नहीं आ रहा है? यह मेरा सवाल है। गंभीर स्थिति बन जाती है। संघर्ष के दौरान जब पांच वर्ष मैंने उस क्षेत्र में निकाले, किसानों ने मुझे अवगत कराया कि कोई एक ऐसा अधिकारी भी आया था जो पानी पहुंचाना चाहता था। जब वह गश्त पर होता था तो उसके हाथ काटने की कोशिश की गयी थी। इस 72 क्यूसैक पानी के लिए मैंने चूरू कलेक्टर से भी बातचीत की कि हमें जाप्ता लेने की जरूरत है या अधिकारियों को बातचीत करने की जरूरत है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया हनुमानगढ़ कलेक्टर से भी बातचीत करने का। मैंने चूरू एसपी से भी बात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया हनुमानगढ़ एसपी से बात करने का। मैंने खुद ने भी फोन पर वार्ता की हनुमानगढ़ से आने वाले एसपी से

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

लेकिन स्थिति और हालात काफी गंभीर हैं। जब भी सिद्धमुख वितरिका में पानी आने की बारी आती है तो चाहे वह रेजड़ी, गालड़, रजपुरिया, ढाणी छोटी, तांबाखेड़ी और भीमसाना के किसान खुद वितरिका पर पहुंचते हैं और आप समझ सकते हैं कि इस गंभीर स्थिति में वहां पर कैसे हालात बनते होंगे? रात के समय खुद किसान मुझको फोन भी करते हैं। मैंने खुद ने भी उस नहर की विजिट की है।

मैं यहां पर आपको अवगत कराना चाहती हूं कि 72 क्यूसैक पानी तो छोड़ा जाता है, वह पानी कहां जा रहा है? मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं और मैं जवाब भी चाहूंगी। आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगी कि हनुमानगढ़ जिले से चूरू जिले की तरफ जो नहर आती है, उसका जो तल है, वह ऊंचा उठा हुआ है। एक मेरी मांग यह भी है कि उसका अच्छे से लेवल लेकर उस नहर का कार्य किया जाए ताकि किसानों को पानी मिल सके। इस परियोजना से राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 14 गांवों को फायदा मिलने वाला था। बड़े खेद की बात मैं बताना चाहूंगी कि गर्मियों के अंदर पीने के पानी की समस्या तो है ही, मवेशियों के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है। उस दौरान हाथ-पैर जोड़े जाते हैं कि जोहड़ों में पानी डालने दीजिए ताकि हमारे मवेशी प्यासे न मरें। वहां पर हिरण काफी तादाद में हैं, रोजड़े काफी तादाद में हैं और गर्मियों के समय इतने बुरे हालात वहां पर हो जाते हैं कि पशु मरने की हालत में पहुंच जाते हैं। जमीन में पानी नहीं, जमीन बंजर पड़ी है। किसानों के पास कोई और रोजगार नहीं है। अपने खेत में उगे हुए खेजड़ी के पेड़ों को काटकर कुछ दिन गुजारा किया। आज उस क्षेत्र से निकलते हैं जहां पर इतनी उपजाऊ भूमि है जिसमें जिप्सम की भी मात्रा है, वहां पर आज रूखड़े खड़े हैं। बुई-बोझे खड़े हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): सभापति महोदय, पहली बार सदन में आ रही हूं और अपने क्षेत्र का मुद्दा उठा रही हूं। प्लीज़ मैं दो मिनट का समय और लेना चाहूंगी। बड़े शर्म की बात है कि आज तक उस क्षेत्र के लिए जो बाराबंदी होनी चाहिए थी, न चकबंदी हुई, न मुरब्बाबंदी हुई और न ही बाराबंदी करके किसानों को उनके हिस्से का जो पानी मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। यह भी मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से है। अल्प बारिश होने की वजह से वहां के क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की समस्या है। जैसा कि मैंने

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

बताया अगर प्रशासन अपनी इच्छाशक्ति से वहां पर काम करे तो सिद्धमुख गांव में पानी को संग्रह करके 15 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था भी सुधारी जा सकती है। मैं यहां पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं। बहुत सारे साथियों को बोलते हुए मैंने सुना और बारबार अपनी सरकार की बड़ाइयां कर रहे थे हमारे बीजेपी के साथी। मैं अवगत कराना चाहूंगी रावला, घड़साना, टोंक और सोयला का वह कांड। आप कह रहे थे कि बिल्ली सौ चूहे खाकर हज को चली। आपको तो यह बताना चाहिए कि आपने उस गोलीकांड में किनको खाया था।

साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि नहरों को जोड़ने का जो वादा करके आप 2014 में केन्द्र में आए थे, जो वादा आपने लाखों-करोड़ों किसानों से किया था, वह वादा कहां तक पहुंचा है? और आने वाले पांच वर्षों में क्या करेंगे? गलती एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, तीसरी बार में किसान वर्ग आपको माफ नहीं करेगा। यह मैं जरूर कहना चाहती हूं। आपने कहा कि वाजपेयी जी को अगर मौका मिल जाता तो नहरें जोड़ सकते थे। आज दूसरी बार मोदी जी को मौका मिला है। आपसे इस संवेदशनील व महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं कहना चाहती हूं आप अपनी सरकार में पैरवी कीजिए कि नहरों को जोड़ा जाए, जिस वादे के साथ आप केन्द्र में आए हैं।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): सम्माननीय, मेरी एक मांग मैं रख देती हूं। चकबंदी, मुरब्बाबंदी करके जल्दी से जल्दी बाराबंदी की जाए। गालड़ रेजड़ी माइनर और रजपुरिया ढाणी छोटी तक का जो टेल पाइंट है, उनमें उगे हुए झाड़झंकाड़ों की सफाई की जाए। मिट्टी भरी हुई है उस माइनर के अंदर। जो 72 क्यूसैक पानी सिद्धमुख वितरिका के अंदर आना चाहिए, वह पानी निर्धारित करके, मैं पीछे का पानी नहीं चाहती हूं। अधिकारियों का ही कहना है कि आपके हिस्से में 72 क्यूसैक पानी है। इसका मतलब 72 क्यूसैक पानी भीराणी माइनर में आ रहा है, वह हमें मिलना चाहिए। चौथा, मैं कहना चाहती हूं कि सिद्धमुख तहसील में पानी संग्रह करके 15 गांव की प्यास भी बुझाई जाए। यह मेरी मांग है माननीय मंत्री जी से। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 एवं 38 सिंचाई एवं लघु सिंचाई के विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। राज्य का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.45 प्रतिशत है, जबकि सतही जल मात्र 1.16 प्रतिशत है। राज्य की औसत वर्षा 531 मिलीमीटर है जबकि रेगिस्तानी जिलों में मात्र 150 से 300 मिलीमीटर है। राज्य में कुल औसत सतही जल उपलब्ध 25.38 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वित्तीय रूप से उपयोगी जल उपलब्धता 16.05 डीसीएम है। राज्य में 45.55 डीसीएम जल के संग्रहण हेतु संरचना बनाई जा चुकी है। राज्य में सतही जल का एक बड़ा हिस्सा अन्तरराष्ट्रीय समझौते से प्रस्ताव होता है जिसमें मुख्य रावी-ब्यास समझौता, माही समझौता, चम्बल समझौता, नर्मदा समझौता से प्राप्त होता है। ये समझौते राजस्थान के लिए अभी पूर्णतया प्रभावित नहीं हो पाए हैं।

मैं मेरे क्षेत्र करौली की कुछ समस्याओं के बारे में बोलना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मासलपुर तहसील करौली जिले की, डांग क्षेत्र की सबसे बड़ी और उपेक्षित तहसील है। सम्पूर्ण डांग एरिया में जल स्तर बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गया है। इस क्षेत्र में कुए और ट्यूबवैल सूख गये हैं। इस क्षेत्र की एकमात्र प्रस्तावित योजना गदेखार एनीकट है। इससे इस क्षेत्र के आसपास के गांवों के 52 तालाबों में पानी पहुंच सकता है। अगर सरकार इस गदेखार एनीकट को स्वीकृति देती है तो यह परियोजना इस क्षेत्र की इंदिरा गांधी नहर परियोजना साबित होगी। इससे पूर्व गदेखार एनीकट के रिमोटिंग एवं डाइवर्जन चैनल का 2 करोड़ 95 लाख 35 हजार 800 रुपये का तखमीना प्रस्ताव कार्यालय अधिशासी अभियंता द्वारा 24 अगस्त, 2016 को अधिशासी अभियंता, जल संसाधन वर्तमान जयपुर भेजा था। कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन, संभाग जयपुर के पत्र क्रमांक 1617 दिनांक 09.11.17 के पत्र में यह जवाब दिया कि उक्त एनीकट उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। उक्त एनीकट की तखमीना प्रस्ताव की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। इस प्रस्ताव से मासलपुर तहसील के आस पास के गांवों में 52 तालाबों में पेयजल की योजना खटाई में पड़ गयी। अभी वर्तमान में मासलपुर तहसील के कुए व ट्यूबवैलों में जल स्तर कम होने से पानी की भयंकर समस्या है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिलवाकर इसको स्वीकृत कराया जाए। करौली एवं पूर्वी राजस्थान के कई

(श्री लाखन सिंह)

जिलों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहां पर पास से चम्बल नदी निकलती है और हमारे यहां पर एक पांचना बांध है। 1997 में पांचना बांध नहर परियोजना का निर्माण कराया था और यह 2003 में पूरा हो गया। 2003 से 2005 के बीच में यह चलाया गया और 2006 से बंद है, 9 साल बंद हुए हो गये। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पांचना बांध का पानी रोका गया है, यह विवादित है। दो समुदायों का विवाद होने के कारण इसको रोका गया है। पानी भरा रहता है। मेरा निवेदन है कि जो चंबल का पानी जाता है, बरसात में वेस्ट पानी बहकर जाता है, वहां पर एक लिफ्ट योजना बनाई जाए। यह पानी चंबल से पांचना में डाला जाए। पांचना से लिफ्ट करके आगर बांध, जगर बांध में, लोगों ने इसको रोक रखा है, हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुनकर, उनकी समस्या सुनकर, समाधान करे। वह जिस तरह से लिफ्ट द्वारा पानी मांगते हैं उनको भी पानी दिया जाए।

हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, कोई भी सरकार आई हो, लेकिन हमारी समस्या को नहीं सुना गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह विवादित है। इस विवाद में अगर आंदोलन हुए तो यह सरकार को भारी हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समस्या का समाधान किया जाए और इस लिफ्ट योजना से पानी दिया जाए।

पहले भी एक योजना बनाई थी। पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पहले जो योजना बनाई थी उसमें भी, अभी रामकेश जी ने बताया, रामेश्वर घाट पर, यह 1988-89 की योजना है। इस योजना का सर्वे भी हो गया था। यह था कि यह नहर निकलने वाली है लेकिन सारा सर्वे होने के बाद भी वह खटाई में पड़ गया। सर्वे में सरकार का पैसा लगा।

आज ईस्टर्न कैनाल योजना है। अगर ईस्टर्न कैनाल योजना होती है तो इस एरिया के लिए जीवनदायिनी योजना होगी, पानी आएगा। पूर्वी राजस्थान में आज पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। डांग क्षेत्र में तो गर्मियों के दिनों में लोग पलायन कर जाते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से यह योजना बनाई जा रही है, केन्द्रीय योजना है और केन्द्र के लिए सरकार भी सहयोग करे। यहां से लिखकर भेजे।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने

(श्री लाखन सिंह)

भी इस योजना का जिक्र करके बजट को केन्द्रीय योजना के रूप में दिया है। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि हमारी जो यह समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। मैं मंत्री जी से भी यही निवेदन करूंगा। जय हिन्द, जय भारत, जय भीम।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, कोटा ज़िले की रामगंज मण्डी तहसील का एक निर्माणाधीन ताकली बांध है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 2006 में हुई थी, जो 51 करोड़ की लागत का था। 2016 में रिवाइज प्रशासनिक स्वीकृति 285 करोड़ की हो गयी। माननीय सभापति महोदय, इसका काम रुका हुआ है। 51 करोड़ रुपये लगने के बावजूद भी बांध का ढांचा ऐसे के ऐसे ही खड़ा है। उस पर कोई काम नहीं हुआ है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें, आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): काम नहीं होने का कारण, वहां के निवासी, जिनकी डूब क्षेत्र में जमीन गयी है, गांव गये हैं, वह लगभग सात गांव हैं। वह मुआवजा मांग रहे हैं और वाजिब मुआवजा मांग रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमको हमारे मकानों का मुआवजा दिया जाए। सरकार कहती है कि आपके मकानों का मुआवजा इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि सरकारी जमीन है। मैं मानता हूं कि सरकारी जमीन है, पर पूरे राजस्थान में 2008 में सरकार ने पट्टे देने की बात कही थी, कि जो वर्षों से, सौ-सौ साल से भी ज्यादा समय से लोग रह रहे थे उन सबको पंचायती राज से पट्टा देना था लेकिन उनको पट्टा नहीं दिया, सरकार ने मना कर दिया। यह कहा कि यहां तो ताकली बांध का निर्माण होगा और यह डूब में आ जाएगी इसलिए आपको पट्टा नहीं देंगे। उस समय पट्टा नहीं दिया और अब कहते हैं कि सरकारी जमीन है, अब आपको मुआवजा भी नहीं देंगे। अब वह लोग कहां जाएंगे? सैकड़ों की संख्या में, मेरा अनुमान है कि लगभग 1100 से ऊपर ऐसे परिवार होंगे जिनको यह मकानों का मुआवजा नहीं देना चाहते। वह लोग इसीलिए कहते हैं कि हम निर्माण जब ही करने देंगे जब हमारा मुआवजा मिलेगा। मेरी सरकार से मांग है कि मुआवजा दे। यदि इनको सबको शामिल करेंगे तो मेरा अनुमान है कि 30-35 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। उसके बदले लगभग 300 करोड़ रुपये हम निर्माण में लगाकर, ढांचा खड़ा कर, इतना तो उसका ब्याज भी नहीं बनता।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, 2006 से उनके साथ ज्यादती क्या हो रही है, डूब क्षेत्र में आएंगे यह संभावना है और आ गये हैं। इस कारण से उनके यहां सड़क भी नहीं बन रही है। उनके यहां ट्यूबवैल भी नहीं खुद रहा है। उनके यहां नरेगा का काम भी नहीं हो रहा है। सारा बैन किया हुआ है। वह जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। सरकार ने उनको पशुओं से भी बदतर समझ रखा है। सात गांव के हज़ारों लोग, आज जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि तुरंत ही, कलेक्टर की मध्यस्थता में, मैं भी उसमें था, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी थे, उसमें यह तय हुआ था कि इनको मुआवजा दे दिया जाए। मुआवजे के बाद जो इनके मकान हटेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको आवास दे दिया जाए। इनके जानवर बांधने के लिए ग्रामीण विकास की योजना है, उसके अंदर इनको कैटल शेड का पैसा दे दिया जाए। मैं समझता हूं कि वह सब लोग एग्री हैं, वह लेना भी चाहते हैं। यह सारा प्रस्ताव बनकर मुझे लगता है अभी मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है। मंत्रिमण्डल को तुरंत इस पर विचार करके स्वीकृति देनी चाहिए। इससे करीब 31 गांवों के लोगों को सिंचाई का पानी मिलेगा। हज़ारों हैक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी और लगभग 60 गांवों को पेयजल उपलब्ध हो सकता है, जो रिचार्ज होगा उसके कारण से। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको शीघ्र स्वीकृति देनी चाहिए। इसमें आपको ज्यादा किन्तु-परन्तु करने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, वह लोग परेशान हो गये हैं। आज तो उन्होंने मुझे फोन किया, दिलावर जी, अगर ताकली बांध नहीं बना सकते हो तो हमें आत्मदाह करने की छूट दे दो। आत्मदाह करने पर उतारू हैं। रणजीत सिंह गुर्जर जो सारनखेडी के हैं, केसरी राव जी हरीर, जो सारनखेडी के हैं, गौरीशंकर जी महात्मा, भगवान सिंह जी जो वहां के प्रधान हैं पंचायत समिति के, छोटी लाल जी सैनी जो सारनखेडी के हैं, इन लोगों ने कहा है कि अविलम्ब अगर इसका काम प्रारम्भ नहीं किया तो हम आत्मदाह कर लेंगे, अपनी जान दे देंगे। उनका कहना है कि हम हमारे बच्चों को बिलखते हुए नहीं देख सकते, भूखे नहीं देख सकते। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। वह क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, यह मुआवजा देते नहीं हैं। उनको हटाने की बात कर रहे हैं। कभी तोड़ने की धमकी देते हैं। कभी एडीएम पहुंच जाता है, कभी कौन पहुंच जाता है।

(श्री मदन दिलावर)

मेरा निवेदन है कि इनको पैसा देना चाहिए। ताकली बांध का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो, 2006 से यह काम अटक रहा है। हम सब इस आशा के साथ बैठे हैं कि हमारे खेतों में कब पानी आएगा। कब उपज होगी। हमारे बच्चों की शादी हम कब करें। वहां सैकड़ों युवा कुंवारे रह गये, कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि आपके यहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है, खरंजा नहीं है। आपके यहां गंदगी के अलावा क्या है, आपको क्यों अपनी लड़की दें? इसलिए सैकड़ों युवा कुंवारे हैं। सभापति महोदय, यह कोई मजाक का विषय नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं।

इन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया तो मैं आपको विधान सभा में कह रहा हूं कि मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। इनको मरने नहीं दूंगा, अगर यह मरेंगे तो मैं भी मरूंगा। परन्तु मैं चाहता हूं कि यह भी न मरें और मैं भी इस विधान सभा में रहूं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इसकी स्वीकृति दिला दें। मेरा हाथ जोड़कर इस सरकार से निवेदन है। इसमें आपका क्या जा रहा है, जनता का पैसा है।

श्री सभापति: भगवान आपको लंबी आयु दे, यही शुभकामना है। अब आप विराज जाओ, काहे को मरने-मारने की बात कर रहे हो। विराजो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अभी मेरे दो-तीन मिनट बाकी हैं। सभापति महोदय, रामगंज मण्डी क्षेत्र में अमझार नदी बहती है, पाटली नदी बहती है, आहू नदी बहती है।

श्री सभापति: मैं तो इसलिए कह रहा हूं मरने-मारने की बात मत करो भाई।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह नदियां सिकुड़ती जा रही हैं। इन पर कब्जे हो रहे हैं। 12 महीने बहने वाली यह नदियां अब गर्मी में सूखने लग गयी हैं। आहू नदी से तो पूरे सुकेत को पानी मिलता है। मैं चाहता हूं कि पानी की आवक के रास्ते हैं, उनको क्लीयर किया जाए। कोटा स्टोन का मलबा अमझार नदी में डालने का प्रयास हो रहा है, काफी डाल भी दिया गया है, उसको भी रोका जाए। उसकी सफाई कराई जाए।

अमझार नदी, पाटली नदी, आहू नदी पर छोटे-छोटे डैम या छोटे-छोटे एनीकट बनाए जाएं ताकि पानी रिचार्ज भी होगा।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। उस क्षेत्र के लोग भी सरसब्ज होंगे। मेरा निवेदन है कि ताकली बांध को तो तुरंत प्रारम्भ किया जाए। वहां डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। ऐसा मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। नमस्कार।

श्री सभापति: पांच बजे मुखबन्द किया जाएगा, इसलिये सभी वक्ता समय का आवश्यक रूप से ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, छह बजे के लिए माननीय अध्यक्षजी से मैंने प्रार्थना की थी, उन्होंने कहा ...(व्यवधान) अगर आपकी कृपा हो जाए।

श्री सभापति: माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से निर्देश हुआ है, मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि पांच बजे मुखबन्द किया जाएगा। श्री अमित चाचाण।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमारी प्रार्थना भी आप वहां तक भेज दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 और 38 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानते हुए अगर सच्चे रूप में किसी ने काम किया, सच्चे रूप में किसी ने सेवा की तो वह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वह कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जिन्होंने किसान को भगवान माना और अपने अन्नदाता को हर तरह से सुविधा देने का काम किया।

अशोकजी गहलोत बहुत चिंतित हैं और यह कितनी गम्भीरता का विषय है, यह इस बात से पता चलता है कि पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टेन अमरेन्द्रसिंहजी और उच्च अधिकारियों से वार्ता की, जो हमारे राजस्थान के विभिन्न जिलों की जो वर्षों से लम्बित जल समस्याएं थीं, उनका समाधान करने का उनके द्वारा पुरजोर प्रयास किया जा रहा है।

सदन में बार-बार यह मांग उठती जा रही थी कि पंजाब के माध्यम

(श्री अमित चाचाण)

से राजस्थान में जो दूषित पानी आ रहा है, जो कैंसर के रूप में राजस्थान में फैल रहा है, उसको रोकने का प्रयास माननीय अशोक जी गहलोत कर रहे हैं।

विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा। राजसमन्द से आने वाली सदस्या ने अभी कहा और उनके भाषण में मुझे विरोधाभास दिखा। उन्होंने एक तरफ कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नहरें 50 वर्ष पुरानी हो गयी हैं। राजस्थान में जो नहरें बनीं, उनको 50 वर्ष से अधिक हो गये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस ने काम नहीं किया तो 50 वर्ष पहले राजस्थान में नहरें कहां से आ गयीं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सीमेन्ट का एक कट्टा तक नहीं लगाया। शायद वे भूल गये कि पिछले 28 वर्षों में 18 वर्ष तो आपने राज किया। अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया तो आपने 18 वर्ष तक क्या किया। आपने 18 वर्ष तक उन नहरों का पुनर्निर्माण करने का काम क्यों नहीं किया, सीमेन्ट का कट्टा लगाने का काम क्यों नहीं किया?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से वे 2018-19 के बजट के बारे में बार-बार बता रहे थे, मोदीजी की घोषणाओं के बारे में बता रहे थे, शायद वे यह भूल गये कि उनका 2018-19 का बजट तो चुनावी बजट था लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो यह बजट घोषित किया है, वह इनका पहला बजट है। पांच साल हमारे पास हैं और क्षेत्र की जो भी समस्याएं चिह्नित की गयी हैं, उन एक-एक समस्या को माननीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में दूर किया जाएगा क्योंकि समस्याओं के बारे में वे ही जान सकते हैं, वे ही दूर कर सकते हैं जो क्षेत्र में रहे, जनता की बात सुने, आमजन, किसान, मजदूर से सुने। लंदन में रहकर क्षेत्र की समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता, माननीय सभापति महोदय।

मैं कुछ मेरे क्षेत्र की समस्या बताना चाहता हूं। हमारे भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी बताया कि नोहर और भादरा को, जो तीन प्रणाली हैं, नोहर फीडर, अमरसिंह बैराज और सिद्धमुख नहर, काफी समय से हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में 35 प्रतिशत इनके हिस्से का पानी हमें कम मिला है, जिसकी वजह से हमारे किसानों की दुर्दशा हो रही है।

(श्री अमित चाचाण)

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सादुलपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने भी बताया कि हमारे हिस्से का पानी कहां जा रहा है? मैं भी आश्चर्यचकित रहा कि जब सलाला वितरिका पर विधायक बनने के बाद, सर्दी के दिनों में 12 घण्टे गश्त की, गर्मी में 12 घण्टे गश्त की, तब जाकर मैंने महा भयानक तंत्र देखा। मैंने तो बजरी माफिया सुना था, मैंने तो शराब माफिया सुना था, मैंने तो भू माफिया सुना था, लेकिन जब मैं उस नहर पर गश्त पर गया तो पहली बार देखा कि किसानों के हक का पानी चोरने के लिए पानी माफिया पनपा हुआ था। वह पानी माफिया एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, दो महीने में नहीं, काफी वर्षों से पनपा हुआ था क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। आप अधिकारियों को तो दोष देते हैं लेकिन अपने गिरहबान में नहीं झांकते कि एक किसान का चूल्हा जलाने के लिए हमने हजारों किसानों के चूल्हे बुझाने का जो काम किया, वह राजनीतिक संरक्षण की वजह से हुआ।

मैंने उस नहर में देखा कि ऐसे-ऐसे पम्प-सैट बन चुके थे, ऐसी-ऐसी पाइप लाइनें बन चुकी थीं कि किसी ने अपने खेत में पानी ले जाने के लिए नहीं, बल्कि 20-20 किलोमीटर दूर उस पानी को प्रति घण्टे के रूप में बेचा जा रहा था। ऐसा घिनौना काम उस क्षेत्र में जाकर मैंने देखा। मैं तो धन्यवाद देता हूं भादरा से आने वाले सदस्य को, उन्होंने और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान हमारे लिए एक बराबर हैं, चाहे वह नोहर का किसान हो, चाहे वह भादरा का किसान हो, चाहे वह सादुलपुर का किसान हो। किसान के हक की लड़ाई करेंगे और अगर एक किसान का पानी दूसरा किसान चोरता है तो हम उसका पक्षपात नहीं करेंगे। हमने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा कि अगर कोई भी पानी चोरी करता हुआ पाया गया तो उस पर पूर्ण रूप से कार्यवाही करें, उसको दंडित करें, जिससे कि पानी की चोरी रुक सके और टेल पर रहने वाले किसानों को पानी मिल सके। मैं आपके माध्यम से यह सब बताना चाहता हूं।

मैं आपको बताना चाहता हूं 2015 में मेरे नोहर उपखण्ड में भा.ज.पा. वालों ने एस.ई. कार्यालय का उद्घाटन किया, बहुत-बहुत वाहवाही लूटी कि हम यह कर देंगे लेकिन पांच साल गुजरने के बाद आज भी समस्या ज्यों की त्यों है। उन्होंने पद तो सृजित कर दिया लेकिन वहां किसी एस.ई. को लगाया नहीं, कोई अधिकार नहीं दिया। एक्स.ईएन. के पास ही अधिकार है।

(श्री अमित चाचाण)

आज भी हमारे क्षेत्र के किसान 80 किलोमीटर दूर जाकर, हनुमानगढ़ उनको जाना पड़ता है, यह भी बड़ी विडम्बना की बात है।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे नोहर और भादरा के 28 गांव असिंचित क्षेत्र में हैं। बड़ी विडम्बना की बात तो यह है, माननीय सभापति महोदय, उन गांवों के चारों तरफ पानी पहुंचने के बाद, वे बीच में गांव वाले परेशान हैं। उनको पानी नहीं पहुंच रहा है। किसान की क्या हालत होती होगी, जब वह देखता होगा कि पड़ौस में तो पूरी भूमि सिंचित है और उसका खेत, जो पांच बीघा, 10 बीघा असिंचित है, दो टाइम का अनाज तक वह नहीं उगा सकता। यह बड़ी विडम्बना की बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार उनका सर्वे करवाकर 28 गांवों को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे।

श्री अमित चाचाण (नोहर): दो मिनट, सर।

एक हमारी सूई ब्रांच के तहत बहुत बड़ी विडम्बना की बात है, 2005 की तत्कालीन भा.ज.पा. सरकार ने, जब इन्दिरा गांधी नहर से छह लिफ्ट कैनालों का, तीन लाख हैक्टेयर भूमि के लगभग अनकमांड किया गया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सारा लिफ्ट का एक लाख 48 हजार हैक्टेयर भूमि अनकमांड की गयी। उसमें से भी 68 हजार हैक्टेयर भूमि सिर्फ सूई ब्रांच की काट दी गयी। जो निर्माणाधीन नहर थी, उसको वहीं रोककर उन किसानों के साथ कुठाराघात किया, जो किसान चाहते थे कि हमें कुछ समय में पानी मिल जाएगा, उन किसानों के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार इस भा.ज.पा. राज ने किया।

तीसरा, मैं कहना चाहता हूं, एटा सिंगरासर के भी, हमारे नोहर के, लूणकरणसर के, पीलीबंगा के और सूरतगढ़ के काफी गांव आज भी असिंचित क्षेत्र हैं, जो कि इन्दिरा गांधी नहर के सबसे नजदीक होने के बावजूद हमारे किसानों का पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर जितने भी गांव असिंचित हैं, उनको पानी दिया जाए जिससे कि प्रत्येक किसान के खेत में अगर पानी पहुंच गया तो हमारा क्षेत्र, हमारा राजस्थान विकास के नये आयाम स्थापित करेगा, विकास की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर होगा। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री महादेव सिंह खण्डेला।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): सभापति महोदय, मांग संख्या 46-सिंचाई, मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, राज्य का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.45 प्रतिशत है, जबकि सतही जल मात्र 1.16 प्रतिशत है। राज्य की औसत वर्षा 531 मिलीमीटर है, जबकि रेगिस्तानी जिलों में मात्र 150 से 300 मिलीमीटर तक है। राज्य में कुल सतही जल उपलब्धता 25.38 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वित्तीय रूप से जल उपलब्धता 16.05 बी.सी.एम. है। राज्य में 14.55 बी.सी.एम. जल के संग्रहण हेतु संरचनाएं बनाई जा रही हैं।

सभापति महोदय, राज्य में सतही जल का एक बड़ा हिस्सा अन्तरराज्यीय समझौते से प्राप्त होता है, जिसमें मुख्यत: रावी-ब्यास समझौता, माही समझौता, चम्बल समझौता, नर्मदा समझौता, इनसे प्राप्त होता है।

सभापति महोदय, राज्य 295 भू-जल ब्लाक्स में विभाजित है, जिसमें से 45 ब्लाक्स सुरक्षित हैं जबकि 184 ब्लाक्स अति दोहित हैं। राज्य में भू-जल दोहन एवं पुनर्भरण का प्रतिशत 140 है, जो कि अति दोहित है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में कुल 257 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य है जिसमें सतही एवं भू-जल से केवल 111 लाख हैक्टेयर सिंचित होता है, जिसमें सतही जल से केवल 42.34 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है जबकि भू-जल से 68.74 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है, जिससे स्पष्ट है कि सिंचाई हेतु भू-जल पर निर्भरता बहुत अधिक है जबकि भूजल की स्थिति दयनीय है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान फीडर एवं सरहिंद फीडर की मूल प्रवाह क्षमता पुन: स्थापित करने हेतु हमारी सरकार ने पंजाब एवं भारत सरकार के साथ आई.जी.एन.पी. नहर के जीर्णोद्धार हेतु एम.ओ.यू. किया है इससे सीपेज के नुकसान में कमी से जल की बचत होती है और आगामी पांच सालों में अंतिम छोर तक किसानों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इस योजना हेतु 1976 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से एक वर्ष में रुपये 220 करोड़ 37 लाख खर्च होंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना द्वारा 22 हजार 831 हैक्टेयर वाटर लोस एरिया सेम क्षेत्र को पुन: कृषि योग्य बनाने के लिए रुपये 207 करोड़ का प्रावधान रखा

(श्री महादेव सिंह)

गया है। साथ ही, इससे पाकिस्तान में जा रहे हमारे पानी को रोकने का प्रयास भी हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत अब 13 जिलों- भरतपुर, धौलपुर, टोंक, पाली, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में 29 सिंचाई उप परियोजनाओं हेतु रुपये 262 करोड़ 40 लाख के जीर्णोद्धार के कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कुल 211 बड़े बांध हैं जिनके जीर्णोद्धार, आधुनीकरण एवं सुरक्षा प्रावधानों हेतु बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना डी.आर.आई.पी. के प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजे जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल रुपये 985 करोड़ का व्यय होना संभावित है जिसके लिए बाह्य सहायता प्राप्त की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए इस वर्ष 21 जिलों- बूंदी, बारां, कोटा, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली, सिरोही, नागौर, करौली, सीकर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, अजमेर एवं अलवर में रुपये 571 करोड़ के 55 कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, आई.जी.एन.पी. के द्वितीय चरण में नाबार्ड से वित्त पोषण से रुपये 179 करोड़ का व्यय किया जाएगा, इसके तहत शहीद बीरबल शाखा प्रणाली में 368 किलोमीटर लंबाई के कार्यों से जैसलमेर तहसील के 25 हजार किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही दातौर, नाचना, अवाई, साकड़िया एवं मुख्य नहर से निकलने वाली सीधी नहरों की 480 किलोमीटर की लंबाई के कार्य के तहत तहसील बीकानेर के खाजूवाला, कोलायत एवं जैसलमेर के 25 हजार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी।

इस वर्ष सिंचाई प्रणालियों के रख-रखाव एवं बेहतर प्रबंधन हेतु 2 हजार कार्मिकों की भर्ती की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। न तो वहां पर सदा बहने वाली नदियां हैं, बरसात में कभी तो अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है तो

(श्री महादेव सिंह)

कभी असामयिक वर्षा होती है। शुक्र है भगवान का कि आज तीन दिन से लगातार बरसात हो रही है। किसानों के चेहरों पर रौनक है और मुझे यह उम्मीद है कि अबकी बार फसल भी ठीक होगी। लेकिन जो हालात इस समय बने हुए हैं, हमारे इलाके में पीने का पानी भी नहीं है, सिंचाई की तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जमीन का जल स्तर हजार से पन्द्रह सौ फुट तक नीचे चला गया है। पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है तो कोटड़ी लघु सिंचाई परियोजना शीघ्र स्वीकृत करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आपके कार्यकाल में कोटड़ी बांध परियोजना वर्ष 2013 में स्वीकृत हुई थी। परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 31 PPC, 3 SOF, दिनांक 06.09.2013 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गयी थी परंतु सरकार बदल जाने के कारण परियोजना का बजट अधिग्रहण कर निरस्त कर दिया गया था।

माननीय सभापति महोदय, उक्त कोटड़ी लघु सिंचाई परियोजना की लागत बढ़कर 35 करोड़ हो गयी है जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन, संभाग-जयपुर द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2019-20 में सम्मिलित सूची क्रम संख्या-6 पर अंकित कोटड़ी लघु सिंचाई परियोजना 35 करोड़ के निर्माण से लगभग 600 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र सृजित होगा जिससे क्षेत्रीय किसानों को लाभ पहुंचेगा एवं आस-पास के लगभग 20-25 गांवों में पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, कोटड़ी लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र ड्राई जोन है इससे क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ेगा अत: माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोटड़ी लघु सिंचाई परियोजना को पुन: स्वीकृति प्रदान कर अनुगृहीत करने की कृपा करें एवं विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में छोटे-छोटे एनीकट का निर्माण करवाने की कृपा करें जिससे भूमि का जल स्तर ऊपर आए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46-सिंचाई एवं मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

(श्रीमती कल्पना देवी)

माननीय सभापति महोदय, मैं सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा जो कि कोटा जिले में है, उस पर बात करती हूं। इसकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विविध हैं और इस divers topography में पथरीला शहर भी है, नदियां भी हैं और जंगल भी है। इस divers topography में सबसे पहले मैं मण्डाना क्षेत्र के बारे में बात करती हूं। यह क्षेत्र डार्क जोन डिक्लेयर्ड है। यहां का जो भू-जल स्तर है वह 700 फीट से 1000 फीट तक नीचे आ चुका है। यहां पर पानी का कोई सोर्स भी नहीं है, केवल एक मात्र चम्बल नदी है, जहां से हम मण्डाना को पानी पहुंचा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें एक और समस्या है कि यहां पर अधिकतम जो इलाका है वह वन विभाग में आता है, जिसकी वजह से पानी की जो भी हम योजनाएं लाते हैं उनको वहां तक पहुंचाने में भी बहुत दिक्कत आती है।

मुझसे पूर्व जो विधायक रह चुके हैं उनके लगभग 20-22 साल के प्रयासों के बाद वहां पर पीने का पानी पहुंचाया गया है, परंतु सिंचाई का पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया और उसके लिए आज तक हमारे किसान राह देख रहे हैं। अगर हम किसी भी योजना के माध्यम से वहां पर सिंचाई का पानी पहुंचा दें तो वहां के किसान जो अभी सिर्फ एक फसल कर पा रहे हैं, वह भी बारिश के पानी पर निर्भर होकर, एक और फसल कर पाएंगे जिससे उनकी जो भी दिनचर्या है, उनके परिवारों को बहुत लाभ मिलेगा। इसके फलस्वरूप क्षेत्र के किसानों के दैनिक जीवन और परिवार में खुशहाली आएगी और पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में आलनिया डैम भी है। इसका निर्माण 1961-62 में हुआ था। इसका कमांड एरिया 7,800 हैक्टेयर का है। यहां से नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है और यह नहर लगभग 41 विलेजेज से होते हुए बृज नगर तक जाती है। यह नहर जगह-जगह से टूटी हुई है और बहुत जर्जर हालत में है जिसकी वजह से नहर से जो पानी का प्रवाह होता है, वह व्यर्थ बह जाता है और टेल एण्ड के जो गांव हैं, उनको नियमित तरीके से पानी नहीं पहुंच पाता है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि

(श्रीमती कल्पना देवी)

आलनिया डैम की जो जर्जर नहरें हैं, इनकी मरम्मत की जाए और इसकी राशि स्वीकृत की जाए, ताकि टेल क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, अब मैं बालापुरा लिफ्ट योजना और किशनपुरा लिफ्ट योजना के बारे में बात करना चाहती हूं। यह ऐसी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनके संचालन में समस्त खर्चा किसान स्वयं अपने आप करता है। उदाहरण के लिए चाहे पाइप की मरम्मत हो या बिजली का बिल, वह स्वयं चुकाते हैं परन्तु इनके भी पाइप टूटे हुए हैं और बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो मोटर चलाते हैं, अगर इन पर सोलर पैनल लगाया जाए, तो अभी बिजली के बिल जो किसान आठ रुपये प्रति यूनिट दे रहा है, वह घटकर दो रुपये प्रति यूनिट आ जाएगा, जिससे किसान को बहुत फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं इसी क्रम में कोटा जिले में सी.ए.डी. की नहरों के संबंध में भी कहना चाहती हूं कि पूर्व में इन नहरों के रख-रखाव और पक्का करने के लिए 1272 करोड़ स्वीकृत किये गये थे। इन कार्यों की प्रगति बहुत धीमी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इन कार्यों की गति में तेजी लाई जाए ताकि जो टेल एण्ड क्षेत्र के किसान हैं, उनको राहत मिल सके।

सभापति महोदय, अन्त में, मैं आपके माध्यम से एक गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ग्राम पंचायत रंगपुर में चम्बल नदी के किनारे ग्राम डंगायचा स्थित है। चम्बल नदी के किनारे स्थित होने के कारण दिनों-दिन पानी के कटाव से यहां की भूमि धंसती जा रही है, जिसकी वजह से गांव में जाने वाली जो सड़क है, वह कट रही है और कभी भी यहां बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। गांव को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार की बहुत आवश्यकता है। मैं अनुरोध करती हूं कि शीघ्र ही इसकी स्वीकृति प्रदान करें ताकि वहां निवास करने वाले गांव के लोगों को राहत मिल सके। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद। मेरी सरकार से अपेक्षा है कि मेरे क्षेत्र की जो प्रमुख मांगें हैं, उन पर आप गंभीरता से विचार करें और लोगों को सिंचाई का पानी पर्याप्त मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 38 और 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सबसे ज्यादा समस्या राजस्थान में पानी की है और काफी लोगों ने चर्चा की है, मैं भी थोड़ी-सी मेरे क्षेत्र की कुछ समस्या है, वह बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, पिछली गहलोत साहब की सरकार में मेरे क्षेत्र और राजाखेड़ा में भी 100 करोड़ रुपये के एनीकट स्वीकृत हुए। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जो 100 करोड़ रुपये के एनीकट बने हैं, तो एनीकट जहां पर बने हुए हैं, वहां पर छोटी-छोटी नहर के द्वारा लिफ्ट योजना बनाएं। इतनी लागत लग चुकी है, 100 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होती है। अपन उसका पूरा फायदा लें और छोटी नहरें निकालकर उससे किसानों को खेती के लिये पानी दें, पीने के भी वही पानी काम में आ जाए। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इस पर थोड़ा ध्यान दें।

सभापति महोदय, कुछ जगह ऐसी हैं कि अब भी वहां पर एनीकट बना सकते हैं। अपना जो पानी चम्बल में बहकर चला जाता है, तो बरसात का पानी बहने के कारण अपने काम में नहीं आ रहा है और उस पानी को हम लोग रोक सकते हैं, इसके लिए और एनीकट बनाने की सरकार व्यवस्था करे। सभापति महोदय, नालों में जो कटाव हो रहा है, उससे वह भी रूक जाएंगे और एनीकट भी बन जाए, यह दोनों काम हो जाएं, इसके लिए निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय, पुरानी नहरें हैं, उन पुरानी नहरों और तालाबों की खुदाई करायी जानी चाहिए। काफी पुराने समय के बने हुए हैं। अगर उन तालाबों और नहरों की खुदाई हो जाएगी तो मिट्टी खोदने के कारण उनमें पानी की क्षमता ज्यादा बढ़ेगी। आगे लम्बी नहर बनायी जाए, पुरानी नहरों को पक्का करवाया जाए और पम्प कराया जाए।

सभापति महोदय, एक मेरे यहां काफी जमीन बेकार पड़ी हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जंगल एरिया बहुत है और पानी को रोकने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है, जमीन भी है तो उस जमीन पर एक बांध बना दिया जाए। दो-तीन जगह ऐसी हैं कि दो-तीन बांध अपन बना सकते हैं तो वह गांव वालों के काम में आएगा और किसानों को उसका फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में रामसागर, उर्मिला सागर, तालाब शाही और पार्वती डैम हैं। इनकी खुदाई नरेगा के अन्तर्गत कराएं या सरकार के पास पैसे की मैं जानता हूं, कोई कमी नहीं है, नहरों के लिए। सभी लोग

(श्री गिर्राज सिंह)

किसानों की बात करते हैं चाहे वे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे अन्य दल हैं, अब अगर सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे तो वह किसान के नाम पर करेंगे। मैं, सभापति महोदय, मांग करता हूं कि सभी लोग और मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि किसानों के हित में जो तालाब के कार्य हैं, उनकी खुदाई करायी जाए, नहरों को लम्बा कराया जाए।

सभापति महोदय, जो एनीकट हैं, डांगबसई ग्राम पंचायत में दो एनीकट की जरूरत है। एक कठुआपुरा, रलावताखुद है, चंदीलपुरा, सभापति महोदय, ब्राहमणी नदी पर फूलेकापुरा, सरमथुरा रोड, हाजीपुर में महादेव मंदिर सैंपऊ, कुम्हेरी, बहादुरपुर में पानी दिया जा सकेगा।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या है चम्बल लिफ्ट योजना। जो चम्बल हमारे जिले से बहकर जा रही है, वह नुकसान हमारे जिले का करती है। हर साल उसमें पांच-दस लोगों की मृत्यु होती है, जमीन का कटाव हो रहा है और पानी का फायदा भरतपुर और धौलपुर में जाता है। रामकेश जी भी चम्बल का पानी मांग रहे हैं, दौसा वाले भी चम्बल का पानी मांग रहे हैं। सबको चम्बल का पानी चाहिए। यह सब हमारे भाई हैं, इनको चम्बल का पानी तो दिया जाए, उसका हम विरोध नहीं करेंगे, ये भी हमारे ही हैं और अपने भाई हैं।

सभापति महोदय, एक लिफ्ट योजना धौलपुर के लिए बनायी जाए। हमारे यहां जो चार बांध हैं, सबसे बड़ा बांध पार्वती बांध है, तालाबशाही, रामसागर, उर्मिला सागर, एक लिफ्ट योजना से चारों बांध एक जगह से भर जाएंगे। यह भी नहीं है कि चारों के लिए अलग से कोई लिफ्ट करनी पड़े, हर जगह पर एक जगह से पानी चला जाता है और, सभापति महोदय, आप यह भी देखो कि चारों विधान सभा क्षेत्र कवर हो रहे हैं। हमारे राजाखेड़ा वाले बैठे हैं, यह भी ज्यादा मांग कर रहे हैं कि हमको भी पार्वती डैम में से ही पानी चाहिए। सभापति महोदय, इनको पानी तो दो, पर पानी बढ़ाने के लिए क्षमता करायी जाए, नहर लम्बी करायी जाए, उनकी खुदाई कराई जाए, नहरों को पक्का कराया जाए, उनके नाले भी पक्के कराये जाएं। सभापति महोदय, पानी की जरूरत तो बहुत है, पर पानी आये कहां से, इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

(श्री गिर्राज सिंह)

अभी कैनाल वाली परियोजना की बात चल रही थी, इसका काम जल्दी चालू कराया जाए। डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक साल में इनकी सर्वे होती है, फिर उसके बाद में इनकी डी.पी.आर. बनेगी और डी.पी.आर. के बाद में इनकी डिजाइनें अलग से बनेंगी। पता नहीं कौनसी डिजाइन हो, उस डिजाइन का मालूम नहीं होता है। अलग-अलग तरीके से डिजाइनें बनाएंगे और वे डिजाइन बनाकर फिर जाकर कोई टेण्डर में कर देंगे। फिर उन टेण्डर में कोई एक टेण्डर डालेगा तो एक का स्वीकृत नहीं होगा। कोई दो डालेंगे, दो डालने के बाद में कोई तीसरा डालेगा। या तो उनकी सैटिंग हो जाएगी और सैटिंग नहीं हो पायेगी तो फिर एक-दूसरे के खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे और वह परियोजना है क्या, धीरे-धीरे उसका दम निकल जाता है। जब एक सरकार जाती है और दूसरी आती है, दूसरे काम को ठप कर देती है और जो लोगों की, किसानों की समस्या है वह समस्या जैसी की जैसी बनी रहती है। जैसे हमारे सामने वालों ने मेरे साथ में किया था। पक्की नहर की स्वीकृति निकली हुई थी, टेण्डर हो गये 26 करोड़ के, इन्होंने लेट करा दिये, जाने इनको क्या दिक्कत आ रही थी।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मेरे यहां पीने के पानी की 44 गांव की समस्या थी, दो साल में जो काम पूरा होना चाहिए था, छह साल हो गये, इन लोगों ने जाकर वो काम रोक दिया।

सभापति महोदय, जो पानी की समस्या है वह पानी की समस्या बहुत गम्भीर है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं सबसे पहला काम है कि हमारे धौलपुर जिले में चम्बल लिफ्ट योजना पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक लिफ्ट योजना से आपके चार तालाब भर रहे हैं और चारों विधान सभा क्षेत्र कवर हो रहे हैं। (व्यवधान)

कालीतीरी है वह तो सरमथुरा में, वह तो कालीतीरी है मेन परियोजना। सभापति महोदय, गहलोत साहब की पिछली सरकार में मैंने उसका सर्वे भी करा दिया था और योजना काफी आगे चले, राज बदलने के बाद में सामने वाले आ गये थे, इन्होंने जाकर उसको खतम कर दिया।

सभापति महोदय, जो तालाब हैं हमारे राजा-महाराजाओं के पीरियड के हैं, धीरे-धीरे मिट्टी भी पानी के साथ में बहकर आती है तो उनकी खुदाई

(श्री गिर्राज सिंह)

करायी जाए। खुदाई कराएंगे तो उसमें ज्यादा पानी भरने की क्षमता हो जाएगी और जो नहरें हैं वह भी और आगे तक बढ़ाई जाएं। नहरों की काफी समस्या है, जो कच्ची हैं और जो छोटे-छोटे नाले हैं, वे भी पक्के कराये जाएं। सभापति महोदय, जो सीपेज है, आगे वाले तो कहते हैं कि नहर को बंद कराया जाए और पीछे वालों के जब तक टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है तब तक उनके खेतों में पानी भर जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पानी भरने के बाद में फिर कोई कलेक्टर के यहां एप्लीकेशन देता है, कोई एस.डी.एम. के यहां एप्लीकेशन देता है कि हमारी फसल बर्बाद हो गयी, इस नहर को बंद कराया जाए। आगे वाले नहर बंद कराते हैं और पीछे वाले पानी की मांग करते हैं तो आये दिन झगड़ा होता है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो नहरें कच्ची हैं उनको पक्का कराया जाए और जो नहर से निकलने वाले नाले हैं उनको भी कराया जाए।

श्री सभापति: विराजिये। श्री राजकुमार रोत।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, सीकर वालों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आपने खंडेला जी को तो रोका ही नहीं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मतलब यह भी फिक्स मैच हो गया सीकर वाले, धौलपुर वाले, इतना ध्यान दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 व 38 सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा हो रही है तो मैं भी हमारे क्षेत्र की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं।

हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में माही और कडाणा बांध बना हुआ है। ये जो दो जिले हैं, जो दोनों बांध की वजह से कई लोग विस्थापित हुए थे। कडाणा बांध बना 1966-67 में बना था। उस समय राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच में समझौता हुआ था। इस बांध के बनाने में सारा खर्चा गुजरात सरकार ने वहन किया था। यह जो अन्तरराज्यीय समझौता

(श्री राजकुमार रोत)

हुआ था उसमें दो-तीन शर्तें महत्वपूर्ण थीं कि जब नर्मदा नहर का पानी गुजरात में वह जिला जहां से कडाणा का पानी जा रहा था वहां तक अगर नर्मदा का पानी पहुंच जाएगा तो कडाणा बांध का, माही बांध का पानी राजस्थान सरकार उपयोग में ले पायेगी। बांध बनाने में 419 करोड़ के लगभग लागत आई थी, तो दूसरी शर्त यह भी थी कि राजस्थान सरकार जो 419 करोड़ लागत आई है तात्कालिक समय में वह लागत का भुगतान कर देगी। इन शर्तों के अनुसार 1966 में यह डैम बना लेकिन आज 2019 तक इन शर्तों के अनुसार राजस्थान सरकार ने पहल नहीं की। बड़े दु:ख की बात है कि जो लोग इस डैम के बनने से विस्थापित हुए वो लोग आज प्यासे हैं, उन लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है और उन लोगों को अपने रोजगार के लिए गुजरात में मजदूरी के लिए जाना पड़ रहा है।

इसके बाद हमारे दक्षिण-पश्चिमी जिलों ने, जालौर जिले ने, चार जिलों के लोगों ने मिलकर आन्दोलन किया था कि हमें माही डैम से पानी दिया जाए तो 2006 में तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने एक कमेटी गठित की और इस कमेटी के माध्यम से सर्वे कराया गया। 290 किलोमीटर तक सर्वे हुआ था, जालौर, बाड़मेर, पाली इन जिलों में कडाणा बांध से पानी लाने के लिए। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 1966 से लगाकर आज तक किसी भी सरकार या कोई भी पार्टी रही हो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो लोग इस पानी से वंचित हैं, पास में से उस पानी को देख रहे हैं, उस पानी के लिए तरस रहे हैं, पर किसी भी संगठन ने उस पानी को आस पास के लोगों को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने के लिए कोई परियोजना या आज तक कोई भी सर्वे नहीं किया।

(16.18 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

2006 में जब तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सर्वे कराया और 2009 में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजा तो बहुत महंगी परियोजना बताकर उसे अव्यावहारिक घोषित किया। मेरा कहना है कि इस परियोजना का जो अनुमानित आंकड़ा बताया था 20 हजार 555 करोड़ तो ठेठ जालौर, बाड़मेर और पाली तक पानी लाने के लिए उन्होंने सर्वे कराया। हम यह चाह रहे हैं कि

(श्री राजकुमार रोत)

कडाणा और माही से विस्थापित लोग जो 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर और 50 किलोमीटर दूर तक रह रहे हैं, उनके लिए तो सरकार कम से कम पहल करे।

सभापति महोदय, मैं एक चीज यह भी बताना चाह रहा हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा इलाका, उदयपुर वाला सारा इलाका पहाड़ी इलाका है, वहां बारिश भी पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन यह पहाड़ी है तो उस पानी की रोकथाम के लिए डैम नहीं बने हुए हैं। मेरा कहना है कि वहां पर विशेषकर जो छोटी-मोटी नदियां हैं, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में मोरन नदी है, वात्रक नदी है, भादर नदी है, इन नदियों पर क्यों नहीं गुजरात में जो पानी जा रहा है उसके रोकथाम के लिए श्रृंखलाबद्ध छोटे-छोटे एनीकट बनाये जाएं तो वहां का जल स्तर ऊपर आएगा। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करें तो 3 पंचायत समितियां पड़ती हैं। मैं एक ही पंचायत समिति चिकली का उदाहरण बताऊं, वहां पर अभी जो सर्वे करवाया गया, उसमें 3500 हैंड पंप नाकारा घोषित किये गये हैं। जो चिकली पंचायत समिति है, माही नदी उससे सटी हुई है। कडाणा के संबंध में जो गुजरात से अन्तरराज्यीय समझौता हुआ है, उस समझौते के अनुरूप अगर इस क्षेत्र में कहीं पानी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो कम से कम जो छोटी-मोटी नदियां हैं, उन नदियों को श्रृंखलाबद्ध एनीकट बनाकर, वहां का जो जल स्तर है, उसमें सुधार ला सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कडाणा डैम का जो अन्तरराज्यीय समझौता हुआ था, उस आधार पर योजना बनाकर अगर राज्य सरकार नहीं कर सकती है तो इसको केन्द्र सरकार में भेजें, क्योंकि यह दो राज्यों का मामला है। मैं वर्तमान सरकार से उम्मीद करूंगा, हमारे जो मंत्री महोदय हैं, उनसे उम्मीद करूंगा कि कडाणा बांध से डूंगरपुर का जो असिंचित क्षेत्र है, उसके लिए एक योजना बनाएं। उस योजना के अनुरूप सर्वे कराया जाए। राज्य सरकार से अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको केन्द्र सरकार के लिए भेजा जाए।

सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में अधिकतर छोटे-छोटे भागों में वन क्षेत्र हैं। किसी भी योजना में अगर छोटे-मोटे एनीकट बनाने की बात आती है तो वन विभाग का एरिया आ जाता है। वन विभाग इसे एनओसी देने में कतराता है। इस कारण जो छोटे-मोटे डैम बनने चाहिंए, वह एक भी नहीं बन

(श्री राजकुमार रोत)

पा रहा है। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में एक गुडियों का नाका डैम बना हुआ है। उसकी नहर पूर्व में बनी हुई थी। पिछली सरकार में इसका सर्वे कराया गया लेकिन लास्ट तक इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की गयी। हम वर्तमान सरकार से उम्मीद करेंगे कि जो गुडियों का नाका बांध है, उसकी जो नहर है, उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए बजट दें।

सभापति महोदय, उस समय खोसला कमेटी बनी हुई थी, माही और कडाणा बांध से जालौर तक पानी लाने के लिए बनी हुई थी। उसने भी हमारे क्षेत्र के साथ अन्याय किया। उस क्षेत्र का कहीं भी हवाला नहीं दिया गया। वर्तमान सरकार से हम इसकी उम्मीद करेंगे। हमारे एरिये में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अगर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है तो जो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनका पलायन रुकेगा।

हमारा मेन उद्देश्य यही है एक-एक बच्चा यह चाहता है कि हमें कडाणा और माही का पानी मिलना चाहिए। आज उस पानी के लिए लोग बहुत पीड़ित हैं। लोग उस पानी को देखते हैं और वह पानी उनको सिंचाई और पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। आने वाले समय में उस पानी को लेकर वहां उग्र आंदोलन होगा। वर्तमान सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि कडाणा और माही बांध से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो असिंचित क्षेत्र हैं, जहां पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनके लिए सर्वे करायी जाए और उसके लिए बजट उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा। एक तो मैं जालौर जिले से आता हूं, जहां जवाई नदी बहती थी। जब वह जवाई नदी प्राकृतिक रूप से बहती थी तो हमारी उस नदी में 9-9, 10-10 महीने तक पानी चलता था। फिर जवाई बांध बन गया। जवाई बांध बनने के बाद, एक तरह से हमारा गला घोंट दिया गया। अब वह नदी सूख गयी और हमारे कुओं का जल स्तर नीचे चला गया। हालत बहुत खराब हो रही है। जो 15-20 फीट पर कुओं में पानी होता था, अब 250-300 फीट पर हम चले गये हैं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभापति महोदय, जब भी बरसात नहीं होती है, कम होती है तो सूखे की मार हम झेल रहे होते हैं। तब हमको जवाई बांध से पानी नहीं मिलता है। जब खूब बरसात होती है, हमारे खुद के घर में बाढ़ आई होती है तो जवाई बांध के फाटक खोले जाते हैं और हमें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोनों तरफ से ही मार हमें पड़ रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वसुन्धरा राजे जी के पिछले टैन्योर में जो अंतिम बजट भाषण उनका हुआ था 12 फरवरी, 2008 को, उसके पेज नंबर 8 पर एक पैरा है, 'साबरमती बेसिन के अतिरिक्त जल से जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु डीपीआर बनाने का कार्य अप्रैल माह तक पूरा किया जाना संभावित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 6 हजार करोड़ है'। मेरी जानकारी के अनुसार वह डीपीआर बन चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस डीपीआर पर काम शुरू करे ताकि जब जवाई बांध पूरा भरा रहेगा, तो हमको भी कुछ हिस्सा मिलेगा। नदी में भी खुला पानी छोड़ने के लिए हम निवेदन करेंगे ताकि हमारे कुए रिचार्ज होते रहें। एक मुद्दा मैं मांग संख्या 46 और 38 पर यह निवेदन करना चाहता था।

दूसरा मुद्दा अभी चौरासी से आने वाले माननीय विधायक चर्चा कर रहे थे, कडाणा बांध गुजरात में है। हमारे राजस्थान की धरती से जो पानी चला जाता है कडाणा में और कडाणा से भी आगे निकल जाता है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उससे 2007 तक सिंचाई हो रही थी। नर्मदा का पानी खेड़ा में आ गया। उसके बाद वह पानी वहां सरप्लस हो गया था। उस समय ही हमने ढंग से प्रयास किये होते तो वह पानी राजस्थान को मिल सकता था। जालौर को मिले, समझौते में जिक्र है, 10 जनवरी, 1966 को जो समझौता हुआ था, स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा के उस पर हस्ताक्षर हैं। उसमें स्पष्ट उल्लेख जालौर और बाड़मेर का है। उसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर का कोई उल्लेख नहीं है। वह समझौता यदि लागू होता है तो जालौर, बाड़मेर को वह पानी मिलना चाहिए था। दुर्भाग्य से 2008 में सरकार बदल गयी। उसके बाद में जितने प्रयास होने चाहिए थे, शायद नहीं हुए। पत्र तो कुछ गये। चिट्ठियां तो लिखीं आपकी सरकार ने। मेरे पास कापियां हैं लेकिन जितना सीरियस प्रयास होना चाहिए, वह नहीं हुआ। 5 साल वह निकल गये और तब तक गुजरात ने वह पानी अपने अन्य जिलों में एडजस्ट कर लिया। सुजलाम सुफलाम योजना में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उसको उपयोग में ले लिया। अब शेर के मुंह से वापस ग्रास निकालना है। आसान काम नहीं है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, पूरी सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनीशिएट करिए, हम लोग भी आपके साथ इस लड़ाई में शामिल होंगे। हम गुजरात सरकार से प्रयास करेंगे कि वह पानी वापस राजस्थान को मिलने की नौबत आए। नौबत आए, वह देने को हां भरें तो फिर यह बात आएगी कि वह बांसवाड़ा जाना है कि जालौर जाना है या बाड़मेर जाना है। वह बाद की बात है। अभी तो पानी का अता-पता ही नहीं है। हवा में ही सारी बात है। इस हवा में घूम रही बात को धरातल पर लाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करता हूं कि वह भी सीरियसली प्रयास करे। हम लोगों का जितना उपयोग आप कर सकते हो, उतना करिए। हम आपका इस मुद्दे पर साथ देने के लिए तैयार हैं। यह दो मुद्दे मुख्य रूप से जालौर के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। वर्षों से हम आशा लगाकर बैठे हैं कि इन दोनों चीजों के लिए। मुझे मुख्य रूप से यही दो मुद्दे आपके माध्यम से रखने थे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): सभापति महोदय, आज सिंचाई पर चर्चा हो रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत कुछ बोलने का है मगर मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ ही पाइंट्स को टच करूंगा, क्योंकि समय की सीमा है।

मेरी मान्यता है कि Present price crisis of water is practical test of previous governments. अभी जो पानी की समस्या है तो पिछली सरकारों का प्रैक्टिकल टैस्ट है। जब मैं पिछली सरकार की बात करता हूं तो मैं 5 साल पहले जो सरकार थी, उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। 1947 में इंडिपैंडेंस के बाद, 7 दशक बाद हम पानी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस सदन में 25 साल पहले जो बोला था, उन्हीं बातों को दोहराऊं तो माथा ठनकता है कि 25 साल निकल गये और जो बात कही थी, उसी को दुबारा बोल रहे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति अलग है। सीकर में जो पानी बरसा, वह बाढ़ के कारण पैदा करता

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

है। पूरी रेल उससे बंद हो गयी। हमारे वहां जो पानी बरसता है तो एक दिन में बहकर निकल जाता है। कहीं पानी बरस रहा है और कही बारिश नहीं है। पानी के आंकड़े हैं, 1.16 परसेंट, यह सबकी जुबानों पर हैं। बहुत बार इनका इस सदन में उल्लेख हुआ है।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी की इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि जब पानी के ऊपर, सिंचाई पर चर्चा हो रही है तो वह हमारे हक के पानी के लिए पंजाब जाकर बात कर रहे हैं। मगर मैं इस सदन में इस बात को भी लेकर चिंतित हूं कि जिस पानी के बारे में किसी से बात नहीं करनी, जिस पानी के सम्बन्ध में किसी से कोई लेना-देना नहीं है, हमें ही काम करना है जो सरकार में बैठे हैं, एक पिंगपोंग बाल की तरह बाल इधर से उधर जाती है और उधर से इधर आती है। समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती है। शासन पलटते हैं। राजस्थान में अगर वर्षा जल बहकर जाए, वर्षा कम मगर वर्षा हो, प्रकृति पानी दे और बहकर जाए तो वह क्राइम है। मैं जब प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करता हूं पानी के लिए तो सदन में इस मौके पर हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद पहले दो बजट राष्ट्र स्तर के ऊपर और प्रदेश में काम हुआ, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। जो लोग-बाग़ कहते हैं कि 70 साल में, 50 साल में शासन करने वालों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में कुछ नहीं था 1947 में, हमारे दो बड़े-बड़े बजट बांध बनाने के लिए पंडित नेहरूजी ने समर्पित किये। भाखड़ा और उसके पानी की यहां सदन में जो बात होती है, वह पानी है। अभी माननीय सदस्य लाडपुरा से आने वाली बात कर रही थीं, उन्होंने जिक्र किया कि 1961 के दशक में अलानिया बांध बना। उस प्रीवियस गवर्नमेंट ने काम किया तो उसका नतीजा है, मगर जैसे ही समय निकलता गया हम डाइवर्ट होते गये इतने सारे विषयों पर और बहुत तरक्की की, लेकिन राजस्थान में पानी बहकर निकल जाए, वह पाप है।

माननीय सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्य ने डिबेट शुरू की, वह अभी सदन में नहीं हैं, जो सदन में बैठे हैं, सुन रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा। उन्होंने जो पढ़ा और इकट्ठा किया डाटा उससे बोला है, मगर मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस संभाग में चम्बल पर तो 1960 के दशक में सारे बड़े बांध बन गये थे और पंडित नेहरूजी ने उनका उद्घाटन किया था। काली सिंध और परवन, दो प्रमुख नदियां हैं।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

माननीय सभापति महोदय, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब चम्बल की नहरें चलती हैं, रबी में पानी देने के लिए पानी निकास होता है तो सीपेज का पानी खेतों में लेने के बाद बड़ी मात्रा में हमारी काली सिंध नदी के अंदर बहता हुआ दिखाई दिया जाता है। मेज नदी बूंदी में है उसमें बड़ी मात्रा में चम्बल का पानी जो वर्षा ऋतु में इकट्ठा करते हैं गांधी सागर में और फिर सिंचाई के लिए छोड़ते हैं, वह पानी जब चम्बल के बायीं और दायीं नहरों में छोड़ते हैं तो काली सिंध में बहुत पानी बहता है जो चम्बल में जाता है और चम्बल से बहकर यमुना में जाता है राजस्थान का पानी। इसी प्रकार बूंदी में जो पानी दिया जाता है वह मेज नदी से होकर चम्बल में जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं उल्लेख क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेज नदी लाखेरी के पास से जहां रेलवे स्टेशन है, काली सिंध नदी अंता के पास, जहां रेलवे स्टेशन है, झालावाड़ जिले में जहां वर्षों से मांग थी कि काली सिंध नदी का पानी रोका जाए, वहां बौरासा पर बांध बनता है। सिंचाई के लिए बांध प्रस्तावित है, सिंचाई के लिए बांध है, उस समय में जब उस बांध के लिए पैसा सैंक्शन हुआ, ...(व्यवधान) यह राजस्थान के हित की बात है।

माननीय सभापति महोदय, जो इस प्रदेश का नियंत्रण करते हैं, नेतृत्व करते हैं, अगर वह ऐसा गलत निर्णय ले लें, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार कुछ ही लोगों के पास होता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को दंडित होना पड़े, उसका उल्लेख मैं इस सदन में सिर्फ रिकार्ड में अंकित हो, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, बरसों से मांग कर रहे थे कि इस काली सिंध नदी का पानी इतनी मात्रा में वर्षा ऋतु में बहकर जाता है, उसे रोका जाए। रोकने के लिए बांध बना, सिंचाई का बांध, काली सिंध पर बना और समर्पित किसको कर दिया उसको? पूरा थर्मल लगा दिया जो पानी पूरा सिंचाई के लिए वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का डैम बन सकता था, पानी रिलीज होता काली सिंध नदी के अंदर जगह-जगह रोककर आप पेयजल और लिफ्ट सिंचाई योजना चालू कर सकते थे, सब पर पानी फेर दिया। पूरा बांध 800 करोड़ का थर्मल का हो गया। कल हमारी सरकार, कौन किसके हाथ में होता है, यदि किसी प्राइवेट पार्टी को बेचेंगे जैसा माननीय सदस्य, राजसमन्द की कह रही थीं, हिन्दुस्तान जिंक की बात कर रही थीं कि वह पानी नहीं लेने दे रहे।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार झालावाड़ का पानी पूरा उस थर्मल में चला जाएगा, यह मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आई एम इंट्रप्टिंग, काली सिंध डैम कमप्लीट हो गया?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, कमप्लीट होकर 2014 से इस राजस्थान में एक पाप और हो रहा है। अब पाप यह है कि पहले चरण में बांध बन गया, राजस्थान सरकार का पैसा लगा 800 करोड़, डेढ़ करोड़ में उसके गेट्स लगकर पानी ऊंचा हो सकता है, 600-700 करोड़ में जमीन का मुआवजा देकर पानी रोका जा सकता है, नहीं हो रहा है।

एक सदस्य पांचना बांध की बात कर रहे थे। कैसी सरकारें हैं? 14 साल से बांध बना हुआ है, समय निकलता जा रहा है और कहने वाले कह देते हैं और एक बूंद पानी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी मान्यता है कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि है, कृषि का सीधा सम्बन्ध पानी से है और पानी, सरफेस वाटर और ग्राउण्ड वाटर, अलग-अलग चीज नहीं है। अगर सरफेस वाटर होगा तो ग्राउण्ड वाटर चार्ज होगा। मेरा इस सदन में सिर्फ यह सुझाव है कि आप नदी को जीवित रखें। बांध बनाएं और नदी जीवित रहेगी तो सारा ग्राउण्ड वाटर आपके चार्ज होगा क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां लाडपुरा में 700 फीट नीचे से पानी निकाल रहे थे, हर साल ट्यूबवैल खुदते थे, एक ट्यूबवैल नहीं खुद रहा। नदियों में हमने एनीकट बना लिए, पानी रुका हुआ है 50 हजार बीघा में धान की फसल अभी हो रही है, जो नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए, दूसरी करनी चाहिए मगर करें क्यों किसान, उसको मिलेगा क्या? यह समस्या यहां की ही नहीं है, महाराष्ट्र में भी किसान शुगरकैन की फसल करता है क्योंकि उसको दो पैसा मिलता है। हमारा किसान 50 हजार बीघा पर चावल इसलिए करता है कि उसको दो पैसा मिल जाता है।

माननीय सभापति महोदय, नदी जीवित रहे, पांचना का बांध है, गुर्जर और मीणा लड़ते हैं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, सदन में यह बोलना चाहिए। उनको समझाइश करें। मगर पांचना का बांध अगर नदी में ही छोड़ दें, जगह-जगह एनीकट बना दें तो 200 गांव जीवित होंगे। मेरा वह क्षेत्र देखा

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

हुआ है, यह क्राइम है कि 2004 में एक बांध बन गया और उसमें पानी नहीं छोड़ें। 2014 में झालावाड़ में बौरासा बांध बन गया, एक बूंद पानी, राइपेरियन राइट्स, जो नीचे रहते हैं उनका अधिकार है, कानूनन अधिकार हैं, मगर सुनेगा कौन? देगा कौन? इन सब बातों के लिए लोगों को सड़क पर आना पड़े, आंदोलन करना पड़े, रास्ता रोकना पड़े। मैं आपसे इस डिबेट में भाग लेते हुए यह कह रहा हूं कि पांचना का पानी छुड़वाएं सीधी नहरों में नहीं छोड़ें तो कम से कम नदी में छोड़ें। नदी जीवित होगी तो जीवित रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा के लोग बोल रहे थे हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और पानी बरसात का बहकर जाए, यह नहीं होना चाहिए। मैं उस विभाग का जिक्र कर रहा हूं जिसमें 8 महीने से चीफ इंजीनियर ही नहीं है। हम डिबेट कर रहे हैं यहां पर और सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव और है, इसके बाद मैं बैठूंगा। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। जैसा मैंने जिक्र किया, पानी के जितने भी डिपार्टमेंट है, हमें ही नहीं मालूम पड़ता कि किस विभाग का मंत्री कौन है? नहर का एक है, राजस्थान कैनाल का दूसरा है, सीएडी का तीसरा है, सिंचाई का चौथा है, सारे विभागों को एक करें। विधान सभा की बजाय माननीय मंत्रीजी संभाग में जाकर उसका अवलोकन करें पूरी योजना का और मैंने पिछली सरकार की एनेलेसिस की बात की, मैं एक बात का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। मैंने कटौती प्रस्ताव सारे देखे, सब लोगों के पढ़े कि लोगों के विचार क्या हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि सबसे बड़ी जल संरक्षण की योजना थी, पिछली सरकार की जल स्वावलम्बन योजना, उसका एक भी किसी ने कटौती प्रस्ताव में उल्लेख तक नहीं किया। मैं यह नहीं कह रहा कि वह योजना खराब थी। पानी रोकने की सब योजनाएं सकारात्मक ही मैं मानता हूं, मगर उसका उल्लेख भी नहीं होना, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं। माननीय सभापति जी, मुझे पीड़ा होती है कि जल स्वावलम्बन योजना के तहत जो काम किये गये, वे उस रूप में नहीं हुए। मैं आपसे जब यह कहता हूं कि सारी योजनाओं को जोड़कर देखें, मैं सदन की नालेज में डालना चाहता हूं कि अभी जो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत एक सड़क बनेगी, जब सड़कें बनती हैं, नेशनल हाई-वेज बनते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में इनके लिये मिट्टी चाहिए होती है। जहां से

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

मिट्टी चाहिए, वे मर्जी आये खोद लें। जहां आपको पानी के लिये खुदाना है तो मुफ्त में वे खोदेंगे न, आप डाइरेक्शन तो दीजिए कि कहां पर पानी होना है। अभी जब मैं पानी के व्यर्थ बहने की बात कर रहा था, कोटा में इतनी सी बारिश हो जाए, बहुत सहजता से कोटा बैराज के गेट खोल देंगे। क्यों खोल देंगे, कि नहर में चलाएंगे तो नहर में पानी देखना पड़ेगा। क्या वह पाप नहीं है? अगर चार दिन बारिश होती है, पूरा पानी आप चंबल में छोड़ दें और वह यमुना में बहकर निकल जाए, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज को? कौन सुनेगा? और अगर सुन लिया तो उस पर अमल करिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज सिंचाई की मांग पर मुझे बोलने का मौका दिया। जब यह राजस्थान प्रांत बना, सतही जल परियोजना से हम चार लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और उनके विभाग के सारे अधिकारियों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके अथक प्रयासों से बनी वृहत् सिंचाई परियोजनाओं, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से आज राजस्थान के लोग 38 लाख 70 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने के लिये सक्षम हुए हैं।

माननीय सभापति जी, एक बात तो मुझे समझ में आ गयी कि पिछली सरकार ने बाहर से आने वाले मेहमानों के लिये अपना लोगो चेंज किया था 'जाने क्या दिख जाए'। उनका तो पांच साल में समझ आ गया कि वे क्या देखना चाह रहे थे। पैलेसिया है, राजमहल पैलेस है और उसी में उनके पांच साल निकल गये। अब हमने वापस उस लोगो को चेंज करके 'पधारो म्हारे देस' दिया है। उस 'पधारो म्हारे देस' के बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, मैं जिस जिले से आता हूं, यह 'पधारो म्हारे देस' सबसे ज्यादा हमें माउंट आबू में कहना पड़ता है। लोअर कोदरा बांध खाली है, अपर कोदरा बांध खाली है, सूख चुके हैं। तीन दिन के भीतर नक्की झील सूखने वाली है। आप बताएं हम 'पधारो म्हारे देस' कैसे कहेंगे? बारह महीने से राजस्थान सरकार के पास सालगांव बांध परियोजना की फाइल अटकी हुई है। आपको

(श्री संयम लोढ़ा)

सिर्फ ढाई सौ करोड़ रुपये देने हैं। आप देंगे तो पीने का पानी मिलेगा, स्थानीय लोगों को मिलेगा, पर्यटकों को मिलेगा। कल को हमारा क्या संदेश जाएगा, जब किसी अन्तरराष्ट्रीय चैनल पर यह आएगा कि माउंट आबू में पर्यटकों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। माउंट आबू में वन्य जीव प्यासे हैं। उनकी प्यास नहीं बुझ पाने के कारण उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। 'पधारो म्हारे देस' की पवित्र भावना को हमें मूर्त रूप देना है तो इसी साल में राजस्थान सरकार को सालगांव बांध सिंचाई परियोजना स्वीकृत करनी चाहिए, जिससे माउंट आबू की पेयजल कठिनाई दूर की जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जवाई बांध का जिक्र किया। जवाई बांध आजादी से पहले की परिकल्पना थी। उस समय की स्टेट और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ कि इस जवाई बांध को यहां पर बनाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं जब पहले दो बार राजस्थान की विधान सभा में चुनकर आया, एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एक बार भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी। मैंने उनसे विनती की कि हम दस किलोमीटर पर हैं जवाई बांध से। हमारे क्षेत्र के गांवों को सिंचाई के लिए पानी दें। मेरी सरकार ने भी इनकार किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इनकार किया। कोई रास्ता नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में 2008 के बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मैं एक बार जोधपुर से ट्रेन में आ रहा था, रास्ते में मुझे एक अधिकारी मिले। उन्होंने मुझे कहा कि जोधपुर के मेहरानगढ़ के अंदर यह फाइल का डाकूमेंट है, जिसमें अंग्रेजों के वक्त में तत्कालीन रियासत के साथ जो समझौता हुआ है, उसका विवरण मौजूद है। माननीय सभापति महोदय, मैं वे सारे कागज लेकर आया हूं। वास्तव में समझौता हुआ है। जवाई नदी के किनारे के तेरह गांव जो शिवगंज तहसील के हैं, उन्हें सिंचाई के लिए पानी देना, यह उस समझौते में लिखा हुआ है। जवाई बांध बनने का सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ, उन सारे गांवों को हुआ जो जवाई नदी के किनारे बसे हुए थे, क्योंकि उनके रास्ते से जो पानी चल रहा था, वह पानी रोका गया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे मेरा बचपन याद है, उस नदी के

(श्री संयम लोढ़ा)

अन्दर सिर्फ पैर डालते थे तो पानी में भीग जाते थे। वह सब कुछ हमें खोना पड़ा, हमारी नयी पीढ़ी को खोना पड़ा। मैंने तत्कालीन सिंचाई मंत्री हेमाराम जी चौधरी साहब के सामने वे सारे कागज पेश किये। उन्होंने हमारा राइट माना कि आप बिलकुल सही हैं और शिवगंज तहसील के गांवों के लोगों का इस सिंचाई पर हक बनता है। माननीय सभापति महोदय, पांच लाख रुपये उन्होंने नहर के सर्वे के लिए स्वीकृत किये। 2 लाख 65 हजार रुपये 2013 तक खर्च हो गये। उसके बाद पांच साल तक बचे हुए पैसे न तो खर्च हुए और न ही वह सर्वे आगे बढ़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि जवाई बांध से शिवगंज तहसील के तेरह गांवों को उस समझौते के मुताबिक सिंचाई के लिए पानी देने के सर्वे का कार्य पूरा करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना का काम पिछली सरकार में अस्वीकृत हुआ है। जिन लोगों को वहां से विस्थापित किया गया है, वहां पर हास्पिटल्स बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, उन लोगों के रहने के लिए दूसरे पुनर्वास के प्रबंध करने हैं। आप जब तक पैसा नहीं देंगे, तब तक पीडब्ल्यूडी काम कैसे करेगा? काम शुरू हो गया है बांध का, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि उस कार्य के लिए भी आप पैसा उपलब्ध कराएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। 1966 में हमारे तत्कालीन सिंचाई मंत्री नाथूराम जी मिर्धा और गुजरात के सिंचाई मंत्री विजय कुमार त्रिवेदी, दोनों के बीच में नर्मदा और माही को लेकर समझौता हुआ। माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं बहुत थोड़ा-सा रेलेवेंट पोर्शन पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"Kadana Dam should be built to FRL 4190.00. The entire cost and benefits of this project will be borne by Gujarat. At a later date when Mahi areas are taken over by Narmada and a part of the Kadana waters are released for use in Rajasthan. Rajasthan should pay to Gujarat an appropriate cost of the dam

(श्री संयम लोढ़ा)

for such use. The exact proportions will be fixed at the time when such releases become available.

अब मैं बांसवाड़ा डैम का एक छोटा-सा पोर्शन आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। दोनों के नीचे माननीय मंत्रियों के दस्तखत हैं।

Banswara Dam across Mahi, located in Rajasthan, will be built to FRL 921' Out of the total cost of the Dam, a portion will be allocated for power which Rajasthan will develop from the waters of this Reservoir. This will be at the rate of Rs. 1,250 per K.W. firm power. If the total cost of the Dam increases beyond Rs. 14 crores, the allocated cost per K.W. taken above will also be increased proportionately.

(3) The cost of the dam for FRL 915' should be shared between Gujarat and Rajasthan in the ratio of 40:9 as the utilization of the waters for irrigation inclusive of evaporation losses are 40 TMC in Gujarat and 9 TMC in Rajasthan.

(4) Building the dam upto FRL 921' will give: an additional storage of 7 TMC which will be useful in lean years for ensuring firming of power generation. In view of this, Rajasthan has agreed to bear the difference in cost for building Dam between FRL 921' and 915'

(5) At a later date when Narmada Development takes place when Mahi areas are fed by the waters of Narmada and the Mahi waters at Banswara are released for use in Rajasthan. Rajasthan should reimburse the cost of the Banswara Project paid by Gujarat."

अब यह समझौता मुकम्मल हो गया माननीय सभापति महोदय। नर्मदा का पानी गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच गया और समझौते के मुताबिक उस पानी पर राजस्थान का हक हो गया। 2004 में राजस्थान के तत्कालीन चीफ इंजीनियर ने इर्रिगेशन के सैक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है माननीय सभापति महोदय।

(श्री संयम लोढ़ा)

"Regarding area irrigated from Mahi water in Kadana project which is to be transferred to Narmada Canal command system in the spirit of 1966 bilateral agreement."

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नर्मदा का शेयर राजस्थान को कितना है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने बता दिया आपको। वह पहले उल्लेख कर दिया माननीय सभापति महोदय। अब इसका जो कन्क्लूडिंग पोर्शन है इसमें सारे फैक्ट्स उस चीफ इंजीनियर ने लिखे हैं। कन्क्लूडिंग पोर्शन आपको और सुना देता हूं-

"Thus, owing to factors elaborated above, the Gujarat state enjoys added advantage (as they are trying to exploit in the case of Mahi river basin), as probabilities of getting additional 10 to 20% (1 to 2 MAF) water are quite bright in favour of Gujarat state.

Therefore, the Gujarat government must be considerate enough to spare required share of water for Rajasthan state specifically for Mahi Bhika Bhai-Sagwara Canal & proposed Nuclear Power Plant."

एक लास्ट पोर्शन आपको और सुनाता हूं माननीय सभापति महोदय।

(5) Despite change in scope and status of Mahi Dam, Banswara from 1958 proposals to prevailing state, theoretically the Rajasthan State did not gain anything additional, emphatically in the context of quantum of water for use in Rajasthan, because in either case the water share in Mahi Dam for use in Rajasthan stands in the vicinity of 9.0 TMC. Likewise, on account of partial implementation/execution of 1966 agreement, theoretically the Rajasthan State gained nothing hereto, because the part of agreement stipulating future dictums of water sharing in favour of Rajasthan (Subsequent part of Clause 1 & Clause 5) still remains unexecuted on the part of Gujarat Govt."

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, यह सारी बातें सुनने के बाद क्या राजस्थान का सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल माननीय प्रधान मंत्री जी से नहीं मिलना चाहिए? क्या राजस्थान की जनता के हितों की बात, उस पवित्र समझौते की क्रियान्विति की बात, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, इन सारे जिलों के किसानों के हक के लिए, जो उनका संविधान प्रदत्त अधिकार है, कानून प्रदत्त अधिकार है उसकी प्राप्ति के लिए हमें पहल नहीं करनी चाहिए? माननीय सभापति महोदय, नक्शा सुधर जाएगा राजस्थान का। अगर हम इसको क्रियान्वित करने में सफल हो गये तो 32 लाख हैक्टेयर नयी सिंचाई सुविधा विकसित करने का अवसर मिलेगा। आधा तो डायरेक्ट और आधा इन-डायरेक्ट।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत प्रयत्नशील हैं। अभी भी वे पंजाब जाकर आये हैं और राजस्थान के हक की बात की है। उन्होंने एक समझौता भी किया है। बहुत अफसोस की बात यह है कि जितने अन्तरराज्यीय समझौते हुए, एक विद्यार्थी के रूप में मैं यह महसूस करता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है राजस्थान की जनता के हितों की हम रक्षा नहीं कर पाये। हरियाणा के ताजेवाला बांध में हमें अपना पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। यह की यह स्थिति मैंने आपको बताई कि माही और नर्मदा की क्या स्थिति हुई है। अभी जब पूर्व जल संसाधन मंत्री ने आज बहस शुरू की थी तो उनको बड़ी लज्जा आ रही थी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: Hon'ble, they're asking for two hours extension.

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक घंटा बढ़ा दें, फिर बाद में देख लेंगे।

श्री सभापति: समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कई तरह के प्रस्ताव सामने आये। 1988 के अन्दर नर्मदा टर्मिनल की स्थापना हुई जिसमें हाई कोर्ट जजेज ने हियरिंग की। उस समय भी एक निर्णय सामने आया कि सुरंग के द्वारा डूंगरपुर जिले टुमरिया गांव से सुरंग बिछाकर जालौर जिले के गांव तक पानी पहुंचाया जाए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतनी विनती करना चाहता हूं कि किस तरीके से क्रियान्वित हो, यह तो सरकार को तय करना है। लेकिन इसमें सरकार को प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी और सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा।

अभी पूर्व जल संसाधन मंत्री अपने वक्तव्य में कह रही थीं कि राजस्थान सरकार ने जो बजट प्रावधान किया उससे मुझे लज्जा आती है। मैं उनको, उनकी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं। सुराज संकल्प यात्रा आपने निकाली थी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वसुन्धरा जी आई थीं। क्या वादा किया था सिरोही जिले के लोगों से? आपके हर खेत के अन्दर मैं नर्मदा का पानी पहुंचाऊंगी। मैंने दो सौ और इतने करोड़ की योजना बनाई थी, अशोक गहलोत ने मेरी योजना को आगे नहीं बढ़ने दिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, कम से कम असत्य बात तो विधान सभा में नहीं बोलना चाहिए। इतनी असत्य बातें ये करते हैं, यह तो ठीक नहीं है न विधान सभा के अन्दर। यह नर्मदा का पानी लाने का नहीं है, बत्तीसा नाला पानी सिरोही जिले के लिए है, यह घोषणा की थी और वह हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बार आप बोल लेने दीजिए। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): जिनकी सुनने की भी क्षमता नहीं है वे गवर्नेंस क्या देंगे।

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अगर अभी पूर्व जल संसाधन मंत्री बैठी हुई होतीं तो मैं उनसे जवाब दिलवाता। खुद ने सिरोही में आकर जिलाधिकारियों की मीटिंग में यह कहा कि यह किया था हमने वादा, लेकिन हम पूरा नहीं कर सकते। मैं आपको विनती करूं, जो नर्मदा का जल समझौता है उसमें सिरोही का कहीं नाम भी नहीं था। माही-ब्यास के अन्दर तो है उल्लेख, यह जो चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट है उसमें भी है, लेकिन नर्मदा में नहीं था तो सरासर असत्य बात करके, असत्य प्रलाप करके लोगों को गुमराह करने का काम किया, इसलिए पूर्व जल संसाधन मंत्री जी को कहूंगा कि क्षमा याचना तो आपकी पार्टी को, आपको करनी चाहिए। अभी आप गुणगान कर रहे हो प्रधान मंत्री जी, करो, देश के लोगों ने उनको राज दिया है, लेकिन जरा यह बता दो कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में क्या ला पाये आप राजस्थान के लिए? बताइये। गुजरात को 201 करोड़ रुपया दिया, पंजाब को 96 करोड़ रुपया दिया, राजस्थान को एक रुपया...

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, 1966 में पण्डित नेहरू ने सरदार सरोवर की आधारशिला रखी, 2000 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी गुजरात में ले गये और उसके बाद सरदार सरोवर का पानी राजस्थान में कौन लाया? आपकी सरकार थी। असत्य बोला जा रहा है यहां। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। संयम जी, प्लीज कन्क्लूड।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अगर इनकी कोई उपलब्धि हो तो मेरे बाद आने वाला वक्ता बता सकता है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में राजस्थान के लिए देश के प्रधान मंत्री ने फूटी कौड़ी दी क्या? यह आंकड़ा मौजूद है मेरे पास। गुजरात को 201 करोड़, पंजाब को 96 करोड़ और 374 करोड़ रुपये बांटे।

श्री सभापति: प्लीज, कन्क्लूड।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान के हिस्से में कुछ नहीं आया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, आप जिक्र कर रहे हैं फोर वाटर कांसेप्ट का, माननीय मंत्री जी, आप जांच करवाना। ये फोर वाटर कांसेप्ट में जितने स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, कितने स्ट्रक्चर जिन्दा हैं? 90 फीसदी स्ट्रक्चर बहकर चले गये और दुनियाभर का भ्रष्टाचार इस फोर वाटर कंसेप्ट में हुआ जिसकी रिकार्ड पर शिकायत मौजूद है। मैंने खुद एडिशनल चीफ सैक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कहा था कि यह क्या घोटाला कर रहे हो।

(17.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 5 बजे पहले मुखबंद था, अब और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, पर विधान सभा कोई इनकी ही मिल्कियत थोड़े ही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है।

एक माननीय सदस्य: सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अकेला संयम लोढ़ा भारी है पूरी बीजेपी के ऊपर, सब डरते हैं संयम लोढ़ा से।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। Please conclude as early as possible.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से विनती करूंगा अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के सामने सत्य आए, और इसमें क्या हुआ, एक आयोग गठित करिए आप। एक आयोग गठित करके मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन में फोर वाटर कंसेप्ट में जो काम हुआ है, उनकी जांच कराइए। एक साउथ का आदमी लाकर बिठा दिया यहां पर, उसको स्टेटस दे दिया और सारे आफिसर उसके अण्डर में, वह जो कर रहा है, वह फाइनल। खसरा नम्बर कुछ, डिजाइन कुछ, उस खसरे पर काम नहीं, उस डिजाइन के मुताबिक काम नहीं और पेमेन्ट हो रहा है।

श्री सभापति: Please conclude Sanyam, Ji, as early as possible.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, भूमि अवाप्ति कानून आ गया, किसानों की जमीनें ले लीं और भूमि अवाप्ति कानून की पालना नहीं। आपने तो मुख्य मंत्री जल स्वावलबन योजना के नाम पर किसानों का गला घोंटने का काम किया है।

श्री सभापति: I'm just calling....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं टोकना नहीं चाह रहा था, सार्क देशों का सम्मेलन हुआ था और अफ्रीका के राष्ट्रपति यह मानकर गये थे, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना जैसी कोई योजना नहीं,....(व्यवधान) हर चीज रिकार्ड पर ला रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अपनी अंतरात्मा में झांको, अंतरात्मा, ये रेवदर के माननीय सदस्य भी बैठे थे, यहां पूछा इनको आपकी पार्टी के, एक भी स्ट्रक्चर खड़ा हो तो बता दो।

श्री सभापति: प्लीज संयमजी, कनक्लूड। जस्ट ओनली वन मिनट।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, बस एक आखिरी बात कह रहा हूं। अब मैं आपसे माननीय मंत्री जी..

श्री सभापति: बस, एक मिनट।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): क्योंकि ये चाहते हैं, सच्चाई सामने आए। बढ़िया बहस हो रही है, होने दीजिए।

श्री सभापति: प्लीज, समय की प्रतिबद्धता है।

एक माननीय सदस्य: इनको सिंचाई मंत्री बना दो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक विनती कर रहा हूं आपसे।

श्री सभापति: ओनली वन मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, तय करें। आसन से मेरी प्रार्थना है, अगर मुखबंद 6 बजे होगा तो हमारे भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, आपने समय निश्चित किया (व्यवधान) ऐसा मत करो, सभापति महोदय।

श्री सभापति: मैं सबको समय दूंगा। संयम जी, प्लीज कनक्लूड।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): रोज समय बढ़ता है, ये क्यों परवाह कर रहे हैं।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह तय हुआ था माननीय अध्यक्ष जी से कि 5-5 नाम दिए जाएंगे। माननीय राठौड़ साहब ने आगे होकर 10-11 नाम दिए हैं, खुद समय बढ़ाना चाहते हैं। संयम लोढ़ा जी बोल रहे हैं, यह इनको सहन नहीं हो रहा है, इसलिए बार-बार टोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं होगा।

श्री सभापति: संयम जी, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, कोई कितना ही बोले हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जब समय का वितरण आपने सबके लिए कर रखा है तो नियम किसी एक पर लागू होता है, दूसरे पर नहीं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह व्यवस्था ठीक नहीं है। और जहां तक वे जिसकी जांच कराते हैं, सरकार आपके पास है, हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? जो जांच कराना चाहे कर लो न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं वही तो कह रहा हूं न..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या चिंता करते हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वही तो कह रहा हूं न, मैं और क्या कह रहा हूं।

श्री सभापति: संयम जी, प्लीज कनक्लूड।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पहले भी माथुर आयोग बनाकर क्या निहाल कर दिया, माथुर आयोग बनाकर क्या निहाल किया? माथुर आयोग पिछली सरकार में बनाया न, क्या निहाल किया? बताओ तो सही।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे बना दो चेयरमैन माथुर आयोग का, फिर बताऊंगा क्या किया आपने। बनाकर देखो, अगर आपमें हिम्मत हो तो।

श्री सभापति: प्लीज, संयमजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अधिकारियों को डराकर, धमकाकर गलत काम करने का ठेका ले रखा है आपने।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): इतना क्यों घबरा रहे हो, सभापति जी, ये नहीं चला सकते सदन को, आप चला सकते हो। सभापति जी, इनके कहने से थोड़ा ही चलेगा। ये क्यों चलाना चाहते हैं, दबाव में आने की कहां जरूरत है।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र।

एक माननीय सदस्य: संयम लोढ़ा को मंत्री बना दो, फिर वह कर देगा सबको ठीक।

श्री सभापति: संयम जी, प्लीज।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 46 व 38 पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैं कह रहा हूं उनको बिठाइए।

श्री सभापति: प्लीज कनक्लूड, बहुत अच्छे वक्ता हैं, you have spoken so well, please finish it within one minute.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, आपको डायरेक्शन ये बीजेपी वाले नहीं दे सकते।

श्री सभापति: I'll not allow.

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं। (व्यवधान) और आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो रोजाना बोलते हैं, हमारा कभी कभार टाइम आ जाता है और ऐसे +++ हमारा टाइम खा जाते हैं।

श्री सभापति: आपको कम समय नहीं, I'll give you ample time.

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): इनको तो रोज टाइम मिलता है, साहब।

श्री सभापति: मैं समय पूरा दूंगा आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मेरा 10 मिनट का समय इन्होंने खराब किया है।

श्री सभापति: You are a disciplined member.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह विनती करना चाहता हूं कि नरेगा से तो इनको तो प्रेम नहीं था..

श्री सभापति: Please finish.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लेकिन आपका विभाग...

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): दूसरे का नाम बोल दिया, बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद में बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): साहब, यह तो अन्याय हो रहा है। साहब, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री सभापति: आप संयम रखिए। संयम जी, प्लीज।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 46 व 38 पर मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान अन्तरराज्यीय समझौते के तहत दिलाना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, इसको बिठाओ, +++ को।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं I have given you ample time. I'm requesting you, please.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप हाउस को आर्डर में लाइए, मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं, हाउस आर्डर में लाइए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, हम भी चुनकर आये हैं।

श्री पदमाराम (चौहटन): इस आसन को धमकाते क्यों हो? कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, सभापति जी का काम है, आपका थोड़े ही काम है। आप धमकाते क्यों हों।

श्री सभापति: मैं समय दे रहा हूं। आप से बुलवा रहा हूं। अंकित नहीं होगा, अब आगे अंकित नहीं होगा।

(17.07 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: बात तो बताओ न। विराजिए।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

(17.09 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज। समय में यदि कोई बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर आपको सूचना करेंगे। जो कुछ भी हुआ मैं देख लूंगा, पर सभी सदस्यों को जितनी अपनी स्ट्रेन्थ है, उसके अनुसार समय

(श्री अध्यक्ष)

मिलेगा। कोई कमी ज्यादा होगी तो ठीक कर लेंगे, पर कम से कम हम सब सदन में आराम से बैठकर चर्चा करें। हम सबकी जिम्मेदारी है। मान लो यदि टाइम में वेरिएशन होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम के अलाटमेंट के अनुसार ही डिबेट हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह नहीं, हम आपकी व्यवस्था को पूरा मान रहे हैं। आपने जैसा कहा, दस मिनट बोलना, हम दस मिनट में अपनी बात बोलते हैं। पर एक सदस्य को दस मिनट और एक को एक घंटा। यह रोजाना का काम हो गया क्या? समय की सीमा है तो सबके लिए है। अगर निर्दलीयों को भी समय की सीमा है तो उसी सीमा में ही उनका रखना पड़ेगा, तब तो आप हमें रख पाओगे। हमें तो आप दस मिनट में घंटी बजा रहे हो और वे एक घंटे तक बोलकर, हमको +++ देने के लिए ही यहां खड़ा कर रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हो गये? आप अपने स्थान पर जाएं। माननीय सदस्य। माननीय पूनियां जी, नीचे बैठें। माननीय सदस्य, आपके लीडर खड़े हैं आप क्या कर रहे हो? बैठो आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री अध्यक्ष: आपके लीडर से बड़े हो क्या आप? लीडर खड़े हैं और आप बोल रहे हैं। आप सीनियर आदमी हैं, लीडर खड़े हैं फिर बोल रहे हैं आप।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: क्या आपकी नहीं सुन रहे हैं? आप बैठें प्लीज। नीचे बैठें आप। अजीब हैं आप बिलकुल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो बैठ जाएंगे लेकिन क्या उनको बैठने का कोई नहीं है। पांच बार आसन से बता दिया, उसके बाद भी आसन को इंगित करके जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, रिकार्ड निकालकर दिखाओ इसमें से। क्या होता है यह? मजाक करते हो? आसन के साथ इस तरह से +++ करते हैं और उसके बाद भी आसन की एक बात नहीं मानते हैं। हम आपकी घंटी की बात मान करके बैठ जाते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप बैठें प्लीज। माननीय सदस्य, यह आपका काम नहीं है, मेरा काम है। मेरा काम आप करेंगे क्या?

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नीचे बैठें। माननीय सदस्य। आप नहीं मान रहे तो चले जाइये। नहीं सुनना, माननीय सदस्य? सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.13 बजे 17.43 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(17.43 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि समय का बंटवारा ठीक ढंग से हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, हम यहां अपमानित होने के लिए नहीं बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बैठें तो सही आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जब आसन से न्याय नहीं होता है...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बैठें तो सही, एक मिनट बैठें तो सही। माननीय सदस्य, एक मिनट बैठें तो सही। माननीय कटारिया जी...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमें कोई खुशी नहीं है...

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट बैठो तो सही, एक मिनट बैठो तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह तरीका नहीं चल सकता है। हमको गाली दिलाने के लिए 40 मिनट उनको मिल सकता है, रोज यह नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय लीडर, आप एक मिनट विराजें, एक मिनट विराजें, एक मिनट विराजिए। प्लीज, एक मिनट बैठें आप। माननीय राजेन्द्र जी, एक मिनट विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमारी आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बैठें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सदन का उपयोग जिस तरह हो रहा है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सत्तारूढ़ दल में खुद में दम नहीं है, किसी और की आड़ में हमें +++ दिलाते हो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मेरी बात तो सुनें। प्लीज, बैठें आप। एक सभापति के रूप में मेरी जिम्मेदारी है यदि इसमें कोई कमी रह गयी, त्रुटि रह गयी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आप और हम सब मिलकर चर्चा करें। मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि हम...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आज हम आपसे न्याय चाहते हैं। आपने हमको समय दे रखा है कि हमको इतने समय तक बोलना है, इतने लोगों को बोलना है और आपके सामने यह बात हुई थी कि निर्दलीयों में से भी समय की सीमा है। उनको अगर एक घंटा है तो हमको तीन घंटा है, उस प्रपोर्शनेट में मिलना चाहिये। अब आप रिकार्ड निकालो और रिकार्ड के आधार पर उनके दो घंटे आते हैं और हमको तीन मिनट में घंटी बजाकर आप डिस्टर्ब करते हो, यह आखिर कब तक चलेगा?

श्री अध्यक्ष: एक मिनट रुको आप, एक मिनट रुको आप। टाइम देख लेना आप, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज बैठें आप। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह परम्परा नहीं है। मैं खड़ा हूं फिर भी आप, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): Sir, every member is equal here.

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय धारीवाल जी ने गलती की, फिर माननीय संयम लोढ़ा जी ने गलती की, आप कब तक इनकी ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने डिसिप्लिन में रहकर देख लिया, डिसिप्लिन से कोई अर्थ नहीं है। हमको +++ देने वाला अगर 50 मिनट भी बोलकर +++ दे तो इस सदन को बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई स्तर की बात कहे, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर इस तरह रोज उनका उपयोग इसलिए करे कि हम लोगों को +++ देने के लिए ही उसको तैयार कर यहां 40 मिनट बुलाएं, रोज यह 40 मिनट कैसे बोल सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बैठें आप ...(व्यवधान) आपके लीडर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं आप ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपको उस दिन भी बताया हमारे 101 लोगों के ध्यानाकर्षण का उत्तर आ गया, हमारे 7 लोगों के ध्यानाकर्षण लगे और उनके 7 उत्तर आये उसमें से 4 ध्यानाकर्षण लगे। मैं आसन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं लेकिन आखिर यह किस सीमा तक चलेगा, कैसे चलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लें, प्लीज यह तरीका नहीं है, आप सुनिए तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आप बात तो सुनेंगे, आप बात तो सुनेंगे। आपके लीडर बोल रहे हैं फिर भी आप बोल रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नो, नो, बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गयी। अब यह बर्दाश्त के बाहर चला गया, अब नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, एक मिनट, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे कस्टोडियन हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है वह अब से नहीं हो रही है, लगातार हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अध्यक्ष को भी नहीं सुनना चाहते हैं, मैं बैठ जाऊं फिर? आप सुन नहीं सकते दो मिनट। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, नहीं सुनना है क्या आपको, यह कोई परम्परा नहीं है, प्लीज, ...(व्यवधान) नहीं सुन रहे क्या आप? माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठें आप प्लीज। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। कटारिया जी, यह परम्परा ठीक नहीं है, कटारिया जी, यह परम्परा ठीक नहीं है। अध्यक्ष की बात नहीं सुनेंगे? अध्यक्ष की बात नहीं सुनेंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) आसन जो चाहे करे, आसन जैसा चाहे वैसा करे, पर हम यह नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस सीमा तक बर्दाश्त नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: फिर क्या बर्दाश्त करना है आपको, क्या बर्दाश्त करना है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): चाहे कुछ भी हो जाये, यह नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है यह बर्दाश्त ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, आप सीनियर आदमी हैं, बैठें। यह कोई तरीका नहीं है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अब बर्दाश्त के बाहर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह बर्दाश्त हो जाएगा? यह बर्दाश्त हो जाएगा? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह बर्दाश्त के बाहर है, यह बर्दाश्त के बाहर है।

श्री अध्यक्ष: यह बर्दाश्त हो जाएगा, यह बर्दाश्त हो जाएगा? यह ठीक नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपके जो मर्जी आये वह करो, आप जो कहोगे हम आश्वासन देते हैं, पर यह बर्दाश्त की सीमा के बाहर है।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) माननीय कटारिया जी, यह तरीका नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप जो चाहो सो कर लीजिए, हम आपको छूट देते हैं, पर यह नहीं चल सकता है।

श्री अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है, यह तरीका नहीं है। रिकार्ड नहीं करें, रिकार्ड नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: न्याय करने के लिए ही तो खड़ा हुआ हूं, न्याय करने के लिए ही तो खड़ा हुआ हूं। न्याय सुन नहीं रहे। न्याय करने के लिए खड़ा हुआ हूं, न्याय सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) मैं न्याय करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, आप बात तो सुनेंगे ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: मंगा रहे हैं, मंगा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: सुनोगे तो सही, सुनोगे भी नहीं, बिना सुने न्याय करोगे, न्याय तो सुनोगे ...(व्यवधान) आपको सुनना नहीं है। कटारिया जी, सुनना ही नहीं है कुछ भी, अध्यक्ष को भी नहीं सुनना है, अध्यक्ष को भी नहीं सुनना है? ठीक है, माननीय मंत्री जी, जवाब दें, माननीय मंत्री जी। चर्चा समाप्त हुई जवाब दें। चर्चा समाप्त हुई जवाब दें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

एक घण्टा 26 मिनट बीजेपी बोल चुकी है, एक घण्टा 14 मिनट कांग्रेस बोली है, मैं कहां अन्याय कर रहा हूं। यह रिकार्ड में है। यह रिकार्ड में है, आप सुनना ही नहीं चाहते। खतम कीजिए। मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई और 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठें। यह तरीका नहीं है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): इन मांगों पर जिन-जिन माननीय सदस्यों ने उपयोगी सुझाव दिये हैं, उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं उनके कटौती प्रस्तावों के जवाब भिजवा दूंगा। 'गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम् कुरु' नर्मदा और यमुना हमारे राजस्थान में आती हैं, उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारम्भ करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.4 प्रतिशत हमारे राज्य में है, जबकि पानी सिर्फ 1.16 प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी आप बैठें। कटारिया जी, मेरा निवेदन है, एक मिनट आप बात सुन लें। यह रिकार्ड है। कल्ला जी, बोलिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में खास तौर से जो 295 ब्लाक हैं, उनमें से 45 ब्लाक ऐसे हैं जो सुरक्षित संरक्षित हैं, बाकी अति दोहित 184 ब्लाक हैं। इसके कारण से हमारा भू-गर्भ का जल काफी नीचे जा रहा है। राजस्थान में सतही पानी बहुत कम है। लेकिन हमारे नेताओं की दूरदर्शिता के कारण पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी की।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय अनुदान की मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ाया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राजस्थान में औसत वर्षा 531 मिलीमीटर है, लेकिन रेगिस्तानी जिलों में यह लगभग 150 से लेकर 350 मिलीमीटर है। कुल मिलाकर जब देश आजाद हुआ, उस समय रावी, ब्यास और सतलज का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा था। उस वक्त भारत के निर्माता प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी करके राजस्थान को पानी दिलाया। हमारे विपक्ष के लोग कई बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अमेरिका में 'Tennessee Valley Project' जो मनुष्य निर्मित बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में राजस्थान को दिया और आज आप देखते हैं कि लगभग 16 लाख हैक्टेयर से ज्यादा भूमि पर खेती हो रही है, वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से हो रही है।

इसी प्रकार चंबल, माही, नर्मदा का जल राजस्थान की धरती पर लेकर आये। मैं इस अवसर पर हमारे पूर्व नेताओं को स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने अन्तरराज्यीय विवादों के बारे में यहां पर बहुत अच्छी तरीके से बातें रखीं। उसमें इंडस वाटर ट्रीटी, इराडी कमीशन, लोंगोवाला समझौता सभी का जिक्र करते हुए राजस्थान के नये माननीय सदस्यों को एजुकेट किया। मुझे याद है जब बहस होती थी तो प्रेस की गैलेरी खचाखच भरी रहती थी और

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

देखते थे कि राजस्थान का हित कहां पर है? राजस्थान के हित को ध्यान में रखते हुए हमारे नेताओं ने राजस्थान में योजनाएं बनायीं और उन योजनाओं का यह असर है कि राजस्थान में लगभग.. रावी व्यास में हमको 13.71 बीसीएम, चंबल समझौते के अंतर्गत 1.97 बीसीएम, माही समझौते में 0.46 बीसीएम, नर्मदा में 0.62 बीसीएम और यमुना में 1.12 बीसीएम जल प्राप्त हो रहा है। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि 257 लाख हैक्टेयर है, उसमें 111.08 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि है, 42.34 लाख हैक्टेयर भूमि में कृषि सिंचाई से होती है, बाकी भूमि की सिंचाई भूगर्भ के जल से हो रही है। हमारे यहां खास तौर से 22 वृहत् सिंचाई योजनाएं हैं, 24 मध्यम योजनाएं हैं, 729 सिंचाई योजनाएं हैं और 3236 योजनाएं ऐसी हैं, जो पंचायतों के माध्यम से चल रही हैं। पंचायती राज को हस्तांतरित करके उनके माध्यम से चल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो सतही जल लगभग 24 परसेंट है, वह केवल मात्र कांग्रेस की देन है। इसके अलावा आज जो बहस हुई है, इस बहस में खास तौर से सबसे पहले राजसमंद से आने वाली माननीया सदस्या ने सीएडी कार्यों का जिक्र किया। सीएडी कार्य 2017 में भारत सरकार ने, जो इन्हीं की सरकार है, बंद कर दिये। इनको पता ही नहीं है कि उसका बजट रखा या नहीं रखा। वे आज बोलकर चली गयीं। सामने अब वे हाजिर नहीं हैं। सीएडी वर्क्स भारत सरकार ने 2017 में बंद कर दिये। इस योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत भारत सरकार और 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार पैसा देती थी। लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस है कि इन्हीं के नेतृत्व की सरकार ने सीएडी वर्क्स को पूरे देश में बंद कर दिया। 6.83 लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने के प्रस्ताव बीजेपी शासनकाल के और हमारे कार्यकाल के 3 लाख हैक्टेयर के प्रस्ताव भारत सरकार के पास प्रस्तुत हैं। यदि उनके पैसे मिल जाएंगे तो हम सीएडी के वर्क्स शुरू कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, सीएडी स्मिक योजना के बारे में इन्होंने जिक्र किया। राजस्थान में भारत सरकार के सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के कार्यक्रम में 8 परियोजनाएं केन्द्रीय सहायता से प्रगतिरत थीं, जिनमें केन्द्रीय सहायता व राज्य निधि का 50-50 प्रतिशत का हिस्सा था, लेकिन ये योजनाएं भारत सरकार ने 2017-18 में बंद कर दीं।

राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना में उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र के बारे में जिक्र किया। 2017-18 में 44.56 करोड़ रुपये का बजट रखा था,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

2018-19 में 228 करोड़ रुपये रखा था। हमने 2019-20 में 207.13 करोड़ रुपये की राशि रखी है और उसमें 25 जुलाई तक हम 176 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं।

इसी प्रकार उन्होंने एनबीडी लोन प्रोजेक्ट के बारे में बताया। वर्ष 2018 में क्लोजर पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी नहर में बी.जे.पी. की सरकार ने मात्र 7.31 किलोमीटर में 69.13 करोड़ रुपये खर्च किये, जबकि वर्ष 2019 में क्लोजर पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी फीडर का काम 9.45 किलोमीटर में और इंदिरा गांधी मुख्य नहर का 14.17 किलोमीटर राइजिंग का कार्य कराया गया। इस प्रकार साढ़े तीन गुना इनकी तुलना में हमने ज्यादा कराया। आगे भी 109.60 करोड़ रुपये का कार्य कराया जाएगा। 2020 में क्लोजर पीरियड में 43.43 किलोमीटर और इसके साथ-साथ सूरतगढ़, रावतसर शाखा के 460.93 करोड़ के जीर्णोद्धार के कार्य कराये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, ये बातें तो बहुत करते हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी कैनाल कौन लाया, कांग्रेस। माही की योजना कौन लाये? हरिदेव जी जोशी, कांग्रेस और उसके बाद राजस्थान में जितनी भी योजनाएं आयी हैं। चंबल कौन लेकर आया? महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये सारी योजनाएं कांग्रेस लेकर आयी है। इन्होंने तो मात्र बातें की हैं और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अभी राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या ने जायका का जिक्र किया। राजस्थान का जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, इसमें वर्ष 2017-18 में मात्र 18 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी। 2018-19 में 125.19 लाख रुपये रखा गया, जबकि 2019-20 में 276.47 करोड़ रुपये रखे गये। पता नहीं वे कहां से आंकड़े लेकर आयीं, असत्य के अलावा उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। किसी ने लिखकर दे दिया, वह भाषण उन्होंने पढ़ दिया। उन्हें पता ही नहीं है कि जायका योजना में राजस्थान सरकार क्या कर रही है?

राजसमंद में सिंचाई योजना की नहरों की मरम्मत के बारे में मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा। 2825.9 लाख की योजना 03.05.2018 को जारी की गयी। उक्त कार्य की निविदा 18.09.2018 को खोली गयी एवं स्वीकृति हेतु अधिकारियों को प्रस्तुत की गयी है। इस बारे में पूर्व मंत्री जी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बहुत बोलीं, जैसे ही नोटबंदी हुई, वैसे ही मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में योजना मंजूर की। उसके बाद टेंडर निकाल दिये। जैसे ही इनकी सरकार गयी, इधर हमारे मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली, इनके उसी सैक्रेटरी ने अपने दस्तखतों से उस योजना को निरस्त कर दिया, जो नोटबंदी जैसा काम था। मैं समझता हूं उन्हें पता नहीं है कि उन्हीं के वक्त के सैक्रेटरी ने अपनी कलम से मंजूर किया और अपनी ही कलम से निरस्त कर दिया तो उन्हें अफसोस होना चाहिए। परवन वृहत् सिंचाई एवं पेयजल परियोजना, झालावाड़ के बारे में भी उन्होंने काफी बातें कहीं। अब तक सिंचाई विभाग लगभग 2900 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर चुका है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

(18.00 बजे)

इस योजना में अडाणी पावर लिमिटेड को 964.53 करोड़ रुपये देने थे। एक रुपया बीजेपी की सरकार ने उनसे नहीं लिया। पैसा ये नहीं ले सके, हमको कहते हैं साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये का बजट रखा है। सिंचाई विभाग तो अपना हिस्सा पूरा लगा रहा है लेकिन अडाणी पावर से जो हिस्सा लेना था, वह आज तक यह प्राप्त नहीं कर सके। हम प्राप्त करके इस योजना को आगे बढ़ाएंगे।

ड्रिप योजना के बारे में, प्रदेश में बड़े बांधों के जीर्णोद्धार, आधुनीकरण एवं सुरक्षा प्रबन्धों के कार्य हेतु विश्व बैंक वित्त पोषित जल संसाधन मंत्रालय की बांध सुधार एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 189 बड़े बांधों हेतु 965 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। वर्तमान में परियोजना के प्रारंभिक कार्य यथा बांधों का विशेषज्ञ दल द्वारा निरीक्षण, जल आवक पुनर्निर्धारण, इनके सुझावों के अनुसार डीपीआर का कार्य प्रगति पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसमें राजस्थान फीडर का पानी आता है। मुग्धा नाले और जालन्धर तथा लुधियाना में कुछ फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल आता है। कई माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया था। अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी पंजाब जाकर आए हैं। इस इश्यू को उठाया है। जब वे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलेंगे, विस्तार से सदन को इसके बारे में बताएंगे। मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि चाहे इस पक्ष की सरकार रही हो या उस पक्ष की, सबने अपनी तरफ से इसमें

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रयत्न किए हैं। लेकिन वर्तमान में जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, वे बहुत ही गंभीर और प्रदेश के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं इस अवसर पर आपको आश्वस्त करता हूं कि जितने भी कटौती प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों के जवाब लिखित में माननीय सदस्यों के पास भिजवा दूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मांग संख्या 46 और 38 को पारित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मांग संख्या 46 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46-सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,50,75,07,000/- (अड़तीस अरब पचास करोड़ पिचहत्तर लाख सात हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,18,02,97,000/- (एक अरब अठारह करोड़ दो लाख सतानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत हैं।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1-राज्य विधान मंडल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1-राज्य विधान मंडल के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 73,46,32,000/- (तिहत्तर करोड़ छियालीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 2-मंत्रिपरिषद्

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2-मंत्रिपरिषद के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,01,23,000/- (पन्द्रह करोड़ एक लाख तेईस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 3-सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3-सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,03,71,81,000/- (तीन अरब तीन करोड़ इकहत्तर लाख इक्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 4-जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,33,13,46,000/- (पांच अरब तैंतीस करोड़ तेरह लाख छियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,71,92,59,000/- (दो अरब इकहत्तर करोड़ बानवे लाख उनसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,03,62,37,000/- (पांच अरब तीन करोड़ बासठ लाख सैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,07,37,000/- (सत्तर करोड़ सात लाख सैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12-अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,60,84,00,000/- (छह अरब साठ करोड़ चौरासी

(श्री अध्यक्ष)

लाख) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,44,53,79,000/- (नौ अरब चवालीस करोड़ तिरेपन लाख उन्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,25,67,68,05,000/- (दो सौ पच्चीस अरब सड़सठ करोड़ अड़सठ लाख पांच हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,04,63,01,000/- (एक अरब चार करोड़ तिरेसठ लाख एक हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 20-आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,61,12,89,000/- (एक अरब इकसठ करोड़ बारह लाख नवासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,87,81,58,000/- (बासठ अरब सत्यासी करोड़ इक्यासी लाख अठावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,91,64,97,000/- (दो अरब इक्यानवे करोड़ चौंसठ लाख सतानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,64,97,35,000/- (दस अरब चौंसठ करोड़

(श्री अध्यक्ष)

सतानवे लाख पैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्‌वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,93,48,37,000/- (दो अरब तिरानवे करोड़ अड़तालीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्‌वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,59,20,93,000/- (तीन अरब उनसठ करोड़ बीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्‌वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 81,55,63,81,000/- (इक्यासी अरब पचपन करोड़ तिरेसठ लाख इक्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्‌वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,19,99,02,000/- (पचास अरब उन्नीस करोड़ निन्यानवे लाख दो हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,01,88,25,000/- (छह अरब एक करोड़ अठासी लाख पच्चीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,36,52,04,000/- (अट्ठाईस अरब छत्तीस करोड़ बावन लाख चार हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को रुपये 27,49,13,86,000/- (सत्ताईस अरब उनचास करोड़ तेरह लाख छियासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,22,98,88,000/- (सतरह अरब बाईस करोड़ अठानवे लाख अठासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,39,05,000/- (एक करोड़ उनतालीस लाख पांच हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,57,04,95,000/- (उनसठ अरब सतावन करोड़ चार लाख पिचानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 42-उद्योग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,23,69,89,000/- (पांच अरब तेईस करोड़ उनहत्तर लाख नवासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43-खनिज

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,21,46,000/- (तीन अरब इक्कीस लाख छियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,78,40,000/- (तीस करोड़ अठहत्तर लाख चालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,02,05,91,12,000/- (दो सौ दो अरब पांच

(श्री अध्यक्ष)

करोड़ इक्यानवे लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 21,23,000/- (इक्कीस लाख तेईस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50- ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 22,98,19,12,000/- (बाईस अरब अठानवे करोड़ उन्नीस लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य, राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.22 बजे सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को कोचिंग हेतु सहायता

359. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को स्नातक परीक्षा के पश्चात् विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग हेतु सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

<u>केन्द्र प्रवर्तित योजना:-</u>

1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य के 15 ब्लाक्स, 17 कस्बों तथा 2 जिला मुख्यालयों में संचालित हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि से जुड़े आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।
2. नया सवेरा : योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों/विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग।
3. "नई रोशनी" अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की योजना है।
4. अवसंरचनात्मक विकास के लिये योजना (IDMI)
5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स योजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाती है।

<u>राज्य प्रवर्तित योजना:-</u>

1. अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क आवासीय छात्रावास की योजना।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

2. अनुप्रति योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं IIT's AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NIT.s CLAT, IIM's, IISAR (Kolkata & Bangalore), GOI/MCI Certified मेडिकल कालेजों आदि में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

3. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता। (इस योजना के तहत वित्तीय अनुदान का प्रावधान नहीं है, अपितु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उनकी पात्रता के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है)।

4. अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण योजना संचालित है।

5. मदरसा शिक्षा योजना:- राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

   1. आदर्श मदरसा योजना:- इस योजना के अन्तर्गत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किये जा रहे है तथा मदरसों को अन्य सुविधायुक्त बनाया जा रहा है।
   2. जन सहभागिता योजना:- इस योजना का मूल उद्देश्य मदरसों की आधारभूत संरचना एवं विकास में जनभागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाना है।
   3. मदरसा आधुनीकरण योजना:- इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग्स अभ्यास पुस्तिकाएं, पैराटीचर स्टाफ के लिए फर्नीचर, बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क एवं बैंच, खेल सामग्री व कम्प्यूटर इत्यादि सुविधाएं दी जा रही हैं।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सहयोग से अल्पसंख्यकों हेतु निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है:-

1. ऋण योजनाएं

   (ए) टर्म ऋण योजना

   (बी) शिक्षा ऋण योजना

   (सी) माइक्रो ऋण योजना

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

2. महिला समृद्धि योजना

(2) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को स्नातक परीक्षा उपरान्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के पश्चात अनुप्रति योजना प्रोत्साहन के तहत तीन चरणों में (प्रारम्भिक, मुख्य व साक्षात्कार) राशि प्रदान की जाती है।

डूंगरगढ़ में पशु चिकित्सालय में रिक्त पद

360. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कहां-कहां पशु चिकित्सालय एवं सब-सेन्टर स्वीकृत हैं?

(2) उक्त चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक तथा अन्य कार्मिकों के कितने पद स्वीकृत हैं? चिकित्सालयवार व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

धरियावद के किसानों को ऋण माफी

371. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों का 50 हजार रुपये का ऋण माफ किया था? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र धरियावद में कितने किसानों का कितना-कितना कर्जा माफ किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार द्वारा कितने किसानों का कितना-कितना कर्जा माफ किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र धरियावद अन्तर्गत ऋण माफी योजना 2018 में 16843 किसानों का 3299.23 लाख रुपये का कर्जा माफ किया गया। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान सरकार द्वारा ऋण माफी योजना 2019 अन्तर्गत 7926 किसानों का 1800.22 लाख रुपये का कर्जा माफ किया गया। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति

372. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फरवरी, 2019 में निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु मजदूरों के बच्चों से ठेकेदार का जीएसटी व पैन संख्या अनिवार्य कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कहां-कहां, कितने-कितने छात्रवृत्ति के आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कहां-कहां, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार छात्रवृत्ति हेतु अनिवार्य किये गये ठेकेदार के जीएसटी व पैन संख्या के नियम को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

(3) क्या यह सही है कि दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे जिनके माता-पिता किसी ठेकेदार के अधीन कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति से वंचित किया जाएगा? यदि हां, तो ऐसे दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार कोई नयी योजना लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डल की योजनाओं में लाभ देने का प्रमुख आधार ''निर्माण श्रमिक'' ही है। यदि वह निर्माण श्रमिक नहीं है अथवा निर्माण कार्यों में नियोजित नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में वह लाभ लेने का अधिकारी नहीं है। विभाग के आनलाइन साफ्टवेयर में आवेदक निर्माण श्रमिक के पात्र या अपात्र को स्पष्ट करने, नियोजक की पहचान सुनिश्चित करने व प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नियोजक के आधार अथवा भामाशाह अथवा मोबाइल नम्बर अथवा बीओसीडब्ल्यू पंजीयन संख्या अथवा जीएसटी अथवा पैन नम्बर उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया।

शिक्षा एवं कौशल विकास योजना में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अब तक 1,52,894 हिताधिकारियों उनके बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) नियोजक की पहचान सुनिश्चित करने तथा जिलों में प्रक्रियात्मक एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से नियोजक अथवा ठेकेदार के बीओसीडब्ल्यू पंजीयन संख्या अथवा जी.एस.टी. नम्बर अथवा पैन नम्बर में से कोई भी एक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। पात्र व्यक्ति को ही योजनाओं का हितलाभ मिल सके, इसके लिए निर्माण संबंधी सूचना लिया जाना आवश्यक है। गत 3 माह में 1,28,000 लोगों द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए पालना कर ली है। इससे फर्जी नियोजन प्रमाण-पत्रों पर रोक भी लगेगी।

(3) जी नहीं। मण्डल द्वारा निर्माण कार्य में नियोजित एवं पंजीकृत सभी श्रमिक जिसमें दिहाड़ी मजदूर भी शामिल हैं, के बच्चों को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाता। यदि कोई दिहाड़ी मजदूर किसी ठेकेदार के अधीन कार्य नहीं कर रहा है तो उसके नियोजन का सत्यापन निर्माण श्रमिक संघ अथवा श्रम निरीक्षक अथवा पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया

(राज्य मंत्री, श्रम)

जा सकता है। विभाग के द्वारा गत वर्षों में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर शिविर आयोजित कर निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। इसके अतिरिक्त दिहाड़ी मजदूरों की चौखटियों पर भी विशेष शिविर लगाये जाते रहे हैं। अत: दिहाड़ी मजदूर पात्रता अनुसार उसके बच्चों की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुण्डावर में खेल स्टेडियम का निर्माण

373. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर में एक स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

समन्वित स्टेडियम (खेल संरचना) विकास कार्यक्रम-2015 के तहत राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर इनके निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पदस्थापन

374. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनुबंध पर 65 वर्ष के पश्चात् भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पदस्थापन किया गया है? यदि हां, तो कब से, किन-किन व्यक्तियों का किस-किस स्थान पर किन-किन शर्तों पर किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारियों को उसी सीट पर लगाया गया है, जिस पर वे पहले से कार्यरत थे? उक्त की सूची व पद, नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

(3) क्या यह सही है कि निगम में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन में नियमों का उल्लंघन करते हुए कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर तरजीह देकर पदस्थापन किया गया है? यदि हां, तो किस-किसको, किस कारण एवं किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) निगम में 65 वर्ष से अधिक आयु के संविदा पर लगे कर्मचारियों को किस-किस स्थान पर पदस्थापित किया हुआ है? उक्त को कब तक हटा दिया जाएगा? नहीं, तो क्यों? संविदा कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 17 (1) के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से श्री एम.एल. खत्री को यांत्रिक विभाग से सम्बन्धित कार्यों हेतु सलाहकार (यांत्रिक) के तौर पर एक निश्चित राशि पर आदेश क्रमांक 57 दिनांक 26.2.2019 द्वारा मुख्यालय में सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष के पश्चात् लगाया हुआ है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान परिवहन निगम में वर्तमान में सभी संवर्गों में अधिकारियों की कमी है।

संचालन एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु निम्न अधिकारियों से निम्नानुसार कार्य लिया जा रहा है :-

1. श्री ललित कुमार शर्मा, संभाग यांत्रिक अभियन्ता से कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक) के पद का कार्य लिया जा रहा है।
2. श्री रिजू जैकब, संभाग प्रबन्धक से सचिव निगम के पद का कार्य लिया जा रहा है।

(4) कार्यालय आदेश संख्या 57 दिनांक 26.02.19 द्वारा श्री एम.एल. खत्री, निगम से सेवानिवृत्त संयुक्त महा प्रबन्धक (यांत्रिक) को निगम में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की कमी के कारण एकल निविदा के माध्यम से सलाहकार यांत्रिक के तौर पर एक वर्ष के लिए लिया गया है। प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। वर्तमान में इन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुम्भलगढ़ सैंक्चुअरी को राष्ट्रीय पार्क बनाने की कार्ययोजना

375. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कुम्भलगढ़ सैंक्चुअरी को राष्ट्रीय पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है एवं परशुराम महादेव जी मंदिर को प्रस्तावित पार्क सीमा के भीतर ही माना है? क्या यह सही है कि ट्रस्ट के द्वारा जिला कलेक्टर को इस संबंध में आपत्ति भी दर्ज करवायी जा चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मंदिर को प्रस्तावित नेशनल पार्क की सीमा से बाहर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार द्वारा सादड़ी-रणकपुर में वन सीमा से एक किलोमीटर तक भूमि रूपान्तरण पर पूर्णतया रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय पर्यटन स्थलों के विकास हेतु भूमि रूपान्तरण में छूट दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 35 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30/11/2011 द्वारा कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का विचार (Intention) की घोषणा की गई है।

परशुराम महादेव जी मंदिर प्रस्तावित कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भीतर आता है।

इस संबंध में परशुराम महादेव अमरगंगा चैरिटेबल ट्रस्ट, सादड़ी, मारवाड़ द्वारा जिला कलेक्टर, राजसमन्द को एवं अध्यक्ष, परशुराम महादेव कुण्ड़धाम ट्रस्ट, मण्डल सादड़ी तथा ग्रामवासी राजपुरा पंचायत समिति देसूरी के द्वारा जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष आपत्ति दर्ज करवायी गयी। आपत्तियों का निस्तारण जिला कलेक्टर राजसमंद एवं पाली द्वारा क्रमश: आदेश दिनांक 25.11.2013 तथा 19.08.2016 को किया गया।

वन विभाग द्वारा इस मंदिर एवं इसके परिक्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से बाहर रखना विचाराधीन नहीं है।

(2) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31/03/2015 व 13/05/2016 द्वारा वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ़ की सीमा से एक किलोमीटर की परिधि में भूमि रूपान्तरण पर रोक लगा रखी हैं।

(राज्य मंत्री, वन)

संरक्षित क्षेत्रों के ईको-सैन्सिटिव जोन एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग द्वारा भूमि रूपान्तरण की छूट दिया जाना विचाराधीन नहीं है।

डग में अवैध खनन

376. श्री कालूराम (डग): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम पिपलिया चौराहा से लेकर रूणजी-गुणजी चौराहा तक सड़क के चारों तरफ हो रहे अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम पिपलिया चौराहा से लेकर रूणजी-गुणजी चौराहा तक सड़क के दोनों तरफ खनिज लाइमस्टोन (डायमेन्शनल)/कोटा स्टोन के 27 खनन पट्टे प्रभावशील हैं, जिनमें खनन कार्य किया जा रहा है। ग्राम रूणजी स्थित खनन पट्टा संख्या 1/2014 के पास खसरा नम्बर 501 में दिनांक 14.06.2019 को जांच में खनन पट्टाधारी द्वारा खनिज लाइमस्टोन (डायमेन्शनल) का अवैध खनन कर निर्गमन किया जाना पाया गया। पट्टेधारी को दिनांक 17.06.2019 से नोटिस जारी किया गया है एवं प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र में अवैध खनन न हो, इस बाबत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है।

रोहट (पाली) के किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान

377. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की रोहट तहसील के किस-किस पटवार सर्कल में, खरीफ वर्ष 2017 में अतिवृष्टि से किस-किस फसल का कितना-कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? गिरदावरी एवं फसल कटाई की रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस पटवार सर्किल के बीमित काश्तकारों को किस-किस फसल के खराबे की क्लेम की राशि का भुगतान किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस पटवार सर्किल के बीमित काश्तकारों को किस-किस

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

फसल की बीमा राशि का भुगतान कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से शेष रहे काश्तकारों को फसल बीमा के क्लेम की राशि का भुगतान कितनी अवधि में कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खरीफ 2017 में पाली जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि. द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है, जिसमें फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बीमा क्लेमों का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है। खरीफ 2017 में रोहट तहसील में हुए खराबे का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) फसल कटाई प्रयोगों में विसंगति के कारण संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया गया है जिसके लिए भारत सरकार को निरन्तर अनुरोध किया गया है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) खरीफ 2017 के लिए पाली जिले की रोहट तहसील के 8324 पात्र बीमित कृषकों को 11.49 करोड रुपये का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) प्रकरण को निस्तारित करने के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को भारत सरकार के स्तर से निर्देशित कराया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

दिनांक 8 जुलाई, 2019

डिग्गी निर्माण हेतु किसानों को अनुदान

42. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बिहारीलाल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के नहर से सिंचित क्षेत्र में डिग्गी निर्माण हेतु किसानों को तीन लाख रुपये तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है, किन्तु कृषि-कुओं से सिंचाई करने वाले किसानों को डिग्गी-निर्माण हेतु महज 90 हजार रुपये ही अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, जबकि डिग्गी-निर्माण के लिए दोनों ही श्रेणी के किसानों की आवश्यकताएं समान प्रकृति की हैं?

(2) क्या सरकार कृषि-कुओं से सिंचित क्षेत्र के किसानों को भी नहरी क्षेत्र के कृषकों के समतुल्य डिग्गी-निर्माण हेतु देय अनुदान राशि को तीन लाख रुपये तक दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डिग्गी एवं जल हौज दोनों के निर्माण पर भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एन.एम.एस.ए.) के दिशा-निर्देशों के मध्यनजर राशि रु. 350 प्रति घन मीटर भराव क्षमता की दर से अनुदान देय है। परन्तु दोनों ही श्रेणी के किसानों की आवश्यकताएं अलग-अलग प्रकृति की हैं। डिग्गी का निर्माण राज्य के नहरी क्षेत्रों में जहां बाराबन्दी स्वीकृत है, इस कारण से डिग्गी का न्यूनतम आकार 4 लाख लीटर भराव क्षमता रखा गया है।

जल हौज का निर्माण कुओं एवं नलकूपों से सिंचित क्षेत्रों मे किया जाता है, जहां पर प्रति दिन जल की निकासी की जा सकती है। इस कारण से जल हौज का न्यूनतम आकार एक लाख लीटर रखा गया है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एन.एम.एस.ए.) के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर केवल नहरी क्षेत्र में निर्मित डिग्गियों पर ही अनुदान देय है।

शेरगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों का क्रमोन्नयन

378. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर 2013 से अब तक कितने आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत सभी आंगनबाड़ी केन्द्र शुरू कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती मीना कंवर)

(3) क्या सरकार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं एवं कौनसे राजस्व गांवों में स्वीकृत नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार वंचित राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु सरकार के पास विभागीय प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन-कौन से? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा प्रस्तावित नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत परियोजना बालेसर, शेरगढ़ एवं तिंवरी आती है। दिसम्बर, 2013 से अब तक परियोजना बालेसर में 03 एवं परियोजना शेरगढ़ में 10, इस प्रकार कुल 13 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। उक्त तीनों परियोजनाओं मे इस अवधि में कोई भी मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है। इस अवधि में स्वीकृत किये गये नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त सभी स्वीकृत किये गये 13 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा चुके हैं।

(3) वर्तमान में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र में क्रमोन्नत करने पर भारत सरकार द्वारा रोक है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजस्व गांव में जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं, का परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**राजस्व गांव जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं**	**राजस्व गांव जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं**
1	शेरगढ़	199	57

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**राजस्व गांव जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं**	**राजस्व गांव जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं**
2	बालेसर	125	34
3	तिंवरी	63	29

राजस्व गांव में जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, की सूची परिशिष्ट-ब तथा जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं, की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या मापदण्डों के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं। वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।

(6) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में 24 नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनका विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर रोक होने के कारण इन पर विचार नहीं किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले में संचालित ग्राम सहकारी समितियां

379. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला दौसा में कितनी ग्राम सहकारी समितियां कहां-कहां पर संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नई ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार, जिन ग्राम पंचायतों में सहकारी समिति नहीं है, वहां पर नई सहकारी समिति खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दौसा जिले में 171 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) नई ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने के मानदंड परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगंज मण्डी के एएसआई कम्पनी द्वारा श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अवहेलना

380. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पत्थर उद्योग व खानों में कार्यरत श्रमिक व ठेका श्रमिक हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन कितना-कितना हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों की परिभाषा पत्थर उद्योग व खानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों को पीस रेट के हिसाब से न्यूनतम दर 8 घंटे काम करने पर पूरा न्यूनतम वेतन मिलना सुनिश्चित हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कार्यरत एएसआई कम्पनी द्वारा विगत 2 वर्षों में प्रत्येक श्रमिक को कितना-कितना भुगतान किस-किस प्रकार किया गया है? श्रमिकवार नकद भुगतान के आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या श्रमिक जो 8 घंटे से अधिक कार्य करते हैं तो ओवर टाइम कार्य का भुगतान 2 गुणा दर से भुगतान दिया जाता है? यदि हां, तो उक्त कम्पनी द्वारा विगत 3 वर्षों में श्रमिक व ठेका श्रमिकों को किये गये ओवर टाइम के भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खानों में कार्यरत श्रमिकों एवं ठेका श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन

(राज्य मंत्री, श्रम)

अधिनियम के तहत न्यूनतम वेतन का निर्धारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा इसका प्रवर्तन नहीं किया जाता है।

किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर) में नियोजित कामगारों हेतु श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.09.2018 से निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें निम्न प्रकार हैं :-

कर्मचारियों के वर्ग		न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (प्रतिमाह/ प्रतिदिन रु. में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें (प्रतिमाह/ प्रतिदिन रु. में)	कुल मजदूरी (प्रतिमाह/ प्रतिदिन रु. में)
1 क	**अकुशल कामगार** बेलदार, वर्ककीपर, जलधारी, क्रेंच अटेन्डेन्ट, स्वीपर, पत्थर ढोने वाला	रु. 2106/- प्रतिमाह	रु. 4173/- प्रतिमाह	रु. 6279/- प्रतिमाह
ख	मददगार जरीबी	रु. 1583.15/- प्रतिमाह	रु. 4173/- प्रतिमाह	रु. 5756.15 प्रतिमाह
ग	चौकीदार, जमादार (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)	रु. 2167.90/- प्रतिमाह	रु. 4173/- प्रतिमाह	रु. 6340.90 प्रतिमाह
2	**अर्द्धकुशल श्रमिक** मुंशी, भू-सर्वेक्षक, मेट (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)	रु. 2255/- प्रतिमाह	रु. 4173/- प्रतिमाह	रु. 6428/- प्रतिमाह
3 क	**कुशल कामगार** मिस्त्री, बढ़ई, जलाइदार, लुहार, यंत्रक, फिटर्स, लाइनमैन, बिजली वाला, वाशमैन	रु. 2383/- प्रतिमाह	रु. 4173/- प्रतिमाह	रु. 6556/- प्रतिमाह
ख	मोटरगाड़ियों के ड्राइवर, 10 अश्वशक्ति मशीनों के ड्राइवर	रु. 2656/- प्रतिमाह	रु. 4173/- प्रतिमाह	रु. 6829/- प्रतिमाह
ग	यांत्रिक, आन्ध्रिक, विस्फोटकर्ता, पत्थर चलित चालक	रु. 2656/- प्रतिमाह	रु. 4173/- प्रतिमाह	रु. 6829/- प्रतिमाह

(राज्य मंत्री, श्रम)

उपरोक्त दरें 1 अक्टूबर, 2018 से 30 सितम्बर, 2019 तक प्रभावी हैं। दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जाएगी। मजदूरी की उपरोक्त दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी। अधिसूचना की प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 है।

(2) खानों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों की परिभाषा निम्न प्रकार है:-

1. अकुशल- कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की मामूली आवश्यकता है या नहीं है, सम्मिलित है। 2 वर्ष कार्य करने के बाद ऐसे समस्त अकुशल कामगार अर्द्धकुशल श्रेणी के कामगार के समकक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे।
2. अर्द्धकुशल - कार्य वह कार्य है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षणीय कार्य भी सम्मिलित है। अर्द्धकुशल श्रेणी में सम्मिलित समस्त कामगार तीन वर्ष कार्य करने के बाद कुशल श्रेणी के कामगार के समकक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे।
3. कुशल - कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है। कुशल कामगार जिसने या तो 5 वर्ष कुशल श्रमिक की तरह उक्त पद का कार्य अनुभव या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं अर्जित कर ली हैं, जो भी पहले हो, वह उच्च कुशल कामगार के समकक्ष दरों से मजदूरी पाने का अधिकारी होगा।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में कार्यरत एएसआई इण्डस्ट्रीज लि., कुदायला इण्डस्ट्रियल एरिया, कुदायला (रामगंज मण्डी) में अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों से पीस रेट के हिसाब से कार्य नहीं कराया जा रहा है। 8 घंटे काम करने पर न्यूनतम वेतन की दरों से अधिक भुगतान किया जा रहा है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

किसी भी निजी संस्थान द्वारा श्रमिकों को किये गये भुगतान का रिकार्ड श्रम विभाग में संधारित नहीं किया जाता है।

(4) एएसआई इण्डस्ट्रीज लि., कुदायला इण्डस्ट्रियल एरिया, कुदायला (रामगंज मण्डी) में ओवर टाइम नहीं करवाया जाता है और न ही संस्थान में ठेका श्रमिक कार्यरत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

381. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में सरकार द्वारा जन घोषणा-पत्र में यह घोषणा की गयी थी कि बेरोजगारों को 10 दिन में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? अब तक कितने बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में बेरोजगारी भत्ते से वंचित बेरोजगारों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला रोजगार कार्यालय, नागौर में 48562 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं।

(2) जी नहीं। जन घोषणा-पत्र में यह घोषणा की गयी थी कि शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500/- रुपये प्रतिमाह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारों को 10 दिन में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने संबंधी कोई घोषणा नहीं की गयी थी। प्रदेश में पात्र शिक्षित बेरोजगारों को मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। नागौर जिले में इस योजना के तहत पात्रता रखने वाले 1051 पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों को 30 जून, 2019 तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 22 जुलाई, 2019 तक 1377 नवीन आवेदनों को एप्रूव/स्वीकृत किया जा चुका है, जिन्हें माह अगस्त 2019 में नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(3) नागौर जिले में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत आवेदन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक/उच्च योग्यताधारी श्रेणी में कुल 41227 आशार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से ऑनलाइन प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों में से लाभांवितों की सीमा (एक लाख साठ हजार) तक नियमानुसार केवल योजना की शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 22 जुलाई, 2019 तक प्राप्त 7369 आवेदन आनलाइन प्राप्त हुए, इनमें से 1377 आवेदनों को एप्रूव/स्वीकृत किया गया, 222 आवेदनों को रिजेक्ट किया गया, 5668 अपूर्ण आवेदनों को बैक टू सिटीजन किया गया तथा शेष 102 आवेदन कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं।

अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को निगम की बस सेवा में 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान

382. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बस सेवा में आदिवासियों के लिए 25% छूट दी गयी है? यदि हां, तो उक्त नियम कब बना व अब तक इसकी कितनी पालना हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आदिवासियों के साधारण बस सेवा में 25% छूट का जो प्रावधान किया है उसके अनुसार अब तक कितने लोगों को यह छूट दी गयी है? संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 25% छूट देने का क्या प्रावधान है? विभाग उक्त लाभ किस आधार पर देता है तथा उक्त के प्रचार-प्रसार के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आदिवासी टिकट के लिए निगम द्वारा किसी प्रकार के स्मार्ट कार्ड बनाने की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो अब तक कितने स्मार्ट कार्ड बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ-16 (16) परि/लेखा/निगम/3929 दिनांक 20-21.02.08 परिशिष्ट "1" से प्राप्त निर्देशानुसार निगम के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-4/मु/याता/लेखा/08/108 दिनांक 23.02.08 के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में निगम की साधारण सेवा वाहनों में यात्री किराये में 25 प्रतिशत रियायत दिये जाने हेतु सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धकों को निर्देशित किया हुआ है। प्रति परिशिष्ट "2" पर संलग्न है। इसकी पूर्ण पालना की जा रही है।

(2) वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक आदिवासियों को साधारण बस सेवा में 25 प्रतिशत छूट दी गयी है जिसका विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(3) प्रश्न का उत्तर खण्ड "1" में दिया जा चुका है।

इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यालय पत्र क्रमांक एफ-4/मु/याता/लेखा (107)/2018/2161 दिनांक 25.6.2018 के द्वारा सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया है परिशिष्ट "4"।

निगम द्वारा नि:शुल्क व रियायती यात्रा सुविधा के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में सभी बस स्टैण्डों पर 10x10 फिट के फ्लैक्स लगवाये गये, पम्पलेट छपवाकर ई-मित्र केन्द्रों पर मुख्य प्रबन्धकों के माध्यम से लगवाये गये। इसके अतिरिक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाया गया, जिसमें आदिवासियों के लिए 25 प्रतिशत छूट भी शामिल थी। प्रति संलग्न परिशिष्ट "5"।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। स्मार्ट कार्ड बनवाने हेतु निश्चित राशि देनी होगी। साथ ही समस्त आदिवासियों के स्मार्ट कार्ड बनवाया जाना एक विस्तृत एवं लम्बा तथा पेचीदगी पूर्ण कार्य होने के कारण पूर्व में जारी आदेशों में वर्णित पहचान पत्रों के आधार पर ही टिकट दिये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मरुस्थल के विस्तार को रोकने की कार्ययोजना

383. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

क्या यह सही है कि प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (AFRI) द्वारा सूचित किया गया है कि अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (SAC, ISRO) अहमदाबाद के रिपोर्ट वर्ष 2003-05 और वर्ष 2011-13 के मध्य मरुस्थलीकरण में रेगिस्तानी क्षेत्रफल में 0.29 प्रतिशत की कमी आई है।

मरु प्रसार रोकथाम हेतु वन विभाग द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में वृक्षारोपण (सड़कों, रेलवे लाइन, नहरों एवं चरागाह भूमि पर) किया जा रहा है। इस वर्ष 2019-20 में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण वानिकी, गंग व भाखड़ा नहर परियोजना, आई.जी.एन.पी., कैम्पा एवं परिभ्रांषित वनों का पुनर्रोपण (आर.डी.एफ.) योजनाओं के तहत लगभग 6646.19 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है।

तहसील को इकाई मानकर बजरी लीजों का आबंटन

384. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में लीज के आधार पर बजरी खनन के लिए आर.एम.एम.सी.आर. 1986 में संशोधन कब किया गया था तथा लीज के आधार पर बजरी खानों का आबंटन कितने समय तक किये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में तहसील को इकाई बनाते हुए स्ट्रेचवाइज बजरी लीजों के आबंटन के लिए निविदाएं कब आमंत्रित की गयी थीं तथा आरक्षित राशि के विरुद्ध कितनी राशि की निविदाएं प्राप्त हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश में लीज के आधार पर सरकार द्वारा वैध बजरी खनन बंद है? यदि हां, तो क्यों व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बजरी खनन आर.एम.एम.सी.आर. 2017 के रूल 5(4) वर्तमान में लागू है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य व अन्य के प्रकरण में दिये गये निर्देश दिनांक 27.02.2012 की अनुपालना में अधिसूचना दिनांक 25.05.2012 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किया जाकर नदी-नालों में बजरी का खनन लीज के आधार पर किये जाने का प्रावधान किया गया जिसमें खनन पट्टे की अवधि 5 वर्ष नियत की गयी।

(2) प्रदेश में स्ट्रेचवाइज बजरी की लीजों के आबंटन के लिए निविदाएं वर्ष 2012-13 में आमंत्रित की गयी, निविदा तिथि, आरक्षित राशि एवं निविदा से प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) प्रदेश में नदी-नालों में बजरी का खनन पर्यावरण क्लीयरेंस एवं वैज्ञानिक रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के अभाव में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2017 से प्रतिबन्धित है। प्रदेश में नदी-नालों के अतिरिक्त खातेदारी/ पेलियो चैनल क्षेत्रों में स्वीकृत 72 खनन पट्टों में खनन जारी है। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 का नियम 5(4) दिनांक 01.03.2017 से प्रभावी है। नियमों के उक्त प्रावधान के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका विचाराधीन है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2019 से याचिकाकर्ताओं के मंशा पत्र निरस्त न करने एवं उनके क्षेत्र नीलामी में नहीं रखने का आदेश जारी किया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

माण्डलगढ़ में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

438. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में वर्तमान में कुल कितने पशु चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सालयों में कुल कितने पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं? कितने पदों पर पशु चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में वर्तमान में 6 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं 16 पशु चिकित्सालय (कुल 22) संचालित हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में पशु चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	6	4	2
पशु चिकित्सा अधिकारी	16	5	11

(3) जी हां। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

कृषि यंत्रों पर अनुदान

439. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किस-किस कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नये कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन यंत्रों पर व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत चयनित कृषि यंत्रों पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है। उद्यान विभाग द्वारा उद्यानिकी यंत्रीकरण एवं कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार कृषकों को कृषि यंत्र क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसका विभागवार एवं योजनावार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान हेतु कृषि यंत्रों का चयन भारत सरकार के स्तर पर ही किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पशुपालकों को देय सहायता राशि

440. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा पशुपालकों को किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि की, क्या-क्या सहायता राशि/ऋण/सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पशुपालन को प्रोत्साहन देने हेतु पशुपालकों को दी जाने वाली उक्त सहायता राशि/ऋण/सब्सिडी में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं:-

1. पशुपालन विभाग की ओर से ''उष्ट्र विकास योजना'' अन्तर्गत ऊंटनी के ब्याने पर उत्पन्न प्रति नर/मादा टोडिये हेतु 3 किस्तों में राशि रु. 10000/- प्रति टोडिये की सहायता दी जाती है।
2. राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से भामाशाह पशु बीमा योजना अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/जनजाति तथा बी.पी.एल. श्रेणी के पशुपालकों को प्रीमियम का 70 प्रतिशत अनुदान दिये

(पशुपालन मंत्री)

जाने का प्रावधान है। भेड़ों के लिए संचालित अविका कवच बीमा योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा बी.पी.एल. श्रेणी के भेड़ पालकों के लिए प्रीमियम की राशि का 80 प्रतिशत व सामान्य श्रेणी के भेड़ पालकों के लिए 70 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

3. भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से डेयरी उद्यमिता विकास योजना एवं उद्यमिता विकास एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार को 33 प्रतिशत तथा अन्य जाति के परिवार को 25 प्रतिशत अनुदान (बेक एण्डेड) दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु पशुपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि/ऋण/सब्सिडी में वृद्धि आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार की जाती है।

मसूदा में पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाएं

441. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नये पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या वर्तमान चिकित्सालयों से उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में पशुओं की चिकित्सा या रोगों की उपचार की पूर्ति हो जाती है व उक्त चिकित्सालयों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कुल 16 पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं, जिनका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

नवीन पशु चिकित्सा संस्थान आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

(पशुपालन मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में 4 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 12 पशु चिकित्सालय, 1 पशु औषधालय के अतिरिक्त 27 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र (कुल 44) स्वीकृत हैं, जिनके माध्यम से क्षेत्र के पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

जिन ग्राम पंचायतों में पशुपालन विभाग की कोई भी संस्था कार्यरत नहीं है, वहां नजदीक के पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं जिला पशुधन आरोग्य चल इकाई के माध्यम से पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर पशुपालकों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलवाया जाता है।

वर्तमान में विभाग की पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा, बधियाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान के लिए आवश्यक उपकरण/सामग्री तथा संस्था की मांग अनुसार आवश्यक औषधियां व वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाती हैं।

अत: इन पशु चिकित्सा संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पशुधन संरक्षण हेतु पशुपालकों को विशेष सहायता

442. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पशुपालकों व किसानों की सुरक्षा हेतु दुधारू पशुओं का अलग से बीमा करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बानसूर में किस-किस श्रेणी के कुल कितने पशुधन हैं? विगत 5 वर्षों में किस-किस श्रेणी के पशुधन में कमी या वृद्धि हुई? क्या सरकार पशुधन के संरक्षण हेतु किसानों व पशुपालकों को कोई विशेष सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पशुपालकों व किसानों की सुरक्षा हेतु पशुओं का बीमा करने हेतु प्रदेश में भामाशाह पशु बीमा योजना एवं अविका कवच बीमा योजना पूर्व से ही स्वीकृत है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) पशुगणना 2012 अनुसार तहसील बानसूर में पशुओं की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पशु वर्ग	संख्या
1.	गौवंश	19987
2.	भैंसवंश	119803
3.	बकरी वंश	52202
4.	अश्व एवं टट्टू	97
5.	उष्ट्रवंश	759
6.	भेड़वंश	5906
7.	शूकर	597
8.	कुत्ते	2583
9.	खरगोश	137
10.	हाथी	69
11.	गधे	447
12.	खच्चर	57
13.	कुक्कुट	6038

पशुगणना प्रति पांच वर्ष में की जाती है। वर्तमान में पशुगणना कार्य प्रगति पर है।

अत: गत पांच वर्षो में पशुधन में कमी या वृद्धि की संख्या उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में पशुधन के संरक्षण हेतु पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना, पशुधन आरोग्य चल इकाई, रोग निदान प्रयोगशालाओं के माध्यम से पशुरोग नियंत्रण, पशुओं में टीकाकरण, पशुपालकों को प्रशिक्षण आदि योजनाएं पूर्व से ही संचालित हैं।

बामनवास में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान

443. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितनी दुग्ध डेयरियां चलायी जा रही हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(2) उक्त दुग्ध डेयरियों पर सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को कितनी राशि का भुगतान किस हिसाब से किया जा रहा है तथा दुग्ध उत्पादकों को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दुग्ध उत्पादकों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस योजना में व कितनी? क्या प्रावधानानुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सवाईमाधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के माध्यम से 36 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) संघ प्रबन्धन द्वारा दुग्ध उत्पादकों को वर्तमान में रुपये 600/- प्रति किलो फैट की दर एवं फरवरी, 2019 से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजनान्तर्गत रुपये 2/- प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है।

दुग्ध उत्पादकों को निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैंः-

दुग्ध उत्पादकों के पशुओं की सुरक्षा व आपदा से होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा बीमा करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

दूध उत्पादकों को बीमा कम्पनी के माध्यम से आरोग्य बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

दुग्ध उत्पादकों को उचित दर पर पशु आहार उपलब्ध करवाना।

मजेवला एवं पट्टा दुग्ध समितियों पर बीएमसी की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा 01 फरवरी, 2019 से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजनान्तर्गत रुपये 2/- प्रति लीटर की दर से भुगतान किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु रुपये 220/- करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ जिले में माइनिंग लीज हेतु आबंटित भूमि

444. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में सरकार द्वारा कितनी माइनिंग लीज किस-किस कंपनी को आबंटित की गई है? आबंटित भूमि का कितना क्षेत्रफल (आबादी/बिलानाम/चरनोट/गोचर) किस भूमि का है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सीमेंट कंपनियों के क्रेशर प्लांट कहां-कहां पर किस-किस भूमि पर काबिज हैं? खसरा नंबर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न सीमेंट प्लांट द्वारा आस-पास के क्षेत्र की गोचर भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर खनन कार्य करने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस-किस सीमेंट कंपनी की शिकायत कब-कब प्राप्त हुई एवं उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिले की विभिन्न गोचर भूमि को गैर कानूनी रूप से कब्जा करने वालों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ में 21 खनन पट्टे विभिन्न कम्पनियों के पक्ष में प्रभावशील हैं। स्वीकृत खनन पट्टों की सूची व उसका क्षेत्रफल (गोचर/चरनोट/बिलानाम/आबादी) का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट कम्पनियों द्वारा जहां-जहां जिन-जिन खसरा नम्बर में क्रेशर प्लाण्ट स्थापित कर रखे हैं, का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। मैसर्स बिरला सीमेन्ट, चन्देरिया द्वारा क्षेत्र की गोचर भूमि पर गैर-कानूनी रूप से कब्जा कर खनन कार्य करने की शिकायत प्राप्त हुई। उक्त शिकायत के संबंध में कम्पनी को नोटिस दिनांक 28.10.2013 जारी किया गया, जिसके जवाब में कम्पनी द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.1984 की प्रति प्रस्तुत की गयी है। कम्पनी के उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 89.03 हैक्टेयर

(खान मंत्री)

भूमि चरागाह की आती है। जिला कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.1984 से पट्टाधारी को चरागाह भूमि में खनन कार्य की अनुमति दी थी, आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.06.1995 के अनुसार चरागाह भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में ब्रोकन अप चरागाह भूमि में ही खनन कार्य सीमित रखे जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया हुआ है।

(4) गोचर भूमि पर गैर-कानूनी रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डीएमएफटी के तहत टोंक जिले में आबंटित राशि

445. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में डीएमएफटी के तहत टोंक जिले को कितनी धनराशि आबंटित की गई? आबंटित निधियों में से कितनी निधि का उपयोग किया गया और कितनी निधि का उपयोग नहीं किया गया?

(2) विगत तीन वर्षों में डीएमएफटी फंडों के उपयोग के माध्यम से कौन-कौनसे कार्य किये गये?

(3) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में करवाये गये कार्यों पर व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 01 जून, 2016 से 31 मई, 2019 तक तीन वर्षों में डी.एम.एफ.टी. फण्ड के तहत टोंक जिले में 633.06 लाख रुपये जमा हुए। उक्त जमा राशि में से कोई राशि व्यय नहीं हुई।

(2) विगत तीन वर्षों में डी.एम.एफ.टी. फण्ड के उपयोग से टोंक जिले में कोई कार्य नहीं किया गया है। राज्य में विगत तीन वर्षों में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से व्यय की गयी राशि शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 446

(स्थगित)

उदयपुर जिले में लैम्पस सहकारी बैंक द्वारा ऋण वितरण

447. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उदयपुर जिले में लैम्पस सहकारी बैंक चल रही है और किसानों को ऋण भी दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितने किसानों को ऋण दिया गया है? उक्त ऋण किन नियमों के तहत दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त लैम्पस द्वारा सहकारी बैंक से सन् 2014 से 2019 तक कितने किसानों को कितनी राशि ऋण के माध्यम से वितरण की गयी है? पंचायत या लैम्पसवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ऋण की कम से कम कितनी व ज्यादा से ज्यादा कितनी राशि किस नियम के तहत देने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर जिले में लैम्पस/पैक्स चल रही है और किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण विभाग द्वारा जारी अल्पकालीन फसली ऋण नीति के तहत दिया जाता है। अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की सूचना लैम्पसवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) लैम्पस द्वारा उदयपुर जिले में सन् 2014 से 2019 तक किसानों को दिये गये अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की सूचना लैम्पसवार परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(3) कृषक द्वारा धारित भूमि, उस पर बोई जाने वाली फसल तथा जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर अधिकतम साख सीमा का निर्धारण किया जाता है। कृषक की स्वीकृत साख सीमा के अनुसार कृषक को ऋण अग्रिम दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजफैड द्वारा डी.ए.पी. खाद आपूर्ति हेतु योजना

448. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजफैड द्वारा किसानों को यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद आपूर्ति हेतु क्या कार्ययोजना बनायी गयी है? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध करवाने हेतु नेफैड से कितने उर्वरक की मांग की है? किस्मवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विभाग द्वारा राज्य में राजफैड के माध्यम से खाद के अग्रिम भण्डारण का कार्य करवाया जाता है। वर्ष 2019-20 हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट में 2 लाख मै. टन यूरिया एवं 1 लाख मै. टन डीएपी के अग्रिम भण्डारण हेतु घोषणा की गयी है। कृषि विभाग के निर्देशानुसार राजफैड द्वारा इफ्को, कृभको एवं आईपीएल से डीएपी/यूरिया के अग्रिम भण्डारण हेतु अनुबन्ध निष्पादित कर लिया गया है तथा कृषि विभाग के निर्देशानुसार अग्रिम भंडारण किया जाएगा।

(2) नेफैड द्वारा उर्वरकों का उत्पादन एवं आपूर्ति नहीं की जाती है इसलिए नेफैड से किसी भी प्रकार के उर्वरक की मांग नहीं की गयी है।

चूरू जिले में कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का कमाण्ड क्षेत्र

449. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले में कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से कितना क्षेत्र कमाण्ड घोषित किया गया है तथा कितना क्षेत्र सिंचित हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रेगुलेशन में कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का किसानों को सिंचाई हेतु कितना सी.सी.ए. पानी आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) तारानगर विधान सभा क्षेत्र में कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल में विभिन्न गांवों में बूंद-बूंद (फव्वारा पद्धति) सिंचाई हेतु डिग्गियों का कितना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निर्माण हो चुका है? क्या सरकार शेष डिग्गियों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रेड़ी भूरावास, पुनसीसर, दुलेरी, भलाऊ टिब्बा, चंगोई, रैयाटुण्डा, साहवा व धीरवास के कमाण्ड क्षेत्र से सटी अनकमाण्ड भूमि का निर्धारित शुल्क लेकर सरकार पूर्व में किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवा रही थी? यदि हां, तो किस आदेश से तथा अब किस आदेश से सिंचाई हेतु पानी दिया जाना बंद किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चौ. कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल के वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा सीमित किये गये कमाण्ड क्षेत्र 102622 हैक्टेयर में से चूरू जिले का 28462 हैक्टेयर कमाण्ड घोषित है। इस सिंचित क्षेत्र में निर्मित सभी नहरों में पानी दिया जा रहा है एवं परियोजना की लिफ्ट नहरों के लिए निर्धारित सघनता 60 प्रतिशत है।

(2) वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली में सिंचाई हेतु 102622 हैक्टेयर सीसीए के लिए नहरों को रेगुलेशन के चक्रीय कार्यक्रम में दो समूहों मे बांटकर एक समूह में 250 क्यूसैक व दूसरे समूह में 290 क्यूसैक, कुल 540 क्यूसैक पानी दिया गया।

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल में विभिन्न गांवों में बूंद-बूंद/फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु 11302 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए 60 डिग्गियों में 51 डिग्गियों का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 9 डिग्गियों का कार्य प्रगतिरत है। शेष रहे सिंचित क्षेत्र के लिए डिग्गियों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव आईएसबीआईजी के तहत केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति उपरान्त ही कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र तारानगर में ग्राम रेडी, भूरावास, पुनसीसर, दुलेरी, भलाऊ, टिब्बा, चंगोई, रैयाटुण्डा, साहवा व धीरवास के कमाण्ड क्षेत्र से सटी अनकमाण्ड भूमि में सिंचाई हेतु विभाग द्वारा पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

बूंदी जिला मुख्यालय के परिवहन कार्यालय को आबंटित भूमि

450. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा बून्दी जिला मुख्यालय पर स्थित परिवहन कार्यालय को जो किराये के भवन में चल रहा है, को अन्यत्र कोई जमीन आबंटित की गयी है? यदि हां, तो इसके लिये कितना बजट आबंटित किया गया है? उक्त कार्यालय को कब तक नये भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बून्दी जिला मुख्यालय पर स्थित परिवहन कार्यालय के लिए अन्यत्र कोई जमीन आबंटित नहीं की गयी है।

लोहावट के वंचित ग्रामों को परिवहन सेवा से जोड़ने की योजना

451. श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लोहावट में कौन-कौनसे ग्राम परिवहन निगम/ ग्रामीण बस सेवा से जुड़े हुए हैं तथा कौन-कौनसे वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की वंचित ग्राम पंचायतों को निगम की बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लोहावट के वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा से जुड़े/वंचित गांवों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। उक्त क्षेत्र में वर्तमान में ग्रामीण बस सेवा संचालित नहीं है।

(2) राज्य सरकार की जन घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूस्-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ शहर के बस स्टैण्ड पर सुविधाओं में वृद्धि

452. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें कहां से कहां के लिए संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में निगम की बसों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आम जनता की सुविधा के लिए निगम की अतिरिक्त बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नवलगढ़ शहर के निगम बस स्टैण्ड पर यात्रियों की सुविधाओं में और बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या सुविधाएं बढ़ाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित बसों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में संचालित हो रही वाहनों के अतिरिक्त बसें संचालित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) वित्तीय साध्यता होने पर सुविधाओं में बढ़ोतरी पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अल्पसंख्यक समुदाय हेतु संचालित योजनाएं

453. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या-क्या योजनाएं/कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं? उक्त योजनाओं/कार्यक्रम के अतंर्गत भीलवाड़ा जिले में किस-किसको लाभान्वित किया गया? दिनांक 1-4-2014 से 10-6-2019 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(2) क्या केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक विभाग व राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वति हेतु सहयोग अनुदान इत्यादि दिया जाता है? यदि हां, तो कौन-कौनसे कार्यक्रमों व योजनाओं हेतु दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की निम्नांकित योजनाएं संचालित हैं :

केन्द्र प्रवर्तित योजना :

1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य के 15 ब्लाक्स 17 कस्बों तथा 2 जिला मुख्यालयों में संचालित है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि से जुड़े आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य करवाए जाने का प्रावधान है।
2. नया सवेरा : योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों/विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग।
3. "नई रोशनी" अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की योजना है।
4. अवसंरचनात्मक विकास के लिये योजना (IDMI)
5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स योजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाती है।

राज्य प्रवर्तित योजना :

1. अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क आवासीय छात्रावास की योजना।
2. अनुप्रति योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं IITs AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NITs CLAT, IIMs, IISAR (Kolkata & Bangalore), GOI/MCI Certified मेडिकल कालेजों आदि में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
3. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(इस योजना के तहत वित्तीय अनुदान का प्रावधान नहीं है, अपितु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उनकी पात्रता के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है)

4. कौशल विकास प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अल्प आय वर्ग के युवाओं को नि:शुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. मदरसा शिक्षा योजनान्तर्गत मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जाती है।

6. आदर्श मदरसा योजना के अन्तर्गत राजस्थान मदरसा बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय के भीलवाड़ा जिले में पंजीकृत चार मदरसों का चयन जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट-अ)

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जिला भीलवाड़ा में दिनांक 01.04.2014 से 10.06.2019 तक लाभान्वित किये गये अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है एवं कौशल विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जिला भीलवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 13 प्रशिक्षणार्थी वर्ष 2016-17 में 52 प्रशिक्षणार्थी वर्ष 2017-18 में 25 प्रशिक्षणार्थी एवं वर्ष 2018-19 में 41 प्रशिक्षणार्थी कुल 131 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(2) केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मदरसा बोर्ड को दिनांक 01.04.2014 से 10.06.2019 तक किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्थान मदरसों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए सामग्री उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2018-19 के लिए राशि रुपये 2110.80 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बच्चों को स्कूल बैग्स एवं अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाये जाने हेतु राशि रुपये 776.86 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के माध्यम से निम्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है :

क. कौशल से कुशलता योजना

ख. महिला समृद्धि योजना

ग. बाजार सहायता योजना

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋण को समय पर जमा कराये जाने पर महिलाओं

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

हेतु शत प्रतिशत व पुरुषों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध होने पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों का बकाया किराया

454. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के वक्फ बोर्ड का वर्तमान में किन-किन विभागों पर बकाया है?

(2) क्या यह सही है कि वक्फ की 31 सम्पत्तियों पर बतौर किरायेदार काबिज सरकारी विभाग है? यदि हां, तो कौन-कौनसे तथा किस-किस प्रकार? कब-कब से, कितनी-कितनी राशि बकाया चल रही है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वक्फ की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वक्फ बोर्ड का कुल 12 विभागों पर बकाया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि राज्य की 34 वक्फ सम्पत्तियां सरकारी विभागों के जैरे कब्जा है, जिनका विवरण सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

उक्त सम्पत्तियों में से जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से 04 वक्फ सम्पत्तियों का किराया वक्फ बोर्ड को प्राप्त हो रहा है।

विभागवार एवं वर्षवार बकाया किराया का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु बोर्ड द्वारा किराया समिति का गठन किया गया है। किराया समिति द्वारा वक्फ किरायेदारों से आपसी सहमति के आधार पर किराये में बढ़ोतरी की जाकर बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकारी विभागों के जैरे कब्जा

(वक्फ मंत्री)

वक्फ सम्पत्तियों के बकाया किराया राशि की प्राप्ति के प्रयास के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा समय-समय पर डिमाण्ड नोटिस जारी कर राजकीय विभागों से बकाया किराया राशि की मांग की जाती रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्वीकृत पद

455. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बाल विकास परियोजना अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्मिक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाल विकास परियोजना अधिकारी के कितने पद पदोन्नति से भरे जाने हैं व कितने पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर अन्य कार्मिकों को पद के विरुद्ध लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 304 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 101 बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यरत हैं। इनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कुल 304 पद स्वीकृत है। विभागीय सेवा नियम 1998 के अनसार बाल विकास परियोजना अधिकारी के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, नियमों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त नियमों के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारियों के 152 पद पदोन्नति से एवं 152 पद सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है।

(3) जी हां। बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद रिक्त होने के कारण 73 सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों को बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद के विरुद्ध लगाया हुआ है, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। शेष बाल विकास परियोजना अधिकारियों के रिक्त

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

पदों का अतिरिक्त कार्यभार विभाग के परिपत्र क्रमांक 22781-813 दिनांक 27.03.2015 एवं क्रमांक 104909 दिनांक 12.07.2017 के अनुसार दिया जाता है, जिनकी प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महिला एवं बाल विकास विभाग, बाड़मेर शहर व ग्रामीण में कार्यालयों का अलग-अलग संचालन करने की कार्ययोजना

456. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बाड़मेर का क्षेत्र पांच भागों में बंटा हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों को कौन-कौनसे कार्यालय के अधीन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति बाड़मेर एवं तहसील बाड़मेर का क्षेत्र समान है? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत समिति बाड़मेर के विधान सभा क्षेत्र को बाड़मेर ग्रामीण एवं बाड़मेर शहर दो कार्यालयों में बांटने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा किये गये नवीन परिसीमन के फलस्वरूप पंचायत समिति बाड़मेर को वर्तमान में दो भागो में बांटा गया है जिसके अनुसार पंचायत समिति बाड़मेर क्षेत्र में बाल विकास परियोजना बाड़मेर व बाड़मेर शहर को शामिल किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

पंचायत समिति	**परियोजना**	**केन्द्रों की संख्या**
बाड़मेर	बाड़मेर	257
	बाड़मेर शहर	240
	योग	**497**

बाड़मेर शहर परियोजना में बाड़मेर नगर परिषद् के 68 आंगनबाड़ी केन्द्र भी संचालित हैं।

(2) तहसील बाड़मेर में पंचायत समिति बाड़मेर की सभी ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समिति धोरीमन्ना की ग्राम पंचायत बूढ़ जेठमाल शामिल है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

विभाग द्वारा परियोजनाओं के परिसीमन के अनुसार वर्तमान में पंचायत समिति बाड़मेर के विधान सभा क्षेत्र को बाल विकास परियोजना बाड़मेर व बाड़मेर शहर में शामिल कर परिसीमन उपरान्त उक्त दोनों कार्यालयों के अधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को संचालित किया जा रहा है।

पुष्कर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल/टेबलेट का वितरण

457. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

एक जनवरी, 2014 से 5 अक्टूबर, 2018 तक तथा एक जनवरी, 2009 से 5 अक्टूबर, 2013 तक पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की आंगनबाड़ियों में किस-किस योजना के तहत कितनी-कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल/टेबलेट उपलब्ध करवाये गये? वर्षवार और आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में एक जनवरी, 2014 से 5 अक्टूबर, 2018 तक परियोजना श्रीनगर में 104, किशनगढ़ ग्रामीण परियोजना में 66 तथा पीसांगन परियोजना में 70 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आईसीडीएस सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग एण्ड न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (स्निप परियोजना) के तहत मोबाइल सैट उपलब्ध करवाये गये हैं, जिनका परियोजनावार एवं आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

एक जनवरी, 2009 से 5 अक्टूबर, 2013 तक किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र पर कोई भी मोबाइल/टेबलेट उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली शहर में प्रदूषण मण्डल द्वारा ट्रीटेड पानी के सैम्पलों की जांच

458. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर के औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में CETP से निकलने वाले Treated पानी के कितने सैंपल राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जांच हेतु लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(2) उक्त प्रदूषित पानी को ट्रीट करने के लिए पानी में स्थापित CETP क्या राज्य प्रदूषण मण्डल के मानकों के अनुरूप संचालित किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों व उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पाली, बालोतरा व जोधपुर में जल प्रदूषण की समस्या के समाधान को लेकर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा क्या निर्देश दिये गये, क्या उनकी पालना सुनिश्चित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पाली के कपड़ा उद्योगों की इकाई से हो रहे प्रदूषण को लेकर हो रही हानि के सर्वे को लेकर माननीय न्यायालय की ओर से दिये गये निर्देश की किस-किस तरह पालना की गयी तथा पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलवाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) बांडी नदी और बांडी नहर बांध में प्रवाहित हो रहे प्रदूषित पानी को रोकने के क्या-क्या उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) प्रति माह Treatment Plant में कितना अपशिष्ट पानी Treat किया गया व Treatment Plant पर केमिकल मजदूरी व बिजली खपत व अन्य व्यय का 4 वर्षों का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) विगत 5 वर्षों में CETP के अपग्रेडेशन के लिए क्या-क्या कार्य किये गये व उनकी लागत का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या विगत 5 वर्षों में की गयी CETP एकाउंट की आडिट की गयी है? यदि हां, तो आडिट में कोई आक्षेप लगे हों तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? आडिट रिपोर्ट व उस पर आये आक्षेप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सी.ई.टी.पी., पाली स्थित विभिन्न इकाइयों में से उपचारित पानी की जांच हेतु लिये गये सैंपलों का विवरण परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(2) प्रदूषित पानी को ट्रीट करने के लिए पाली में स्थापित सीईटीपी का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।

(3) पाली, बालोतरा व जोधपुर में जल प्रदूषण की समस्या के समाधान को लेकर माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के समक्ष क्रमश: प्रकरण

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

संख्या 32/2014 (टीएचसी) किसान पर्यावरण संघर्ष समिति बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, प्रकरण संख्या 34/2014 (टीएचसी) दिग्विजय सिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा प्रकरण संख्या 358/2013 (टीएचसी) एवं ग्राम पंचायत अराबा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य विचाराधीन है, जिनमें हाल ही में दिये गये मुख्य आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट (स), (द) एवं (य) पर संलग्न हैं। माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिये गये निर्देशों की राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं पर अनुपालना परिशिष्ट (र) पर संलग्न है।

(4) पर्यावरण विभाग में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार इस विषय में कोई सूचना उपलब्ध नही है।

(5) बांडी नदी और बांडी नहर बांध में प्रवाहित हो रहे प्रदूषित पानी को रोकने के उपायों का विवरण परिशिष्ट (ल) में दिया जा रहा है।

(6) कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 26.05.2017 की अनुपालना में वर्तमान में संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र संख्या 2, 3 एवं 4 को प्राथमिक उपचार संयंत्र के रूप में काम में लिया जा रहा है। इन संयंत्रों में उपचरित उच्छिष्ट को अंतिम उपचार हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र संख्या 6 में भेजा जाता है। उक्त संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र संख्या 6 में से उपचरित उच्छिष्ट की मात्रा की जानकारी परिशिष्ट (व) में दी जा रही है। यहां उल्लेखित है कि संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों पर केमिकल मजदूरी व बिजली खपत व अन्य व्यय का विगत 4 वर्षो का विवरण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा संधारित नहीं किया जाता है।

(7) सीईटीपी का संचालन स्पेशल परपज व्हीकल/ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। सीईटीपी का संचालन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के अधीन नहीं है यद्यपि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल में उपलब्ध अभिलेखानुसार गत 5 वर्षों में पाली में स्थित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र संख्या 6 पर दो डी.जी. सैट (600 केवीए) एवं संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र संख्या 2 पर तृतीयक उपचार संयत्र लगाने की स्थापना सम्मति जारी की गयी है।

(8) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सीईटीपी के खाता (Account) की कोई भी आडिट नहीं की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सी.ए.एम.पी.ए. के तहत प्राप्त राशि

459. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग के पास CAMPA से प्राप्त कुल कितनी राशि जमा है? उक्त राशि को विभाग ने किस-किस विभाग से प्राप्त किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि का उपयोग विभाग किस प्रकार करता है? क्या इसके उपयोग हेतु कोई समिति बनी हुई है? यदि हां, तो इस समिति के कौन-कौन सदस्य हैं तथा इस समिति की प्रति वर्ष कितनी बैठकें आयोजित होती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि CAMPA से प्राप्त राशि का वन भूमि सुरक्षा दीवार बनाकर उपयोग करता है?

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा CAMPA मद से बनाई गयी दीवार को कोटा जिले में अतिक्रमण करने वाले जगह-जगह से तोड़कर रास्ता बना देते हैं? कोटा-झालावाड़ मार्ग व कोटा-चित्तौड़ मार्ग पर सड़क के सहारे कितनी जगह पर उक्त दीवार तोड़कर नष्ट की गयी है? सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त तोड़ी गयी दीवार पर अतिक्रमण कर निर्माण भी कर लिये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन विभाग के पास कैम्पा से प्राप्त कुल राशि रुपये 186172.69 लाख (अक्षरे अट्ठारह सौ इकसठ करोड़ बहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र) एडहाक कैम्पा मद में भारत सरकार के पास जमा हुई है।

यह राशि विभिन्न सरकारी विभाग जैसे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, रक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, टेलीकाम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड तथा गैर सरकारी विभाग/संस्थाएं जैसे माइनिंग लीज होल्डर्स, अन्य संस्थान इत्यादि से प्राप्त हुई है।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) वन विभाग द्वारा कैम्पा से प्राप्त राशि के उपयोग संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए एवं समिति संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-बी अनुसार है।

(3) जी हां।

(4) कोटा जिले में कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा अधीनस्थ क्षेत्र में कोटा-झालावाड़ मार्ग तथा कोटा चित्तौड़गढ़ मार्ग पर सड़क के सहारे कैम्पा मद से बनाई गयी दीवार को क्रमशः 6 एवं 9 स्थानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाई गयी है, जिनके विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-सी अनुसार है।

(5) कोटा जिले में कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा अधीनस्थ क्षेत्र में कोटा-झालावाड़ मार्ग तथा कोटा-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर सड़क के सहारे कैम्पा मद से बनाई गयी दीवार को क्षतिग्रस्त कर अतिक्रमण करने एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-डी अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पोलीथिन के उपयोग पर प्रतिबन्ध

460. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पोलीथिन के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के उपरांत भी बाजारों में पोलीथिन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर पोलीथिन जागरुकता अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब अभियान चलाया गया व अभियान के दौरान कितनी मात्रा में पोलीथिन जब्त की गयी? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने प्रतिबंध के उपरांत भी पोलीथिन उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कोई नियम या दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अभियान के दौरान पकड़े गये पोलीथिन का उपयोग करने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की गयी हैं? यदि हां, तो कब-कब, क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21/07/2010 द्वारा सम्पूर्ण राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स (पोलीथिन) के उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है।

राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स के कहीं-कहीं प्रचलन में होने का कारण यह है कि अनेक सीमावर्ती राज्यों में प्लास्टिक कैरी बैग पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स पर लगाये गये प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदेश में समय-समय पर अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग/विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों/इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 31/03/2019 तक लगभग 1,16,378 किलोग्राम प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किये गये हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जब्त पोलिथिन की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उनके द्वारा माह जून, 2019 तक 123571.302 किलोग्राम प्लास्टिक/पोलीथिन जब्त किया गया हैं, जिसकी जिलेवार सूचना परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(3) जी हां। प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना सक्षम न्यायलय द्वारा लगाया जा सकता है।

(4) जी हां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स पर लगाये गये प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदेश में समय-समय पर अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग/विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों/इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 31/03/2019 तक लगभग 1,16,378 किलोग्राम प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किये गये हैं तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के अंतर्गत 182 प्रतिष्ठानों/इकाइयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में परिवाद दायर किये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य मण्डल में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार जोधपुर में एक उद्योग के विरुद्ध जिला उपखण्ड अधिकारी

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

द्वारा परिवाद दायर किया गया है जो कि वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक दण्डनायक जोधपुर में विचाराधीन है।

स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उनके द्वारा माह जून, 2019 तक 123571.302 किलोग्राम प्लास्टिक/पोलीथिन वेस्ट जब्त किये गये हैं तथा उनसे 20.02 करोड़ रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोडावण संरक्षण का स्टेट एक्शन प्लान

461. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित गोडावण संरक्षण का स्टेट एक्शन प्लान की मंजूरी मिल गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में ऐसे कौन-कौनसे वन्यजीव हैं, जिनकी संख्या 200 से भी कम रह गयी है?

(3) सरकार तेजी से विलुप्त हो रहे वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत तीन वर्षों में प्रदेश में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के कितने मामले सामने आये तथा उनमें से कितने मामलों में दोषियों की पहचान कर क्या कार्यवाही की गयी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार कोटा शहर की आईएल कालोनी में बड़ी मात्रा में मौजूद मोरों के संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रबंध करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(6) क्या सरकार वन भूमि पर होने वाले अवैध खनन व जंगली जंतुओं के शिकार को रोकने के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति करने व वन भूमि और अभयारण्य क्षेत्र में चारदीवारी निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्र सरकार को प्रेषित गोडावण संरक्षण योजना स्वीकृत नहीं की गयी है। इस एक्शन प्लान में उल्लेखित कार्यों का प्रावधान प्रतिवर्ष केन्द्र पोषित योजना वन्य जीव पर्यावास का समेकित विकास (IDWH)

(राज्य मंत्री, वन)

व प्रजाति संरक्षण योजना में उपलब्ध हो जाने के कारण इस एक्शन प्लान की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

(2) प्रदेश में वर्ष 2018 के वन्य जीवों के आंकलन अनुसार बाघ, सियागोश, गोडावण की संख्या 200 से कम है।

(3) प्रदेश में तेजी से विलुप्त हो रहे वन्यजीवों के संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। इसके अतिरिक्त सभी संरक्षित क्षेत्रों में इन प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है।

(4) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में मोर शिकार के क्रम में पुलिस विभाग द्वारा तथा वन विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ क्षेत्र में दर्ज प्रकरण एवं उन पर की गयी कार्यवाही संबंधित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट-ब एवं स अनुसार है।

(5) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार कोटा शहर की आई.एल. कालोनी में मोरों के संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध का विचार नहीं रखती।

(6) अवैध खनन व जंगली जन्तुओं के शिकार को रोकने हेतु स्टाफ के द्वारा लगातार गश्त की जाकर निगरानी की जाती है एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 के प्रावधानों अंतर्गत अवैध खनन व जंगली जन्तुओं के शिकार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों में कैम्पा योजना के अन्तर्गत चारदीवारी का निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता के अनुसार कराया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश में विस्तृत वन क्षेत्र एवं वन्यजीव क्षेत्र होने के कारण, सीमित बजट संसाधन, सीमित स्टाफ, स्थानीय ग्रामीणों के समय-समय पर विरोध के कारण सम्पूर्ण क्षेत्रों में चारदीवारी का निर्माण कार्य संभव नहीं है।

प्रदेश में वन विभाग के कार्यालयों में सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय प्रथम के स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों को भरे जाने के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर तथा वनपाल, वनरक्षक, वाहन चालक एवं सर्वेयर के रिक्त पदों पर भर्ती के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति मुख्यालयों पर खेल मैदान की स्थापना

462. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय पर खेल मैदान का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन मे पंचायत समिति मुख्यालय पर खेल मैदान बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति मुख्यालयों पर खेल मैदान के निर्माण कराये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) समन्वित स्टेडियम (खेल संरचना) विकास कार्यक्रम-2015 के तहत तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण का प्रावधान किया गया है। चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इनके निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र कपासन में पंचायत समिति मुख्यालय पर खेल मैदान बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद में बेरोजगारों का पंजीयन

463. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितनी महिलाओं तथा कितने पुरुषों को बेरोजगारी भत्ता माह दिसम्बर, 2018 से अब तक दिया गया? ग्राम पंचायतवार नाम सहित सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रोजगार कार्यालय, प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र धरियावद के

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

कुल 736 बेरोजगार पंजीकृत हैं। विधान सभा क्षेत्र धरियावद में अक्षत योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु 3 महिलाओं के तथा 17 पुरुष आशार्थियों के आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से पात्र पाये गये 2 महिलाओं तथा 6 पुरुषों को बेरोजगारी भत्ता माह दिसम्बर, 2018 से अब तक दिया गया है। ग्राम पंचायतवार नाम सहित सूची परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है। मुख्य मंत्री युवा संबल योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र धरियावद के दिनांक 22 जुलाई, 2019 तक कुल 20 नये आवेदन स्वीकृत कर दिये गये हैं, जिनका नियमानुसार भुगतान अगस्त, 2019 में करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा मुख्य मंत्री युवा संबल योजना की पात्रता की शर्तों के अनुसार एवं प्रतिवर्ष हेतु लाभांवितों की सीमा (एक लाख साठ हजार) तक नियमानुसार पात्र पंजीकृत स्नातक आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में बेरोजगारी भत्ते की राशि का भुगतान

464. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में 1 जनवरी, 2019 पश्चात से अब तक किस-किस क्षेत्र के, किस-किस वर्ग के, कितनी-कितनी आयु के, कितने-कितने शिक्षित, किस-किस बेरोजगार युवक, युवती ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु कब-कब आवेदन किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त से कौन-कौन आवेदक पात्र हैं एवं कौन-कौन आवेदक किन-किन कारणों से अपात्र हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इनमें से कौन-कौनसा आवेदन, कब-कब स्वीकृत कर उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि, किस-किस माह से देनी प्रारम्भ की गयी एवं कौन-कौनसे आवेदन कब-कब स्वीकृत कर उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में 1 जनवरी, 2019 से 22 जुलाई, 2019 तक बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन करने वाले स्नातक व उच्च शैक्षणिक

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

योग्यताधारी आशार्थियों का लिंगानुसार, वर्गवार तथा आयुवार विवरण निम्नानुसार है-

लिंगानुसार	**संख्या**	**वर्गवार**	**संख्या**	**आयुवार**	**संख्या**
पुरूष	3754	सामान्य वर्ग	4251	20 वर्ष से कम	234
महिला	2409	अनु. जाति	1733	21 से 25 वर्ष	3435
--	--	अनु. जनजाति	179	26 से 30 वर्ष	1958
--	--	--	--	31 से 35 वर्ष	530
--	--	--	--	36 व अधिक	6
योग	**6163**		**6163**		**6163**

(2) पाली जिले में 1 जनवरी, 2019 से 22 जुलाई, 2019 तक कुल 6163 आशार्थियों ने बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन किया। इनमें से योजना के तहत पात्रता संबंधी शर्तों को पूर्ण करने वाले 1035 आशार्थियों का आवेदन स्वीकृत, अपूर्ण श्रेणी के 4731 आवेदनों को बैक टू सिटीजन तथा योजना में निहित अपात्रता संबंधी शर्तों यथा आयु सीमा से अधिक श्रेणी के आवेदक, पूर्व में लाभांवित हो चुके आशार्थी, पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक होने संबंधी लागू होने के कारण 177 आवेदनों को रिजेक्ट/अस्वीकृत किया जा चुका है। विवरण तालिका में निम्नानुसार है-

विवरण	**संख्या**
एप्रूव्ड / स्वीकृत	1035
वैरीफाइड / पूर्ण	219
बैक टू सिटीजन / अपूर्ण	4731
रिजेक्टेड / अस्वीकृत	177
भौतिक सत्यापन हेतु लम्बित	1
योग	**6163**

(3) पाली जिले में 1 जनवरी, 2019 से 22 जुलाई, 2019 तक बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन करने वाले कुल 6163 आशार्थियों में से दिनांक 22 जुलाई, 2019 तक 1035 आशार्थियों को भत्ता आवेदन स्वीकृत किया जा चुका है तथा इन्हें अगस्त 2019 से नियमित बेरोजगारी भत्ते का

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

भुगतान प्रारम्भ कर दिया जाएगा। वैरिफाइड/पूर्ण श्रेणी के कुल 219 आवेदनों को नियमानुसार निर्धारित समय पर स्वीकृत कर भुगतान प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाएगी।

बाल श्रम रोकने हेतु टास्क फोर्स का गठन

465. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? यदि हां, तो विगत 10 वर्षों के दौरान जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठन की कब-कब अधिसूचना जारी की गयी तथा कब-कब टास्क फोर्स का गठन किया गया? जारी की गयी अधिसूचना तथा जिलेवार गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गठित टास्क फोर्स द्वारा विगत 5 वर्षों में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया? जिलेवार मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विगत 5 वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए कोई सर्वे किया गया है? यदि हां, तो उक्त सर्वे के उपरान्त प्रत्येक जिले में कितने-कितने बाल श्रमिकों को चिन्हित किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में जिला स्तर पर बाल श्रम रोकने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिलेवार टास्क फोर्स के गठन व सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-1 है। जिलेवार आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-2 है।

(2) टास्क फोर्स द्वारा विगत 5 वर्षों में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की जिलेवार संख्या विवरण व पुनर्वास का विवरण परिशिष्ट-3 है।

(3) विगत 5 वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए किये गये सर्वे की सूचना व सर्वे के उपरान्त प्रत्येक जिले में पाये गये चिन्हित बाल श्रमिकों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-4 है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाएं

466. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में भवन व अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल द्वारा कुल कितनी श्रमिक कल्याण योजनाएं कब से संचालित हैं तथा इस हेतु वित्तीय प्रबन्धन किस प्रकार किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक श्रमिक कार्ड हेतु पात्रताधारियों के कितने आवेदन लम्बित हैं? उक्त लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2019 से अप्रैल, 2019 तक कुल कितने भवन व अन्य संनिर्माण पात्र श्रमिकों के नये कार्ड बनाये गये? जिलेवार सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) असंगठित क्षेत्र में भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित अथवा ''निर्माण श्रमिकों'' हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु सहायता राशि की वित्तीय व्यवस्था भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य करा रहे नियोजकों से उपकर राशि एकत्रित कर की जाती है।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक श्रमिक कार्ड हेतु 2,36,991 आवेदन लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1996 के कार्य में अत्यधिक वृद्धि होने जैसे कि पंजीयन में औसतन मासिक 1,17,000 व योजनाओं में 52,000 आवेदन प्राप्त होने तथा विभाग में अराजपत्रित व राजपत्रित अधिकारियों के कुल 151 (क्रमश: 101 व 50) पद रिक्त होने तथा 15 श्रम कल्याण अधिकारी व 100 श्रम निरीक्षकों के परीवीक्षाकाल में होने तथा विभाग के

(राज्य मंत्री, श्रम)

अन्य कार्य औद्योगिक संबंध, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राधिकारी का कार्य, प्रवर्तन आदि के कारण पैन्डिंग आवेदनों का निस्तारण चरणबद्ध आधार पर ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से किया जा रहा है, जिसमें वरीयता से सिलिकोसिस सहायता योजना मृत्यु सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना, शिक्षा सहायता योजना आदि का निस्तारण किया जा रहा है। प्रासांगिक है कि योजनाओं का निस्तारण मुख्यालय स्तर पर विशेष कन्ट्रोल रूम स्थापित कर अतिरिक्त तौर पर किया जा रहा है।

(3) जनवरी, 2019 से अप्रैल, 2019 तक 11,884 पात्र निर्माण श्रमिकों के नये कार्ड बनाये गये, जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। प्रासंगिक है कि 10 मार्च, 2019 से आदर्श आचार संहिता लागू होने से नये कार्ड बनाने का कार्य स्थगित कर दिया गया था।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में श्रम विभाग की योजनाओं के लिए स्वयंसेवी संगठन की सेवाएं

467. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला नागौर में विभागीय योजनाओं के संचालन हेतु क्या किसी स्वयंसेवी संगठन या व्यक्ति की सेवाएं ली जा रही हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्ष में किये गये कार्य एवं व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का संचालन श्रम विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से कराया जाता है। संचालन हेतु निविदा पर संविदाकर्मियों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उक्त कार्य हेतु स्वयंसेवी संगठन की सेवा नहीं ली जाती।

सोजत में श्रमिकों के लम्बित प्रकरण

468. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत के किस-किस व्यक्ति ने नए श्रमिक कार्ड दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 से 31 जनवरी, 2019 तक बनाने हेतु आवदेन किया है, किन्तु उक्त लोगों के श्रमिक कार्ड किन-किन कारणों से कितने-

(श्रीमती शोभा चौहान)

कितने समय से लम्बित हैं? उक्त लम्बित आवेदनों का कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई प्रकरण ऐसे हैं जिनमें समान दस्तावेज संलग्न किये गये थे किन्तु इनमें से कुछ श्रमिक कार्ड जारी कर दिये गये व कुछ जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो लम्बित रखने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? नाम और पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 दिसम्बर, 2014 से 31 जनवरी, 2019 तक विधान सभा क्षेत्र सोजत में कुल 24,557 पंजीयन आवेदन प्राप्त हुए। कुल प्राप्त आवेदनों में से 17,107 स्वीकृत, 1,248 निरस्त, 5,172 आवेदन हिताधिकारियों के स्तर पर आक्षेप पूर्ति हेतु लम्बित हैं तथा 1030 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं। लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है। आवेदन लम्बित रहने के कारण, मुख्यत: निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, वांछित दस्तावेजों को आनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना एवं उपयुक्त समय मे उनके द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने के कारण आवेदन लम्बित हैं। इसके अतिरिक्त विभाग में श्रम निरीक्षकों के 188 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 85 पद रिक्त हैं तथा अधिकारियों के 83 स्वीकृत पदो के विरुद्ध 51 पद रिक्त होने व श्रम निरीक्षक/अधिकारियों के परीवीक्षाकाल में होने एवं विभाग के अन्य कार्य औद्योगिक संबंध, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राधिकारी का कार्य, प्रवर्तन आदि का कार्य होने के कारण आवेदन लम्बित हैं। लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से किया जा रहा है।

(2) जी हां। पंजीयन आवेदनों में आवेदनकर्ताओं द्वारा लगाये जाने वाले दस्तावेज एक समान है परन्तु निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, प्रमाण-पत्रों में कांट-छांट होना तथा वांछित दस्तावेजों को आनलाइन पोर्टल पर अस्पष्ट अपलोड करने की स्थिति में हिताधिकारी को आक्षेप पूर्ति हेतु लौटाये जाते हैं। उपयुक्त समय में हिताधिकारी द्वारा आक्षेपपूर्ति नहीं किये जाने के कारण उसके निस्तारण में अपेक्षाकृत विलम्ब

(राज्य मंत्री, श्रम)

होता है। उल्लेखनीय है कि आवेदनकर्ताओं की पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन निर्माण कार्य में नियोजित रहे होने की पुष्टि तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम आयु होने की पुष्टि करना आवश्यक है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी की पुष्टि के उपरान्त आवेदनों का निस्तारण वरीयतानुसार फीफो (पहले आओ पहले पाओ) पद्धति से किया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत में कुल 27,675 निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सांगानेर में वर्षा के पानी की निकासी नहीं होने से मौसमी बीमारियां

महोदय,

सांगानेर विधान सभा में स्थित सैकड़ों कालोनियों में बारिश का पानी भर गया है, कालोनियों में पानी की नालियों, सीवरेज की व्यवस्था, सीवरेज के आउटफाल तथा नगर निगम द्वारा नालों की सफाई नहीं होने के कारण तथा कई जगह सड़कें बनाते समय लेवल का ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए जगह -जगह पानी भर गया, पानी घरों व बेसमेंट में भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही हैं। घरों में पानी भरने से करंट प्रवाहित होने लग गया है।

इन कालोनियों में पानी भरने से कीचड़-गंदगी हो गयी है। लोगों का जीना दूभर हो रहा है व लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। पानी से दुर्गंध उत्पन्न शुरू हो गयी है व मौसमी बीमारियां बढ़ने की पूरी संभावना है।

अशोक लाहोटी

(सांगानेर)

बोर्डर होमगार्ड की ड्यूटी में अवैध मंथली वसूली

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा विभिन्न विभागों/सरकारी, अर्द्ध सरकारी/निजी संस्थानों की मांग पर बोर्डर होम गार्ड्स की ड्यूटी पर तैनाती नियमानुसार की जाती है। होम गार्ड सैनिक विगत पचास वर्षों से पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्तव्य निर्वहन करते आ रहे हैं। उन्हें पुलिस के समकक्ष ट्रेनिंग दी जाती है। होमगार्ड के जवान कानून व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, चुनाव ड्यूटी, बाढ़ नियंत्रण, अग्निशमन, बचाव कार्य, जेल सुरक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने कर्तव्यों का पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। वे पुलिस कांस्टेबल के समान ही जिम्मेदारी से कार्य करते हैं, फिर भी उन्हें

पुलिस कांस्टेबल से बहुत कम वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं। होमगार्ड को स्वयंसेवी के नाम पर कम वेतन, भत्ते व सुविधाएं दिया जाना मानवाधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन है तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के नियम का उल्लंघन हैं।

प्रदेश में चार कंपनियों में करीब 2560 बोर्डर होमगार्ड हैं। होमगार्ड के जवानों की विभिन्न स्थानों पर उच्चाधिकारियों द्वारा ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन ड्यूटी लगाने के लिए भी उच्चाधिकारियों द्वारा बोर्डर होमगार्ड के जवानों से मंथली वसूलने का मामला सामने आया है। जैसलमेर की डी कम्पनी के 22 जवानों ने कमांडेट मुख्यालय से मामले की जांच कराने का फैसला किया। कमांडेंट के खिलाफ एक विभागीय जांच चल रही है। जवानों ने कमांडेट पर आरोप लगाए थे। जांच तत्कालीन डीआईजी विकास कुमार को सौंपी गयी। उन्होंने शिकायतों को सही माना। इस समस्या के समाधान हेतु होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी पर रखा जाना आवश्यक है ताकि वे भ्रष्टाचार एवं शोषण का शिकार होने से बच सकें।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि होमगाई जवानों की ड्यूटी लगाने सम्बन्धी अवैध मंथली वसूली व वेतन भत्ते के सम्बन्ध में समस्या का समाधान हो।

अनिता भदेल

(अजमेर दक्षिण)

मालपुरा के चिकित्सा केन्द्रों में व्याप्त अनियमितता

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टोंक जिला चिकित्सा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ जिला है। जिले की सातों तहसीलों एवं पंचायत मुख्यालयों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं इन चिकित्सा केन्द्रों में स्टाफ एवं संसाधनों की भारी कमी है जिसके चलते अधिकांश मरीजों को जयपुर, अजमेर, कोटा आदि के लिए रैफर कर दिया जाता है। आए दिन सड़क दुघर्टनाओं में घायल होने वाले लोगों को स्टाफ की कमी एवं संसाधनों के अभाव के चलते चिकित्सक अन्यत्र रैफर करने को मजबूर हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश समय प्रसव कार्य एवं आपरेशन करते समय विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण प्रसव कार्य व आपरेशन में असुविधा होने के साथ ही जटिलता की संभावना बढ़ जाती है। मेरे क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्रों में न

तो एक्स-रे सुविधा है और न ही ईसीजी व सोनोग्राफी जैसी आवश्यक सुविधा है। अस्पतालों में अस्पताल परिसर, कमरों व वार्डों की साफ सफाई पर भी उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल में विद्युत आपूर्ति हेतु डाली गई विद्युत लाइनों के उचित रख-रखाव नहीं होने के कारण आए दिन शार्ट सर्किट जैसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने एवं आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करवाने की कृपा करें ताकि जिले की आम जनता को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का उचित लाभ मिल सके।

कन्हैया लाल

(मालपुरा)

मावली के देबारी स्थित औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित भू-जल

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में देबारी स्थित जिंक स्मेल्टर व क्षेत्र की अन्य औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण से भूजल प्रदूषित हो गया है। जिंक स्मेल्टर से बिछड़ी, भलों का गुड़ा, साकरोदी, भैसड़ा कलां, भैसड़ा खुर्द, गुड़ली, खेमली, डबोक, नांदवेल व नामरी पंचायतों के गांवों का भूजल प्रदूषित हो गया है। इस कारण गावों के लोग आंदोलित व आक्रोशित हैं। समाचार पत्रों में भूजल प्रदूषण की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। सरकार ने समय पर सावधानी नहीं की तो परिणाम भयावह होंगे।

एक और हिन्दुस्तान जिंक मानसी वाकल बांध का 30 प्रतिशत, 10.80 एम.एल.डी. व उदयपुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का 30 एम.एल.डी. पानी ले रही हैं, दूसरी ओर क्षेत्र की पंचायतों का भूजल प्रदूषित कर रही है। यह उदयपुर क्षेत्र पर जल समस्या की मार दोहरी हो रही है।

मेरी मांग है सरकार इन ग्यारह पंचायतों और उनके गांव के भू-जल के नमूनों की जांच कराए। जल प्रदूषण वाले स्थानों पर जनता को स्वच्छ व निर्मल पेयजल उपलब्ध कराने की पुख्ता व्यवस्था कराए। प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर सम्बन्धित विभाग ध्यान दे। जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार का प्राथमिक दायित्व है।

कृपया इस विषय को सदन की कार्यवाही सूची में शामिल कराएं।

धर्मनारायण जोशी

(मावली)

महुवा कस्बे में बाणगंगा नदी की तरफ सी.सी. रोड व नाला निर्माण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत महुवा कस्बे में थाने से लेकर बाणगंगा नदी की ओर तीन किलोमीटर सीसी सड़क एवं नाला निर्माण करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र महुवाभिवाड़ी स्टेट हाईवे नम्बर 35 पर बसा हुआ है जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। महुवा थाने से बाणगंगा नदी तक नाले के अभाव में सड़क पर पानी भरने के कारण सड़क की स्थिति चरमरा गयी है तथा पूरी सड़क पर गड्डे ही गड्डे हो गये हैं जिसके कारण क्षेत्र की आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आये दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही महुवा घनी आबादी का क्षेत्र होने के कारण व्यापारियों, दुकानदारों को सड़क पर पानी भरे रहने के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा में थाना महुवा से बाणगंगा नदी की ओर तीन किलोमीटर सीसी सड़क एवं नाला निर्माण हेतु राशि शीघ्र स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

ओम प्रकाश हुड़ला

(महुवा)

लाखेरी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला संकाय के विज्ञान संकाय में परिवर्तन से परेशानी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रा.बा.उ.मा. विद्यालय लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र का एकल बालिका विद्यालय है जिसमें गत सत्र 2018-19 का नामांकन 233 तथा कक्षा 11वीं व 12वीं का नामांकन 56 था। सत्र 2018-19 में कक्षा 10 का परिणाम 96.66 तथा कक्षा 12 का परिणाम 83.33 प्रतिशत रहा है जिससे इस सत्र में विद्यालय के नामांकन में गुणोतर वृद्धि हो रही है।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/माध्य/अ-4/संकाय-विषय/परिवर्तन, दिनांक 04.07.2019 के अनुसार 64 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संकाय परिवर्तन किये गये हैं, जिसमें रा.बा.उ.मा. विद्यालय लाखेरी जिला बून्दी में कला संकाय को परिवर्तित करके विज्ञान संकाय सत्र 2019-20 में चलाने के आदेश प्रसारित हुए हैं।

विज्ञान संकाय खोला गया है उसका स्वागत है, परन्तु कला संकाय को यथावत रखा जाए एवं साथ ही अतिरिक्त विषय भूगोल को भी खोल दिया जाए क्योंकि लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र में एक भी राजकीय विद्यालय में भूगोल विषय नहीं है। यदि इस विद्यालय में भूगोल विषय खोल दिया जाता है तो विद्यालय के नामांकन में और गुणोत्तर वृद्धि होगी। पूर्व में भी इस विद्यालय से भूगोल विषय खुलवाने का प्रस्ताव निदेशालय, बीकानेर को भेजा जा चुका है। यह स्थानीय बालिकाओं के हित में होगा।

कृपया उक्त आदेश को संशोधित कर कला संकाय को यथावत रखते हुए अतिरिक्त संकाय के रूप में विज्ञान विषय एवं अतिरिक्त ऐच्छिक विषय भूगोल की स्वीकृति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(केशवरायपाटन)

रामगंज मण्डी में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोटा जिले की रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, सरकार का इस ओर कतई ध्यान नहीं है। विधान सभा क्षेत्र में 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमश: रामगंज मण्डी, मोड़क स्टेशन, चेचट व सुकेत चिकित्सकों के अभाव में अव्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। रामगंज मण्डी सीएचसी में शल्य चिकित्सकों, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं गायनी (सर्जन) जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सकों के लम्बे समय से पद रिक्त चल रहे हैं। यही नहीं यहां पदस्थापित डाक्टर प्रतिभा मीणा, गायनी (सर्जन) को प्रतिनियुक्ति पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर जिला कोटा में लगाया हुआ है। रामगंज मण्डी चिकित्सालय में उपलब्ध सोनोग्राफी मशीन को भी

चिकित्सक/तकनीशियन के अभाव में कोटा शहर के रामपुरा चिकित्सालय में भिजवा दिया गया है। इस प्रकार रामगंज मण्डी के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय सरकार ने किया हुआ है।

रामगंज मण्डी क्षेत्र खनन क्षेत्र होने से अधिकांश मजदूर वर्ग निवास करते हैं जिनको सरकारी चिकित्सा की आवश्यकता हर दिन होती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे अपना उपचार किसी निजी चिकित्सालय में जाकर करवा सकें। रामगंज मण्डी चिकित्सालय की बैस एम्बुलेंस कंडम हो गयी है। सरकार द्वारा नई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है जिससे गंभीर रोगी को समय रहते अन्यत्र चिकित्सालय में भिजवाना भी सम्भव नहीं है। किस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करना उचित है।

महोदय, चिकित्सा व्यवस्थाओं के हालात बड़े ही दु:खद एवं भयावह हैं। गरीब लोग तो ठीक से उपचार की कल्पना भी नहीं कर सकते। गरीब लोग अपने उपचार के लिए सूदखोरों व स्थानीय पैसे वाले लोगों से कर्ज लेकर निजी चिकित्सालयों में आते हैं, क्योंकि सरकार उनको सस्ता व सुलभ उपचार देने में नाकाम है। इस गंभीर मामले पर तत्काल कार्यवाही कर गरीब एवं असहाय लोगों को सस्ता एवं सुलभ उपचार उपलब्ध कराएं। साथ ही उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य रिक्त पदों को अविलम्ब भरने की कार्यवाही करें।

मदन दिलावर

(रामगंज मण्डी)

बानसूर में बसों का संचालन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब अधिकतर ग्राम पंचायतों में ग्रामीण बसों का आवागमन था लेकिन पिछली बीजेपी की सरकार बनने के बाद रोक लगा दी गयी। ग्रामीण बसों का संचालन बंद कर दिया। इससे गांव वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र की बड़ी पंचायतों के निम्नलिखित रूटों पर ग्रामीण परिवहन बसें चलाने की कृपा करें:-

1. आलनपुर से हरसोरा गुंता शाहपुर बानसूर होते हुए नारायणपुर तक
2. आलनपुर हरसोरा रूट से जयपुर तक 2 बसें सुबह-शाम
3. खेडा श्यामपुरा बासदयाल नीमूचाना कराना ज्ञानपुरा चतरपुरा
4. हरसोरा बामनवास, हमीरपुर ताल भूरियावास
5. बबेडी, भूतपरी मोरोडी नांगललाखा लोयती महनपुर उंछपुर बानसूर
6. सभी बड़ी पंचायत रूटों पर।

शकुन्तला रावत

(बानसूर)

तकनीकी शिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति का गठन

महोदय,

मैं अविलम्ब लोक महत्व के विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सदन में चर्चा करना चाहता हूं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम एजुकेशन कर्नाटक (Civil writ petition No. 350/93) राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 14.08.2003 के अनुसरण में राज्य में राजकीय / निजी क्षेत्र में संचालित तकनीकी शिक्षण पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा 26 फरवरी, 2004 को माननीय न्यायाधिपति श्री पी.के. तिवाड़ी जी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया हुआ है। इस समिति के सदस्य सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य के निर्णय की अनुपालना में राज्य को संवैधानिक स्तर पर Admission and fee regulatory committee का गठन करना चाहिए था, इस ओर कभी विभाग ने ध्यान नहीं दिया।

गत कांग्रेस सरकार में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा श्री कट्टा अभिभाषक को Admission and fee regulatory committee के संवैधानिक गठन हेतु नियम बनाने हेतु मानदेय का भुगतान भी किया जा चुका है लेकिन विभाग द्वारा संवैधानिक समिति की कार्यवाही को अटकाकर पिछले 6 वर्षों से प्रकरण को ठण्डे बस्ते में डाल रखा है।

माननीय न्यायाधिपति श्री पी.के. तिवाड़ी की अध्यक्षता में पिछले 15 वर्षों से गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति को जान बूझकर प्रशासनिक स्तर पर निष्क्रिय बनाया हुआ है। प्रशासनिक विभाग द्वारा जान बूझकर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के साथ इस समिति को सहयोग नहीं दिया जा रहा है। दिनांक 26 जुलाई 2016 के बाद कोई बैठक नहीं हुई है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं सदन में चर्चा करना चाहता हूं।

रफीक खान

(आदर्श नगर)

मातृकुण्डिया बांध के फीडर में सीपेज से परेशान किसान

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मातृकुण्डिया बांध लगभग 40-50 वर्षों पूर्व पवित्र धार्मिक नगरी मातृकुण्डिया में बनास नदी पर बनाया गया है। मातृकुण्डिया बांध से भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध को भरने के लिए 55 किमी. लम्बी मेजा फीडर का निर्माण करवाया गया। मातृकुण्डिया बांध के भरने के बाद व मेजा फीडर में पानी छोड़ने के बाद बांध के आस-पास के खेतों में सीपेज के कारण पानी भर जाता है।

कई वर्षों से पानी के सीपेज से किसान परेशान हैं। किसान खेतों में कभी भी फसलों की बुआई नहीं कर पाता। किसानों के खेतों में पानी भरने से फसलें पैदा नहीं होती हैं लेकिन आज तक सिंचाई विभाग या सरकार द्वारा किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों की माली हालात खराब हो रही है। सरकार से प्रार्थना है कि बांध के पानी से खराब होने वाले खेतों के मालिकों को मुआवजा दिलवाकर अनुगृहीत करें।

अर्जुन लाल जीनगर

(कपासन)

मुण्डावर में आवागमन सुविधाओं का विस्तार

महोदय,

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की ओर विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये आकर्षित करना चाहता हूं। मुण्डावर जो कि उपखण्ड

मुख्यालय है लेकिन यहां से जिला हैड क्वार्टर अलवर, जयपुर व राजधानी दिल्ली आदि रूटों के लिए निरन्तर बसों की सुविधा का अभाव है जिससे मुण्डावर क्षेत्रवासियों को आवागमन में असुविधा होती है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मुण्डावर क्षेत्रवासियों के लिए अलवर, जयपुर व दिल्ली रूट के लिए बसों के फेरे में बढ़ोतरी करने के साथ ही नयी बसों का संचालन शीघ्रतिशीघ्र करने की कृपा कराएं। साथ ही वर्तमान में संचालित बसें जयपुर से दिल्ली व दिल्ली से जयपुर बसों का आवागमन नीमराणा कस्बे में से करने व उनके ठहराव की भी करें।

साथ ही मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर व नीमराणा में बस स्टैण्ड का निर्माण हो जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में हो रही समस्या से राहत मिल सके।

मंजीत धर्मपाल चौधरी

(मुण्डावर)

बिलाड़ा की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था

महोदय,

माननीय सभापति महोदय, सादर निवेदन है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र कस्बा नगरपालिका बिलाड़ा में करीब 50,000 की आबादी है। इसमें भामाशाह के सहयोग से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (FRV) निर्मित किया है जिसमें अधिकारी/कर्मचारी के क्रमशः स्वीकृत पद 42, कार्यरत पद 25 रिक्त पद 17 हैं। डाक्टरों की कमी को पूरी कराएं।

अतः इस कारण राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाड़ा को सैटेलाइट अस्पताल करने का कष्ट कराएं।

इसके साथ ही हाल ही बिलाड़ा में ट्रोमा सेन्टर का निर्माण भामाशाह के सहयोग से करवाया गया जिसमें लम्बे समय से स्टाफ व डाक्टर नियमित रूप से नियुक्त किये जाने की मांग की जा रही है, किन्तु अभी तक पर्याप्त स्टाफ नहीं लगाया है। 150 कि.मी. के अन्तर्गत यह एक ट्रोमा सेन्टर है। यहां निरन्तर रोड दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस ट्रोमा सेन्टर में मशीनें भी पर्याप्त नहीं हैं। पिछली सरकार ने 100 बैड की घोषणा की, वह भी नहीं हुई। साथ में मशीन आर्थोपेडिक सर्जरी हेतु सी आर्म ट्रोमा सेन्टर में प्राप्त नहीं हुई है तथा राजकीय ट्रोमा सेन्टर में 30 जनवरी 2019 से ब्लड स्टोरेज यूनिट आरम्भ कर दी गई है। इसे 24 घण्टे सुचारु चलाने हेतु 3 लैब टैक्निशियन, "3" फार्मसिस्ट, 02 आपरेटर (एम.एन.डी.वाई.) एवं 01 आरोग्य ऑनलाइन कम्प्यूटर आपरेटर की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के पीपाड़ शहर नगरपालिका में राजकीय चिकित्सालय में सी.एच.सी. स्थापित है। हाल ही में कुछ समय पहले बड़ी सभा का आयोजन हुआ था। उसमें माननीय मुख्य मंत्री एवं चिकित्सा मंत्री दोनों उपस्थित थे। उक्त सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उप जिला अस्पताल बनाने के लिए घोषणा की थी, जो अभी विचाराधीन है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बोरून्दा में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोरून्दा (CHC) स्थापित किया गया है, जिसमें कुल स्वीकृत पद 5, कार्यरत पद 2 एवं रिक्त पद 3 हैं।

वर्तमान में एक भी विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है। प्रतिदिन 60 महिलाओं की डिलीवरी करवाई जा रही है। रोजाना ओ.डी.पी. के लिए 300 लोग आते हैं।

हीराराम

(बिलाड़ा)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 46-सिंचाई पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैक्ट्रियों एवं सीवरेज का दूषित पानी नहरों में डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
2. हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में काश्तकारों के चकों में कच्चे खालों को पक्का करने के संबंध में चर्चा के लिए।
3. इ.गा.न.प., भाखड़ा नहर परियोजना एवं गंग कैनाल योजना की नहरों को पक्का करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

4. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सिंचाई के लिए अंधेरी, पार्वती एवं ल्हासी नदी पर एनीकट निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

5. माही बजाज परियोजना का पानी गुजरात एवं राजस्थान प्रदेश के बीच वर्ष 1966 में हुए समझौते के मुताबिक प्रदेश को पूरा हिस्सा लेने एवं सिवाना तक सिंचाई हेतु पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अरावली पर्वतमाला में फिजूल बहने वाले पानी को रोककर सिंचाई हेतु काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. देश-प्रदेश की नदी से नदी को जोड़ने की परियोजना में लूणी नदी में यमुना या गंगा का पानी डाले जाने से वर्ष भर बहने वाली नदियों के पानी से सिंचाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा बांध “मेली बांध” के संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. नर्मदा नहर प्रोजेक्ट को गुढ़ामालानी से आगे सिणधरी क्षेत्र तक विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

10. बागोलिया बांध (मावली) को भरने के लिये बनी हुई डीपीआर को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. वाघेरी का नाका से मावली तहसील को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

12. भैंसवाड़ा डायवर्जन में भैंसवाड़ा से आगे बाढ़ बचाव का कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

13. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पहाड़ों के पास जो जल भराव क्षेत्र है वहां पर एनीकट बांध बनाकर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

14. प्रदेश में जल स्तर की वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

15. चित्तौड़गढ़ के वृहद बांधों से नालियां निकालकर क्षेत्र के अन्य छोटे तालाबों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

16. इन्दिरा गांधी नहर को गडरा रोड तक लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

17. बाड़मेर जिले में नर्मदा नहर का पानी सिंचाई हेतु तहसील बाड़मेर तक पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

18. जवाई बांध का पानी जवाई नदी में सिंचाई हेतु छोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. जवाई बांध के उन्नयन कार्य को प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र आहोर के जवाई बांध की नहर को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. जवाई बांध के चमेट एरिया बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

22. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के रतनगढ बांध (अमरगढ) की नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम गुढ़ा, फतेहपुर, उलेला, अमरगढ़, भगुनगर एवं खजूरी ग्राम पंचायतों को आमल्दा चेनपुरा खान के अथाह पानी के भण्डार से लिफ्ट सिंचाई/नहर से तालाबों में डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. बनास नदी पर एनीकट निर्माण (काजवे) कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. मेज नदी पर शक्करगढ़ के ऊपर भोपालपुरा में एनीकट (बांध निर्माण कार्य) निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

26. भीमपुरा (मालका खेड़ा) बांध की भराव क्षमता बढाकर-घोड़, बखेरा बेई, राया का खेड़ा, नाथुण एवं खारीफ का झौपड़ा गांवों को सिंचाई हेतु नहर निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

27. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में Left Canal, Right Canal और नंदसमंद कैनाल की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

28. मागी इण्डिया फीडर के पानी को मेजा बांध में नहीं भेजकर क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर):

29. सिद्धमुख नहर के पानी का सिंचाई में उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

30. अलवर शहर के समीप स्थित जयसमन्द, प्रतापबन्ध, सिलीसेड, विजय मन्दिर आदि बांधों को अतिक्रमण मुक्त कर व इनको गहरा कराकर भराव क्षमता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

31. सिलीसेड का पानी नहर योजना से लाल डिग्गी, कम्पनी बाग, राजर्षि कालेज में पानी पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

32. यमुना नदी के ओवर फ्लो पानी को अलवर जिले में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

33. अलवर जिले के नटनी का बांरा पर बांध का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

34. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में उजाड़ नदी को भीम सागर बांध से गर्मी में रीचार्ज करने तथा काली सिंध नदी से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. हरिश चन्द्र सागर सिंचाई परियोजना को भंवरासा बांध से सिंचाई हेतु पानी देने के संबंध में चर्चा के लिए।

36. काली सिंध नदी पर बने भंवरासा बांध के 2nd फेज के कार्य को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

37. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायत मोरला, बागडी (रोज्या खाल), मोतीपुरा (भोपत्या खाल), बावड़ी (सोडा बावडी) (मासी नदी पहले खाल में), नमूकिया (टोरडी सागर बांध की चादर के नाले में) आदि में एनीकट निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

38. बीसलपुर बांध की भराव क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की क्षतिग्रस्त नहरों एवं एनीकटों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोरडी सागर, चांदसेन सागर, किरावल सागर, धारेड़ा सागर, रामसागर लाम्बाहरिसिंह बांधों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

41. हरिश चन्द्र सागर बांध में एनीकट की मरम्मत कर पानी रोकने व सिंचाई हेतु नहरों को ठीक कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की ग्राम पंचायत चौमा, रैल को लिफ्ट

सिंचाई योजना बनाकर कालीसिंध नदी से पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

43. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की जयसमन्द झील को भरने के लिए माही नदी का ओवर फ्लो पानी नहरों नागलिया, पिकप, वेयर डैम तथा जाखम बांध का ओवर फ्लो पानी ग्रेवेटी सुरण द्वारा भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में डाया बांध को भरने के लिए दोनदी सिघटवाड़ा के पास एवं टीडी नदी पर बरसात के पानी को रोकने हेतु एनीकट बनाकर 4.50 किमी. लम्बी सुरंग द्वारा भरे जाकर सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में थूर घाटी तालाब, केजड़ तालाब, हरचण तालाब, सेमारी तालाब, मूंगली तालाब, सोम कमला आंबा डैम के नहरों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में देवेन्द्र एनीकट पानी नहर द्वारा डायवर्ट कर कातन वाड़ा, निम्बोदा, पाल सैपर, सैपुर, खराड़ा, निमच, सुखेड़ा तक भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में केजड़ तालाब की चारों नहरें 1, 2, 3 एवं 4 को मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कराकर सुरखण्ड का खेड़ा के तालाब को नहर नं. 4 द्वारा भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

48. जयपुर शहर में रियासत कालीन समय में वर्षा जल संरक्षण हेतु निर्मित बावड़ियों, कुओं और बांधों को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. मानसून पर निर्भर बीसलपुर बांध को चम्बल नदी की सहायक नदी ब्राह्मणी नदी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. जयपुर जिले के रामगढ़ के कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमणों को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

52. विधान सभा क्षेत्र बाली में बांकी बांध की क्षमता 2000 में बढ़ाने के बावजूद अभी तक नया नहरी क्षेत्र घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र बाली में फुटिया बांध की ऊंचाई व क्षमता बढ़ाने के बावजूद सिंचित क्षेत्र घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र बाली के 18 स्वीकृत एनीकटों का कार्य की निविदा हो जाने के बाद भी प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र बाली में आमलियां एवं मादड़ा की नाल बांध की स्वीकृति एवं निविदा के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

56. बून्दी पंचायत समिति के गांव बगली, लोहली, खडीबांटा व केसरपुरा में मेज नदी से "लिफ्ट सिंचाई योजना" की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक (खण्डार):

57. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के मानसरोवर बांध में कुशालीपुरा नाको के डायवर्जन एवं खण्डार के क्षेत्रीय बांधों एवं एनीकटों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

58. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन स्थित धारिया बांध के सिंचित क्षेत्र में वंचित रहे डठारिया व ओडवाड़ीया गांवों की जमीन को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में सिंचाई बांधों के रख-रखाव के संबंध में चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन स्थित धारिया बांध की मरम्मत में हुई अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

61. कुड़ीया बांध (नारायण खेड़ा) प्रतापगढ के बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

62. धौलपुर जिले की काली तीर लिफ्ट योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

63. कोटा जिले में निर्माणाधीन ताकली बांध के डूबत क्षेत्र के गांवों के किसानों को मुआवजा देकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

64. भीम सागर डैम में नहरों व माइनरों के निर्माण में हो रही अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

65. KUD नहर की ORD से 61RD तक नहर की सेलर नहीं निकलने से भागू KWM, PWM माइनरों के टेल के किसानों को पूरा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

66. BD, KUD, PB नहरें टूटी होने से सिंचाई का पानी पूरा नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67. 9GNP, BD, KUD, PB इत्यादि नहरों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

68. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में CAD के खालों का निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

69. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में 64 गांवों के लिए सिंचाई योजना बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

70. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में भंवर सेमला बांध की सभी कच्ची नहरों के पक्के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

71. प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध पर 2 मीटर गेट लगाकर आस-पास के

क्षेत्र को लिफ्ट द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

72. विधान सभा क्षेत्र भादरा के 14 बारानी गांवों को नहीं घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र भादरा के हिस्से का पूरा पानी 47MAF सिद्धमुख नहर, भाखड़ा का 355 (2.4%) पूरा लेने के संबंध में चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र भादरा के बकाया खाला निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र भादरा की सिद्धमुख नहर, अमर सिंह ब्रांच, नोहर फीडर में जल उपभोक्ता संगम चुनाव बंद कर सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के संबंध में चर्चा के लिए।

76. सिंचाई हेतु प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी सभी नहरों में लेने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

77. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के क्षतिग्रस्त राजीकावास बांध के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

78. माण्डक बांध से सिन्दू तक नहर का निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

79. पलाना फीडर सिंचाई योजना की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र मावली में विभिन्न पंचायतों के छोटे तालाब, तलाई एवं नाड़ियों की पाल की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

81. जवाई, माही बजाज, कन्डाला बांध से जालौर जिले को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

82. नर्मदा नहर परियोजना से प्रस्तावित सिणधरी-सिवाना-बालोतरा क्षेत्र को सिंचित करने हेतु योजना को गति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

83. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के पनोरिया, फागानिया, खारी, तरला, साता, बाखासर, मालगांव, लथला, अररी को नर्मदा नहर परियोजना में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

84. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में गहरे पानी के कारण हरियाणा की तर्ज पर स्लेब सिस्टम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांवों को कमाण्ड कर इन्दिरा गांधी नहर की कंवरसेन लिफ्ट नहर बनवाकर सिंचाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में सिंचाई हेतु जल होज (डिग्गी) निर्माण पर सब्सिडी (अनुदान) बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

87. विधान सभा क्षेत्र नोहर को हरियाणा से मिलने वाले पानी की चोरी को रोकने, खाले नालों की मरम्मत, सूई ब्रान्च एटा सिंगरासर माइनर आदि के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

88. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत चौकडीया में बने नान्देश्वर डैम पर गेट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जितने भी एनीकट टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में ग्राम पंचायत बारां में एक तालाब से हो रही सिंचाई को सुचारु रूप से जारी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत पडूण में जो तालाब बना हुआ है उसमें पत्थरों की सफाई करवाकर, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

92. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के रामगंज तहसील क्षेत्र में बहने वाली प्रादू, पाटली प्रमझार नदी पर हो रहे अतिक्रमण व कोटा स्टोन स्लरी से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

93. पंचायत समिति गोगुन्दा की ग्राम पंचायत मजावड़ी के ग्राम सेमटाल स्थित बूझ की नाका के ओवर फ्लो पर पुलिया निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति सायरो की ग्राम पंचायत नांडेसमा के ग्राम नांडेसमा स्थित तालाब की मरम्मत व अन्य कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. पंचायत समिति बडगांव के ग्राम मडर में स्थित बांधों की नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. पंचायत समिति गोगुन्दा की ग्राम पंचायत झाड़ोली के ग्राम रावमादड़ा में स्थित तालाब की नहर निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

97. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के बीसलपुर बांध की नहरों से वंचित इलाकों को सिंचाई हेतु इस परियोजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

98. मातृकुण्डिया बांध से लैफ्ट कैनाल बनाकर डिण्डौली बांध को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. बनास नदी के आस पास के तालाबों कपासन, धमाना, डिण्डौली को भरने वाली फीडरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. लुहारिया बांध की आवक व वितरिका को पक्की कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

101. कालिया भाटा (दाकड़ भीच्या) नालेश्वर महादेव एनीकट की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. उमरीया नाला (रतीचन्द जी का खेड़ा) बड़ी सादड़ी में नया तालाब निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

103. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की सभी कच्ची नहरों को पक्की करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. प्रदेश में नहरों पर लगे सुलसगेटो की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. राजसमन्द के कुवारिया क्षेत्र की आबादी वाले क्षेत्र से गुजर रही नहर को Cover करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. राजसमन्द की खारी फीडर को चौड़ी करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

107. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) में सिंचाई साधनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

108. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की जवाई कमाण्ड क्षेत्र में किसानों के खेतों में नहर से पानी पहुंचाने के लिए खालियों को पक्का करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जवाई कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को खेती हेतु पानी बढ़ाने हेतु सेई बांध की सुरंग चौड़ी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. जवाई बांध पुनर्भरण योजना की दो चरणों में बनी डीपीआर को स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जवाई कमाण्ड के किसानों को पर्याप्त व समय पर पानी देने के लिये नहर का गेज मैन्टेन करने हेतु नहर की ऊंचाई बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

112. जयपुर जिले के छापरवाड़ा बांध की साफ-सफाई व नहरों की खुदाई, मरम्मत का कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

113. जयपुर जिले के कालख, छापरवाड़ा बान्ध सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार आधुनीकरण, सुरक्षा प्रबन्धों, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के (DRIP) के प्रस्तावों में शामिल कर कार्य स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत जयपुर जिले में कालख, छापरवाड़ा बांध सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार का कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

115. ताजेवाला हैड योजना से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

116. सूरजगढ़ (झुन्झुनूं) में चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. यमुना जल समझौते के तहत विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ के गांवों को सिंचाई से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

118. इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में सिंचाई सुविधा से लाभान्वित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के गांवों को राजस्थान वाटर सैक्टर रीस्ट्रचरिंग प्रोजेक्ट इन डैजर्ट एरिया से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

120. माही ब्यास के अधिशेष पानी पर गुजरात से हुए समझौते के अनुसार सिरोही, जालोर, बाड़मेर जिलों को पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. नर्मदा के पूरे पानी का राज्य में उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के मोरली में बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. जवाई पुनर्भरण योजना को स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. सरूपगंज में सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जों के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

125. जालौर जिले में सिंचाई/जल संसाधन विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के बांधों वणधर व जैतपुरा से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतें जो विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में आती हैं, नर्मदा नहर परियोजना से जोड़कर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर):

128. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सिंचाई संसाधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

129. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी जिला बांसवाड़ा में माही बांध की नहरों के रख-रखाव मरम्मत सिल्ट सफाई व टेल तक पानी सिंचाई हेतु कृषकों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के अन्तर्गत आने वाली समस्त छोटी-बड़ी नहरों के नवीन विस्तार रेजिंग जर्जर नहरों का पुन: निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, दानपुर, पीपलखूंट आदि क्षेत्र के लिए डी.पी.आर. बनाने के बाद सर्वे कार्य पूर्ण होने के पश्चात् बजट आबंटन व कार्य प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

132. राज्य में इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई हेतु समय पर पानी उपलब्ध नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

133. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में खालों, नहरों के मरम्मत व पुन: निर्माण में बजट उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

134. टी.एस.पी. क्षेत्र में तालाबों को गहरा करने के संबंध में व साफ-सफाई के संबंध में चर्चा के लिए।

135. डूंगरपुर जिले में सिंचाई के लिए नए कुए खुदवाये जाएं और पुराने कुओं को गहरा व मुण्डेर बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. डूंगरपुर जिले में गरीब किसानों को सिंचाई हेतु माही डैम, कडाणा का बैक वाटर व सोम कमला आम्बा बांध से पूरा चौरासी क्षेत्र व बिछीवाडा ब्लाक व डूंगरपुर ब्लाक में लिफ्ट परियोजना से सिंचाई व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

137. नोहर फीडर, अमर सिंह बांध सिद्धमुख नहर को हरियाणा से अपने हिस्से का पूरा पानी दिलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हीराराम (बिलाड़ा):

138. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जसवंत सागर की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

139. गंग कैनाल व इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों की टेलों पर पानी की कमी के संबंध में चर्चा के लिए।

140. गंग कैनाल व IGNP वितरिकाओं के जिनका लेवल सही नहीं है या जो टूट चुकी हैं, उनके नव निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में Head (हैड) व मोघों के Design को दुरुस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

142. भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड प्रबंधन में रोटेशन के आधार पर सदस्य सिंचाई की नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

143. पंजाब से हरिके-बैराज के पानी में शीरायुक्त क्लीफार्म पानी के कैमिस्टों द्वारा समय-समय पर जांच नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

144. पंजाब सरकार द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर बनाने के लिए राज्य की भूमि को नहीं सौंपे जाने में राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

145. रावी व्यास नदियों के MOU में निर्धारित पानी से कम पानी उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

146. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लीकेज नहरों की मरम्मत, डायवर्जन

गेट (हैड) की मरम्मत समय पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

147. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सिंचाई विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में लिफ्ट द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में मौरन, वात्रक व भादर नदी पर श्रृंखलाबद्ध एनीकट निर्माण कराके क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कडाणा बांध सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

151. मासलपुर में गदाखार नाले पर एनीकट निर्माण कार्य करने पर चर्चा के लिए।

152. माडल तालाबों के निर्माण पर चर्चा के लिए।

153. पांचना बांध का पानी सिंचाई हेतु खोले जाने की चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

154. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में बांधों में लगे हरे वृक्षों की कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में बांधों के भराव क्षेत्र एवं आस-पास की सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में कानोता बांध के कैचमेंट एरिया में सरकारी भूमि में अतिक्रमण कर बने "फार्म हाउस" हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

157. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

158. किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर को जलशक्ति अभियान में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

160. चंबल सिंचाई नहरों के मरम्मत कार्य में बरती जा रही लापरवाही, घटिया निर्माण कार्य में अनियमितताओं में हो रही अनदेखी पर चर्चा के लिए।

161. चंबल की दायीं मुख्य नहर पर प्रति एक किलोमीटर पर बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. चंबल सिंचाई परियोजना की नहरों में पूर्व में निर्मित टैल क्लस्टरों के नष्ट किये जाने के पश्चात् उनके पुनर्निर्माण में बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिए।

163. चंबल सिंचित क्षेत्र के खेतों के मध्य में ड्रेन के कारण किसानों के आवागमन में होने वाली परेशानी से निजात हेतु छोटी पाइप पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. सीनोता (इटावा) जिला कोटा माइनर के अंतिम हिस्से को नष्ट करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने में विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

165. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पक्की नहर की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

166. इन्दिरा गांधी नहर के हरिके-बैराज से लेकर 496 आर डी. तक मरम्मत करवाना, सरहिन्द फिडर 0 आर डी से लेकर 496 आर. डी. तक मरम्मत करवाना, व कच्चे खालों व कच्ची नहरों को पक्का करने पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

167. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सिंचाई हेतु एक बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. धौलपुर जिले में बने पुराने पार्वती बांध, राम सागर बांध एवं उर्मिला सागर बांध आदि में जमा सिल्ट को खुदाई करवाकर बांधों की भराव क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में विभिन्न नदियों पर एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. जिला धौलपुर में चम्बल नदी के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोककर सिंचाई परियोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. पूर्वी राजस्थान के लिए ईस्टर्न कैनाल परियोजना चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

172. बून्दी व कोटा जिले में चम्बल नदी कोटा बैराज से निकलने वाली बायीं व दायीं मुख्य नहरों का पक्का निर्माण कर किसानों को रेल क्षेत्र तक आवश्यकता अनुसार सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित सिंचाई विभाग की नहरों की समय पर मरम्मत, सफाई कराकर एवं अवरोधों को हटाकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. चम्बल नदी पर रोटेदा ग्राम के पास बड़ा एनीकट बनाकर किसानों की भूमि को सिंचित करने पर चर्चा के लिए।

175. किसानों को ड्रिप व फव्वारा सिंचाई योजना हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

176. नहरों के किनारे पर किसानों के आवागमन हेतु पक्की सड़कों के निर्माण एवं पूर्व में बनी हुई सड़कों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

177. जैसलमेर जिले में नहर से सिंचित क्षेत्र में हो रही खेती में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. जैसलमेर जिले में नलकूपों से हो रही सिंचित खेती में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर से आबंटित जल की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. जैसलमेर जिले में सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी का सीपेजेज एवं अवेपोरेशन में हो रही छीजत को कम करने एवं नये उपायों पर चर्चा के लिए।

श्री गोतमलाल (धरियावद):

181. रावत बोर बांध की कच्ची नहर को पक्की करवाने एवं मलबा-कीचड़ निकालने के संबंध में चर्चा के लिए।

182. पुराने तालाबों एवं एनीकटों का सुदृढ़ीकरण व मलबा-कीचड़ निकालने के संबंध में चर्चा के लिए।

183. जाखम बांध की शेष रही नहरों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. सोम कमला आम्बा बांध के भवराणा एवं झल्लारा नहर की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं मलबा-कीचड़ निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

185. आहोर तहसील के चरवहता बांध से छोड़े जाने वाले खारे पानी के कारण, भैंसवाड़ा, ऊंण, सांकरणा, लेट, सामतीपुरा, सांफाड़ा तीखी आदि ग्राम पंचायतों के कुओं का पानी खारा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

186. सिरोही जिले में बने विभिन्न बांधों के कारण जालौर जिले में भूमिगत जल स्तर में आ रही गिरावट के संबंध में चर्चा के लिए।

187. जवाई बांध के निर्माण से जालोर जिले में एक तरफ भूमिगत जल स्तर में अत्यधिक गिरावट आई है, दूसरी तरफ अतिवृष्टि की स्थिति में बाढ़ की विभीषिका झेलने की स्थिति से बचने के लिए बांध का जलस्तर 55 फीट से कम रखे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

188. जवाई पुनर्भरण परियोजना के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

189. राजस्थान एवं गुजरात सरकारों के मध्य वर्ष 1966 में सम्पन्न माही समझौते को क्रियान्वित कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर):

190. पंजाब से राजस्थान आ रही गंग कैनाल से पंजाब में पानी की हो रही चोरी को रोकने पर चर्चा के लिए।

191. पंजाब स्थित बीकानेर कैनाल की अतिशीघ्र सफाई करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

192. पंजाब से आने वाली नहरों में जहरीला, दूषित, सीवरेज, केमिकलयुक्त पानी से क्षेत्र की फसलों को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिए।

193. पंजाब से आने वाली गंगनहर में पूरा पानी लेने के लिए पंजाब स्थित फिरोजपुर फीडर का डी.पी.आर. पंजाब सरकार से बनवाकर इस क्षतिग्रस्त फीडर की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई हेतु पूरा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामकेश (गंगापुर):

195. पूर्वी राजस्थान में समुचित सिंचाई परियोजनाओं का विकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोतमलाल (धरियावद):

196. धोलिया बांध की ऊंचाई बढ़ाना एवं मलबा-कीचड़ निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

197. मंगलवाड़ तालाब में बीलोदा रोड पुलिया से आवनहर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. मंगलवाड़ तालाब का दोनों नहरों की मरम्मत करवाने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

199. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नये एनीकटों के लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बरसात के पानी को रोकने के लिए एनीकट बनवाने व उसका उपयोग सिंचाई में किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

201. नागौर जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

202. विधान सभा क्षेत्र जायल व नागौर जिले को नहरी सिंचाई परियोजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

203. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में एग्रीकल्चर राजस्थान वाटर स्ट्रक्चर लाइवलीहु ड के अंतर्गत जालिया बांध कोशीघ्र पूरा करने की आश्यकता पर चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित भीमसागर ढिकोला के रिनोवेशन, रिपेयर एंड रीस्टोरेशन पर चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी की योजना के अंतर्गत स्वीकृत सात कार्यों को शीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के अंतर्गत अखड़ बांध, नाहर सागर बांध, उम्मेद सागर बांध को अवेपोरेशन, रिनोवेशन एवं आधुनीकरण के कार्यों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के अंतर्गत आने वाले अखड़ बांध, नाहर सागर बांध, उम्मेद सागर बांध के लिए डैम रिनोवेशन एवं इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम को शीघ्र पूरा किया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

208. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में एनीकटों के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. चंबल की सहायक नदी मेज नदी से पानी लिफ्ट करके जमवारामगढ़ बांध में लाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. प्रदेश में नदियों एवं बांधों को आपस में जोड़ने की योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

211. अजमेर में नागफणी क्षेत्र में पहाड़ों से बारिश के पानी के साथ आने वाले पत्थरों की रोकथाम हेतु एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. अजमेर की फायसागर झील में पानी की आवक के रास्ते में हो रहे अतिक्रमण व अवरोधों को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

213. अजमेर स्थित चौरसियावास तालाब का जीर्णोद्धार व मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

214. अजमेर की आनासागर झील से मिलने वाली बांडी नदी के रास्ते में किये गये अतिक्रमण व अवरोधों को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

215. नागौर जिले की सीमा पर अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में भूजल की कमी होने से फसलों की सिंचाई हेतु योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

216. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न तालाबों, एनीकटों से अतिक्रमण हटाकर सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की अराई पंचायत समिति के कोडिया सागर, सुरखेली सागर तथा किशनसागर बांध का सुदृढ़ीकरण व कैनाल लाइनिंग एवं स्लूस मरम्मत का कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की सिलोरा पंचायत समिति के हनुमानसागर, रणसमन्द तथा रायसागर बांध का सुदृढ़ीकरण व कैनाल लाइनिंग एवं स्लूस मरम्मत का कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

219. राजगढ़ परियोजना पर सिंचाई हेतु नहर कार्य की गुणवत्ता नहीं होने तथा समय पर पूर्ण नहीं होने से किसानों को हुई परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र डग में गागरोन परियोजना के तहत गांवों से हटाये गये लोगों को पुनर्वास की राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. विधान सभा क्षेत्र डग की ग्राम पंचायत पीपलिया खुर्द के माधवी बांध की ऊंचाई बढ़ाने व नहर की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र डग की ग्राम पंचायत पीपलिया खुर्द के किशन नगर के माइक्रोडैम की ऊंचाई बढ़ाने व नहर बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

223. चाचुर्नी नदी पर ग्राम चोर बर्डी के पास बांध निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर):

224. प्रदेश में बांधों के जीर्णोद्धार, आधुनीकरण एवं सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

225. बहरोड़ क्षेत्र में सिंचाई के लिए यमुना नदी का पानी उपलब्ध करवाने और साबी नदी पर बांध बनाकर पानी पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

226. बहरोड़ कस्बे के आस-पास कई गांवों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

227. बहरोड़ सहित पूरे अलवर जिले में फसलों की सिंचाई हेतु चंबल और यमुना का पानी उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

228. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में संचालित सिंचाई विभाग के XEN व AEN कार्यालय के स्थाई भवन निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

229. जल संसाधन विभाग में 6 सहायक अभियंताओं को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पदोन्नति देकर एक्सटेंशन प्रक्रिया में शामिल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

230. वर्ष 1981 में राजस्थान और पंजाब के मध्य हुए अन्तरराज्यीय जल समझौते को लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

231. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों में पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में फैक्ट्रियों और गंदे नालों का गंदे पानी के नहर में मिलाये जाने से उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम तथा केन्द्र सरकार की मदद से नहरों

की निगरानी हेतु टास्क फोर्स के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. प्रदेश में सिंचाई की प्रचलित पद्धतियों को आधुनिक जलसंरक्षण की सिंचाई पद्धतियों से प्रतिस्थापित करने हेतु विशेष त्वरित एवं ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. प्रदेश के नदी, नालों, नहरों, तालाबों, बांधों एवं एनीकट्स की सुरक्षा, कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण स्थाई रूप से हटाने और नियमित एवं समुचित रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-38 मुख्य शीर्षक लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में लघु सिंचाई के नए प्रोजेक्ट बनाने पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

2. बाड़मेर जिले में सिंचाई के लिए किसानों को अनुदान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने व इससे संबंधित लम्बित पत्रावलियों पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र सिवाना पहाड़ी (भाखरड़ा बैल्ट) क्षेत्र होने व बरसाती नदियां-नाले बहुत चलने से कई गांवों कीभूमि अपरदन होने के कारण सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. प्रदेश में भूमि सुधार योजना के तहतआर्गेनिक खाद का उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में खेतों में निर्मित ओपन वैल एवं नलकूपों को पुन:भरण (जल से) की योजना विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. बाड़मेर जिला धोरा-धरती होने के कारण 4 माह तक भूमि का अपरदन हवा के कारण होता रहता है इसके संरक्षण हेतु कार्य-योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

7. कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के ग्राम बूड़ाधीन के तालाब की मरम्मत करवाकर इससे सिंचाई की योजना बनाने पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की ग्राम पंचायत चौमा-रेलगांव को लघु सिंचाई योजना बनाकर कालीसिंध नदी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने पर चर्चा के लिए।
9. लघु सिंचाई परियोजना से Flow Irrigation नहीं कर भू-रीचार्ज कर पेयजल, भू-जल से सिंचाई करने पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में लघु सिंचाई योजना की नवीन योजना का सर्वे कराने पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में नदी-नालों पर बने एनीकटों पर लघु सिंचाई योजना बनाने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

12. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जल-भराव क्षेत्रों की भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर उक्त स्थान पर तालाब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

13. बाड़मेर तहसील में विभाग द्वारा निर्मित बालेरा बांध का पुनर्निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

14. चुलियादेह बांध से रातानाड़ा से जवाजा बांध तक पानी की आव फीडर की चौड़ाई करने, सुरेह घाटा फीडर, सारोह फीडर शीघ्र पूर्ण करने व कोटा बांध व राजडा बांध (आसन) के कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

15. जालौर जिले के बावरला बांध एवं नहर की मरम्मत एवं पक्का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. जालौर जिले के सुमेरगढ़ खेड़ा बांध की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

17. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में भूमि संरक्षण हेतु बनास नदी के किनारों पर वन क्षेत्र पर सार्वजनिक चरागाह भूमि पर तथा बिलानाम भूमि पर वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

18. प्रदेश में छोटे-छोटे तालाब, एनीकट व नाड़ियों का निर्माण करवाकर सिंचाई की व्यवस्था कराने तथा भूमि की उर्वरा शक्ति पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

19. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु सिंचाई के लिए जगह-जगह पर नहरें व धोरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जगह-जगह पर छोटे-छोटे एनीकटों का निर्माण कर भूमि संरक्षण को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में भूमि संरक्षण कटाव को रोकने के लिये जगह-जगह मेड़बन्दी एनीकटों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के तहत कराकली बांसा उथरदा खाटिया खेड़ा गुड़ेल, केनपुरा, गिगलां, लोदा कोटा कांट, पाड़ला, पादरड़ा मूलेश्वर, उपलागुडा बडावली में 0 (शून्य) लेवल एनीकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के लिए स्वीकृतशुदा मूलेश्वर एनीकट, उपला गुड़ा एनीकट, लम्बाजिया एनीकट व अलूणा एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

24. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में सिंचाई के लिए तालाबों की सफाई, खुदाई एवं जोहड़ पायतन को पुन: शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

25. प्रतापगढ़ जिले में भू एवं जल संरक्षण हेतु छोटे-छोटे एनीकट, चैक डैम व स्टाल डैम के कार्य की विशेष योजना के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

26. प्रतापगढ़ जिले में मचलाना डेम, बजरंगढ़ डैम, हमचाखेड़ी डैम, चाचाखेड़ी डैम, गादोला डैम, भंवर सेमला डैम, धावड़िया तालाब डैम, (मधुरातालाब), बोरीया डैम, तेजड़ तालाब डैम एवं पाड़लिया डैम की नहरों को टेल तक पहुंचाने एवं कच्ची नहरों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. प्रतापगढ़ जिले में मोका टोंक, चुना डैम, अमरतीया बावजी बांध, फेला डैम, मजेसरीया डैम व कराडिया डैम से लघु सिंचाई परियोजना को स्वीकृत कराकर आदिवासी परिवारों को सिंचाई उपलब्ध करवाने के संदर्भ में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

28. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के दांतवाड़ा में वन भूमि पर बांध बनाकर व्यर्थ बहने वाले पानी को रोककर सिंचाई हेतु उपयोग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

29. काक मदराडा बांध से मावली की पंचायतों में पानी लाने के लिए नहर निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. माण्डक बांध से सिन्दू (मावली) तक नहर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. उदयसागर की नहरों की कच्ची वितरिकाओं को पक्का करने और पुरानी वितरिकाओं की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र मावली के बड़गांव बांध की कच्ची वितरिकाओं को पक्का करने व पुरानी वितरिकाओं की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र मावली के जावड, भानसोल, सिन्दू व थामला में वर्षा का पानी रोकने के लिए चैक डैम का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

34. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के खजूरिया नाला, हाथीमत का जोड़, मालियों की ढाणी में चैक डैम एवं जुजाणी जोड़, डिगाभालीया तालाब एवं सिरोण्डा तालाब में खजूरिया नाले का पानी डालकर चैक डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

35. बालोतरा-सिवाना क्षेत्र के पहाडी क्षेत्रों में बरसाती पानी से हो रहे भूमि के कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में लवणीय (खारा) क्षेत्र की भूमि को कृषि (उपजाऊ भूमि) योग्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारी लाल (डूंगरगढ़):

37. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में खेतों में मेड़बंदी के लिए नरेगा को कृषि के साथ डवटेल कर ताखेड़ी/मेड़बंदी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में मनरेगा को कृषि में डवटेल कर पौधरोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

39. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) में कृषकों को सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने एवं भूमि संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

40. प्रदेश में नरेगा के तहत किसानों के खेतों में मेड़बन्दी कराने के लिए 3 लाख रुपये तक SC/ST/OBC/जनरल के नियमों में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. किसानों के खेतों में फसलों की सुरक्षा हेतु खेतों की तारबन्दी करवाने व तारबन्दी में सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. प्रदेश में कृषि कार्य हेतु छोटे किसानों के कृषि कुओं के 2018 तक के सभी बिजली कनेक्शनों के आवेदनों का निस्तारण कर कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जिन्दरू बांध के ओवर फ्लो से बांध के नीचे नदी के बहाव वाले भाग पर किसानों के खेतों में जाने वाले आम रास्ते पर सी.सी. रोड व रपट निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. जवाई बांध कमाण्ड क्षेत्र में नहर से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कच्चे खालों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

45. विधान सभा क्षेत्र दूदू की लघु सिंचाई योजना नया सागर बांध, मौजमाबाद हनुमान सागर बांध, गागरड़ू हिंगोनिया बांध का जीर्णोद्धार करवाने पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

46. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम से किसानों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. सूरजगढ़ शहर के मध्य स्थित तालाब का जीर्णोद्धार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

48. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जल पुनर्भरण क्षेत्र नहीं होने पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ का Water Sector Restructuring Desert Area Project में चयन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में नासा की रिपोर्ट के अनुसार झुंझुनूं जिले को भूजल से पूर्ण वंचित हो जाने की स्थिति से निपटने की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

51. वर्ष 2017 में हुई अतिवृष्टि में टूटे सिरोही तहसील के एनीकट के पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. वर्ष 2017 में हुई अतिवृष्टि में टूटे शिवगंज तहसील के एनीकट के पुन: निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

53. जवाई बांध के कैचमेंट में बने एनीकट नहीं हटाने के संबंध में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर चर्चा के लिए।

54. सिरोही व शिवगंज शहर में तालाब नाड़ी, एनीकट की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

55. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सांवलावास से सांचौर रोड़ तक सागी व खारी नदी के बहाव क्षेत्र में कृषि भूमियों, रास्तों व गांवों में हुए भूमि के कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

56. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी व बांसवाड़ा जिले में गरीब सवर्ण व ओ.बी.सी. वर्ग के कृषकों को जनजाति की तर्ज पर व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने हेतु लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, कूप गहरा व चैक डैम एनीकट आदि कार्यों में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के नोन कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों की भूमि समतलीकरण, तलावडी निर्माण, चैक डैम निर्माण व्यक्तिगत कूप गहरा करने व खातेदारी में जल संरक्षण के कार्य पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा गढ़ी के पहाड़ी क्षेत्र में लघु सिंचाई हेतु पानी स्टोरेज के

लिए नदी नालों में लिफ्ट सिस्टम एनीकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

59. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में छोटे काश्तकारों हेतु सिंचाई करने के लिए नये एनीकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में तालाबों व नहरों की मरम्मत व साफ-सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में भूमि संरक्षण के लिए पक्के रिंगवाल निर्माण कार्य व मेड़बन्दी कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए छोटे-बड़े एनीकट निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

63. प्रदेश के सोलर (Solar) ड्रिप फव्वारा डिग्गी हेतु अनुदान के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

64. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में बने खाले बहुत पुराने एवं क्षतिग्रस्त होने से अनूपगढ़ शाखा के किसानों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ को खालक वाली वितरिका, P वितरिका, A वितरिका और RJD वितरिका क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

66. इन्दिरा गांधी नहर की समय पर सफाई नहीं किये जाने से मरे हुए मवेशी और जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67. इन्दिरा गांधी नहर में ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाकर सोलिड व लिक्विड वेस्ट के निस्तारण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गंग कैनाल की ग्राम पंचायत 54-GB, 65GB, 72GB 74GB, 78GB व अन्य में खालों के निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

69. विधान सभा क्षेत्र चौरासी पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां लघु

सिंचाई के लिए दरी में चैक डैम निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पूर्व निर्माणाधीन बांध एवं एनीकट की मरम्मत कराने पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में भूमि कटाव को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में भूमि संरक्षण के तहत किये गये कार्यों में अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

73. प्रदेश के छोटे किसानों को खेती हेतु कुओं पर कनेक्शन देकर लघु सिंचाई को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

74. कोटा जिले की पंचायत समिति क्षेत्र इटावा एवं सुल्तानपुर में परम्परागत जल स्रोत बूढ़ादीत, अयाना, अयानी, गणेशगंज एवं बेंजपुर तालाबों के पुनर्निर्माण एवं गहरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. इटावा (कोटा) पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम फरेरा एवं मोरघुंदना के मध्य नाले पर एनीकट/लघु बांध निर्माण एवं पुलिया निर्माण में बरती जा रही विभागीय उपेक्षा पर चर्चा के लिए।

76. कोटा जिले की सुल्तानपुर एवं इटावा पंचायत समिति क्षेत्र के बीहड़/बालों के नजदीक भूमि संरक्षण कार्य की महती आवश्यकता के उपरान्त भी बरती जा रही विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

77. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में लिफ्ट परियोजना के तहत सिंचाई पर चर्चा के लिए।

78. प्रदेश में सौर ऊर्जा द्वारा ट्यूबवैल चलाकर सिंचाई किये जाने पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में क्षतिग्रस्त एनीकटों की मरम्मत करने पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में सिंचाई की समस्या से निजात पाने हेतु तालाबों को गहरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

81. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में लिफ्ट परियोजना द्वारा पानी लिफ्ट करके सिंचाई हेतु लघु परियोजना बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण हेतु कटाव को रोकने हेतु छोटे-छोटे एनीकटों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की नहरों को पक्की करने तथा नहरों को आग बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

84. मेज नदी (बून्दी) पर एनीकट बनाकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

85. बून्दी व कोटा जिले में किसानों की भूमि संरक्षण हेतु मेड़बन्दी के लिए सरकार द्वारा अनुदान राशि बढ़ाने पर चर्चा के लिए।

86. बून्दी व कोटा जिले में चम्बल नदी से प्रति वर्ष हो रहे भूमि कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के घाट का बराना क्षेत्र से गुजर रही चम्बल नदी पर एनीकट बनाकर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाने पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के पीपल्या में लघु सिंचाई योजना में निर्मित मोतीपुरा बांध की मरम्मत कराने पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

89. जैसलमेर जिले के पारम्परिक जल स्रोतों, कुओं, बावड़ियों, तालाबों एवं बेरियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. जैसलमेर जिले में भूमि के कटाव को रोकने हेतु सुधार की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए।

91. जैसलमेर जिले में बरसाती पानी के संरक्षण हेतु नये उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. जैसलमेर जिले में व्यर्थ बह रहे पानी को भूमि में पुनर्भरण की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. जैसलमेर जिले में पानी की कमी के मद्देनजर फसलों के प्रकार एवं सिंचाई की पद्धति को तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

94. जालौर शहर में स्थित ऐतिहासिक सुन्देलाव तालाब को जवाईं नदी से जोड़ने वाली नहर की मरम्मत एवं सफाई के संबंध में चर्चा के लिए।

95. जालौर के ऐतिहासिक किले पर स्थित झालरों में भरे जाने वाली मिट्टी को निकालने तथा उनकी मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. जालौर विधान सभा क्षेत्र के समस्त तालाबों, नालों एवं नाड़ियों की मरम्मत कर उनकी जल-भराव क्षमता में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. जालौर विधान सभा क्षेत्र में बहने वाली नदियों एवं नालों में वर्षा काल में बहने वाले पानी से कटाव होने के कारण उपजाऊ भूमि का संरक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामकेश (गंगापुर):

98. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में पांचना सिंचाई परियोजना पर लघु सिंचाई योजना द्वारा क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

99. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में भूमि संरक्षण हेतु खेतों की मेड़बंदी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. प्रदेश में लघु सिंचाई से संबंधित योजनाओं पर अनुदान की राशि बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

101. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में तालाबों की खुदाई के कार्य प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में भूमि के संरक्षण हेतु किसानों के खेतों की मेड़बंदी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

103. विधान सभा क्षेत्र डग की ग्राम पंचायत हरनावादा के पाड़ला में व ग्राम पंचायत गुराडीयाकलां के बिनायता में माइक्रो डैम बनवाने पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र डग के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे चैक डैम व तलाइयों का निर्माण करने व पानी से कटाव वाले खेतों पर मेड़बन्दी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र डग की ग्राम पंचायत क्यासरा के गांव सकनपुरा में माइक्रो डैम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र डग की ग्राम पंचायत दोबड़ा में छान नदी पर परसपुरा के रास्ते पर माइक्रो डैम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र डग की ग्राम पंचायत तिसाई में रामा मण्डी के पास माइक्रो डैम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

108. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में अपना खेत-अपना कार्य योजना के अन्तर्गत योग्य सम्पूर्ण काश्तकारों के खेतों की मेड़बन्दी करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में काश्तकारों के खेत तलाई खुदवाने व स्वीकृत खेत तलाई के कार्यों का काश्तकारों को समय पर भुगतान करने पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नरेगा योजना के तहत खाताधारकों के खेतों में टांका निर्माण व एनीकट निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में स्प्रिंकलर व ड्रिपिंग सिस्टम से खेती करवाये जाने के लिए सब्सिडी बढ़ाने व समय पर सब्सिडी का भुगतान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मोकलपुर ग्राम के द्वितीय बांध व अन्य सभी बांधों का मरम्मत कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

113. प्रदेश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में अनुदान पर भूमि सुधार उर्वरक एवं जिप्सम की आपूर्ति पर चर्चा के लिए।

114. प्रदेश में बूंद-बूंद सिंचाई में अनुदान प्रतिशत 40 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने पर चर्चा के लिए।

115. प्रदेश में फव्वारे सिंचाई पद्धति एवं पाइपलाइन अनुदान की राशि बढ़ाने एवं बकाया देनदारी निपटाने पर चर्चा के लिए।

116. प्रदेश में मृदा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र नोखा में काश्तकारों को लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण हेतु उचित प्रशिक्षण एवं सम्मेलनों में भागीदारी हेतु चर्चा के लिए।